बुधवार, 17 मार्च 1982

26 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अंक 19, बुधवार, 17 मार्च, 1982/26 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-20
*तारांकित प्रश्न संख्या 329, 331 से 334.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21-217
तारांकित प्रश्न संख्या : 330, 336 से 346, 348 से 351 और 49.	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3707 से 3766, 3768 से 3805, 3807 से 3822, 3824 से 3842, 3844 से 3874, 3876 से 3933 और 3935 से 3952.	
ब्लिट्ज के मुख्य सम्पादक तथा दिल्ली रिकार्डर के सम्पादक के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न	
श्री सतीश अग्रवाल	218-220
सभा पटल पर रखे गये पत्र :	220-223
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन	223
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :	224-246
पशु-महामारी निरोधक घटिया किस्म की वैक्सीन के टीके लगाये जाने के कारण दुधारु पशुओं की मृत्यु होने का समाचार	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	224-231
राव बीरेन्द्र सिंह	231-233
श्री के० लकप्पा	233-238
श्री कृष्ण कुमार गोयल	238-242
श्री चिन्तामणि जैना	242-244
डा० ए० यू० आजमी	244-246
नियम 377 के अधीन मामले :	246-252

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(एक) हाल ही में हुई ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश में खड़ी रबी की फसल को हुई हानि	
श्री माधवराव सिन्धिया	246-247
(दो) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को सीमेंट की सप्लाई	
श्री रेणुपद दास	247-248
(तीन) नदियों के जल के बेहतर उपयोग के लिए नदियों को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति घोषित करना	
श्री के० टी० कोसलराम	248-249
(चार) मद्रास के निकट अबाड़ी में स्थित आयुध वस्त्र कारखाने की क्षमता का उपयोग	
डा० ए० कलानिधि	249
(पांच) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा-बलरशा रेल लाइन के विद्युतीकरण में विलम्ब	
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	249-250
(छः) राष्ट्रीय औषधि नीति एवं उत्पादन लक्ष्यों तथा देश में औषधियों के अभाव को दूर करने के लिये कदम उठाने के बारे में एक श्वेत-पत्र की आवश्यकता	
डा० वसन्त कुमार पण्डित	250-251
(सात) किसानों को गन्ने के लाभप्रद मूल्य दिलाने तथा उनको उचित मूल्यों पर चीनी की सप्लाई करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता	
श्री राम लाल राही	251-252
रेल अभिसमय समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में संकल्प	252-314
अनुदानों की मांगें (रेल), 1982-83 तथा अनुदानों की पूरक मांगें (रेल), 1981-82	
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	253-254
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	254-256
श्री मधु सूदन बैराले	256-258
श्री अजित कुमार साहा	258-261

विषय	पृष्ठ
श्री काजी जलील अब्बासी	261-263
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	263-265
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	265-268
श्री मोती लाल सिंह	268-269
श्री चिन्तामणिजेना	269-272
श्री रामावतार शास्त्री	272-276
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	277-279
श्री राम नगीना मिश्र	279-282
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	282-283
श्री राम लाल राही	284-285
श्री जे० सी० बरवे	285-287
श्री सुन्दर सिंह	287-288
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	289-291
श्री ईरा अनबारासु	291-294
श्री दिलीप सिंह भूरिया	294-296
श्री ए० के० राय	296-298
श्री जैनुल बशर	298-299
श्री हरीश रावत	299-301
श्री आनन्द पाठक	301-303
प्रो० अजित कुमार मेहता	303-304
श्री मूल चन्द डागा	304-305
श्री गिरधारी लाल व्यास	305-306
श्री प्रकाश चन्द सेठी	306-314
विनियोग (रेल) विधेयक :	314-315
पुरःस्थापित करने तथा विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	314-315
खंड 2, 3 तथा 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	

विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक	316-317
पुरःस्थापित करने का विचार 17	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	316-317
खंड 2, 3 तथा 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक :	317-319
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	317-319

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

बुधवार, 17 मार्च, 1982/26 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 388 के अन्तर्गत आपको एक नोटिस दिया है कि मणिपुर में 9 फौजियों को आसाम राइफल्ज के सिपाहियों ने मार दिया है । अगर हिन्दुस्तान के फौजी विदेशियों से लड़ते हुए मारे जाएं, तो वह बात तो समझ में आ सकती है । लेकिन हमारी फौज के सिपाहियों को अपने देश में ही इस तरह से मारा जाए, इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : एक तो इस वक्त क्वेस्चन आवर है । दूसरे, यह मसला ऐसा है, जिसका सम्बन्ध हमारी सेना के साथ है । हमारी सेना के प्रति हम सब को श्रद्धा और प्यार है । वह तो हमारी जान है । उसके बारे में इस तरह मामले को उठाना ठीक नहीं रहेगा । मैं पता कर लेता हूं । मुझे इसका पूरा ख्याल है । जो करना होगा, हम करेंगे । मैं आपको बता दूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीय सदस्य इतनी जल्दी संतुष्ट हो गए ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें क्यों उकसाते हैं ? स्वामी का काम तो शान्त करना होता है, ज्वाला भड़काना नहीं होता ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जनबल निर्यात निगम की स्थापना

*329. **श्री एस० एम० कृष्णा :**

श्री सुभाष यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को जनबल का निर्यात के लिए जनबल निर्यात निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह तथ्य एक सर्वेक्षण से नहीं वरन विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि भारत के पास प्रौद्योगिक कुशलता का बाहुल्य है, जिसका प्रयोग अन्य देशों जैसे विशेषकर प० एशिया और अफ्रीका में किया जा सकता है क्योंकि उनके यहां अत्यन्त उच्च कोटि के औद्योगिक संयंत्र, विद्युत और दूरसंचार संयंत्र हैं। हमारे देश की अथाह जन शक्ति और प्रौद्योगिकी क्षमता का पता लगाने और उसका अपने देश में प्रयोग करने के लिए क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई ऐजेंसी बनाने के विषय में सोचा है जो उनकी आवश्यकताओं का पता चला सके तथा अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपने देश के व्यक्तियों को उस जगह खपा सके ? क्या ऐसी कोई एजेंसी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :—यह सही है कि हमारे देश में प्रतिभाशाली और दक्ष व्यक्तियों का बाहुल्य है और उन्हें विदेशों में भेजा जा सकता है जहां उनकी मांग है। इस समय सरकार प्रशासनिक आदेशों द्वारा उन्हें नियंत्रित और विनियमित करने का प्रयत्न कर रही परन्तु इन आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसे अब सरकार का प्रस्ताव उत्प्रवासी विधेयक लाने का है जिसमें वह विभिन्न कारणों से विनियामक शक्तियों पर निर्भर करना अधिक पसन्द करेंगे, विदेशी बाजारों में जनशक्ति भेजने के संबंध में अन्य देशों से भी प्रतिस्पर्धा रहती है। इसलिए यह प्रश्न विनियामक शक्तियों और जनशक्ति निगम के लाभ और हानियों के मूल्यांकन का है। इस समय महाराष्ट्र, उड़ीसा और माननीय सदस्य आपके राज्य, केरल और तमिलनाडु में अपना जनशक्ति निगम है। हमारा प्रस्ताव उन्हें सुदृढ़ करना है तथा प्रस्तावित कानून, जोकि हम सदन में पेश करना चाहते हैं, तथा जिसमें विनियमित करने की शक्ति भी हो, द्वारा उनकी सहायता करना है।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या यह सही नहीं है कि इस वर्ष कुछ समय पूर्व केन्द्र ने 12 सदस्यों का एक कार्यकारी दल बनाया था जिसका कार्य विदेशी बाजारों में चालू प्रवृत्तियों विशेषकर रोजगार संबंधी वर्तमान आवश्यकताओं के संबंध में तथा मिडिल ईस्ट में रोजगार के मौकों और संभावनाओं का एक अध्ययन करना था।

क्या यह भी सही है कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई 'क्रैश प्रोग्राम' है जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके ?

महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि विभिन्न राज्यों के अपने अपने जनशक्ति निगम हैं। हम सभी यह जानते हैं कि राज्य जनशक्ति निर्यात निगम पर कितने कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मैं सरकार को विशेष तौर पर माननीय मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि आये दिन जो यह नकली एजेंसियां बनती रहती हैं, जोकि देश के बाहर ऐसी तकनीकी व्यक्ति भेजते हैं जिनकी योग्यता संदिग्ध होती है और जिससे हमारे देश की बदनामी होती है, उन्हें रोका जा सके।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, यह सही नहीं है कि हमने समुद्रपारीय रोजगार पर एक कार्यकारी दल बनाया था ।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह नहीं बताया कि क्या आप इससे प्रभावित हुए थे या नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इससे प्रभावित हुआ था । मैं अन्त में यह बताना चाहता था कि मैं क्यों प्रभावित हुआ था । महोदय, माननीय सदस्य ने जिस कार्यकारी दल का जिक्र किया है उनकी सूचना सही है कि कार्यकारी दल बनाया गया था—वह श्रम सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया है और उसका कार्य समय समय पर समुद्रपारीय रोजगार बाजार में भारत को किस हद तक भाग लेना चाहिए इसकी पुनरीक्षा करना है तथा जहां पर यह स्तर बढ़ाया जाना चाहिए उन क्षेत्रों को पहचानना, सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना तथा आप्रवासियों की वापसी को ठीक प्रकार से सरणीबद्ध करना तथा विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों को बसाने के लिए रोजगार के क्षेत्र ढूंढ़ना है जिससे कि उनकी दक्षता तथा अनुभव का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके ।

यह तो सही है, परन्तु इसे हम किस प्रकार करते हैं यह महत्वपूर्ण है । बाहर भेजी जाने वाली जनशक्ति को रीओरिएन्टेशन तथा कुछ समय तक प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता होती है । उनमें से कुछ कुशल भी होते हैं तथा कुछ अकुशल भी । हमें दक्ष श्रमिक चाहिए तथा जिन्हें प्रशिक्षण देकर विदेशी बाजारों के काबिल बनाया जा सके । इसलिए माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे हैं यह अति आवश्यक है । हमने इसका प्रस्ताव रखा था और मंत्रिमण्डल ने इसकी स्वीकृति दे दी है । मंत्रालय में इसके तीन रूप होंगे—(1) एक पक्ष तो योजना का होगा, (2) हम यह भी कोशिश करेंगे कि जिन्हें विदेश भेजना है उनकी दक्षता के अनुरूप उनका 'रिमोरिएंटेशन' कैसे किया जा सकता है तथा उन्हें प्रमाणपत्र दिया जा सके और (3) विनियामक शक्तियां हों, जिन चार राज्यों में जनशक्ति निगम हैं उन एजेंसियों के अलावा कुछ ऐसी बदनाम निज़ी एजेंसियां हैं जिन्हें हम बंद करना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रस्तावित कानून के भीतर विनियामक शक्तियां हों, इस प्रकार हम इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के जवाब में कहा है कि नहीं, नहीं । विदेश मंत्रालय की 1980-81 की रिपोर्ट में लिखा है कि :—

> "जिन भारतीयों को विदेश में नौकरी चाहिए उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक जनशक्ति निगम बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है । इन प्रस्तावों का उद्देश्य भर्ती करने वाली बेईमान एजेंसियों की गतिविधियों को विनियामक नियंत्रण के भीतर लाना है ।"

विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि : --

> "श्रम विभाग गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार कर रहा है कि एक जनशक्ति निर्यात निगम बनाया जाना चाहिए ।"

अब वह कह रहे हैं नहीं, नहीं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिम्मेदारी किस की है ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं जो मैंने कहा है, यह बहुत पुरानी बात हो गई है । उसके बाद मैंने दो प्रश्नों का जवाब दिया है । उस प्रश्न के बाद हम काफी आगे चले आए हैं । मैंने यह कहा है कि कारपोरेशन सरकारी स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता अभी महसूस नहीं की जा रही है लेकिन जो कृष्णा साहब ने प्रश्न पूछा कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो आल्टरनेटिव क्या है तो मैंने विकल्प बताया कि सरकार चाहती है कि विभिन्न चार कार्पोरेशन्स हैं और हम जो प्रस्ताव ला रहे हैं, एमीग्रेशन विधेयक में उसमें सरकार के लिए पावर्स लेना चाहते हैं कि किस तरह से प्राइवेट एजेंसीज को कन्ट्रोल किया जाए, उसमें हम इन दोनों का समन्वय करेंगे—यह हमने बताया है ।

डा० कर्णसिंह : महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार जनशक्ति के निर्यात को विनियमित करना चाह रही है । परन्तु महोदय जब व्यक्ति बाहर जाता है तो कुछ नई निपुणता और दक्षता सीख कर अपने देश वापस लौटता है । यह कोई मामूली चीज का निर्यात नहीं है । इसलिए सरकार अपनी योजना की प्रक्रिया में यह भी विचार कर रही है कि जब यह व्यक्ति स्वदेश लौटें तो उनकी दक्षता और निपुणता का किस प्रकार राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग किया जा सके ।

श्री भागवत झा आजाद : कार्यकारी दल के लिए निर्धारित तीन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, विदेश से लौटने वाले प्रवासियों के लिए नौकरी के नए आयाम ढूंढ़ना जिससे कि विदेशों से प्राप्त उनकी कुशलता और अनुभव का कारगर उपयोग किया जा सके ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष महोदय, शायद मन्त्री जी को मालूम ही है कि हमारे देश का जनबल निर्यात होता है । उसमें भारी लूट मची हुई है । अरब कन्ट्रीज को जो जनबल जाता है उसमें प्रति व्यक्ति 15-15 हजार रुपया पासपोर्ट इत्यादि के नाम पर वसूल किया जाता है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन बातों की रोक-थाम के लिए कौन से प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : अभी-अभी मैंने एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि ऐसी एजेन्सीज पकड़ी गई हैं जिन पर कार्यवाही हो रही है । सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रेग्युलेटरी पावर्स अधिक नहीं ले सकते हैं इसलिए हम बिल लाना चाहते हैं जिसमें सरकार शक्ति प्राप्त करेगी और उनका दमन करेगी ।

खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन और अन्य सुविधाएं

*331. **श्री चित्त महाटा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार खेतिहर मजदूरों को 50 साल की आयु

प्राप्त करने पर अथवा काम करने के योग्य न रहने पर पेन्शन व अन्य प्राथमिक सुविधाएं देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क), (ख) और (ग) जी, नहीं। खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के प्रश्न पर मजदूरों के सभी वर्गों के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न से हट कर विचार नहीं किया जा सकता। अन्तर्ग्रस्त प्रमात्रा तथा स्रोतों की स्थिति को देखते हुए, ऐसे व्यापक प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

तथापि अब अधिकांश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से आमतौर पर पेंशन 30 रुपये से 60 रुपये प्रति माह की दर से 60 से 65 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के उन असहाय गरीबों को दी जाती है, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता है।

श्री चित्त महाटा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बतलाया है कि कुछ राज्यों में 60-65 की उम्र के लोगों को, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, ओल्ड-एज पेन्शन दी जाती है लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मन्त्री जी को मालूम है कि खेतिहर मजदूर और छोटे-छोटे किसान अपना खून-पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं लेकिन उनको फिर भी दो जून की रोटी नहीं मिलती है। वे लोग आज तक कष्ट भोगते चले आ रहे हैं और उनके कल्याण के लिए आज तक सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ के कर्मचारियों, मजदूरों एवं संसत्सदस्यों को भी पेंशन दी जा रही है फिर खेतिहर मजदूरों ने क्या कुसूर किया है कि उनको इससे वंचित रखा गया है ? इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार भविष्य में खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : यह बात सही है कि आज हमारे देश में जो असंगठित मजदूर हैं वे सबसे नीचे के स्तर पर हैं। असंगठित श्रमिकों को भी संगठित मजदूरों की स्थिति पर लाने के सम्बन्ध में हमने एक निर्णय लिया है जिसको लागू भी कर दिया है और हम चाहते हैं कि उसका ठीक तरह से कार्यान्वियन हो।

न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948 के अन्तर्गत हमने विभिन्न सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया है। बहुत सी सरकारों ने इस संबंध में संशोधन कर दिया है और बहुत-सी कर रही हैं। पहले मिनिमम वेज कानून के अन्तर्गत रिवीजन 5 वर्ष के बाद था, लेकिन अब लेबर मिनिस्टर्स कांफ्रेंस ने निर्णय किया है कि 50 प्वाइन्ट होने के बाद या 2 वर्ष में एक बार उसमें संशोधन किया जाय। यह संशोधन अधिक राज्यों ने कर लिया है लेकिन कुछ ने इससे डेबिएट

किया है । जहां तक भारत सरकार का संबंध है प्राबलम के मैगनीचूड को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि हर श्रमिक मजदूर के लिए भारत सरकार पेन्शन की व्यवस्था करे, मगर उसको किस प्रकार किया जाय इसके लिए एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट राज्य सरकारें हैं । उनमें से बहुतों ने केवल डेस्टीचूट्स के लिए नहीं, बल्कि श्रमिक मज्दूरों के लिये भी अपने यहां पेन्शन की व्यवस्था की है । मैं उदाहरण सिर्फ एक ही देता हूं—सोशल सिक्योरिटी पेन्शन स्कीम बिहार सरकार ने लेण्डलेस लेबर के लिए ही नहीं बल्कि जिनके पास एक एकड़ जमीन है, जो प्लेन में चालू वाली जमीन है, उनके लिए भी व्यवस्था की है । इसके अन्तर्गत बिहार सरकार 72 करोड़ रुपया 21 लाख लोगों को एक वर्ष में दे रही है ।

इसलिए हम चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन लागू करके विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिक मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया जाय तथा राज्य सरकारों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे अपनी सीमा के अन्तर्गत इस पर विचार करें ।

श्री चित्त महाटा : मन्त्री महोदय ने न्यूनतम वेतन के बारे में बतलाया लेकिन एक कठिनाई यह है कि मजदूरों को वर्ष में 50 दिन काम मिलता है उनको 365 दिन काम मिले इसके बारे में आप क्या व्यवस्था करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने किन-किन राज्यों से आंकड़े मंगाये हैं तथा उनके यहां पेन्शन पर कितना रुपया खर्च होगा - स्टेट वाइज बतलायें ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सही है कि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि श्रमिक मजदूरों को साल भर तक नौकरी नहीं मिलती है । कहीं पर 6 महीने, कहीं 7 महीने, और कहीं 3 महीने ही काम मिलता है । हमारी कई योजनाओं के अन्तर्गत बहुत सी स्कीमें चल रही हैं जैसे रूरल डवेलपमेंट इन्टीग्रेटेड, सड़क बनाना, मछली पालन, आदि, इनमें काम देकर उनकी बेरोजगारी को किसी हद तक दूर किया जा सकता है ।

जहां तक पेंशन वाली बात है, यदि राज्य के ब्यौरेवार पढ़ूंगा तो उसमें काफी वक्त लगेगा । मैं उसको सदन में रख दूंगा कि कहां पर वह लागू है और कितनी पेन्शन ये लोगों को देते हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत की जाए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राज्य सरकारों ने जो योजना बनाई है उसमें 65 वर्ष की आयु पर दी जाती है । क्या भारत सरकार राज्य सरकारों को इस प्रकार की सलाह देगी कि वे आयु को घटाकर 50 वर्ष कर दें तथा जिस प्रकार बिहार में सिक्योरिटी पेंशन मुकर्रिर कर रखी है उसी तरीके से जमीन या औलाद के संबंध में जो रोक लगा रखी है उस रोक को हटाकर 50 वर्ष की आयु में पेंशन मिल सके, इस प्रकार की सलाह देंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : आपने दो सुझाव दिए हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, इन पर विचार किया जा सकता है ।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये बहुत सी बातें कही हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं खेतिहर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए रेल मंत्रालय की काफी जमीन पड़ी हुई है तथा अन्य स्थानों पर भी काफी जमीन खाली पड़ी रहती है···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसमें नहीं आता है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : इसमें आता है, आप हमारी बात सुनिये। इन सब जमीनों के बारे में प्रायः आदेश भी हैं कि वे सब खेतिहर मजदूरों को दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें यह प्रश्न नहीं आता है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : कुछ उनको बैंकों से लोन मिलता है। ग्रामीण विकास बैंक और समाज कल्याण विभाग वगैरह उनको ये सुविधाएं देते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या समय-समय पर आप इन बैंकों से अथवा रेल मंत्रालय से अथवा राज्य सरकारों से कोई विवरण प्राप्त करते रहते हैं कि खेतिहर मजदूरों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वे ठीक तरीके से दी जा रही हैं या नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा कि पहले प्रश्न का मुझ से सम्बन्ध नहीं है और रेल मंत्रालय इसका जवाब दे सकता है लेकिन बाकी के जो दो प्रश्न हैं कि ऐसे मजदूर जो बेरोजगारी के वक्त में कुछ काम करना चाहते हैं और अभी जो बैंकों ने दर घोषित की है कम रेट पर ऋण देने के लिए, उसके लिए और राज्य सरकारें जो समय-समय पर उनको सुविधाएं देती हैं इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम में, दूसरी डेवलपमेंट स्कीमों में और खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा लाइवस्टाक प्रोग्राम के अन्तर्गत, इन सब सुविधाओं के बारे में हम समय-समय पर लिखते रहते हैं और हाल ही में मैंने एक पत्र राज्य सरकारों को लिखा है।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : भूमि के बारे में मैंने पूछा था कि क्या आप रेल मंत्रालय से कभी जांच करते हैं, आप कभी उनसे इस बारे में पूछते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेश पायलट : क्या यह सही है कि कुछ राज्य सरकारों ने किसानों और खेतिहर मजदूरों को वृद्धावस्था में पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने केन्द्र से सहायता मांगी है ? यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं। इनके अलावा सभी श्रेणियों के श्रमिक मूल्य सूची में वृद्धि से प्रभावित होते हैं। यदि मूल्य सूची में वृद्धि होती है तो उन्हें नियमित रूप से वेतन वृद्धि मिलती है। परन्तु खेतिहर मजदूरों को यह नहीं मिलती। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। क्या यह सही नहीं है कि खेतिहर मजदूरों को अकेला छोड़ दिया गया है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें इसका नोटिस देना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : इसके लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उनके लिए संक्षिप्त विवरण तैयार किया है ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने बिहार राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों के पास भी कुछ योजनाएं हैं। महाराष्ट्र सरकार का रोजगार गारंटी बोर्ड है। ऐसे कार्यक्रम कुछ राज्यों में हैं। हम इतने अधिक बृद्ध व्यक्तियों को केन्द्र स्तर पर पेंशन नहीं दे सकते 1981 की गणना के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों की संख्या देश में 5 करोड़ है। हम उन्हें मुआवजा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रमों व अन्य पेंशन योजनाओं द्वारा उनकी सहायता करें। हम उन्हें खंड स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। आठ सरकारों ने इस कार्यक्रम को अपनी मजूरी दे दी हैं और अपनी ओर से हम उन्हें सहायता पहुंघाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

यह सही है मूल्य सूची में वृद्धि से संगठित श्रमिकों के वेतन पर तो प्रभाव पड़ता है परन्तु असंगठित श्रमिक के वेतन पर नहीं। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल हम प्रति दो वर्ष उनके वेतन में संशोधन कर देते हैं या फिर उन्हें 50 प्वाइंट पर वृद्धि देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में हम विचार करना चाहेंगे तथा यह देखेंगे कि क्या इसको खेतिहर मजदूरों के वेतन भी सम्बद्ध किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रमिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अभी जो प्रश्न उठा है वह यह है कि 50 साल से ऊपर के जो लोग गांवों में रहने वाले हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको अपनी जीविका के लिए पेंशन दी जाए लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि 50 साल नहीं बल्कि 12 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों को, जोकि गांवों में रहते हैं, अगर सिर्फ शासन की तरफ से यह हो जाए कि उनको काम मिलेगा, शासन की तरफ से काम की गारेन्टी हो जाए, केवल उनको मजदूरी मिल जाए, तो यह उनके लिए स्वर्ग बन जाएगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे गांवों में रहने वाले हजारों, करोड़ों ऐसे नौजवानों के लिए काम की व्यवस्था करेंगे जिनको काम नहीं मिलता और जो काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं ? क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे उनको काम की गारेन्टी मिल जाए और अगर काम न मिल सके, तो क्या कोई ऐसा जरिया अपनाया जाएगा, जिससे उनको रोटी मिल सके।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उन लोगों की बात कही है, जो बेरोजगार हैं। उनके लिए भी मेरा वही जवाब है कि बहुत सी ऐसी स्कीमें चल रही हैं, बहुत सी योजनाएं देहातों में चल रही हैं, जिनके अन्तर्गत उनको काम दिया जा सकता है।

जहां तक श्रमिक मजदूरों का प्रश्न है, मैंने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में दे दिया है।

केरल में सीमेंट की कमी

*332. **प्रो० पी० जे० कुरियनां :**

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में सीमेंट की अनुपलब्धता के कारण निर्माण तथा विकास-कार्य रुका पड़ा है;

(ख) क्या केरल सरकार ने राज्य के लिए सीमेंट का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की सामान्यत: कमी है इस सीमा तक यह संभव है कि सीमेंट की कमी के कारण केरल में निर्माण और विकास कार्य प्रभावित हुआ है।

(ख) केरल सरकार ने अपने तिमाही आवंटन को 1.69 लाख मी० टन सीमेंट से बढ़ाकर 5.00 लाख मी० टन करने का अनुरोध किया है।

(ग) केरल सहित सभी राज्य सरकारों को लेवी सीमेंट का आवंटन 28 फरवरी, 1982 से प्रभावी नई नीति के संदर्भ में किया जायेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सीमेंट का ही अभाव नहीं है, वरन् उनके विभाग में बुद्धिमत्ता की भी कमी है और इसीलिए उनका विभाग पर्याप्त सामग्री एकत्र करने में सक्षम नहीं है।

मेरा प्रश्न विशेष रूप से इस तथ्य के बारे में है कि केरल का विकास संबंधी निर्माण कार्य, सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्य, सार्वजनिक कल्याण संबंधी निर्माण-कार्य सभी ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि सीमेंट की कमी है। मैंने मंत्री महोदय से खासतौर से यह पूछा था कि क्या मंत्रालय इस तथ्य से अवगत है। किन्तु उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है।

दूसरी बात यह है कि मैंने पूछा था कि क्या केरल सरकार ने केरल के सीमेंट कोटे में विशेष वृद्धि के लिए अनुरोध किया था। उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया है।

अत: मुझे तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। पहला इसलिए क्योंकि उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैंने अपने सवालों को दोहराया था क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया था।

अब मैं अनुपूरक प्रश्नों की बात करूंगा। क्या वे जानते हैं कि केरल सरकार ने पिछले साल 18 लाख टन की मांग की थी किंतु उन्हे केवल 11 लाख टन ही दिए गए थे। विदेशों

में रहने वाले भारतीय अब केरल वापिस आ रहे हैं और अब वे वहां बसना चाहते हैं । अत: भारी संख्या में मकान बनाए जा रहे हैं और इसीलिए सीमेंट की भारी मांग हो रही है। किंतु ये सभी निर्माण कार्य ठप्प पड़े हैं तथा दक्ष और अदक्ष लाखों कामगार बेरोजगार हो गए हैं । इसे ध्यान में रखा जाए और इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि अभीष्ट मात्रा और अन्य राज्यों को प्राप्त मात्रा के अनुपात की तुलना में केरल को आवंटित मात्रा कम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे केरल का अनुरोध स्वीकार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इसी तरह सवाल पूछा जाता है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनके सिर में सीमेंट है। वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : उनके सिर में तो कीचड़ है। और सीमेंट तो कीचड़ से बेहतर ही होता है, और सभी यह भी जानते हैं कि वह भारतीय नहीं वरन् अमरीकी और चीनी कीचड़ है, किंतु मेरा तो भारतीय है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मेरा तो पाकिस्तानी कीचड़ है । उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसीलिए मैं माननीय मंत्री से खासतौर से पूछना चाहता हूं कि क्या वे खास लिहाज कर केरल के सीमेंट-आवंटन में वृद्धि के विशेष अनुरोध पर विचार करेंगे ?

श्री चरणजीत चानना : महोदय, माननीय सदस्य ने विकास होने और विकास न होने के अनुसार जो आवंटन के लिए स्तर बनाए हैं—देश में सीमेंट का वितरण करते समय इस पर विचार नहीं किया जाता है। वस्तुत: भारत सरकार ने सीमेंट के वितरण के लिए जो स्तर तय किए हैं वह हैं (1) सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं; (2) केन्द्रीय सरकार के विभाग और निगम; (3) बड़े और मध्यम मान के उपयोग; (4) राज्य सरकारें। सरकार इसी बात को ध्यान में रखती है कि जितने सीमेंट का उपयोग किया जाता है वह सभी विकासात्मक वृद्धि के लिये ही है।

दूसरी बात यह है कि जैसाकि माननीय सदस्य ने रोजगार के पहलू की चर्चा की है सरकार अवश्य ही इस बात पर ध्यान देती है कि सीमेंट के उत्पादन और सीमेंट-उत्पादन में वृद्धि से निश्चयत: अधिकाधिक रोजगार मिले ।

अब जहां तक माननीय सदस्य के केरल के लिए नियत सीमेंट का सम्बन्ध है, मैं तो राज्य सरकार की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकता का जिक्र करूंगा । वस्तुत: सभी राज्यों के लिए लगभग समान मात्रा का ही नियतन किया जाता है। दूसरी बात यह है कि केरल के लिए सीमेंट का मूल नियतन 1981 की तीसरी तिमाही से चौथी तिमाही तक और फिर 1982 की पहली तिमाही—109,300 टन से बढ़ाकर 95,300 टन तक कर दिया गया है ।

जहां तक सिंचाई और लघु उद्योगों के लिए आरक्षण का सम्बन्ध है उसके लिए 1981 की दूसरी तिमाही में नियत 42,980 टन को बढ़ाकर 1980-81 की तीसरी तिमाही में प्रति

तिमाही 64,950 टन बढ़ाना निश्चित किया गया है। और वस्तुत: उसे जारी रखा गया है। किन्तु इसके अतिरिक्त 1981 की तीसरी तिमाही से लघु उद्योगों के लिए कोटा 16,930 टन तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष 1981 की चौथी तिमाही में यह 19,530 हो गया और 1982 की पहली तिमाही में यह 19,530 टन हो गया था।

जहां तक माननीय सदस्य के अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के लिए सीमेंट की आवश्यकता का सम्बन्ध है--- वस्तुत: अद्यतन योजना उन्हें यथाशक्य आयात के लिए काफी अवसर देती है और हमारा तो केरल जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसके पास तो विदेशी मुद्रा भी है। नयी नीति का ब्यौरा सभा-पटल पर अलग से रखा गया है। यदि माननीय सदस्य उसे पढ़ें तो उन्हें इसके खास पहलू के बारे में पता लगेगा और केरल को सीमेंट की अधिक पूर्ति और जिन राज्यों में लेवी वसूल नहीं की जाती है उन सभी के लिए अधिक पूर्ति के बारे में भी पता लगेगा। सीमेंट का 66.6% अभी आरक्षित है जो कि लेवी सीमेंट है—और मैं आपके शब्द का ही उपयोग करूंगा कि वह सीमेंट का विकासात्मक उपयोग करने के लिए है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेंट की मात्रा भी बढ़ गई है। किंतु एक और पहलू है। एक ऐसी प्रणाली थी जिससे विदेश स्थित भारतीय विदेशी मुद्रा भेजने पर सीमेंट प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रणाली के अनुसार, केरल को भी विशेष मात्रा आवंटित की गई थी, क्योंकि अधिकांश आवेदन-पत्र केरल से ही आए थे। मुझे खेद है कि वह प्रणाली अब समाप्त कर दी गई है। वर्तमान सीमेंट तो इस पर विचार ही नहीं किया गया है। मेरी राय है कि यह देश के हित में भी नहीं है, क्योंकि यदि हम विदेशी मुद्रा पर सीमेंट आवंटित कर सकते हैं, खास तौर से जबकि हम सीमेन्ट का आयात करने की कोशिश कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा पर आवंटन न करने के क्या कारण हैं? मैं खासतौर से यही जानना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति पर दुबारा विचार करेगी और विदेशी मुद्रा पर सीमेंट का आवंटन करना शुरू कर देगी। यह प्रथा तो पहले से ही चल रही थी, क्या सरकार इसे जारी रखेगी? उस क्षेत्र में कुल मांग का आयात भी किया जा सकता है। क्या सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी?

श्री चरणजीत चानना : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य सभा पटल पर अलग से रखी गई सीमेंट सम्बन्धी नीति के ब्यौरे का अध्ययन करें। किन्तु हालांकि इसे दुहराया ही जा रहा है फिर भी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह जानें कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों द्वारा लेवी सीमेंट प्राप्त करने की प्रणाली वापस ले ली गई है, किन्तु उसे समाप्त नहीं किया गया है।

अब एक अन्य क्षेत्र भी है। निर्माण उद्योग में मांग के अनुरूप अर्थात् सभी ऐसे निर्माता जिनके पास 80 वर्ग मीटर से ज्यादा कुरसी क्षेत्र में निर्माण करना है, वे सीमेंट ले सकते हैं। यह आयात वे उस नयी एजेंसी से कर सकते हैं जिसे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और

जो कि केन्द्रीय स्तर पर राज्य व्यापार निगम है और राज्य स्तर पर राज्य निगमें हैं—जो कि वास्तविक उपयोगकर्त्ता से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सीमेंट आयात करने की हकदार हैं। एक बात यही है कि एक व्यक्ति को आयात करने में अवश्य दिक्कत होगी। अतः हमने हर राज्य में एक एजेन्सी गठित की है। राज्यों में निगमों के माध्यम से वे इच्छानुसार सीमेंट का आयात कर सकते हैं। इससे केरल में भवन निर्माण उद्योग को मदद मिलेगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : केरल में सीमेंट के काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। **(व्यवधान)** सबसे पहले तो एक स्पष्टीकरण चाहिए।

सरकार ने अपने भाग (ख) के उत्तर में बताया है कि तिमाही आवंटन 1.69 लाख टन है। परन्तु 1.69 लाख टन के वास्तविक आवंटन के अलावा केरल को अक्तूबर-दिसम्बर, 1981 की चौथी तिमाही में 26,000 टन का तदर्थ आबंटन किया गया था। इन दोनों आंकड़ों में कहां चूक है। यह स्पष्ट है कि सरकार ने केरल की सीमेंट संबंधी आवश्यकता के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। इसका यह परिणाम हुआ कि विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर काम बिल्कुल बंद हो गया है। इसलिए क्या सरकार केरल में सीमेंट की कमी का कोई विशिष्ट अध्ययन करेगी तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अंततः लागू की जाने वाली नई नीति के अनुसार सरकार विभिन्न राज्यों के नए आवंटनों पर कब विचार करेगी ?

श्री चरणजीत चानना : चूंकि माननीय सदस्य ने आंकड़ों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है मैं चाहता हूं कि केरल राज्य की सरकार को किए गए वास्तविक आवंटन और तदर्थ आबंटन के सही आंकड़े दिए जाएं। यह 46,000 टन नहीं है वरन वास्तव में यह तदर्थ आवंटन इसलिए किया गया था कि केरल सरकार ने तमिलनाडु सरकार की सीमेंट एककों को बिजली की सप्लाई की थी इसलिए यह 46,000 टन का तदर्थ आवंटन किया गया था। परन्तु यदि वह चाहते हैं कि मैं सारे तिमाही आंकड़े पढ़ूं तो मैं तैयार हूं। 1981 की दूसरी तिमाही में वास्तविक आवंटन के अलावा यह 168,000 टन था। 1981 की पहली तिमाही में यह 174,000 टन था। वास्तव में, केरल को वास्तविक और तदर्थ आबंटन 342,300 टन किया गया था जबकि जो कुछ मैंने कहा वह चालू वर्ष के सन्दर्भ में था; और अगली तिमाही में यह 377,300 टन था। इसलिए यह स्पष्टीकरण सही है। दूसरा स्पष्टीकरण जो मंत्री महोदय नें मांगा है वह यह है कि नए आबंटन पर कब निर्णय लिया जाएगा। अगली तिमाही से पूर्व नई वितरण प्रणाली का निश्चय किया जाएगा। चालू तिमाही में, दूसरी तिमाही का आवंटन निश्चित कर लिया गया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री ने समाचारपत्र की यह रिपोर्ट देखी है कि सीमेंट प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन ने यह घोषणा की है कि 20 कि० ग्रा० सीमेंट के बोरी का मूल्य 68 रु० होगा; जोकि आजकल कालाबाजार का मूल्य है। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उत्पादन लागत और 20 कि० ग्रा० सीमेंट के बोरे का जो मूल्य वह लेना चाहते हैं उसके बीच क्या संबंध है।

श्री चरणजीत चानना : जहां तक सीमेंट के मूल्य का संबंध है, जो आंकड़े हमने दिये हैं वह नई नीति के अनुसार लेवी और नॉन लेवी मूल्य के हैं परन्तु सफेद या काले सीमेंट के मूल्यों के बारे में माननीय सदस्य ही बेहतर जानते होंगे। परन्तु जहां तक उत्पादन लागत का संबंध है एक ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्राइसेज है जिसने सीमेंट संयंत्र की प्रति एकक की उत्पादन लागत का नियमित लागत विश्लेषण अध्ययन किया है। तीसरे माननीय सदस्य ने सीमेंट निर्माता संघ द्वारा घोषित किए गए मूल्यों के बारे में पूछा है।

वास्तव में, गैर-लेवी सीमेंट के मूल्य पूर्ति और मांग के आधार पर निश्चित किए जाएंगे और हमें विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने आंकड़ों में सुधार करेंगे। मूल्य 68 रुपये से अब 65 रुपये तक नीचे आ गया है। इससे पता चलेगा कि उत्पादन में बढ़ोत्तरी से मूल्यों में कमी हो रही है।

श्री नवल किशोर शर्मा : दिए गए उत्तर और दिनांक 28 फरवरी को घोषित नई सीमेंट नीति के अनुसार, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या लेवी सीमेंट के वितरण के लिए केन्द्र द्वारा कोई मार्गनिदशी सिद्धान्त जारी किए गए हैं जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग एवं कृषि क्षेत्र जिन्हें कम मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता होती है परेशानी का सामना न करना पड़े और अधिक मूल्य न देने पड़ें। मंत्री जी के उत्तर में यह प्रश्न के भाग (क) और भाग (ख) में विकासशील परियोजनाओं के विषय में कहा गया है। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, मानवीय आधार पर, क्या राजस्थान जो कि बाढ़ से प्रभावित था···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुसति नहीं है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानवीय आधार पर ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं; मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप यह नहीं पूछ सकते।

श्री नवल किशोर शर्मा : इन्होंने विकासशील परियोजनाओं का जिक्र किया है। मैं आप से अनुरोध करता हूं·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। श्री नवल किशोर शर्मा जी, आप एक पुराने सांसद हैं। इस प्रश्न के अन्तर्गत यह नहीं पूछा जा सकता।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो सीमेंट राजस्थान में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आवंटित किया गया, वह उन्हें दिया गया या नहीं और यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री चरणजीत चानना : मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; नहीं ! यह अप्रासंगिक है। श्री राम प्यारे पनिका।

श्री नवल किशोर शर्मा : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अप्रासंगिक बातों को प्रासंगिक बातों में क्यों मिला रहे हैं ? प्रश्नों में कोई मिलावट नहीं चलेगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह मिलावट नहीं है। यह उत्तर में बताई गई बात से ही पूछा गया है। मंत्री जी को उत्तर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। श्री राम प्यारे पनिका।

राष्ट्रीय एल्यूमिनियम अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

*333. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एल्यूमिनियम अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा इस संस्थान को स्थापित करने में एल्यूमिनियम उद्योग को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा; और

(ग) इस संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :

(क) एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिआइन केन्द्र की स्थापना के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार कराने हेतु सरकार ने उपाय किए हैं।

(ख) इस केन्द्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य देश में ऐसी क्षमता का निर्माण करना है ताकि बौक्साइट शोधन और तत्पश्चात एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादन के संबंध में अपेक्षित प्रयुक्त अनुसंधान, विकास और डिजाइन कार्य किए जा सकें। केन्द्र की स्थापना से एल्यूमिना और एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी में देशी दक्षता के निर्माण में मदद मिलेगी और इस प्रकार देश में एल्यूमिनियम उद्योग की आत्म-निर्भरता में वृद्धि होगी जो कि अभी तक अधिकतर विदेशी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता पर निर्भर है।

(ग) इस केन्द्र की स्थापना की वास्तविक तारीख के बारे में साध्यता रिपोर्ट की प्राप्ति और सरकार द्वारा उसके अनुमोदन के बाद ही बताया जा सकेता है।

श्री राम प्यारे पनिका जैसा कि हमें पता है, एल्यूमिनियम सहित अन्य अलौह धातुओं की कमी है और एल्यूमिनियम का आयात करने में बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हू कि एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या इस संबंध में कोई लागत अनुमान तैयार किए गए हैं और क्या छठी पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में कोई प्रावधान किया गया है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : 1980 के दौरान, भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने सोवियत विशेषज्ञों द्वारा एल्यूमिनियम के लिए एक अनुसंधान, विकास तथा अभिकल्प परिसर की स्थापना के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। रिपोर्ट में भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग में अनुसंधान और विकास, अभिकल्प सम्बन्धी गतिविधियों की स्थिति तथा प्रस्तावित एल्यूमिनियम अनुसंधान तथा विकास परिसर के मुख्य लंबी अवधि के कार्यक्रम के बारे में मुख्य रूप से बताया गया था। किन्तु सोवियत विशेषज्ञों द्वारा तैयार रिपोर्ट में लागत अनुमान, पूंजी तथा आवर्ती व्यय एवं संस्था की स्थापना के विभिन्न चरणों आदि, सहित आवश्यक बातों को शामिल नहीं किया गया था, जो कि केन्द्र की स्थापना के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए आवश्यक हैं अतः, यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिए जाने से पहले एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाए।

दूसरे अनुपूरक प्रश्न के संबंध में, मैं यह बताना चाहती हूं कि परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। एल्यूमिनियम केन्द्र के लिए 'सेकेंड इंडिया यू० एन० डी० पी० कंट्री प्रोग्राम' में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 13.2 लाख अमरिकीं डालर तक की राशि देने का प्रावधान रखा गया है। पहले चरण में, यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठक की सहायता से एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसकी 3,92,000 अमरिकी डालर की लागत की पूर्ति संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की जाएगी। भारतीय कर्मचारियों तथा अन्य स्थानीय लागतों की पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के बारे में, एल्युमिनियम अनुसंधान, विकास तथा अभिकल्प केन्द्र के लिए 4.15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परियोजना प्रलेख पर दिनांक 10 जून, 1981 को भारत सरकार तथा यू० एन० डी० पी० द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सदन के सभा पटल पर रख सकती थीं।

श्री राम प्यारे पनिका : माननीय मंत्री महोदया ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह देश अभी भी विदेशी तकनीक पर आश्रित है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसे

कहा गया है ? व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में अभी तक क्या प्रगति हुई है ? रिपोर्ट प्रस्तुत करने में उन्हें कितना समय लगेगा ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : व्यवहार्यता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा चुनी गई एक विदेशी परामर्शदात्री फर्म हंगेरियन एल्यूमिनियम कारपोरेशन, हंगरी की 'मैसर्स एल्यूहेट्व एफ० के० आर्ट रिसर्च, इंजीनियरिंग एण्ड प्राइम कांट्रैक्टिंग सेंटर द्वारा तैयार की जाएगी। 'नैसर्स मैटालर्जीकल इंजीनियरिंग कंसलटेंट लि० (मैकोन) को भारतीय परामर्शदात्री फर्म के रूप में चुना गया है जो कि इस कार्य के लिए विदेशी परामर्शदात्री फर्म के साथ सहयोग करेगी। व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी का कार्य मुख्य तकनीकी सलाहकार के पर्यवेक्षण एवं मार्ग-निर्देशन में किया जाएगा जो कि केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विभाग द्वारा सोवियत यूनियन की वी० ए० एम० आई० 'संस्था' के श्री एन० एन० तिखोनोव नाम की यू० एन० आई० डी० ओ० से प्राप्त छः उम्मीदवारों के नाम की सूची में से सिफारिश की गई है। यून० डी० जी०/यू० एन० आई० डी० ओ० से मुख्य तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र करवे को कहा गया है जिससे कि व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ और है जो कि रह गया हो ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : भारत एल्यूमिनियम कंपनी के कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र के प्रबंधक (तकनिकी) डा० वी० सी० दत्ता को भारत की ओर से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की अवस्था के दौरान परियोजना सहयोजक मनोनीत किया गया है। केन्द्र के लिए मुख्य तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए जाने (यू० एन० आई० डी० जो०/यू० एन० डी० पी० द्वारा किया जाएगा) की तारीख से व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा करने का अनुगानित समय लगभग दस महीने का है।

श्री डी० पी० यादव : राष्ट्र-निर्माण के लिए एल्यूमिनियम महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इस दृष्टि से क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि आवश्यक मांगों की पूर्ति के लिए एल्यूमिनियम के देशी उत्पादन के विस्तार का भविष्य में क्या कार्यक्रम है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि भविष्य में तीन परियोजनाऐं प्रस्तावित की गई हैं और वे हैं : –

1. **उड़ीसा एल्यूमिनियम कम्पलैक्स** : राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी उड़ीसा एल्यूमिनियम कंप्लैक्स की स्थापना कर रही है। परियोजना के एल्यूमिनिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 8 लाख टन की और एल्यूमिनियम स्मैल्टर की 2.18 टन की होगी। एल्यूमिनिय लगभग 4.25 लाख टन एल्यूमिनियम में बदला जाएगा और शेष 3.75 लाख टन निर्यात किया जाएगा। स्मैल्टर की 50 प्रतिशत क्षमता जो कि 1.8 लाख टन होगी 1986 में प्रारम्भ होगी और एल्यूमिनियम मेटल की 2.18 लाख टन की पूर्ण उत्पादन क्षमता 1987 में प्राप्त होगी।

2. **आंध्र अल्यूमिनियम परियोजना** : विशाखापत्तनम जिले के गुदेम स्थान में आंध्र एल्यूमिनिया परियोजना सोवियत विशेषज्ञों द्वारा 6 लाख टन से 8 लाख टन की वार्षिक क्षमता के एल्यूमिनिया परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। आंध्र एल्यूमिनिया परियोजना पर निवेश का निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि परियोजना पर लगाने के लिए धन के संसाधनों की खोज तथा उत्पादन किए जाने वाले एल्यूमिनिया के निर्यात के लिए जंबी अवधि के निर्यात के क्षेत्र का निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है। सोवियत विशेषज्ञ परियोजना के निर्माण की अवस्थाओं और धन के संभावित साधनों पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अप्रैल/मई 1982 में रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है, जिसके बाद एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए उनके साथ बातचीत की जाएगी।

3. **कच्छ एल्यूमिनिया परियोजना** : गुजरात खनिज विकास निगम ने कच्छ में बॉक्साइट के भंडार के आधार पर गुजरात में 3 लाख टन वार्षिक वाले एल्यूमिनिया संयत्र की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कराई है। व्यवहार्यता रिपोर्ट हंगरी की मैसर्स गेमोकोमप्लेक्स ने तैयार की है। परियोजना पर निवेश का निर्णय अभी नहीं लिया गया है क्योंकि परियोजना पर धन लगाने के साधनों और एल्यूमिनिया के लिए लंबी अवधि के लिए निर्यात क्षेत्र के निर्धारण की खोज अभी की जानी है। इन पहलुओं पर गुजरात खनिज विकास निगम जो कि एक राज्य सरकार का उपक्रम है द्वारा जोर दिया जा रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय .....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप हिम्मत करेंगे सवाल पूछने की ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आपको श्री रामप्यारे पनिका को श्रीमती रामदुलारी सिन्हा से प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका परिणाम देख लिया है।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री भागवत झा ने टोका उनको, लेकिन उन्हें भी डांट दिया।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, तसल्ली हुई कि नहीं आपको ?

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

*334. **श्री चित्त बसु†** :

श्री अमर राय प्रधान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशेष कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या ब्रिटिश इस्पात उद्योग के साथ समूह के विशेषज्ञों के एक दल ने संयंत्र का अध्ययन किया है और अपना प्रतिवेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ङ) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(क) से (ङ) ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन (ओवरसीज सर्विसेज) लिमिटेड ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए एक विकास-कार्यक्रम तैयार किया था। इस रिपोर्ट में लोहा और इस्पात बनाने की वर्तमान सुविधाओं को सशक्त बनाने/उनका आधुनिकीकरण करने और खुले मुंह की भट्टी से इस्पात बनाने की प्रक्रिया को "बेसिक आक्सीजन प्रक्रिया" में बदलने, लगातार ढलाई तथा तार छड़ की एक मिल लगाने जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई थी । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता की कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने उपर्युक्त सिफारिशों का समर्थन करने के अलावा 2000 घनमीटर क्षमता की एक अतिरिक्त धमन भट्टी लगाने और उसके साथ कच्चे माल, भंडारण, माल उतारने-चढ़ाने, कोक बनाने, सिन्टर बनाने, कच्चे लोहे की ढलाई तथा सहायक सुविधाओं जैसी सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा एल० डी० कन्वर्टरों सहित इस्पात गलाने की नई कर्मशाला लगाने और बाद में इस कर्मशाला का विस्तार करने की भी सिफारिश की थी । इन सिफारिशों को देखते हुए इस कारखाने को ठीक हालत में लाने के लिए और चरणों में इसका विकास करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है । सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर विचार कर लेने के पश्चात् ही इसे कार्यान्वित करने का काम हाथ में लिया जाएगा ।

श्री चित्त बसु : महोदय, ब्रिटिश दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्षमता को 1.4 लाख टन से बढ़ाकर 2.5 लाख टन तक करने और इसके आधुनिकीकरण के लिए 900 करोड़ रु० खर्च होंगे । भारत सरकार की ओर से नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति के अनुसार, यह अनुमान 1100 करोड़ रु० तक का है । क्या मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय जी से यह जान सकता हूं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण की अन्तिम अनुमानित लागत कितनी है और क्या सरकार ने इस संबंध में किसी दूसरे देश से वित्तीय सहायता या तकनीकी सहयोग मांगा है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : नहीं, हम इस बार आपकी बात मानेंगे ।

श्री चरणजीत चानना : जहां तक विकास-योजना का संबंध है इस रिपोर्ट की प्रस्तावित पूंजी निवेश के दो हिस्से हैं । एक हिस्सा लम्बी अवधि का है जिसमें 900 करोड़ रु० लगेंगे । दूसरा हिस्सा अल्प अवधि का है जो चार वर्ष की अवधि, अर्थात् 1983-84 से 1987-88 तक के लिए है । इसमें 236 करोड़ रु० खर्च होंगे । इसलिए, कुल राशि 1136 करोड़ रु० होगी ।

जहां तक वित्तीय सहायता की आवश्यकता का संबंध है, यह रिपोर्ट अभी तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के विचाराधीन है । माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी, विशेषज्ञ समिति ने ब्रिटिश दल की रिपोर्ट की जांच कर ली है और अब भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा पूरी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

श्री चित्त बसु : मैंने स्पष्ट रूप से यह बात पूछी है कि क्या सरकार ने किसी दूसरे देश से कोई वित्तीय सहायता या तकनीकी सहयोग मांगा था? क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे ?

श्री चरणजीत चानना : मैंने माननीय सदस्य को बताया कि ये दोनों प्रश्न बाद में उठेंगे जब सरकार द्वारा यह रिपोर्ट अंतिम रूप से स्वीकार कर ली जायेगी । वास्तव में हम किस प्रकार की तकनीक लेना चाहेंगे और आधुनिकीकरण के लिए किस प्रकार की पूंजी के नवीकरण की जरूरत होगी, यह उस सहयोग पर निश्चित करेगा जिसकी हमें जरूरत है ।

श्री चित्त बसु : क्या यह सही है कि कुछ अन्य विदेशी एजेंसियां—

(क) सी. आई. डी. ए., कनाडा सरकार की उदार शर्तों के साथ ऋण देने वाली एजेंसी,

(ख) यू० एस० स्टील कार्पोरेशन,

(ग) मेचम, अमेरीका इस्पात की कनेडा की आर्थिक सहायता वाली एजेंसी ने इस परियोजना में अपनी रुचि दिखाई है ? यदि हां, तो क्या किए गए इन प्रस्तावों की तुलनात्मक मूल्यांकन कर लिया गया है ?

श्री चरणजीत चानना : जहां तक माननीय सदस्य के इस विशेष प्रश्न का संबंध है, इसके लिए मुझे समय चाहिए । परन्तु माननीय सदस्य और सदन को इस बात का पता रहना चाहिए कि विभिन्न देशों की विभिन्न पार्टियों ने पेशकश की है । परन्तु अभी तक ब्यौरेवार ढंग से पेशकश प्राप्त नहीं हुई है । हम निश्चित रूप से उस पेशकश का स्वागत करेंगे जो तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से लाभप्रद होगी । जब वे पेशकश मिलेगी तभी मैं माननीय सदस्य को और सदन को उनका ब्यौरा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बता सकता हूं ।

श्री अमर राय प्रधान : आखिरकार ब्रिटिश स्टील कार्पोरेशन ने मान लिया कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात उद्योग की एक रुग्ण इकाई है । उन्होंने तत्काल किये जाने वाले

कुछ उपाय सुझाये हैं। उन्होंने इन कुछ मुद्दों का निरूपण भी किया है जिन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है :

(क) बलूमिंग मिलों तथा बिलेट मिलों में आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं सहित नई हर्थ फर्नेस लगाना;

(ख) फोर्ज शाप आयल हाईड्रालिक सिस्टम से सुसज्जित होना चाहिए;

(ग) खुले मुंह की हर्थ फर्नेस प्रक्रिया, और वायर राड मिल इत्यादि के स्थान पर 'बेसिक आक्सीजन प्रक्रिया' लगाने के लिए परिवर्तन करना जरूरी है।

मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। इस संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की गई है और उस पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदन और माननीय सदस्य को दी गई सूचना को दोहराता हूं कि उस रिपोर्ट पर अभी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के स्तर पर विचार किया जा रहा है।

श्री अमर राय प्रधान : इस पर तत्काल कार्यवाही की जानी है।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य नोट कर लें—नम्बर एक पर है—व्हील और एक्सल के लिए शेष सुविधाओं की व्यवस्था करना, अर्थात व्हील और एक्सल संयंत्र। अनुमानित लागत 4.06 करोड़ रु० है।

नम्बर दो है—4.10 करोड़ की लागत से कोयला काटने की सुविधाएं प्रदान करना।

नम्बर तीन है—4.80 करोड़ रु० की लागत से हैमर मिलों और कोयला भट्टी को बदलना।

नम्बर चार पर है—मिलों के प्रबंध के लिए अतिरिक्त उपस्कर।

और नम्बर पांच है—3.99 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय इंजिनीयरी और रख-रखाव कार्यशाला के लिए अतिरिक्त सुविधाएं।

वास्तव में, माननीय सदस्य को इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उसी उद्योग के अंतर्गत पूंजी निवेश है और उसी का संगठन चल रहा है।

——

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विभिन्न स्कूटरों की मांग

*330. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विजय सुपर स्कूटर की उतनी मांग नहीं है जितनी प्रिया और बजाज स्कूटरों की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या यह भी सच है कि विजय सुपर स्कूटर अन्य दो स्कूटरों की तुलना में घटिया किस्म का होने के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा विजय सुपर स्कूटर की किस्म में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) प्रिया और बजाज मेक के स्कूटरों के लिए अधिक बाजार मांग है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन मेकों का नमूना सुस्थापित ब्रांड का है जिनका उत्पादन विदेशी तकनीकी सहयोग से किया गया था। स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने मेसर्स इन्नोसेंटी लिमिटेड का पुराना संयंत्र खरीद कर 1975 में विजय सुपर स्कूटर का निर्माण प्रारम्भ किया और इसे तकनीकी सहयोग का लाभ नहीं मिला। इस उत्पाद को अनुकूल बनाना पड़ा था और संशोधित करना पड़ा था ताकि यह भारतीय परिस्थितियों से मेल खा सके। तकनीकी रूप से कुछ मामलों में विजय स्कूटर अन्य स्कूटरों से उत्तम है। तो भी इसमें और आगे सुधार लाने और उन्नयन करने के लिए कम्पनी द्वारा सम्मिलित उपाय किए जा रहे हैं। ग्राहकों से प्रतिपुष्टि के आधार पर संशोधन भी किए जा रहे हैं।

आसाम और नागालैंड से विद्रोही व्यक्तियों की घुसपैठ

*336. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री अशोक गहलोत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार मिला था कि फिजो ब्रिग्रेड के समर्थक लगभग 100 सशस्त्र व्यक्ति उत्तर बर्मा में चीन समर्थक ग्रुप में शामिल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ग्रुप नागालैंड और आसाम में घुसपैठ करने की योजना बना रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनको भारतीय क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या गत दो महीनों में राज्यों में मिजो और नागा विद्रोहियों की गतिविधि से गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है और उसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सुरक्षा सेनाएं सतर्क की गई हैं; और

(च) क्या बर्मा और बंगलादेश के साथ लगने वाली सीमाओं को बन्द कर दिया गया है, यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार को हमारी सीमाओं के पार बर्मा में कुछ नागा विद्रोहियों की उपस्थिति की जानकारी है। विभिन्न ग्रुपों के बीच झड़पों और मतभेदों के समाधान के लिए कुछ प्रयासों के समाचार मिले हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(घ) 20-1-1982 को मिजो नेशनल फ्रन्ट और इसकी सम्बद्ध निकायों को अवैध गतिविधि (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर-कानूनी संस्थाएं घोषित कर दिया गया था। मिजोरम और नागालैंड दोनों में विधि और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रणाधीन है।

(ङ) और (च) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा कर दिया गया है।

दिल्ली में निर्वाचित विधान सभा की मांग

*337. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्वाचित विधान सभा की मांग के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली में राजनीतिक दलों के नेताओं/प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) गृह मंत्री से विशेष रूप से दिल्ली के लिए विधान सभा की मांग के संबंध में कोई नहीं मिला। परन्तु कुछ संसद सदस्यों और अन्य नेताओं ने, जो अन्य मामलों के संबंध में उनसे मिले थे, प्रसंगवश इस विषय पर भी चर्चा की थी।

उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास के लिए प्रति व्यक्ति व्यय

*338. **श्री हरीश रावत :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास के लिए प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया जायेगा; और

(ख) क्या इस योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए धन का आवंटन करते समय इस राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखा गया था ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 662 रु० ।

(ख) जी, हां ।

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना से नदियों के जल का प्रदूषण

*339. **श्री भीखा माई :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दाकिम तथा साखिम नदियों के बीच में स्थित बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना से दोनों में से किसी भी नदी का जल प्रदूषित होता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजना प्राधिकारियों तथा राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस जल प्रदूषण को विशेषकर बस्तर के जनजाति लोगों के गांवों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकर समझती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार तथा परियोजना प्राधिकारियों को एक स्वीकार्य सूत्र पर पहुंचने के लिए नहीं कहे जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ङ) नदी का जल, जिसमें असंसाधित उत्सर्जित पदार्थ बहाये जाते हैं, प्रदूषित हो जाता है । परियोजना प्राधिकारियों ने दो खानों में से एक में एक सम्पूर्ण संसाधन संयंत्र लगाया है और दूसरी खान में कणिकाओं को स्थिर करने के लिए एक निर्मलकारी यंत्र लगाया है । इस खान के लिए भी प्रभावी प्रदूषण उपशमन यन्त्र लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं । उन्होंने 22 ग्रामों के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था भी की है जिनको इससे पूर्व प्रभावित श्रेणी में आने वाले ग्रामों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है ।

"तिहाड़ हैज अनअदर चार्ल्स सोभराज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*340. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में तिहाड़ हैज अनअदर चार्ल्स सोभराज" (तिहाड़ जेल में एक और चार्ल्स सोभराज) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि तिहाड़ जेल में अल्प अवधि के लिए सामान्य स्थिति आने के बाद, वहां फिर अराजकता और भ्रष्टाचार फैल गया है और अमीर कैदी विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे है तथा जेल का प्रशासन कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार ने समाचार देखा है।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि न तो चिकित्सा कर्मचारियों को तंग करने का कोई षडयंत्र था और न ही उनको कैदियों द्वारा पीटा गया था। फिर भी कैदियों ने औषधियां देने के संबंध में चिकित्सा अधिकारी से उत्तेजित होकर बात की थी। जेल कर्मचारियों के हस्तक्षेप करने पर मामला तय हो गया था। चिकित्सा कर्मचारियों को जेल में उनके राऊंड के दौरान आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यह समाचार कि उप महानिरीक्षक (जेल) ने किसी चिकित्सा अधिकारी का अपमान किया था, गलत है।

2. प्रशासन ने इस बात से इंकार किया है कि भूतपूर्व उप अधीक्षकों के साथ किसी वार्डर को लगाया गया है।

3. कैदियों को सुरक्षा अथवा अन्य प्रशासनिक आधारों पर जब आवश्यकता महसूस की जाती है तो दूसरे वार्डों/कक्षों में स्थानान्तरित किया जाता है।

4. यह पता लगा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन एक नजरबंद व्यक्ति को जेल के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर अनेक बार जेल से बाहर अस्पताल ले जाया गया था। प्रशासन ने मामले की जांच की है और एक हैड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबलों, 2 सहायक अधीक्षकों और 2 वार्डर को निलम्बित कर दिया गया है। एक विस्तृत जांच भी की गई और मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में लघु सीमेंट कारखानों की स्थापना

***341. श्री टी० एस० नेगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में लघु सीमेंट कारखानों की स्थापना के संबंध में अनुसंधान संस्थान में पर्याप्त अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह पाया गया है कि इन क्षेत्रों में ऐसे संयंत्र आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद एकक सिद्ध हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे एककों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है और किन स्थानों पर इनकी स्थापना की जायेगी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) भारत के सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने अल्मोड़ा जिले में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 कार्यक्षम स्थलों (झिरौली और सोमेश्वर) का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय निगमों तथा निजी उद्यमियों ने अपने-अपने अध्ययन के आधार पर औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों/तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीयन के लिए आवेदन दिये हैं जिनके पक्ष में विचार किया जा रहा है। इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	एकक का नाम	स्थान	क्षमता (लाख मी० टन० में)
1.	ए० आर० सी० सीमेंट लिमिटेड (औद्योगिक लाइसेंस)	जिला देहरादून (गनियल गांव)	0.66
2.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम (आशय-पत्र)	—वही— (पुरकुल गांव)	0.66
3.	यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपो० लिमिटेड (आशय-पत्र)	—वही— (देहरा)	0.66
4.	श्री जे० पी० जैन त० वि० का महा० (पंजीयन)	- वही— (कुलहन)	0.50

इनमें से ए० आर० सी० सीमेंट लि० में इसी वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

अल्मोड़ा और देहरादून जिलों में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये तीन और आवेदन पत्र विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

सरकार द्वारा कुछ संयंत्रों को वितरण और कीमत नियंत्रण से मुक्त कर दिये जाने की घोषणा से मिनी सीमेंट संयंत्र की जीव्यता में सुधार हो जाने की आशा है।

जापान का प्रौद्योगिकी विकास

*342. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी औद्योगिक आवश्यकताओं के लिये जापान द्वारा किया गया प्रौद्योगिकीय विकास और उनके द्वारा विकसित की गई विभिन्न तकनीकी प्रक्रियायें पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और इंगलैंड से हमें प्राप्त होने वाली तकनीकी प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो हमारे उद्योगों में पश्चिमी प्रौद्योगिकी की तुलना में जापान प्रौद्योगिकी कितने प्रतिशत अपनाई गई है;

(ग) क्या सरकार इस भागीदारी में वृद्धि करने का प्रयास करेगी; और

(घ) ऐसे विशेष क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसा किया जायेगा;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उद्यमियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है। विदेशी सहयोग अनुमति देने से पूर्व तक्नोलॉजी का मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) 1979 से 1981 तक तीन वर्षों में अनुमत 1182 विदेशी सहयोगों में से जापानी कम्पनियों से सहयोग की 73 अनुमतियां थीं।

(ग) और (घ) उद्यमियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है, अतएव जापानी सहयोग की बढ़ोत्तरी के बारे में सरकार द्वारा कोई खास कदम नहीं उठाया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची का पुनरीक्षण

*343. **श्री अजित कुमार साहा : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार करती रही है।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधनों के लिए संसद का अधिनियम अपेक्षित है । इस संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संशोधन के सभी प्रस्ताव और सुझाव संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिए गए हैं । उनमें से कुछ की टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं । सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

दिल्ली पुलिस द्वारा प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

*344. **श्री धर्मवीर सिंह :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी, 1982 को प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा था और मंदिरों से चुराई गई कुछ मूर्तियों को उनसे बरामद किया था;

(ख) इन कार्यों में लगे व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 1 फरवरी, 1982 को केन्द्रीय जिला पुलिस ने स्पेशल स्टाफ ने छापा मारा और दिल्ली के विद्यासागर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जब वह 3 मूर्तियों कलाकृतियों को बेचने के लिए राजघाट पर आया था । 6 और मूर्तियां/कलाकृतियां उसके मकान से और अन्य एक मूर्ति उसके एक साथी से बरामद की गई । भा० दं० सं० की धारा 411 और पुरावशेष तथा कलाकृति निधि अधिनियम, 1972 की धारा 25 (3) के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है ।

अभियुक्त से आगे पूछताछ करने से दिल्ली, जयपुर और जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) के गांव अंधेरी में मारे गये छापों में कुछ और कलाकृतियां बरामद हुई । कलाकृतियों की चोरी में अन्तर्ग्रस्त 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

राजस्थान में खनिजों का खनन

*345. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अजमेर तथा नसीराबाद के बीच क्वार्टज तथा सल्फर के बड़ी मात्रा के निक्षेप पता चले हैं; उन अन्य स्थानों के क्या नाम हैं जहां ये खनिज उपलब्ध हैं तथा क्या वहां क्वार्टज के उत्पादन को देखते हुए अजमेर में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना करना संभव होगा;

(ख) क्या जिला अजमेर में किशनगढ़ के निकट तीन खानों में मणियों का भी पता चला है तथा मणियों की अन्य खानें कहां हैं;

(ग) क्या चूरू, बीकानेर तथा गंगानगर जिलों के बड़े क्षेत्रों में पोटाश, नमक तथा बहुत से अन्य खनिज भी मिले हैं तथा राजस्थान में वे अन्य स्थान कौन से हैं जहां ये खनिज पाए जाते हैं; और

(घ) इन खनिजों के खनन तथा विकास की योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राजस्थान में अजमेर और नसीराबाद के बीच अभ्रक पट्टियों में क्वार्टज धारियां पाई गई हैं । सीकर जिले के सलादीपुर में पाइराइट-पाइरोटाइट के 111.62% मि० टन सम्पन्न भंडार होने का अनुमान है, जिनमें औसतन 21-63% गन्धक है । राजस्थान में इलैक्ट्रोनिक उद्योग के उपयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल्स होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है ।

(ख) मणियां (एमरल्ड) अजमेर जिले के भुवानी, रोजगढ़ तथा गुदास में पाई जाती हैं । उदयपुर जिले के जेवी तथा कालीगुमान क्षेत्रों में भी मणियां पायी जाती हैं ।

(ग) पोटाश पोली-हेलाइट के रूप में लघु मात्रा में पाया जाता है, अभी तक आर्थिक उपादेयता वाले किसी सम्पन्न पोटाश भंडार का पता नहीं चला है । हेलाइट, प्रायः पहाड़ी नमक कहलाता है, चुरू, बीकानेर और गंगानगर जिलों में पोटाश की खोज हेतु विशाल क्षेत्र में किए गए बोर-हालों में पाया गया है । राजस्थान में प्राप्त अन्य खनिजों का ब्यौरा विवरण में है ।

(घ) सरकार उन सभी ज्ञात और खोजे गए खनिजों के खनन और विकास के लिए आवश्यक उपाय कर रही है, जिनके पर्याप्त भंडार और ग्रेड हैं ।

विवरण

खनिज	क्षेत्र (जिला)
1. एस्बेसट्स	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, डुंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और पाली ।
2. बैराइट्स	अलवर और भरतपुर ।
3. बॉक्साइट	कोटा ।

	खनिज	(क्षेत्र) जिला
4.	बैरिल	अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा ।
5.	वेन्टोनाइट	बाड़मेर और जैसलमेर ।
6.	तांबा अयस्क	झुंझनू अलवर, भीलवाड़ा और सिरोही ।
7.	फ्लर्स अर्थ	बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर ।
8.	जैमस्टोन्स	अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और पाली ।
9.	जिप्सम	नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर और पाली ।
10.	हैलाइट (रॉक साल्ट)	बीकानेर और चुरू ।
11.	लोह अयस्क	उदयपुर, जयपुर, झुंझनू और सीकर ।
12.	सीसा-जस्ता अयस्क-चांदी की थोड़ी-सी मात्रा से सम्बद्ध	उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और सिरोही ।
13.	चूना पत्थर	अजमेर, अलवर, बांसावाड़ा, बुन्दी, सिरोही, चितौड़गढ़, जयपुर, झुंझनू, जोधपुर, नागपुर, पाली, सवाई-माधोपुर और सीकर ।
14.	मारवल	नागौर, जयपुर, अलवर, जैसलमेर, उदयपुर, पाली, और सिरोही ।
15.	मैंगनेसाइट	अजमेर, पाली और उदयपुर ।
16.	मैंगनीज	वांसवाड़ा ।
17.	अभ्रक	मेवाड़, अजमेर, पट्टी अजमेर जिला, भीलवाड़ा, डूंगरपुर-वांसवाड़ा पट्टी, टोंक और उदयपुर ।
18.	मोलिब्लेडिनम	सीकर ।
19.	पाइराइट/पाइरोटाइट	सीकर ।
20.	फास्फोराइट	उदयपुर और जैसलमेर ।
21.	टाल्क/स्टीटाइट/सोपस्टोन	भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, सवाई-माधोपुर, डुंगरपुर, वांसवाड़ा और अजमेर ।
22.	टंगस्टन, फ्लोराइट सहित	सिरोही ।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

*346. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम जनगणना के आंकड़े के अनुसार सामान्य जनसंख्या के अनुपात में अमुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या को देखते हुए केन्द्रीय सेवाओं में उनके लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) चूंकि जनगणना सम्बन्धी अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशता में संशोधन किया जाए ।

ऊर्जा योजनाओं के लिये विदेशी विशेषज्ञ

348. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा से फिर से उपयोग में लाये जा सकने वाले स्रोतों पर छठी योजना में गहन अनुसंधान और विकास करने संबंधी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या हैं और उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) क्या ज्वारीय भाटे से पैदा की जाने वाली ऊर्जा सहित इन अध्ययनों में भारत की सहायता करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन के एक एकीकृत और समन्वित कार्यक्रम को हाथ में ले लिया है । अनुसंधान ओर विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर कुशल और विश्वसनीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास करना, इन युक्तियों और प्रणालियों का विकास करना, इन युक्तियो और प्रणालियों की प्रारम्भिक लागत कम करना और ऐसे नए क्षेत्रों के बारे में अन्वेषण करना जिनमें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकते हैं । आयोग के प्रायोजन में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं कई अनुसंधान प्रयोगशालाओं, संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में सम्पन्न की जा रही है । विशिष्ट नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास को तीव्र करने की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं नीचे सूचीबद्ध की गई हैं :—

1. **सौर ऊर्जा** : और तापीय अनुप्रयोगों में, मुख्य निम्न और मध्यम तापमान अनुप्रयोगों के लिए प्रणालियों के विकास की दिशा में दिया जा रहा है । इनमें सौर चपटे प्लेट संग्राहक और जल तापन प्रणालियों, सौर कुकर और सौर शुष्क है । सामग्रियों, सिलेक्टिव कोटिंगों, उन्मत्त संग्राहकों, मूलगति उत्पादकों, प्रशीतन प्रणालियों, विद्युत संयंत्रों आदि पर अनुसंधान और विकास प्रयास जारी हैं । और प्रकाश वोल्टीय युक्तियों के क्षेत्र में सौर सैल, मोड्यूल्ज, प्रकाश

बोल्टीय पर और अन्य प्रणालियों का प्रौद्योगिक संयंत्र पैमाने पर विनिर्माण किया जा रहा है। सिलिकान और अन्य सामग्रियों, और सैल संविरचना तकनीकों, अनुप्रयोगों आदि से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है ताकि और सैलों के लागत में कमी की जा सके और इनकी कुशलता में वृद्धि की जा सके।

2. जैव ऊर्जा : एक अखिल भारतीय जैव गैस समन्वित परियोजना चल रही है और इसके अनुसंधान कार्य के अधीन सूक्ष्मजीव विज्ञान, संयंत्र डिजाइन, आधार सामग्री, रचना सामग्री, जैव गैस आदि का उपयोग भी लिया गया है। जीवभार के क्षेत्र में जिन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है उनका सम्बन्ध तेजी से बढ़ने वाली स्पीशीज, प्रकाश संश्लेषण कुशलता, जैव निम्नीकरणीय सामग्री के उपयोग आदि से है। लखनऊ और मदुरै में जीवभार ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिन अन्य क्षेत्रों में कार्य को तीव्र किया गया है वे हैं लघु पशु शक्ति, काष्ठ का कुशल उपयोग, क्रिकेट कार्य, उत्पादक गैस, जीवभार रूपांतरण और जीव भार से ईंधनों के उपयोग।

3. **वायु ऊर्जा** : कम लागत के बहु-फलक और दो टरबाइन बार्टेक्स पवन चक्कियां और ऊर्ध्वाधर अतीय पवन जनित्रों पर अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चल रही हैं। प्रौद्योगिकी विकास प्रयास निम्न और मध्यम विद्युत अनुप्रयोगों, सामग्रियों, वायु गति की आदि की दिशा में दिए जा रहे हैं।

4. **अन्य ऊर्जा स्रोत** : जिन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को पहले से ही आरम्भ किया जा चुका है उनमें ये अन्य नवीनीकरणीय स्रोत हैं रासायनिक संसाधन, भू-तापीय ऊर्जा, जल शक्ति और महासागर ऊर्जा (दावानल)। हाइड्रोजन के उत्पादन और भण्डारन, नई प्रकार की बैटरियां, बैटरी चालित गाड़ियां, भू तापीय ऊर्जा से विद्युत निर्माण, जल शरित के अनुप्रयोग, महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण और ज्वारीय शक्ति से सम्बन्धित परियोजताएं चल रही हैं।

छठी योजना में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास और प्रदर्शन के लिए 40 करोड़ रुपये का विनिधान किया गया है। इस विनिधान की समीक्षा योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय की जायेगी। ज्वारीय शक्ति विकास और भू-तापीय ऊर्जा संबंधी अन्वेषणों और अध्ययनों के लिए क्रमश: 2.18 करोड़ रुपये और 2.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसे ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में किया जाएगा।

(ख) सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा और वायु ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रमों में सहायता के लिए विशिष्ट रूप से किसी विदेशी विशेषज्ञ को आमंत्रित नहीं किया गया है। बहरहाल कुछ अन्य देशों के साथ ऐसी संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाएं हैं जिन्हें इन देशों के साथ द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी करारों के तत्वावधान में आपसी सहयोगी के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इन संयुक्त परियोजनाओं में वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान, जानकारी का आदान-प्रदान और उपकरणों का विनिमय और परीक्षण शामिल है। ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में

ऊर्जा मंत्रालय ने फ्रांस से कुछ विशेषज्ञों के आमंत्रित किया है ताकि अन्वेषणों के नियोजन और व्यापक क्षेत्रों का अभिनिर्धारण और आंकड़ा संकलन की रीतिविधान में सहायता प्राप्त की जा सके। यू० एन० डी० पो० के तत्बावधान में एक विदेशी विशेषज्ञ के भी भू-तापीय अन्वेषणों के लिए ड्रिलिंग परिचालनों में सहायता दिये जाने की आशा है जिसे ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएया।

देश में सीमेंट की कमी

*349. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट की अत्यधिक कमी से आयात पर देश की निर्भरता में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या एक उच्च स्तरीय समिति ने इन्फ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन किया है जिससे बाधायें उत्पन्न हो रही हैं;

(ग) बिजली की कमी और कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सीमेंट संयंत्रों में कितना उत्पादन कम हुआ है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सीमेंट उद्योग में कितनी क्षमता का उपयोग हुआ और हाल ही के महीनों में इस उद्योग में कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या छठी योजना के अन्त तक सीमेंट उत्पादन का कोई प्रोजक्शन अध्ययन किया गया है; और

(च) क्षमता उपयोग में सुधार लाने और आयात घटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। देश में सीमेंट का मामूली ही आयात किया जाता रहा है तथा वह सीमेंट के देश में हुए उत्पादन के 10 प्रतिशत के आस-पास था। सीमेंट की अतिरिक्त क्षमता के फलीभूत हो जाने तथा उत्पादन बढ़ जाने से आशा की जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेंट का आयात करना आवश्यक नहीं रहेगा।

(ख) सीमेंट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली अवस्थापना संबंधी कठिनाइयों की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इन कठिनाइयों को यथासंभव दूर किया जा सके।

(ग) जैसा कि सीमेंट कारखानों ने सूचना दी है कि वर्ष 1981 में कोयले तथा बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण सीमेंट के उत्पादन में क्रमश: 8.06 लाख मी० टन तथा 27.27 लाख मी० टन की हानि हुई थी।

(घ) सीमेंट उद्योग में गत दो वर्षों में निम्न प्रकार से क्षमता का उपयोग हुआ :—

1980	1981
69 प्रतिशत	71.4 प्रतिशत

जनवरी और फरवरी, 1982 के महीनों में प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में बिजली पर कटौती लागू कर देने से मुख्य रूप से उत्पादन में गिरावट आई ।

(ङ) जी, हां । सीमेंट उद्योग संबंधी कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि छठी योजना के अन्त तक सीमेंट का उत्पादन 370 लाख मी० टन प्रति वर्ष हो जायेगा ।

(च) क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए उद्योग को यथासंभव अवस्थापना संबंधी निविष्टियां उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है ।

रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण

*350. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन बड़े पैमाने पर रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत संकोच कर रहा है और रंगीन टेलीविजन सेट बनाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय को काफी लम्बे समय टाल रहा है;

(ग) देश में रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि रंगीन टेलीविजन सेट का निर्यात करने की भारी गुंजाइश है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णण कब तक किया जायेगा और रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण कब तक किया जायेया ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) चीन में रंगीन दूरददर्शन सेटों का निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन उत्पादन क्षमता के बारे में ठीक-ठीक विवरण उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) भारत में रंगीन दूरदर्शन सेटों के निर्माण के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । किन्तु एशियाड-82 खेलों के लिए सीमित मात्रा में रंगीन दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ग) तथा (ङ) रंगीन दूरदर्शन प्रसारण आरम्भ करने का अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने पर ही भारत में रंगीन दूरदर्शन सेटों के निर्माण का निर्णय आधारित होगा।

(घ) यह इस बात पर निर्भर करेगा कि देश में उत्पादित रंगीन दूरदर्शन सेटों की क्वालिटी कैसी है और उच्च प्रतियोगिता से युक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ही सक्रिय बड़ी विदेशी कंपनियों को उत्पादन-लागत और कीमतों की तुलना में ये कहां तक मुकाबला कर सकते हैं।

कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

*351. **श्री ईरा मोहन :** क्या **श्रम मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में कपड़ा मिलों तथा अन्य उद्योगों के एक लाख से अधिक श्रमिकों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में कितने बिस्तर, आपरेशन थियेटर तथा इस प्रकार की अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) कोयम्बटूर में कपड़ा मिलों तथा अन्य उद्योगों पर कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) चूक करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोयम्बटूर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में 500 बिस्तर और 6 आपरेशन थियेटर हैं। बीमा-शुदा व्यक्तियों और उनके परिवारों को अस्पताल में अन्तरंग इलाज, पैथालोजीकल और रेडियो-लोजिकल सेवाएं, विशेषज्ञ परामर्श तथा बहिरंग इलाज प्रदान किया जाता है।

(ख) मई, 1981 तक समाप्त अंशदान अवधि तक कपड़ा मिलों पर 34, 50, 251.83 रुपये की राशि बकाया है, जबकि अन्य उद्योगों पर 34, 74, 365.23 रुपये की राशि बकाया है।

(ग) एन. टी. सी. द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलों की ओर 14,42,994.06 रुपये की राशि बकाया है और रुग्ण कपड़ा प्रतिष्ठान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन नियुक्त दावा आयुक्त के पास इस राशि का दावा दायर किया गया है।

54,81,623.00 रुपये की शेष राशि के लिए भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में इस राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र जिला कलेक्टर के पास दायर किए गए हैं।

रूपनारायणपुर में केवल अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना

*49. **डा० सरदीश राय :**

श्री निरेन घोष : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना रूपनारायणपुर में, जिसकी सिफारिश विश्व बैंक ने की थी; न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अपना निर्णय किस आधार पर बदला है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार ने केन्द्रीय केबल अनुसंधान और विकास संस्थान को इसके स्थानगत विभिन्न लाभों को ध्यान में रखकर हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया है। विश्व बैंक ने इसे हैदराबाद में स्थापित न करके रूपनारायणपुर में स्थापित करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया था। उल्लेखनीय होगा कि रूपनारायणपुर एकक से संबद्ध उसका अपना क्षेत्रीय अनुसंधान और विकास एकक है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लाहौर ले जाये गये इंडियन एयरलाइंस के "बोइंग" विमान अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी

3707. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस व्यक्ति को, जिसने गत सितम्बर में इण्डियन एयरलाइंस के "बोइंग" विमान का अपहरण करके उसे लाहौर में ले जाने की योजना बनाने का दावा किया था, पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या वह व्यक्ति खालसा दल का एक प्रमुख नेता है और दल खालसा का सक्रिय कार्यकर्ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) दल खालसा के मुख्य पंच हरसिमरन सिंह जिसने गत सितम्बर में इण्डियन एयर लाइन्स के "बोइंग" विमान का अपहरण करके उसे लाहौर में ले जाने की योजना बनाने का दावा किया है और अनेक आपराधिक मामलों में भी अन्तर्ग्रस्त है, को पंजाब पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है।

क्योंझर उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

37 8. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना को उच्च प्राथमिकता देने के लिये निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में क्योंझर जो उड़ीसा का एक पिछड़ा हुआ जिला है, में कुल कितने उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ग) उड़ीसा के इस भाग में किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) छठी योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य विकास की गति में क्षेत्रीय असमानता में प्रगामी कमी लाना है। केन्द्रीय नीतियां इस प्रकार तैयार की गई हैं जिससे वित्तीय सहायता, निवेश, राजसहायता, कर में राहत आदि जैसे प्रोत्साहन देकर चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

(ख) से (घ) उड़ीसा सरकार की 1982-83 की वार्षिक योजना के प्रस्तावों में उदाहरण के लिए क्योंझर में स्पंज आयरन परियोजना के रूप में एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना सम्मिलित है। परियोजना की अनुमानित लागत 2415 लाख रुपये है।

क्योंझर जिला उद्योग केन्द्र के अनुसार 4 वर्ष अर्थात 1979-80 से 1982-83 तक की अवधि के दौरान 408 लघु एककों की स्थापना करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। कारीगरों पर आधारित 6484 एककों को बढ़ावा देने के अलावा कृषि आधारित उद्योगों, लकड़ी तथा वनों पर आधारित उद्योगों, रसायन तथा अन्य उद्योगों, इंजीनियरी तथा धातु पर आधारित उद्योगों कांच और चीनी मिट्टी उद्योगों, चमड़ा उद्योग आदि से सम्बन्धित नए उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1979-80, 1980-81 के दौरान क्योंझर जिले में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करके जो प्रगति पर हुई वह निम्न प्रकार है :

मदें	1979-80	1980-81
स्थापित किये गए नये एककों की संख्या		
1 कारीगर	810	1019
2. लघु उद्योग	105	85
कुल	915	1104

मदें	1979-80	1980-81
वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई ऋण सहायता (लाख रुपये में)	40.46	22.20
उत्पन्न किया गया अतिरिक्त रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	2,523	1,961

आदिवासियों को आर्थिक विकास के लाभों का न मिलना

3709. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1981 में नई दिल्ली में तीसरी भारतीय भूगोल कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह मत व्यक्त किया है कि जनजाति समुदाय को आर्थिक विकास के लाभ नहीं मिल पाए हैं और अव्यवस्थित विकास समाज में अस्थिरता पैदा हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) नई दिल्ली में दिसम्बर में हुई तीसरी भारतीय भूगोल कांग्रेस में व्यक्त किए गए विचारों के बारे में तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं। इस समय यह मालूम नहीं है कि किसने यह विचार प्रकट किए और किस आधार पर प्रकट किए।

तथापि, यह बात उल्लेखनीय है कि यह कहना सही नहीं है कि आर्थिक विकास के लाभ जनजातीय समुदाय तक नहीं पहुंचे हैं। जनजातियों के विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से जनजातियों की बहुलता वाले राज्यों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के समय से ही जनजातीय उप योजनाएं शुरू की गई थीं। जनजातीय उप योजनाएं 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (जनजातीय बहुलता वाले राज्यों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली को छोड़कर) चल रही है।

जनजातीय उप योजनाओं के लिए परिव्ययों में काफी वृद्धि हुई है। पांचवीं योजना में 856 करोड़ रुपये के स्तर से छठी योजना में राज्य योजनाओं से जनजातीय उप योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली राशि के 3000 करोड़ रु० से अधिक होने की आशा है। इसके अलावा पांचवीं योजना में जनजातीय उप योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए की गई 187 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था के मुकाबले वर्तमान योजना की अवधि में 470 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में चैसिस की कमी

3710. **डा० आर० रोथूआमा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के राज्यों को प्रतिवर्ष कितनी टाटा चैसिस आवंटित की गई;

(ख) इन राज्यों में अब तक कितने पंजीकृत आवेदन पत्र प्रतीक्षा-सूचियों में हैं; और

(ग) इन राज्यों में भारी परिवहन बाधाओं को देखते हुए टाटा चेसिस के आवंटन में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) चालू वित्त वर्ष में (20-2-82 तक) प्रश्नाधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई किए गए टाटा चेसिसों की संख्या, जैसा निर्माताओं ने बताया है, नीचे दी जाती है :—

राज्य	आवंटित चैसिसों की संख्या
मिजोरम	151
नागालैंड	224
मणिपुर	203
मेघालय	264
अरुणाचल प्रदेश	199
त्रिपुरा	328

(ख) निर्माताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

राज्य	डिलीवरी के लिए बकाया मामलों की संख्या
मिजोरम	233
नागालेंड	360
मणिपुर	391
मेघालय	268
त्रिपुरा	1032
अरुणाचल प्रदेश	112

(ग) वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं को सलाह दी गई है कि इन राज्यों के आवेदकों को आवंटन में प्राथमिकता दें और सप्लाई में और आगे वृद्धि भी करें।

बोगस एजेंटों द्वारा विदेशों में भेजे गये भारतीय राष्ट्रिक

3711. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया यह सच है कि बोगस ट्रैवल एजेंटों द्वारा विदेशों में भेजे गये भारतीय राष्ट्रिकों को उस देश की सरकार द्वारा रोक लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 के दौरान बोगस ट्रैवल एजेंटों द्वारा रोजगार प्रयोजनार्थ विदेशों में भेजे गये प्रत्येक देश में ऐसे कितने व्यक्तियों को रोका गया था; और

(ग) इन धोखाधड़ी के शिकार हुए व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) विदेशों की कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को उनके द्वारा रोक लिए जाने की संभावना है ।

(ख) इस सूचना का संकलन करना संभव नहीं है ।

(ग) जब कभी इस प्रकार के मामले का पता चलता है या उसकी सूचना दी जाती है, तब सरकार ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों की सहायता करने का प्रयास करती रही है ।

पश्चिमी एशियाई देशों से लौटे भारतीयों की संख्या

3712: **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कितने व्यक्ति सरकारी खर्चे पर पश्चिमी एशियाई देशों से लौटे हैं;

(ख) इन देशों से लौटने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कारण कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ग) क्या इस मद पर सरकार द्वारा व्यय किया गया धन सम्बन्धित पार्टियों से प्राप्त हो गया है ?

श्रम मन्त्रातय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) से (ग) भारतीय मिशनों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में परिवहन समस्याओं के लिए स्थायी समन्वय समिति

3713. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में परिवहन समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी समन्वय समिति गठित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं और इसका गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग ने दिल्ली प्रशासन को यह सुझाव दिया है कि परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए परिवहन के लिए एक स्थायी समन्वय समिति बनाई जाए । इसके फलस्वरूप दिल्ली के परिवहन निदेशक की अध्यक्षता में वर्तमान यातायात परिवहन समन्वय समिति में रेल मंत्रालय और दिल्ली रिंग रेलवे परियोजना के प्रतिनिधियों को अब शामिल करने का प्रस्ताव है । इस समिति में इस समय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, यातायात पुलिस, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल हैं । यह समिति दिल्ली में परिवहन और यातायात से संबंधित सभी समस्याओं को देखती है ।

ईरान द्वारा कुद्रेमुख से लोह अयस्क की खरीद

3714. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान कुद्रेमुख से लौह अयस्क खरीदेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्तमान करार के अनुसार ईरान को कुद्रेमुख लौह-अयस्क सांद्रण की आपूर्ति पहले वर्ष 30 लाख टन, दूसरे वर्ष 50 लाख टन और उसके बाद प्रतिवर्ष 75 लाख टन की दर से अगस्त, 1980 से शुरू हो जानी चाहिए थी । लेकिन ईरान ने सांद्रण की खरीद आरम्भ नहीं की है । इस समय पक्की तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि ईरान सांद्रण की कितनी मात्रा खरीदेगा और इसे कब लेना शुरू करेगा ।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संबंध में राज्यों की उपलब्धियां

3715. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में किन-किन राज्यों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मामले में बेहतर कार्य किया है;

(ख) उन राज्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वर्ष 1981-82 में उन्होंने क्या प्रगति की;

(ग) निर्धारित लक्ष्य तक संसाधन जुटाने में राज्यों की असफलता के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1982-83 के लिए सरकार का अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1981-82 में जिन राज्यों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मामले में वर्ष 1982-83 में बेहतर उपलब्धी के प्रयास करने हेतु सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) कुछ राज्यों ने अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं पाया है।

(घ) अपेक्षित सूचना वार्षिक योजना के दस्तावेज (1982-83) में प्रस्तुत की जाएगी।

(ङ) राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत भेजने का प्रस्ताव नही है। तथापि सभी राज्यों से अधिकतम संसाधन जुटाने के लिए अनुरोध किया जायेगा जिससे कि योजना की वित्तीय निर्भरता बनाए रखी जा सके।

विवरण

वर्ष 1981-82 में राज्यों द्वारा जुटाए जाने वाले अतिरिक्त संसाधन

(करोड़ रु०)

राज्य	1981-82 की वार्षिक योजना का लक्ष्य	1981-82 में किए गए/किए जाने वाले उपायों से अनुमानित प्राप्ति	कालम 1 से कालम 2 का अंतर
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	15.00	40.32F	+25.32
2. असम	25 00	9.05	—1[illegible].95
3. बिहार	55.00	50.78	—4.22
4. गुजरात	40.00	122.95	+82.95
5. हरियाणा	35.38	18.53F	—16.85

1	2	3	4
6. हिमाचल प्रदेश	5.70	4.67	—1.03
7. जम्मू और कश्मीर	6 50	16 97	+10.47
8. कर्नाटक	25.87	25.36	—0.51
9. केरल	20.00	4.92	– 15.08
10. मध्य प्रदेश	27.31	53.43F	+26·12
11. महाराष्ट्र	110.00	127.80	+17.80
12. मणिपुर	1.44	0.50	-- 0.94
13. मेघालय	1.50	0.46	— 1.04
14. नागालैंड	0.21	0.34	+0.13
15. उड़ीसा	35.00	39.53	+4.53
16. पंजाब	40.00	64.70	+24.70
17. राजस्थान	71.42	54.73	—16.69
18. सिक्किम	1.50	0.42	—1.08
19. तमिलनाडु	120.00	126.71F	+6.71
20. त्रिपुरा	—	0.14	+0.14
21. उत्तर प्रदेश	75.00	57.26	—17.74
22 पश्चिम बंगाल	40.00	24.29	- 15.71
जोड़ (राज्य) :	751.83	813.86=	+92.03

F अनन्तिम

=वार्षिक योजना (982-83) के विचार-विमर्शों में लगाए गये अनुमान के अनुसार ।

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध सी० बी० आई० जांच

3716. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा एक जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) चल रही जांच के विवरण बताना लोक हित में नहीं होगा।

रंगीन दूरदर्शन का निर्यात

3717. **श्री पीयूस तिरकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन दूरदर्शन का निर्माण शुरू करने के लिए कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि चीन द्वारा विश्व की मंडियों में रंगीन दूरदर्शन की धड़ाधड़ सप्लाई की जा रही है; और

(ग) क्या रंगीन दूरदर्शन का निर्माण निर्यात के लिए करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) सरकार ने देश में रंगीन दूरदर्शन प्रसारण शुरू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, अतः रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों का विनिर्माण शुरू करने के बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची की वस्तुओं का बड़े गृहों द्वारा निर्माण किया जाना

3718. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री रशीद मसूद :

श्री अजित कुमार मेहता : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के दौरान सरकार ने प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में वस्तुओं का यदि समूचा उत्पादन निर्यात के लिए रखा जाता है, निर्माण करने के लिए बड़े गृहों को अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो किन औद्योगिक एककों ने इस छूट का लाभ उठाया था और प्रत्येक एकक ने वास्तव में कितना निर्यात किया और कितने मूल्य का निर्यात किया;

(ग) क्या इन फर्मों ने अब सरकार से अपील की है कि उन्हें अपने उत्पादन का कुछ भाग स्वदेशी बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए और इसके लिए उन्होंने उत्पादन को बेचने की सीमा 25 प्रतिशत तक रखने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी फर्मों ने इस छूट को आगे जारी रखने का अनुरोध किया है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 8/15/78 ई० पी० दिनांक 31-12-1980 द्वारा शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना करने की एक योजना दिनांक 31-12-1980 को घोषित की थी। इस संकल्प में उन उत्पादों की जो 100% निर्यात सुविधा के पात्र होंगे एक सविवरण सूची थी। इस योजना में एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार वाली कम्पनियों सहित सभी कम्पनियां भाग ले सकतीं थीं। योजना 100% निर्यातोन्मुख हैं अतएव प्रतिबन्धित सूची (अर्थात लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची) की प्रयोज्यता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) 1981 में एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार वाली छः कम्पनियों को आशय पत्र/अनुमति जारी की गई है विवरण निम्न प्रकार है :—

1. मैसर्स व्हील्स इण्डिया लि०	वायर व्हील्स
2. इण्डियन मेटल्स एण्ड फैरो एलोय लि० भुवेनेश्वर	सिलिकन मेटल
3. एजिस केमोकल इण्डस्ट्रीज लि० बम्बई	फैटी एलकोहल
4. राउसेल फर्मास्युटिकल्स बम्बई	कले फोरेन
5. न्यूडिया मिल्स लि० कलकत्ता	जूट डेकोरेटिव
6. श्री बी० के० मोदी, नई दिल्ली	जीरो ग्राफिक उपकरण तथा प्रणाली

(ग) और (घ) 100% निर्यातोन्मुख एककों की योजना के अन्तर्गत विशेष बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को स्वीकृति देते समय 5% या कुछ ऐसी ही प्रतिशत निर्यात के लिए अस्वीकृत माल के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है उसे देश के टैरिफ क्षेत्र में आयातित निवेशों पर सीमाशुल्क देकर व देशी निवेशों पर उत्पादन कर देकर तथा अस्वीकृत माल पर उत्पादन कर देकर या इन शुल्कों के योग के बराबर देकर बेचा जाना अनुमत है। इस उपबन्ध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

खाल को औद्योगिक कच्चे माल के रूप में बदलना

3719. **श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मृत पशुओं की खाल को औद्योगिक कच्चे माल के रूप में बदलने की योजना पर विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। चमड़ा उद्योग द्वारा मरे हुए जानवरों और भैंसों जैसे मवेशियों की खालों का कच्चे माल के रूप में पहले ही उपयोग किया जा रहा है। सरेस उद्योग द्वारा भी खालों के टुकड़ों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिक संघ अधिनियम में परिवर्तन

3720. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 में मूलचूल परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस संबंद्ध में संसद विधान कब तक लाया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। आशा की जाती है कि संशोधन विधेयक को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

खान को पट्टे पर (माइनिंग लीज) देने के बारे में सर्वेक्षण

3721. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्रिय माइनिंग लीज, लेकिन वास्तव में अप्रयुक्त लीज, जो खनिज के उत्पादनों में योगदान नहीं करती, के अनुपात के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) इस तरह का कोई गहन सर्वेक्षण समूचे देश में नहीं किया गया है। फिर भी, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आठ राज्यों के बारे में एकत्र सूचना के अनुसार, इन राज्यों में 2738 पट्टों में से 1-1-1980 को केवल 772 पट्टे प्रयुक्त और शेष 1966 पट्टे अप्रयुक्त पाए गए। इन पट्टों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल पट्टों की संख्या	प्रयुक्त पट्टों की संख्या	अप्रयुक्त पट्टों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1,493	333	1,160
दिल्ली	6	3	3
हरियाणा	43	10	33
हिमाचल प्रदेश	45	18	27
जम्मू व काश्मीर	8	2	6
मध्य प्रदेश	859	328	531
महाराष्ट्र	282	78	204
पंजाब	2	—	2
जोड़ :	2,738	772	1,966

दर्ज किये गये अपराध

3722. **श्री ए० के० राय :**

श्री एन० ई० होरो : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 1979-80 तथा 1981 में दर्ज किए गए हत्या, बलात्कार, डकैती, सेंधमारी आदि जैसे अपराधों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपराध बढ़ रहें हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) चूंकि अपराध राज्य का विषय है अत: अखिल भारतीय आधार पर सम्पूर्ण रूप से अपराधों के मामलों की कुल संख्या के तुलनात्मक आंकड़ों के संबंध में कोई ब्यौरे संकलित नहीं किये जाते हैं। फिर भी अपराध स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और इस संबंध में आवश्यकता होने पर उपक्युत कार्रवाई की जाती है।

कर्नाटक में पिण्ड लौह संयंत्र की स्थापना

3723. **श्री के० मालन्ना :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिवोल्यूशनरी इनरेड प्रक्रिया के उपयोग से भारत का पिण्ड लौह संयंत्र स्वीडन की सहायता से कर्नाटक के बेल्लारी-होस्पेट में स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो स्वीडन की सरकार द्वारा दी गई सहायता तथा समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संयंत्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बीड़ी मजदूरों का पंजीकरण

3724. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकार ने बीड़ी मजदूरों का पंजीकरण करना शुरू नहीं किया है जिससे उन्हें बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि का लाभ पाने के मामले में नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में सभी बीड़ी मजदूरों का निर्धारित समय में पंजीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) जहां तक कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत बीड़ी प्रतिष्ठानों का संबंध है ऐसे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत करना अपेक्षित है । जहां तक घरेलू कर्मकारों का सम्बन्ध है, प्रत्येक नियोजक के लिए एक रोजगार रजिस्टर रखना अपेक्षित है जिसमें उनके अधीन नियोजित सभी परेलू कर्मकारों के नाम तथा विवरण दिया गया हो, जैसा कि माडल बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) नियमों से निर्धारित किया गया है । इसके अलावा, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के अधीन, स्थानीय निकायों द्वारा बीड़ी कर्मकारों के रोजगार रजिस्टर रखना अपेक्षित है । स्थानीय निकायों द्वारा जारी किन प्रमाण-पत्र बीड़ी कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भी स्वीकार किए जाते हैं । हाल ही में संबंधित प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि उक्त उपबन्धों के अनुसार कर्मकारों का पंजीकरण 6 मास के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए ।

लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए विधान

3725. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के संरक्षण के लिये एक व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा संशोधित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव पिछले 10 वर्षों से केन्द्र सरकार के विचाराधीन था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव 1972 से भट्ट समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात से सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन रहा है। अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा एक कार्यकारी दल की स्थापना, इसको ध्यान पूर्वक देखने ऐसे संवैधानिक संरक्षण दिये जाने के गुणों-अवगुणों पर विचार करने और संगत आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिए की गई है।

अपराध रोकने के लिए कार्यवाही

3726. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि कानून, पुलिस कर्मचारियों तथा न्यायालयों की संख्या में बराबर हो रही वृद्धि के वावजूद भी अपराधों की संख्या बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ते हुये अपराधों को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपराध के मामलों की कुल संख्या के तुलनात्मक आंकड़ों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते क्योंकि अपराध राज्य का विषय है। परन्तु अपराध की स्थिति का निरंतर पुनरीक्षण किया जाता है और इस सम्बन्ध में जब जरूरी होता है उचित कार्रवाई की जाती है।

श्रमिकों का राजधानी में आना

3727. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों के श्रमिकों को अग्रिम अदायगी देकर राजधानी में आने के लिये फुसलाया जाता है और यहां उन्हें बहुत ही व्यय तथा मनमानी मजदूरी देकर ईटें पकाने के लिये मजबूर किया जाता है तथा इन बेसहारा लोगों पर, महिलाओं और बच्चों सहित, अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक अधिनियम भी लागू नहीं होता; और

(ख) इन श्रमिकों की मदद के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) निकटवर्ती राज्यों से श्रमिक काम की मन्दी के समय के दौरान रोजगार की खोज में दिल्ली आते हैं और विभिन्न कार्यों पर लगाए जाते हैं। वे अपनी मर्जी से और ठेकेदारों के माध्यम से भी आते हैं, जो उन्हें अग्रिम भुगतान करते हैं। अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में लागू है। संविदा श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिल्ली प्रशासन ने श्रम विभाग के निरीक्षणालय स्टाफ द्वारा ईंटों के भट्टों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत भी दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र के बारे में अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक अधिनियम के अधीन नियम बनाए गए हैं और वे प्रवासी श्रमिकों के सम्बन्ध में लागू है।

इलेक्ट्रोनिक घड़ियों का उत्पादन

3728: **श्री अनादिचरणदास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में इलेक्ट्रानिक घड़ियों के कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन से उपक्रम हैं जिन्हें ऐसी इलेक्ट्रानिक घाड़ियों का निर्माण का काम सौंपा गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमंत्री की एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) अंकीय इलेक्ट्रानिकी घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) तथा एनालोग इलेक्ट्रानिक घड़ियों (ए० ई० डब्ल्यू) का निर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यूनिटों के नाम क्रमशः विवरण-1 तथा 2 में दिए गए हैं। जिन राज्यस्तरीय इलेक्ट्रानिक निगमों को अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के संयोजन का कार्य करने के लिए औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनमें से तीन ने यह संकेत दिया है कि जुलाई, 1982 तथा मार्च 1983 के बीच वे बाजार में अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां प्रस्तुत कर सकेंगे।

विवरण-1

अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों का विनिर्माण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुमोदित यूनिटें

1. मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स,
   36, कनिंघम रोड,
   बंगलौर-560052.

2. मेसर्स तमिलनाडु इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड,
एल० एल० ए० बिल्डिग तीसरी मंजिल,
735, अन्ना सलाई, मद्रास-60002.

3. मेसर्स पंजाब राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास तथा उत्पादन निगम,
बैंक आफ इंडिया बिल्डिग,
सेक्टर-17, चंडीगढ़-160017.

4. मेसर्स पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिकी
उद्योग निगम लिमिटेड,
225-ई, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,
कलकत्ता-700020.

5. मेसर्स हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास
निगम लिमिटेड,
एस० सी० ओ० 40-41, सेक्टर-17-ए,
चण्डीगढ़-160017.

6. मेसर्स कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रानिकी
विकास निगम लिमिटेड, 'एमलिन हेवन,'
30 रेसकोर्स रोड, बंगलौर-560001.

7. मेसर्स उड़ीसा औद्योगिक संवर्धन तथा
पूंजी-निवेश निगम लिमिटेड,
3 ए, सत्यनगर, भुवनेश्वर-751007.

8. मेसर्स हैदराबाद अलविन मेटल वर्क्स लिमिटेड (घड़ी प्रभाग),
पो. बा. नं. 1927, सनतनगर, हैदराबाद-500018.

9. मेसर्स केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी
विकास निगम लिमिटेड, केलेट्रान हाऊस,
वेल्लायमबलम, त्रिवेन्द्रम-695001.

10. मेसर्स महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिकी निगम लि. (मेलट्रांन) एयर इन्डिया बिल्डिग,
8 वीं मंजिल, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-400021.

11. मेसर्स जम्मू तथा कश्मीर उद्योग,
हाफ्ट चिनार, पो. बा. नं. 26, श्रीनगर, कश्मीर ।

12. मेसर्स बिहार राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास
निगम लिमिटेड,
प्रभातकुंज, पाटलीपुत्र कालोनी,
पटना-80013.

13. मेसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड लखनऊ।

विवरण-2

एनालांग इलेक्ट्रानिक घड़ियों का विनिर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के यूनिट

1. मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड,
30 कनिंघम रोड,
बंगलौर-560052.

2. मेसर्स हैदराबाद अलविन मेटल वर्क्स लिमिटेड,
पो. बा. नं. 1927, सनतनगर,
हैदराबाद-500018.

इस्पात नगर सौन्दर्यीकरण योजना

3729. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात नगर सौन्दर्यीकरण योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये चुने गये इस्पात नगरों के नाम क्या हैं;

(ग) जिन इस्पात नगरों में यह योजना चालू की जा चुकी है उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस्पात नगरों का सौन्दर्यीकरण किये जाने की उम्मीद है;

(ङ) क्या राउरकेला इस्पात नगर का भी इस योजना के अन्तर्गत सौन्दर्यीकरण किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (च) इस्पात नगरों को सुन्दर बनाने का कोई विशेष प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है, लेकिन इस्पात नगरों के निर्माण के लिये योजना बनाते समय तथा इन योजनाओं को कार्यान्वित करते समय नगर की सुन्दरता तथा पारिस्थितिक आवश्यकताओं (वृक्षारोपण खुले स्थान तथा उद्यान आदि की व्यवस्था भी शामिल है) को हमेशा ध्यान में रखा गया है। इस्पात नगरों को सुन्दर बनाने का काम लगातार चलते रहने वाला काम है।

आर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थों को 'पेल्लीटाइज्ड' में बदलना

3730, **श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने हाल ही में आर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थों को सुविधाजनक पंजीकृत (पेल्लीटाइज्ड) ईंधन में बदलने के लिये प्रक्रिया (प्रोसेस) और उपकरण विकसित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) एक परियोजना के अधीन आई० आई० टी० दिल्ली के रासायनिक इंजीनियरी विभाग ने कृषि और वानिकी अपशेषों को सुविधाजनक गोलीदार ईंधन में बदलने के लिये प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस प्रौद्योगिकी में मूलत. जीवभार को जलाकर तन्तुओं को तोड़ा जाता है जिससे कि अधिक दाब का सहारा लिये बिना इनको आसानी से ब्रिकेट किया जा सके इस राख आर्द्रता और उपयुक्त बन्धकों का मिश्रण किया जाता है। जलाने का कार्य एक क्षैतिज रिटार्ट को लगातार भट्टी के ऊपर रखकर किया जाता है। पहले इस भट्टी को किसी परम्परागत ईंधन से गर्म किया जाता है और बाद में इसे जलाने की प्रक्रिया से पैदा होने वाली गैसों का पुनःचक्रीयन किया जाता है और उसे भट्टी में जलाया जाता है।

वर्ष 1980-81 में कोकिंग कोल के आयात के लिए ठेके

3731. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कोकिंग कोल के आयात के लिये किये गये विभिन्न ठेकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान पत्तन वार वास्तविक आयात कितना हुआ है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सेल ने वर्ष 1980-81 के दौरान कनाडा और आस्ट्रेलिया से 5.6 लाख टन कोककर कोयले का आयात करने के लिये करार किये थे। उस वर्ष में इन आर्डरों पर हुई कोककर कोयले की प्राप्ति के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

बन्दरगाह	(टनों में) कुल
विशाखापत्तनम	353,427
हल्दिया	16,824
पारादीप	73.315
कुल	443,566

भविष्य निधि को सामाजिक सुरक्षा में बदलना

3732. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि को सामाजिक सुरक्षा में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन लागू की गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना इस समय कार्य कर रही महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। भविष्य निधि सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और यदि संभव हो, तो उनके स्थान पर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने की ओर सरकार ध्यान देती आ रही है, परन्तु कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

दक्षिणी दिल्ली में अपराध की घटनाएं

3733. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान दक्षिणी दिल्ली विशेषकर मदनगीर क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो अब तक इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं और पुलिस द्वारा कितने मामले सुलझा लिए गए हैं और कितने मामलों में चुराई गई सम्पत्ति उनके स्वामियों को लौटाई गई है;

(ग) क्या उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज न करने और सम्बद्ध पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां देने में अत्यधिक विलम्ब की शिकायत मिली है; और

(घ) इस तरह के दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) गत छः महीनों के दौरान मदनगीर क्षेत्र समेत दक्षिणी दिल्ली में दर्ज किए गए अपराधों में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्याप्त कमी हुई है।

(ख) 1 सितम्बर, 1980 से 28 फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान दक्षिणी जिले में दर्ज किए गए कुल 2946 मामलों में 270 मामलों में चालान फाइल कर दिए गए हैं, 1368 मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है, 1254 लापता फाइल कर दिए गए हैं

और 55 मामले स्वीकार नहीं किए गए। जिन मामलों में चुराई गई सम्पत्ति मालिकों को वापिस कर दी गई है उनकी संख्या मालूम की जा रही है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वतन्त्रता सेनानी सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

3734. **श्री रामावतार शास्त्री** :क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और कुछ अन्य राज्यों ने अपने अधीन सेवारत उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय लिया है जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार भी इस प्रकार के अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु वढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास इन सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, राज्य सरकारों से स्थिति का पता चलाया जा रहा है।

(ग) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनापराई को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करना

3735. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तिरुचिरापल्ली जिले में मनापराई तालुक को औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के बारे में एक प्रतिवेदन भेजा है; और

(ख) क्या सरकार नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए मनापराई तालुक को औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करेगी तथा एक या दो कताई मिल, एक आटा मिल तथा एक सरकारी क्षेत्र औद्योगिक उपक्रम की सिफारिश करेगी।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तिरूचिरापल्ली जिला पहले ही से वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों में एक है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान तमिलनाडु राज्य में 25,000 तकुओं की क्षमता वाले एक ग्रोवर्स और एक वीवर्स सहकारी स्पीनिंग मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 के दौरान पहले स्वीकृत दो विद्यमान वीवर्स सहकारी स्पीनिंग मिलों में विस्तार आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

उक्त सहकारी स्पीनिंग मिल्स के अतिरिक्त भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स तिरूचिरापल्ली जिले में वायलर उपकरण और सहायक वस्तुएं और जोड रहित इस्पात ट्यूबों के उत्पादन के लिए दो बड़े एकक स्थापित कर चुका है। इसके अतिरिक्त

जनता टेलीफोन सेटों का निर्माण

3736. **श्री के० ए० राजन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम 1800 रुपये के मूल्य के लोकप्रिय जनता सेट नामक टेलीविजनों सेटों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादक शुल्क समाहितां, हैदराबाद टेलीविजन सेट के 'एनकोट' माडल के उस लागत ढांचे से सन्तुष्ट नहीं हैं जो उनके पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण और उसके कारण क्या हैं ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई. सी. आई. एल) दूरदर्शन सेटों के अपने कुल उत्पादन के एक भाग के रूप में जुलाई, 1978 से मार्च, 1981 की अवधि के दौरान जनता सेटों का उत्पादन कर रहा था। तथापि भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड ने कुछ समय के लिए इस माडल का उत्पादन स्थगित कर दिया है।

(ग) तथा (घ) यह मामला अभी विचाराधीन है।

दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन बड़े मामलों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन।

3737. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 126 के ऐसे कितने विचाराधीन मामले दिसम्बर, 1981 तक अन्तिम रूप से निपटाए गए थे जिनके बारे में सरकार तथा दिल्ली नगर निगम को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) दिल्ली नगर निगम का विचार ऐसे शेष मामलों को कब तक निपटाने का है;

(ग) निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 126 के विचाराधीन मामलों के मन्द गति से निपटाने के क्या कारण है; और

(घ) ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से नगर निगम धारा 126 के वर्ष 1975 से 1976 वर्ष के विचाराधीन पड़े मामलों को निपटाने में विशेष रूप से धीरे कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1-4-81 से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान 1-4-81 को लम्बित पड़े कुल लगभग 88,000 मामलों में से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अधीन निपटाये गये मामलों की संख्या 13314 है।

(ख) ऐसे मामलों का मूल्यांकन एक अर्ध न्यायिक मामला है जो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और इसलिए शेष मामलों के निपटान के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) तथा (घ) निगम के अनुसार धारा 126 के अधीन मामलों के निपटान की गति धीमी समझी जा सकती है। मामलों का निपटान मूल्यांकन के वर्ष के संदर्भ में नहीं है। तथापि, लम्बित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के प्रयास किये जा रहे हैं।

इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयले की मांग

3738. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री बी० वी० देसाई :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों की कोकिंग कोयले की कुल कितनी मांग है;

(ख) क्या यह सच है कि मांग के अनुसार कोकिंग कोयला न मिलने और 1981-82 में घटिया स्तर के कोकिंग कोयले की सप्लाई करने से इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का प्रत्येक इस्पात संयंत्र को उनकी मांग के अनुसार कोकिंग कोयला देने और 1982-83 में अच्छे कोकिंग कोयले की सप्लाई करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कोककर कोयले में राख की औसत मात्रा 19 प्रतिशत होने पर वर्ष 1981-82 में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के लिए 165 लाख टन कोककर कोयले की आवश्यकता है।

(ख) इस वर्ष के दौरान कोयले की सप्लाई खपत के अनुरूप नहीं रही जिसके परिणामस्वरूप इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक घटकर निम्न स्तर पर पहुंच गया। हाल में सप्लाई की दर में वृद्धि हुई है और स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु कोयले की क्वालिटी निर्धारित मानकों से घटिया है। निःसन्देह इससे उत्पादन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उत्पादन में कुछ हद तक कमी हुई।

(ग) और (घ) वर्ष 1982-83 में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के लिए 19.5 प्रतिशत राख की मात्रा वाले कोककर कोयले की आवश्यकता लगभग 184 लाख टन होगी। देशीय स्रोतों से लगभग 169 लाख टन और आयात से 12 लाख से 16 लाख टन कोककर कोयला मिलने की संभावना है। कोयला विभाग ने इस्पात कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले साफ किए हुए कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं—जैसे शोधनशालाओं को वेहतर क्वालिटी का अपरिष्कृत कोयला देना, दुग्धा I और II शोधनशालाओं के कार्यकरण में सुधार लाना, नई शोधनशालाएं चालू करना आदि।

अनुभाग अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक में पदोन्नति

3739. **श्री रामायण राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अनुभाग अधिकारी अपनी परीक्षा के वर्ष से लगभग 6 वर्ष के भीतर-भीतर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक में पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं जबकि अन्य श्रेणियों के अनुभाग अधिकारियों को इसमें 10-15 वर्ष लग जाते हैं।

(ख) सरकार द्वारा सेवा अवधि के संदर्भ में पात्रता की दो भिन्न शर्तें यथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अनुभाग अधिकारियों के लिए एक शर्त तथा शेष श्रेणियों के अनुभाग अधिकारियों के लिए कोई और शर्त निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक में पदोन्नति के लिए अर्हता-सेवा की अवधि में समानता लाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12(2) के अनुसार ग्रेड-I की रिक्तियां अनुभाग अधिकारी ग्रेड के उन स्थायी अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम आठ वर्षों की अनुमोदित सेवा कर ली हो।

किन्तु शर्त यह है कि यदि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त किसी व्यक्ति को ग्रेड-I में पदोन्नत करने के लिए विचार किया जाता है तो उक्त ग्रेड में कम से कम 6 वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले उससे सभी वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा। किंतु 6 वर्षों की सेवा संबंधी यह शर्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

गृह मंत्रालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिये पदोन्नति के अवसर

3740. **श्री सूरज भान** : क्या **गृह मन्त्री** गृह मंत्रालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिये पदोन्नति के अवसर के बारे में 24 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 494 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय के ग्रंथालय में लाइब्रेरियन तथा अन्य उच्च पदों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा की गई वेतनमानों में वृद्धि की सिफारिश से पूर्व तथा पश्चात लाइब्रेरियन के कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके समान ही ग्रंथालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों के दायित्व भी बढ़ गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एकाकी पद के लिये सिलेक्शनग्रेड आदि लागू न करने के लिये कोई नियम है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गृह मंत्रालय ग्रन्थालय में लाइब्रेरियन का केवल एक पद है और इससे उच्च अन्य कोई पद नहीं है ।

(ख) लाइब्रेरियन ग्रंथालय का सर्व-कार्यप्रभारी है और वह पुस्तकें और प्रकाशन की उपलब्धि और पुस्तकों और पत्रिकाओं को जारी करने और वितरण करने, वास्तविक जांच, बिलों का भुगतान, प्रलेखन और ग्रंथालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों के कुशल कार्यकरण के लिए उत्तरदायी है । पद की इन जिम्मेवारियों की विशालता को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरियन के पद के वेतनमान में बढ़ोत्तरी की सिफारिश कर्मचारी जांच एकक द्वारा की गई थी ।

(ग) और (घ) कर्मचारी जांच एकक ने ग्रंथालय के सहायक लाइब्रेरियन और अन्य तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमानों में किसी वृद्धि की सिफारिश नहीं की । वित्त मंत्रालय ने भी इस मत को स्वीकार नहीं किया है कि महत्ता के इन पदों की जिम्मेवारियों में बढ़ोतरी हुई है जिससे यह सिद्ध हो कि वेतनमानों में किसी वृद्धि का औचित्य है ।

(ङ) इस समय लागू नियमों में एक अलग पद के लिए चयन ग्रेड शुरू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों के लिये सेवानिवृत्ति संबंधी नीति

3741. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सामान्य नीति के अनुसार ड्राफ्टमैनों सहित सभी वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी साठ वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होंगे और इसे 3 फरवरी 1981 से लागू किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो ड्राफ्टमैनों को इससे अलग रखने और उन्हें तीसरे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान नहीं देने के क्या कारण है जयकि अन्य सरकारी कार्यालयों ने इसे स्वीकार किया है; और

(ग) प्रभावित श्रेणी के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) में कार्यरत प्रारूपकारों (ड्राफ्टमैनों को दिनांक 1.1.1973 से तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान दिये गये थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना

3742. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह कल्याण केन्द्र महादेव रोड, नई दिल्ली, दिल्ली में अपने विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में नियुक्ति के लिए कटिंग और सिलाई के काम में कुशल प्रशिक्षकों (अध्यापकों) की भर्ती करता है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1981 से अब तक कितने प्रशिक्षकों की भर्ती की गई है; और

(ग) इन नियुक्तियों के लिए क्या मानदण्ड और प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) दो प्रशिक्षकों की भर्ती की गई हैं, इनमें से एक की नियुक्ति 19-5-81 से 18-8-81 तक तीन महीनों के लिए पूर्णतः अस्थायी आधार पर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए की गई थी । दूसरा प्रशिक्षक, जिसकी नियुक्ति भी एक विद्यमान रिक्ति पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गई थी उक्त नियुक्तियों के आधार पर अभी सेवा कर रहा है, जिनका नियमित अंतराल के पश्चात् नवीनीकरण किया जाता रहा है ।

(ग) दस्तकारी प्रशिक्षकों सहित गृह कल्याण केन्द्र की रोजगार योजना का लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षण अथवा परीक्षा के बिना वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के ऐसे आश्रितों को रोजगार देना है जो न्यूनतम अपेक्षित व्यावसायिक अर्हता रखते

हों। इसका अभिप्राय उनके लिए नियमित कैरियर की व्यवस्था करना नहीं है अपितु कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ऐसे गरीब आश्रितों अथवा संबंधियों की केवल सहायता करना है, जिससे कि वे कुछ कुशलता और अनुभव प्राप्त कर सकें और दूसरी जगह अपने भावी कैरियर को समुन्नत बना सकें।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण

3743. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण से प्रेजाइडिंग आफिसर के स्थानान्तरण के बाद इसकी देखभाल करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं तथा यह पद कब तक भर लिया जायेगा ?

श्रम मत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख)। अनुमानतः यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के संबंध में है। श्री महेश चन्द्र, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली के अपने मूल विभाग में वापस जाने पर पीठासीन अधिकारी का पद 5 जनवरी, 1982 से रिक्त पड़ा हुआ है। आशा है कि यह पद शीघ्र ही भर दिया जाएगा।

एन० आर० डी० सी० द्वारा तकनीकी जानकारी की सेवायें दिये जाने के लिए रायल्टी की वसूली

3744. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें दूरदर्शन के विक्षेप कल-पुर्जों का निर्माण करने के लिए एन० आर० डी० सी० नई दिल्ली द्वारा तकनीकी जानकारी दी गई है;

(ख) क्या इन फार्मों ने तकनीकी जानकारी खरीदने के लिये कोई प्रीमियम दिया है और किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं; यदि हां तो क्या उन्हें एन० आर० डी० सी० को नियमित रूप से कोई रायल्टी देने की आवश्यकता है;

(ग) किन फर्मों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और किन फर्मों ने उत्पादन शुरू नहीं किया है और उनके इस तकनीकी जानकारी का उपयोग न करने का क्या कारण है;

(घ) क्या किसी फर्म ने इस तकनीकी जानकारी को दोषयुक्त होने के बारे में शिकायत की है, यदि हां, तो ऐसी फर्में कौन-कौन सी हैं और एन० सार० डी० सी० द्वारा रायल्टी वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या कुछ लाइसेंस धारियों द्वारा एन० आर० डी० सी० के डिजाइनों/तकनीकी जानकारी के अनुसार बनाई गई बाइंडिंग मशीनें दोषयुक्त डिजाइन होने के कारण उनके द्वारा प्रयुक्त नहीं की जा रही हैं, और सरकार ने इन्हें इनके आयात करने की अनुमति दे दी है, क्या एन० आर० डी० सी० लाइसेंसधारियों को मुआवजा दे रहा है और इस प्रकार वसूल की गई रायल्टी वापस कर रहा है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) एन० आर० डी० सी० द्वारा जिन फर्मों को टी० वी० डिफ्लैक्शन संघटकों के विनिर्माण के लिए जानकारी प्रदान की है उनके नाम इस प्रकार है :

1. मैसर्ज इलैक्ट्रानिक्स एंड टी० वी० कम्पोनेन्ट्स, दिल्ली,
2. मैसर्ज दि साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद,
3. मैसर्ज स्पेशल स्टील कम्पनी आफ इण्डिया, नई दिल्ली,
4. मैसर्ज जय इलैक्ट्रानिक्स, रायपुर,
5. मैसर्ज वी० बी० रामाराव एंड कम्पनी, हैदराबाद,
6. मैसर्ज सुमति इलैक्ट्रानिक्स एंड इलैक्ट्रीकल्ज, मेरठ,
7. मैसर्ज सिम्प्लैक्स इलैक्ट्रानिक्स, अहमदाबाद,
8. मैसर्ज वीको प्राइवेट लिमिटेड, केरल,
9. मैसर्ज मट्टू एन्टरप्राइजिज, श्रीनगर ।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) हाथ से चलाई जाने वाली और अर्द्ध-स्वचालित मशीन के लिए सी० ई० ई० आर० आई०, पिलानी में विकसित वाइंडिंग मशीन प्रौद्योगिकी के बारे में लाइसेंस एन० आर० डी० सी० द्वारा प्रदान किया गया था । जाहिरा तौर पर इस डिजाइन में कोई दोष नहीं था । बहरहाल, कुछ पक्षों ने, जिन्हें कार्पोरेशन द्वारा लाइसेंस प्रदान नहीं किये गये थे, वाइंडिंग मशीनों का आयात किया । इन मशीनों से तैयार उत्पादन हाथ से चलाई जाने वाली मशीनों की अपेक्षा सस्ते थे । क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन को हाथ में लिया जा सकता था । इससे निपटने के लिए कारपोरेशन के कुछ लाइसेंसधारियों ने भी इन वाइंडिंग मशीनों का आयात किया है । उनसे वसूल की गई प्रीमियम और रायल्टी की राशि की वापसी का सवाल ही नहीं पैदा होता है ।

मैसर्ज वी० वी० रामाराव एंड कम्पनी, हैदराबाद, मैसर्ज सुमति इलैक्ट्रानिक्स एंड इलैक्ट्रीकल्ज, मेरठ और मैसर्ज सिम्प्लैक्स इलैक्ट्रानिक्स, अहमदाबाद ने उत्पादन आरंभ कर दिया है । मैसर्ज दि साईंटिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेड, केरला के भी शीघ्र उत्पादन

आरम्भ करने की आशा है। अन्य पक्ष विभिन्न कारणों से उत्पादन आरम्भ नहीं कर पाए हैं यथा किसी पक्ष द्वारा अन्य वस्तुओं का विनिर्माण करना, अपने वांछित क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त न कर पाना और परीक्षण उत्पादन अवस्था से आगे न बढ़ पाना।

मैसर्ज सुमति इलैक्ट्रानिक्स और मैसर्ज रामाराव एंड कम्पनी से रायल्टी वसूल करने के लिए विवाचन संबंधी कार्रवाइयां चल रही हैं। मैसर्ज सिम्प्लैक्स इलैक्ट्रानिक्स, अहमदाबाद को भी कानूनी नोटिस दिया जा चुका है।

तीसरे विश्व के देशों को समृद्ध यूरेनियम बेचने के लिए चीन की पेशकश

3745. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने जापान के व्यापारिक गृहों के जरिए तीसरे विश्व के देशों को अपने समृद्ध यूरेनियम और भारी जल को बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को भी इस प्रकार की कोई पेशकश दी गई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने इस विषय पर जापान की एक प्रेस विज्ञप्ति देखी है। कई विदेशी व्यापार घराने, जिनमें जापानी व्यापार घराने,भी शामिल हैं, ऐसे ही विषय पर जानकारी पाने के लिए प्रायः पूछताछ करते रहते हैं, परन्तु ऐसी पूछताछ पर आगे कार्यवाही नहीं हुई है।

गृह मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिकों की उच्च श्रेणी में पदोन्नति

3746. **श्री एन० अरुणाचलम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 अप्रैल 1980 तक गृह मंत्रालय में कितने अवर श्रेणी लिपिकों को, अवर श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी के लिपिकों के अनुपात में हुई वृद्धि के अनुसार उच्च श्रेणी के लिपिकों के पद पर पदोन्नत किया गया;

(ख) कितने अवर श्रेणी के लिपिक उच्च श्रेणी में पदोन्नति के समय काडर बाह्य पदों पर काम कर रहे थे;

(ग) काडर बाह्य पदों में काम कर रहे कितने पदोन्नति पाने वालों को "नैक्सटू बिलो रूल्स" के अन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नतियां दी गई;

(घ) क्या पदोन्नतियां पाने वालों के प्रति प्रोफार्मा पदोन्नतियां देते समय कनिष्ठों और वरिष्टों को प्रोफार्मा पदोन्नतियां देकर कुछ वरिष्ठों को बीच में छोड़ने जैसा भेदभाव किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी कार्यवाही इस विषय पर नियमों/आदेशों के अनुसार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) । (क) 215.

(ख) 29

(ग) 'नैक्सट विलो रूल्स'' के अन्तर्गत 28 व्यक्तियों को प्रोफार्मा पदोन्नतियां दी गई हैं । शेष एक व्यक्ति को लाभ नहीं दिया गया क्योंकि उसने इसके लिए आवेदनपत्र नहीं दिया था ।

(घ) जी नहीं. श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिबन्धित अवकाशों की सूची में हिन्दू त्यौहारों को जोड़ना

3747. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष, 1982 के लिए जारी की गई अवकाश सूची में महा-शिवरात्रि, होलिका दहन, रक्षाबन्धन, राम नवमी और बैशाखी जैसे हिन्दुओं के पांच त्यौहारों को अवकाशों की प्रतिबन्धित सूची में रखने के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार ने यह निर्णय किया है कि नीति-विषयक मामले के रूप में केवल 16 मात्र छुट्टियां ही केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में रखी जानी हैं । इनमें 11 अनिवार्य छुट्टियां होंगी (3 राष्टीय छुट्टियां और 8 अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित छुट्टियां अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा महात्मा गांधी जन्म दिवस और ईद-उल-जुहा, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-फितर, गुरु नानक जन्म दिवस, क्रिसमस दिवस तथा महावीर जयंती); और बकी पांच गैर-अनिवार्य छुट्टियां सन् 1982 से आगे सदा के लिए निर्धारित की जानी है ।

बन्द अवकाश दिनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए महा शिवरात्रि, होलिका दहन, रक्षा बंधन, राम नवमी और बैशाखी जैसे त्यौहारों का दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सरकारी कार्यालयों में रखी जाने वाली राजपत्रित छुट्टियों की सूची में शामिल नहीं किया जा सका । अन्य स्थानों पर स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वे त्यौहारों के स्थानीय महत्त्व को ध्यान में रखते हुए कोई पांच गैर-अनिवार्य छुट्टियां चुन लें जिनमें उपर्युक्त अवसर भी शामिल हैं ।

(ख) तथा (य) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए इस मामले पर पुनर्विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना

3748. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1982 के महीने में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री योजना मंत्री से मिले थे और राज्य की वार्षिक योजना पर चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श हुआ था, परन्तु व्यय/राज्य के संसाधनों के संबंध में राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना के अभाव में तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर यह विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया था।

कन्टेनर हैंडलिंग के लिए जेन्ट्री क्रेन्स

3749, **श्री ई० के० इन्बीचीबाबा** :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश कन्टेनर हैंडलिंग के उपयोग में आने वाले जेन्ट्री क्रेन्स का निर्माण करने में सक्षम है; और

(ख) यदि हां, तो उन एककों का ब्यौरा क्या है अहां ऐसे क्रेनों का निर्माण किया जाता है और इस उद्योग की क्षमता और अन्य पहलुओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। मै०जेसप एण्ड कं लि० और मै० ब्रेथवेट एण्ड कं० लि० देश में कंटेनर हैंडलिंग क्रेनों के प्रमुख निर्माता हैं। दोनों कम्पनियां विभिन्न प्रकार के क्रेनों अर्थात् जैंट्री, फ्लीटिंग, टावर, ई० ओ० टी० इत्यादि का निर्माण करती हैं। जेसप और ब्रेथवेट की इन सभी प्रकार की क्रेन बनाने की लाइसेंस प्राप्त वार्षिक क्षमता क्रमशः 7000 मी० टन व 7700 मी० टन है।

केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए मानदण्ड

3750. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि जब केन्द्रीय सहायता का वितरण किया जाता है तो केवल आगे ले जाई गई/चल रही मुख्य सिंचाई और

विद्युत परियोजनाओं पर ही समुचित जोर न दिया जाये बल्कि राज्य की सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री श्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां । उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने फरवरी, 1981 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह सुझाव दिया था ।

(ख) विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने अगस्त, 1980 में हुई अपनी बैठक में मूल रूप से तैयार किये गए गाडगिल फार्मूले में यथा निर्धारित जारी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के आधार पर विशेष श्रेणी से इतर राज्यों को 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता आवंटन करने के मापदण्ड को समाप्त करने का निर्णय किया था । परिषद ने राष्ट्रीय औसत से कम आय वाले विशेष श्रेणी से इतर राज्यों को पहले किये जाने वाले केन्द्रीय सहायता के 10 प्रतिशत आवंटन की बजाए 20 प्रतिशत आवंटन करने का भी निर्णय किया । राष्ट्रीय विकास परिषद की फरवरी, 4981 में हुई बैठक में विभिन्न राज्यों के लिए छठी योजना के परिव्ययों का अनुमोदन किया गया जो राज्य के अपने संसाधनों के सहमत अनुमानों और परिशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर उन्हें आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता के आधार पर निर्धारित किए गए थे ।

ईथिल अल्कोहल के संसाधन को गति देने के लिए प्रभावी कैटालिस्ट

3751. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजरबेजदान स्थित तेल तथा रासायनिक संस्थान के एक भारतीय छात्र ने ईथिल अल्कोहल के संसाधन को गति देने के लिये एक प्रभावी कैटलिस्ट की खोज की है;

(ख) क्या इस खोज से भारतीय उद्योग के लिये बहुत अधिक सम्भावनाएं उत्पन्न हुई हैं क्योंकि रासायनिक तथा कपड़ा उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला ईथिल अल्कोहल चीनी मिलों के उपोत्पाद के रूप में भारत में बहुलता से उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां तो भारत में प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में (राज्य मन्त्री श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) से (ग) आयल टैक्नालाजी इन्स्टीट्यूट, बाकू के एक भारतीय अनुसंधानकर्ता ने ईथिल अल्कोहल के संसाधन को तेज करने के लिये प्रभावी उत्प्रेरक के विकास की सूचना दी है । भारत के अल्कोहल उत्पादन उद्योग के लिये यह काफी

अधिक लाभप्रद हो सकता है। सम्बद्ध वैज्ञानिक से इस बारे में संगत विवरण प्राप्त करने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मास्को स्थित भारतीय दूतावास में विज्ञान कौंसलर से सम्पर्क कायम किये हुए है।

विभिन्न किस्म के 'माइनर' खनिजों की रायल्टी की दरों में परिवर्तन करना

3752. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच सालों से 31 दिसम्बर, 1981 तक के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न किस्म के 'माइनर' खनिजों की रायल्टी की दरों में तथा निर्धारित छूट में क्या परिवर्तन किये हैं;

(ख) सरकारी निर्माण कार्यों और मकान बनाने के लिये अपेक्षित 'माइनर' खनिजों की रायल्टी में की गई वृद्धि का अलग-अलग क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि राज्य सरकारों को निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण उनको मिलने वाली रायल्टी से अधिक खर्च करना पड़ता हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रायल्टी निर्धारित करने और जांच के बाद मात्र इन खनिजों की वसूली करने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) गौण खनिज भारी किन्तु कम मूल्य के होते हैं, जिनका स्थानीय महत्व होता है और जो देश भर में पाए जाते हैं। इन खनिजों का विनियमन और विकास करने और उनकी रायल्टी तय करने का अधिकार सम्बन्धित राज्य/सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से है। गौण खनिजों की खुदाई आम-तौर पर छोटे खान स्वामियों द्वारा अल्पकालीन परमिटों और ठेकों के आधार पर की जाती है। इन खनिजों के मूल्य निर्धारण में प्रमुख कारक हैं—ढुलाई-भाड़ा दरें और मजूरी रायल्टी दरें, जो चार साल की अवधि में कभी भी बढ़ाई जा सकती है, इन खनिजों के मूल्य निर्धारण में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण कारक है। अतः इन खनिजों के बाजार मूल्य में रायल्टी का अंश नाम-मात्र का होता है और इस कारण रायल्टी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का इन खनिजों की संसाधन प्रक्रिया पर कोई विशेष अपेक्षित प्रभाव नहीं होगा।

"आई० ए० एस० आफिसर्स एलियन्स इन काश्मीर" शीर्षक से समाचार

3753. **श्री हरिनाथ मिश्र** :

श्री पीयूष तिरकी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "आई० ए० एस० आफिसर्स एलियन्स इन काश्मीर" शीर्षक के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राज्य के बाहर के आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० अधिकारियों के असंतोष का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें राज्य की जनता को प्रदान किये गये अधिकारों से वंचित रखा जा जाता है ;

(ग) क्या वे राज्य में अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्या उनके बच्चों को राज्य के व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश सुनिश्चित नहीं कराया जाता है और क्या उनके आश्रितों के लिए वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) क्या ऐसे बहुत से अधिकारियों ने राज्य में सेवा की थीं जिन्हें सेवानिवृत्ति पर अजनबियों की भांति अपने जन्म-स्थानों पर वापस आना पड़ा था ; और

(ङ) यदि प्रश्न के भाग (ख), (ग), का उत्तर स्वीकारात्मक है तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और यदि उत्तर नकारात्मक है, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री : (श्री पी० वेंकटसुब्बया) (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : जम्मू-कश्मीर राज्य के "स्थायी निवासी" शब्द को जम्मू-कश्मीर के संविधान में परिभाषित किया गया है । स्थायी निवासियों को राज्य में अचल सम्पत्ति अर्जित करने, राज्य सरकार के अधीन नौकरी पाने आदि जैसे कतिपय अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो गैर स्थायी निवासियों को प्राप्त नहीं हैं । इस संवैधानिक स्थिति के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जो उक्त राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, स्थायी निवासियों को प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं ।

(घ) जम्मू-कश्मीर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा अथवा भारतीय वन सेवा संवर्गों को आबंटित कोई भी अधिकारी, जो उक्त राज्य का स्थायी निवासी नहीं है, अभी तक अधिकर्षता के आधार पर सेवानिवृत नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"लेफ्ट आउट इन कोल्ड" शीर्षक के समाचार

3754. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 फरवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "लेफ्ट आउट इन कोल्ड" शीर्षक समाचार, जिसमें एक अनुभवी वैज्ञानिक को दक्षिणी ध्रुव के अभियान

में शामिल करने के लिए विचार न करने के कारण खेद का उल्लेख है, का तरफ दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वैज्ञानिक छुट्टी पर होने के कारण उसके कथन को सत्यापित करना संभव नहीं हो सका है ।

भारतीय प्रतिभा पलायन

3755. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिन प्रतिदिन प्रशिक्षित और बुद्धिजीवी भारतीयों का विदेशों में जाना बढ़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभाओं को विदेश जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) देश के कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के विदेशों में जाने की सरकार को जानकारी है । इस प्रकार के लोगों की सही संख्या के बारे में परिशुद्ध जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 'इण्डियन एब्राड रजिस्टर' में विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण/अनुसंधान/रोजगार में लगे हुए लोगों के नाम दर्ज हैं । यह पंजीकरण स्वेच्छापूर्ण है और । जनवरी, 1982 तक इस स्कीम के अन्तर्गत भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों इंजीनियरों तथा चिकित्सा कार्मिकों की संख्या 22,467 थी । इनमें से 10,830 ने सूचना दी है कि वे भारत वापिस लौट आये हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कुछ उपाय किये जा रहे हैं जिनसे इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रतिभा को देश के भीतर ही रखने में सहायता मिल सके । इनमें से कुछ निम्नलिखित है ।

(1) सी० एस० आई० आर० द्वारा चलाई गई वैज्ञानिक पुल योजना में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, डाक्टरों और अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को, जबकि वे स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं अस्थायी तौर पर स्थान प्रदान किया जाता है ।

(2) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को अपने उद्यम स्थापित करने के

लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे उद्यमों के लिए अपेक्षित सारी पूंजी की व्यवस्था करते हैं।

(3) उद्यमशील बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(4) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों आदि द्वारा निर्मित औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए, जो कि विशिष्ट परियोजनाओं को सामने रख कर बनाई जाती हैं, भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के तीन गुणा तक साम्या पूंजी के रूप में सरकार द्वारा योगदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अवसरंचना, योग स्थितियों में किराये की रियायत, कुछ समय के लिये बिक्री कर, चुंगी, बिजली शुल्क आदि से उन्मुक्ति के रूप में प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी।

(5) छठी योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कुल परिव्यय (योजनागत और योजनेतर) 3367 करोड़ रुपये है जबकि 1974-75 से 1978-79 वर्षों की अवधि में यह राशि 1809 करोड़ रुपये थी। इस बढ़े हुए विनियोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाये जाने की संभावना है।

(6) विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ने हुये विवेश के अतिरिक्त, छठी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान की गति को तीव्र करना, युवा व्यवसायिकों के ग्रामीण को तैयार करना, कमजोर वर्गों के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए योजनायें तथा महिलाओं और युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष कार्यक्रम, व्यवसायिक एवं वैज्ञानिक निकायों में सुविज्ञता का उपयोग करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य परिषद की स्थापना करना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सूचना प्रणाली जैसे अनेक उपायों की व्यवस्था की गई है।

(7) सी० एस० आई० आर०, यू० जी० सी०, आई० सी० एस० आर० आदि द्वारा अनुसंधान अभिछात्रवृत्तियां/एसोसिएटशिप की पेशकश की जाती हैं।

(8) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में चलाई जा रही अनुसंधान योजनाओं का विभिन्न अभिकरणों द्वारा वित्तीयन किया जाता है। इस प्रकार वे वैज्ञानिक कार्य के लिए रोजगार और उपयुक्त संतोषजनक अवसर प्रदान करती है।

(9) उच्च अर्हता प्राप्त विज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदों के शीघ्र समावेशन के लिए कुछ संगठनों में अधिसंख्य नियुक्तियों की योजना चलाई जा रही है।

(10) वैज्ञानिक कार्मिकों के रोजगार और जनशक्ति आयोजना के प्रश्न पर मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति ने विचार किया है। इसकी सिफारिसों के आधार पर सरकार ने सांस्थानिक वित्त की सहायता से देस में लाभ प्रद ढंग से अपना रोजगार का संवर्द्धन करने के लिए एक सांस्थानिक तंत्र के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड

की स्थापना की है । वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए सभी वैज्ञानिक विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं ।

अवकाश यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई राशि

3756. **श्री आर० आर० भोले :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने 1978-1981 के ब्लाक वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को एल० टी० सी० के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया;

(ख) कितने कर्मचारियों ने एल० टी० सी० के लिए गैर-सरकारी बसों की यात्रा करना बेहतर माना है; और

(ग) एल० टी० सी० की अग्रिम राशि के लिए जाली रसीदें देने के कितने मामलों को सरकार ने पकड़ा है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी यात्रा रियायत के व्यक्तिगत दावों पर देश भर में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों के समुचित नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है । यदि कोई झूठा दावा पेश किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करना उन्ही पर निर्भर है । इन परिस्थितियों में इन मामलों के बारे में सूचना न तो उपलब्ध है और न ही केन्द्रीकृत रूप में रखी जाती है ।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

3757. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी और फरवरी, 1982 के महीनों में दिल्ली में सीमेंट की कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान नगर निगस के अधिकांश निर्माण कार्य अपेक्षित सीमेंट की मात्रा उपलब्ध न होने के कारण पूरे नहीं हो सके;

(ग) नगर निगम के पास इस समय कितना सीमेंट उपलब्ध है; और

(घ) क्या यह सच है कि सीमेंट न मिलने के कारण अनेक स्थानों में चूना और राख का प्रयोग करते हुए कोटा पत्थर का काम किया जा रहा है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां। राजस्थान और मध्यप्रदेश में सीमेंट कारखानों द्वारा दिल्ली के लिए अधिक मात्रा में सीमेंट का आवंटन किया जाता है। इन राज्यों में बिजली की कटौती होने के कारण सीमेंट के कारण सीमेंट के उत्पादन और दिल्ली को की जाने वाली पूर्ति पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) देश में सीमेंट की सामान्य कमी रही है और यह सम्भव है कि इस सीमा तक दिल्ली नगर के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

(ग) 862 बोरियां।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उसके पास इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। फिर भी हो सकता है कि कुछ मामलों में फर्श घर कोटा पत्थर जमाने के लिए चूना और राख का उपयोग किया गया हो।

जम्मू और कश्मीर के लिए निर्धारित वार्षिक योजनाएं

3758. **श्री गुलाम रसूल कोचक** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्र सरकार को इस बात का उल्लेख किया है कि जम्मू और कश्मीर के लिए निर्धारित की गई वर्ष 1982-83 की योजनाएं राज्य की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य ऐसा महसूस करता है कि पिछले वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य को पर्याप्त धन राशि आवंटित नहीं की गई;

(घ) क्या सरकार, राज्य की शिकायत को ध्यान में रखते हुए इस बात पर सहमत है कि आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को अधिक धनराशि दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जम्मू और कश्मीर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग नहीं करता और इसलिए उसके अधिविकर्ष करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। कुछ चल रही परियोजनाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1981-82 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 160 करोड़ रु० से बढ़ाकर 165 करोड़ रु० कर दिया गया।

(घ) और (ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

"क्राइम थ्राइव्स आन प्रोटेक्शन" शीर्षक से समाचार

3759. **श्री शिव शरण वर्मा :**

श्री बापू साहिब परूलेकर :

डा० ए० यू० आजमी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निम्नलिखित का उल्लेख करने वाले 5 और 10 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित "क्राइम थ्राइव्स आन प्रोटेक्शन" और ड्राइव टु ट्रेस प्रोक्लेम्ड आफेन्डर्स शीर्षक समाचारों की तरफ दिलाया गया है;

(एक) कुख्यात अपराधियों को और उनके स्थान पर बेकसूर लोगों को फंसाने के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक;

(दो) भूमिगत अपराधियों के संरक्षण के लिए 5 लाख प्रतिमाह का भुगतान;

(तीन) पुलिस द्वारा 3500 घोषित अपराधियों को पकड़ पाने में असफलता;

(चार) एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जुलाई 1980 में एक कुख्यात चरस व्यापारी को पकड़ने पर एक सब-इन्सपेक्टर की बर्दी उतारी गई;

(पांच) विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों पर कड़ा नियंत्रण;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन प्रेस समाचार में दिए गए मामले की जाँच कर रहा है

कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में फकीर चन्द समिति की रिपोर्ट

3760. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1979 में गठित फकीरचन्द समिति की सिफारिशें, जहां तक कर्मचारियों की भविष्य निधि का मामला है, कार्यान्वित नहीं की है यद्यपि अधिकारियों के लिए लाभदायी सिफारिशों का कार्यान्वियन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि कर्मचारियों से सम्बन्धित सिफारिशों को लागू न करने के क्या कारण हैं और सरकार जिस तिथि से अधिकारियों को लाभ मिल रहे हैं, उसी तिथि से

उनको भी लाभ देने के लिए सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) फकीर चन्द समिति रिपोर्ट में कुल मिलाकर 131 सिफारिशें हैं। इनमें से, निम्नलिखित बड़ी सिफारिशों सहित 74 सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय ले लिए गये हैं :—

बोनस का भुगतान :

यह निर्णय लिया गया है कि इस संगठन के कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस का भुगतान किया जाए और एक योजना तैयार की जा रही है। इस बीच, कर्मचारियों को वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए क्रमश: 15 दिनों तथा 10 दिनों के तदर्थ बोनस का भुगतान किया गया है।

छुट्टी के बदले नकद भुगतान :

कर्मचारियों को दो वर्षों की अवधि में एक बार अधिक से अधिक एक महीने तक अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान लेने की अनुमति है।

धुलाई भत्ता :

धुलाई भत्ते की दर को 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

मकान किराया भत्ता :

यह निर्णय लिया गया है कि हैदराबाद में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य "क" श्रेणी के शहरों में लागू दर के समान मकान किराया भत्ता दिया जाए।

उच्च श्रेणी लिपिकों को विशेष वेतन :

यह भी निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिकों में से 10 प्रतिशत लिपिकों को 35 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन दिया जाए।

इसके अलावा, प्रशासनिक स्वरूप की अनेक सिफारिशों को अनुमोदित किया गया है। वित्तीय भार संबंधी अन्य सिफारिशें मुख्य रूप से वेतनमान में संशोधन से संबंधित हैं। इन सिफारिशों की वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोगों का आना

3761. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और अन्य महानगरों में रोजगार की तलाश में आ गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार बड़े शहरों में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए वहां पर सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाने के लिए गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मबीर) : (क) जी, हां। यह आम बात है कि काम की मंदी की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर काम की तलाश में शहरों में जाते हैं।

(ख) और (ग) इस समय उद्योग मंत्रालय का विचार छठी योजना 1980-85 के दौरान भारी उद्योग विभाग के अधीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई नया सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थान के बारे में सरकार द्वारा प्रौद्योगिक-आर्थिक आधारों को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाता है।

पश्चिम बंगाल की सीमेंट की मांग

3762. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की प्रति तिमाही न्यूनतम सीमेंट की मांग कितनी है;

(ख) वर्ष 1980 से प्रति तिमाही आवंटन और वास्तविक सप्लाई कितनी है;

(ग) विभिन्न राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत कितनी है; और

(घ) अखिल भारतीय औसत क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सीमेंट सम्बन्धी उनकी मांग प्रति तिमाही 5 लाख मी० टन० होती है।

(ख) पश्चिम बंगाल को तिमाही-वार सीमेंट के किये गये आवंटन और प्रेषण की जानकारी देने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 1980 के दौरान राज्यवार सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत तथा 1980 के अखिल भारतीय औसत की जानकारी देने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

वर्ष 1980 और 1981 के दौरान पश्चिम बंगाल को किया गया प्रेषण

वर्ष		तदर्थ आवंटन सहित आवंटन	राज्य कोटे का प्रेषण (.000 मी० टनों में)
1980			
प्रथम तिमाही		286.0	237.3
दूसरी तिमाही		298.0	245.1
तीसरी तिमाही		300.3	246.5
चौथी तिमाही		311.3	310.1
	योग	1195.6	1039.0
1981			
प्रथम तिमाही		315.6	247.4
दूसरी तिमाही		324.3	262.4
तीसरी तिमाही		313.3	265.6
चौथी तिमाही		360.3	313.5
	योग	1313.5	1088.9
प्रथम तिमाही/82		357.3	150.6 15-2-82 तक

वर्ष 1981 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को किया गया कुल प्रेषण ।

केन्द्रीय श्रेणी—3.25 लाख मी० टन

राज्य श्रेणी—10.89 लाख मी० टन

योग 14.14 लाख मी० टन

विवरण-2

वर्ष 1981 में सीमेंट का राज्यवार उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति खपत

क्र० सं०	क्षेत्र/राज्य	खपत (.000 मी० टनों में)	प्रति व्यक्ति खपत 1980
1	2	3	4
उत्तर			
1.	चंडीगढ़	100	177.50
2.	दिल्ली	767	127.16
3.	हरियाणा	588	46.41
4.	हिमाचल प्रदेश	108	25.80
5.	जम्मू और कश्मीर	218	37.04
6.	पंजाब	736	44.64
7.	राजस्थान	617	18.39
8.	उत्तर प्रदेश	1785	16.29
	कुल :	4919	26.03
पूर्व			
1.	अरुणाचल प्रदेश	22	36.45
2.	असम	323	16 16
3.	बिहार	1110	16.09
4.	मणिपुर	34	23.19
5.	मेघालय	55	42.11
6.	मिजोरम	17	34.84
7.	नागालैंड	48	63.32
8.	उड़ीसा	450	16.35
9.	सिक्किम	34	108.63
10.	त्रिपुरा	22	10.44
11.	पश्चिम बंगाल	1367	24.13
	कुल :	3483	19.33

1	2	3	4
पश्चिम			
1.	दादरा नागर हवेली	8	78.43
2.	गोआ दमन और द्विप	125	102.29
3.	गुजरात	1669	50.49
4.	मध्य प्रदेश	1059	19.89
5.	महाराष्ट्र	2368	38.20
		5229	34.95
	कुल:	3483	19.33
दक्षिण			
1.	अण्डमान और निकोबार	24	125.00
2.	आंध्र प्रदेश	1859	35.18
3.	कर्नाटक	1104	30.17
4.	केरल	1058	40.34
5.	लक्षद्वीप	2	50.00
6.	पांडिचेरी	48	80.54
7.	तमिलनाडु	1713	35.76
		योग : 5807	35.32
अखिल भारतीय औसत : (डसीला)		19438	28.45

नदियों में जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए एजेंसियां

3763. **श्री सी० पलानी अप्पन : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : नदियों में जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत में कौनसी एजेंसियां हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,

1974 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय और राज्य बोर्ड, तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों में अनेक विभाग अभिकरण एवं स्थानीय निकाय जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रदूसण के लिये दिल्ली कलाथ मिल्स कैमिकल्स का मानिटर किया जाना

3764. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा डी० सी० एम० कैमिकल्स के स्टाक मानिटरिंग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वातावरण प्रदूषित किए जाने के सम्बन्ध में बड़े औद्योगिक गृहों के प्रति उदारता दर्शाने के मुख्य क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड ने डी० सी० एम० कैमिकल्स का स्टाक मानिटरिंग नहीं किया है।

(ख) जैसे ही वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के कार्यान्वियन के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जाता है, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

नहाने का साबुन

3765. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहाने का साबुन "मिल्ड" या "प्लोडेड" साबुन है जिससे न केवल "स्मूथ फिनिश" ही होती है अपितु जो नमी के तत्व के विरुद्ध भी एक गारंटी है;

(ख) क्या नहाने के साबुन में तोल और माप (पैक बन्द वस्तुओं) नियमों के मानकों के अंतर्गत पानी की नमी वाले तत्व की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या "नहाने के साबुन में पैक करने के समय के वजन" की गुण-विशिष्टता की अनुमति है ताकि उसका निवल वजन देने से टाला जा सके;

(ङ) क्या उपरोक्त संदर्भ में लाइफबाय साबुन नहाने का साबुन है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) नहाने के साबुन के लिए भारतीय मानव विशिष्टियों, आई० एस० 2888-1974 प्रथम संशोधन की आवश्यकताओं के अनुसार नहाने का साबुन मिल्ड या होमो जेनाइज्ड या दोनों प्रकार का साबुन होना चाहिए, श्वेत अथवा रंगीन सुगंधित तथा पक्की चिकनी टिकियों के रूप में होना चाहिए और उसका उत्तम सफाई तथा झाग के गुणों से परिपूर्ण होना आवश्यक है।

(ख) से (घ) तोल एवं माप (पैक की हुई वस्तुएं) अधिनियम, 1977 के मानको के अधिनियम, 1977 के मानको के अधीन नहाने के साबुन सहित इस प्रकार की वस्तुओं जिनके भार में पर्यावरण अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण कुछ अन्तर पड़ जाने की संभावना हो "जब पैक किया गया" लिखा होना चाहिए। इस प्रकार की वस्तुओं भार/माप का घटना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है जैसे कि तापमान, आर्द्रता, भण्डारण परिस्थितियों इत्यादि और भारत जैसे देश में इन स्थितियों की भिन्नता बहुत अधिक है। इसलिए समय बीतने के साथ होने वाली भार की कमी को संक्षेप में आंकना बहुत कठिन है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि नहाने के साबुन पर "जब पैक किया गया" शब्दों की अनुमति देना इस पर शुद्ध भार लिखने से बचाने के लिए है।

(ङ) सांख्यकीय और उत्पादन शुल्क भुगतान दोनों ही उद्देश्यों के लिए लाइफबाय नहाने का साबुन माना जाता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में न्यायालयों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना

3766. **श्री आर प्रभु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को सिविल और मजिस्ट्रेट न्यायालयों की भाषा बनाया है;

(ख) इस कार्य के लिए इस प्रकार के प्रत्येक राज्य द्वारा कितना अतिरिक्त व्यय किया जाएगा; और

(ग) सम्पूर्ण देश में न्यायालयों की भाषा में एकरूपता के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणी में दे दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3661/82]

(ख) और (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के अनुसार सिविल और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या

भाषाओं के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों का है। अतः सिविल और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा या भाषाओं के प्रयोग के कार्य के लिए अतिरिक्त खर्चे का संबंध राज्य सरकारों से है। यह मामला केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

सिविल और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषा या भाषाओं की एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारें ही संबंधित हैं।

ऊर्जा के नये कार्यक्रम

3768. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ऊर्जा की इतनी अधिक मांग है कि सौर, वायु, बायोगैस और ऊर्जा के अन्य नये स्रोतों के बारे में शोज और विकास के प्रयासों को और अधिक तेज करना होगा;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने वर्ष 1982-83 के दौरान तथा छठी योजना अवधि के लिए कौन से नये ऊर्जा कार्यक्रमों का पता लगाया है; और

(ग) उपर्युक्त के लिए प्रस्तावित वार्षिक परिव्यय और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन सिंह) : (क) जी हां। तदनुसार अनुसंधान और विकास प्रयासों को तेज किया जा रहा है।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण

(ख) और (ग) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित और कार्यक्रमों की समन्वित और कार्यान्वित करने के लिए मार्च, 1981 में की गई थी। आयोग द्वारा पिछले वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों को अत्यधिक त्वरित किया गया है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जाओं पर अधारित विभिन्न युक्तियों और प्रणालियों का विकास और उत्पादन किया जा चुका है। इनमें सौर जल तापन प्रणालियां सौर फसल शुष्क, सौर इमारती लकड़ी के भट्टे, सौर, पम्प, सौर कुकर, सौर आसवन यूनिट, वायु पम्प, पारिवारिक और 'सामुदायिक/सांधानिक टाइप के जैव गैस संयंत्र, बैटरी चालित गाड़ियां और सूक्ष्म जल ऊर्जा यूनिटों के नए डिजाइन शामिल हैं। कुशलता में सुधार लाने और लागतें कम करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य जारी है। ऊर्जा रोपण,

जीवभार से तरल ईंधन, ईंधन के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग, महासागरी ऊर्जाओं (महासागर तापीय ऊर्जाओं और उर्मिल ऊर्जाओं) आदि जैसे नए क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को तेज किया जा रहा है।

2. छठी पंचवर्षीय योजना के लिए उपागम के अनुसार, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने परिपक्व नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के देशव्यापी क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मुख्य प्रेरणा दी है; पिछले वर्ष के दौरान कई प्रतिष्ठापन कार्य पूरे किये गये हैं। छठी योजना के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों पर आधारित कम से कम एक प्रायोगिक प्रदर्शन यूनिट को देश के प्रत्येक ऊर्जा जिले में लगाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यह भी आशा की जाती है कि इससे कई गुण अधिक संख्या में ऐसे प्रायोगिक प्रदर्शन यूनिट राज्यों, निगमित और निजी उपयुक्तों द्वारा सरकार के प्रेरणा से लगाए जाएंगे।

3. छठी योजना के दौरान नवीन और नवीकरणीय स्रोतों के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि का विनियोजन किया गया है। 1981-82 के चालू वर्ष के दौरान में इस क्षेत्र के लिए बजट अनुमान 7.67 करोड़ रुपये हैं जबकि 1980-81 के दौरान 2.4 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। इससे यह पता चलता है कि भौतिक गतिविधियों में, विशेषकर क्षेत्र में वास्तविक प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना (पिछले वर्ष में तीन गुणा) में तीव्र वृद्धि हुई है। 50 जिलों में 100 से अधिक प्रदर्शत क्षेत्रीय परीक्षण यूनिटों की पहले से ही प्रतिष्ठापना की जा चुकी है। 1982-83 के लिए बजट अनुमान में इस क्षेत्र के लिए 13.7 करोड़ रुपये की आवश्यकता का संकेत दिया गया है। छठी योजना के लिए किये गए विनियोग के अतिरिक्त निधियों के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना के शेष वर्षों के लिए वार्षिक परिव्यय को योजना आयोग के परामर्श से कालांतर में अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

4. चालू वर्ष के दौरान स्थापित की गई कुछ मुख्य सौर तापीय प्रतिष्ठापनाओं में सौर जल तापन प्रणालियां हैं जिन्हें वस्त्र मिलों, बेकरी, आसवन शाला डेरी कम्प्लेक्स, कुष्ट रोग चिकित्सालय और एक औद्योगिक केन्टीन में स्थापित किया गया है। तम्बाकू के संशोषण और शुष्कन के लिए एक शुष्कक की प्रतिष्ठापना की गई। और एक और बड़ा अनाज शुष्कक शीघ्र ही पूरा किया जा रहा है। एक बड़ा शांत संग्राहक निर्माणाधीन है और एक गांव की ऊर्जा आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिय एक सौर शक्ति संयंत्र प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर सौर विलवणीकरण संयंत्र भी निर्माण किये जा रहे हैं। ये सौर तापीय अनुप्रयोग अपनी आर्थिक व्यवहारिकता (लाभप्रदता) भी प्रदर्शित कर रहे हैं।

पिछले एक वर्ष में विभिन्न अनुप्रयोगों यथा जल पम्पन, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था सामुदायिक रेडियो और टेलीविजन आदि के लिए प्रदर्शन प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों की प्रतिष्ठापना को तेजी से विस्तृत किया जा रहा है। अन्य प्रतिष्ठापनाओं में, प्रकाश वोल्टीय-प्रदर्शन यूनिटों की प्रकाश व्यवस्था और दूरदर्शन के लिए मद्रास में ताम्ब्रम में बच्चों के एक

एस० ओ० एस० ग्राम में प्रतिष्ठापना की गई और एक सौर शक्ति से चालित दूरदर्शन प्रणाली के संचालन के लिए चित्तूर में तपोदनम में एक अनाथालय में प्रतिष्ठापना की गई है। कई राज्य सरकारों के संगठनों ने रियायती लागतों पर प्रकाश बोल्टीय पम्पसैट खरीदने के लिए आर्डर दिये हैं ओ० एन० जी० सी० के पांच समुद्र स्थित प्लेटफार्मों के लिए दूरभितिक शक्ति यूनिटों की आपूर्ति के लिए भी आर्डर प्राप्त हुआ है। डाक और तार और रेलवे से दूर संचार और संकेत व्यवस्था के लिए और अन्तरिक्ष विभाग से उपग्रह पावर पैकों के लिए आदेश विचाराधीन हैं।

6. इस वर्ष के दौरान बड़े सामुदायिक और सांधानिक जैव गैस संयंत्रों पर कार्य आरम्भ किया गया था। इनमें से नौ पूरे किये जा चुके हैं और 23 आर्डरों को पूरा किया जाने वाला है। इनमें बहु अपशिष्ट और जल कुमुदिनी संभरण और इंजनों की व्यवस्था शामिल है ताकि रसोई कार्य के लिए गैस और गमन शक्ति और बिजली पैदा की जा सके। 1982-83 में बहुत से ऐसे संयंत्रों को हाथ में लिया जा रहा है जैसे उनके लिए स्थानों का चयन किया जा रहा है। कुछ मध्यम और बड़े शहरों में बड़े जल मल गैस संयंत्रों को भी हाथ में लिया जा रहा है। ऐसा एक संयंत्र निर्माणाधीन है और अन्य विभिन्न शहरों में निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

7. जल पम्पन पवन चक्कियों के लिए एक मुख्य प्रदर्शन कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जा रहा है; वर्ष के दौरान वास्तविक क्षेत्रीय परिस्थितियों में विभिन्न स्थानों पर ऐसी 36 पवन चक्कियों को पहले से ही स्थापना की जा चुकी है; शीघ्र प्रतिष्ठापित किये जाने के लिए 300 और की संविरचना की जा रही है। जल पम्पन वायु मिलों, जिनकी प्रतिष्ठापना विभिन्न स्थानों पर की गई है का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है और वस्तुतः कुछ स्थानों पर अतिरिक्त फसलें भी पैदा की गई हैं। ये पवन चक्कियां मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई पेय जल की आपूर्ति या नमक के कड़ाहों में खारा पानी पम्प करने के लिए प्रतिष्ठापित की जा रही है।

8. $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ टन क्षमता वाली वैटरी चालित गाड़ियों के आदि प्ररूप संविरचित किये गये थे और इस समय उनके कार्य निष्पादन परीक्षण चल रहे हैं। कई और आदि प्ररूपों की संविरचना की जा रही है।

9. नवीकरणीय ऊर्जाओं पर आधारित एकीकृत ऊर्जा परियोजनाओं को कुछ चुने हुए स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि एक गांव की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं के काफी अंश को पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ और स्थानों का अभिनिर्धारण किया जा रहा है। सालोजीपल्ली में, जो कि आंध्र प्रदेश में मेडक जिले में एक बिना बिजली का एक गांव है सौर तापीय, सौर प्रकाश वोल्टीय और जैव गैस स्रोतों से शक्ति प्रदान करने के लिए एक परियोजना पर कार्य चल रहा है।

10. लखनऊ और मदुरै स्थित जीवभार अनुसंधान केन्द्र, इलाहाबाद में वायु ऊर्जा केन्द्र, और रुड़की स्थित एक लघु जल प्रौद्योगिकी केन्द्र—इसकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि वे इन

क्षेत्रों में केन्द्रीय विन्दुओं के रूप में कार्य कर सके और वे लक्ष्याभिमुख अनुसंधान, विकास और प्ररूप और प्रणाली विकास गतिविधियों को हाथ में ले सके ताकि उनके आधार पर व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० साहिबाबाद में पूर्व वाणिज्यिक प्रकाश वोल्टीय प्रायोगिक संयंत्र परियोजना (एन० ए० एस० पी० डी० डा०) में उत्पादन आरम्भ हो गया है। 1985 तक प्रकाश वोल्टीय पैनलों और मौड्यूलों के एक मैगावाट लेवल तक के उत्पादन को प्राप्त करने का प्रस्ताव है। बंगलौर में सौर तापीय ऊर्जा केन्द्र और एक और वायु ऊर्जा केन्द्र को स्थापित करने के लिए परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

11. इस क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन गतिविधियों को मुख्य प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनके लिए जो वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन घोषित किये गये हैं उनमें अधिक मूल्य ह्रास छूट, उत्पादन शुल्क से उन्मुक्ति, केन्द्रीय स्तर पर कम ब्याज पर ऋण और गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बिक्री कर और चुंगी से उन्मुक्ति शामिल है। विभिन्न प्रकार के उपयोक्ताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए रियायतें जैव गैस संयंत्रों सौर कुकरों, जल पम्पन युक्तियों आदि के लिए उपलब्ध हैं : नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के लिए किसी प्रकार के लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं है और किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा युक्ति या प्रणाली का औद्योगिक उत्पादन केवल पंजीकरण कराने के बाद आरम्भ किया जा सकता है। सरकार आरम्भ में देश में 25,000 सौर कुकरों के वितरण के लिए 33⅓% रियायत (अधिक से अधिक 150 रुपये) भी प्रदान कर रही है। पिछले एक वर्ष में, इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई विनिर्माण यूनिटों ने अब नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों का विकास, विनिर्माण और प्रतिष्ठापन कार्य आरम्भ कर दिया है।

शिक्षित लोगों की बेरोजगारी

3769. **श्री जेवियर अराकल :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

श्री दयाराम शाक्य :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 को कितने शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार थे और उनका वर्गीकरण किस प्रकार था;

(ख) वर्ष 1970 से 1981 तक बेरोजगारी और रोजगार का अनुपात क्या था;

(ग) शिक्षित लोगों में बेरोजगारी का इतने अधिक अनुपात का क्या कारण है; और

(घ) देश में अशिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय 1980 के आरम्भ में अनुमानित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों (मैट्रिक और उससे अधिक) से संबंधित है और इसे श्रम शक्ति में बेरोजगार व्यक्तियों की तत्संबंधी प्रतिशतताओं के साथ नीचे दर्शाया गया है:—

शिक्षा स्तर	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	श्रम शक्ति में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या
मैट्रिक/हायर सैकंड्री उत्तीर्ण	24.63	15.15
स्नातक तथा उससे अधिक एवं डिप्लोमाधारी	10.09	15.76
कुल शिक्षित	34 72	15.32

(ग) श्रम शक्ति में तीव्र वृद्धि तथा सीमित रोजगार अवसरों के कारणों के अतिरिक्त, शिक्षित बेरोजगारी के लिए विशिष्ट सम्भव कारण निम्नलिखित हो सकते हैं: --

(क) बहुत से व्यक्ति ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी जारी रखते हैं परन्तु वे ऐसा अत्यधिक शैक्षिक इच्छा से नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं कि वे न तो रोजगार पा सकते हैं और न ही वे स्व-रोजगार के लिए योग्य होते हैं।

(ख) शिक्षित जनशक्ति की समस्या अशिक्षित जनशक्ति की समस्या से भिन्न है क्योंकि पूर्वकथित के सम्बन्ध में कार्य के मामले में योग्यताओं तथा अपेक्षाओं के उचित इस्तेमाल तथा सुमेल की आवश्यकता होती है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की सम्भाव्यताओं के सृजन के लिए आरम्भ किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। योजना में यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम आरम्भ किए जाने हैं वे शिक्षितों के रोजगार के लिए पर्याप्त सम्भाव्यता प्रदान करेंगे।

पाकिस्तान से कच्चे लोहे का आयात

3770. **श्री चित्त महाटा** :

श्री अनादि चरण दास : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से कच्चे लोहे का आयात करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समझौते की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) और (ख) सेल ने पाकिस्तान से 2 लाख टन कच्चे लोहे का आयात करने के लिए आर्डर दिए हैं। पाकिस्तान से कच्चा लोहा आना शुरू हो गया है। इस आयात के लिए किये गये करारों की शर्तें सामान्यतः वैसी ही हैं जैसी कि सेल द्वारा अन्य विदेशी संभारकों को दिये गये आर्डरों की होती हैं अर्थात निष्पादन प्रत्याभूति कीं व्यवस्था, बंध पत्र (बांड)/साख पत्र के द्वारा अदायगी आदि।

भारत में गाय और भैंसों की खालों की उपलब्धता

3771. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष गाय और भैंसों की औसतन कितनी खालें उपलब्ध होती हैं; और

(ख) देश में ही (एक) खपत (दो) निर्यात के लिए (तीन) कमाये जाने और तैयार वस्तुएं बनाने के लिये कच्चे माल के बतौर विदेशों को निर्यात के लिए, देश-वार अनुमानित मूल्य सहित, कितना चमड़ा कमाया और निर्मित किया जाता है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) भैंस, गाय, भैंस के कटड़े तथा गाय के बछड़े की खालों की उपलब्धता वर्ष प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न होती हैं। वर्ष 1980 और 1981 में इस सामग्री की अनुमानित उपलब्धता क्रमशः 326.80 लाख तथा 330.40 लाख टन थीं।

(ख) कच्ची खालों के निर्यात पर प्रतिबंध है। अतः यह समझा जाता है कि उपलब्ध कच्ची खालों का अर्द्ध-तैयार चमड़े में परिवर्तन कर दिया जाता है। वर्ष 1979-80 और 1980-81 में निर्यात की गई अर्द्ध-तैयार खालों की अनुमानित मात्रा क्रमशः 34.00 लाख तथा 23.50 लाख थी। यह प्रतीत होता है कि निर्यात तथा आंतरिक खपत के लिए शेष अर्द्ध-तैयार चमड़े को तैयार चमड़े और चमड़े के समान में परिवर्तित कर दिया गया। अर्द्ध-तैयार खालों के निर्यात के देशवार आंकड़े मात्रा और मूल्य के रूप में अलग से नहीं रखे जाते। फिर भी, गत तीन वर्षों में अर्द्ध-तैयार खालों में किए गए निर्यात का मूल्य निम्न प्रकार है:—

1979—80	3444.30 लाख रुपये
1980—81	1610 40 लाख रुपये
1981—82 (अप्रैल से नवम्बर) (अनुमानित)	1356.20 लाख रुपये।

जेलों में महिला कैदी

3772. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री के० मालन्ना : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में महिला कैदियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस समय-वार कितनी महिला कैदी हैं । और पिछले तीन सालों में वर्ष-वार कितनी थीं;

(ग) इस समय राज्य-वार 16 वर्ष से कम और अधिक विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने महिलाओं के अपराध की किस्म और असामाजिक उद्देश्यों के लिए बालकों का शोषण जो कि नीति निर्धारकों और जनता दोनों के लिए गम्भीर खतरा बन रही है के बारे में कोई अध्ययन किया है या करवाया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिये गये परामर्श ठेके

3773. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में टर्बाइनों, जनरेटरों, मोटरों और टांसफार्मरों आदि के लिए निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अब तक दिये गये परामर्श ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे देश कौन से हैं और प्रत्येक ठेके का मूल्य क्या है; और

(ग) ऐसे देश कौन से हैं जिनमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ये संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) बी० एच० ई० एल० को विदेशों में अब तक दो परामर्शदायी ठेके मिले है जिनका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	देश	ग्राहक	कार्य का क्षेत्र	मूल्य
1-	टर्की	टर्किस इलैक्ट्रो मैकेनिक्स इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन.	स्विचगियर और ट्रांसफार्मरों का उत्पादन करने के लिए संयंत्र लगाने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट पर टर्की सरकार को सलाह देना ।	यू० एस० 80,000
2-	,,	,,	रोटेनिंग मशीनों का उत्पादन करने के लिये संयंत्र लगाने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट पर टर्की सरकार को सलाह देना ।	यू० एस० 100,000

एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री तथा बिजली उपकरणों की मरम्मत के लिये एक वर्कशाप की स्थापना करने के लिए परामर्शदायी सेवाएं देने के बारे में बी० एच० ई० एल० ने अल्जीरिया सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो सरकार के विचाराधीन है ।

दल-बदल विरोधी विधेयक

3774. **श्री राम बिलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद के बजट सत्र में दल-बदल विरोधी विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लाल्कर) : (क) और (ख) दल-बदल की समस्या से निपटने के लिये कानून बनाने के प्रश्न के प्रति भारत सरकार का ध्यान है । यह मामला चुनाव संबंधी सुधार के वृहत् विषय का एक हिस्सा है ।

राष्ट्रीय मजूरी नीति

3775. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री बी० एस० विजय राघवन :

प्रो० रूप चन्द पाल :

श्री मूल चन्द डागा : क्या **श्रम मन्त्री** 29 अप्रैल, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 996 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मजूरी नीति को इस बीच अंतिम रूप दे दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : जी, नहीं, राष्ट्रीय मजदूरी नीति को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आगामी त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में नियोजकों, श्रमिकों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों के परामर्श से इसे अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव है।

कुद्रेमुख परियोजना संबंधी ईरानी ऋण का पुनर्भुगतान

3776. **श्री एस० एस० कृष्ण** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कुद्रेमुख परियोजना सम्बन्धी ईरानी ऋण का पुनर्भुगतान रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसकी कुछ किश्तों और ब्याज का भुगतान किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी धन राशि का भुगतान किया जा चुका है;

(ङ) क्या परियोजना के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई भारतीय शिष्ट-मण्डल इस मामले में बातचीत करने के लिए तेहरान गया था, और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) : इस समय ईरान द्वारा दिए गए ऋण को लौटाने का प्रश्न शेष मामलों के तय हो जाने के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें करार के अन्तर्गत दिए गए ऋण की बकाया राशि की अदायगी तथा ईरान द्वारा कुद्रेमुख का सांद्रण लेने के बारे में उनकी रजामन्दी भी शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) अब तक कुल मिलाकर 36,627,771 अमरीकी डालर का भुगतान किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) बातचीत पूरी नहीं हुई थी।

छूट वाले और बिना छूट वाले संस्थानों में भविष्य निधि की बकाया धन राशि

3777. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छूट वाले संस्थानों जिनका अपना भविष्य निधि कोष है और बिना छूट वाले संस्थानों के पास आज तक भविष्य निधि की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या यह सच है कि बकाया धनराशि की दर छूट वाले संस्थानों में बिना छूट वाले संस्थानों से कहीं अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो रामानुजम समिति की सिफारिशों के अनुसार जिन्हें सरकार ने मान लिया है यदि और अधिक संस्थानों को छूट दी गई, तो इससे कामगारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदानों की हिसाब लगाई गई राशि और बकाया राशि, 30-9-81 की स्थिति के अनुसार, निम्न प्रकार से थी :—

छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान—	28.15 करोड़ रुपए।
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान —	17.19 करोड़ रुपए।

(ख) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के संबंध में बकाया राशि का प्राप्त हुई कुल अंशदाओं की राशि से जो प्रतिभूत है, वह छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के मुकाबले में कम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पेट्रोल पम्पों पर डकैतियां

3778. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान अलग-अलग दिल्ली में पेट्रोल पम्पों पर कितनी डकैतियाँ पड़ीं;

(ख) इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए गए, और

(ग) डकैतियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बारे में क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

1979	2
1980	4
1981	4

(ख) और (ग) : निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : –

1. नाजुक स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जाती हैं।

2. राज मार्गों पर स्थिति पेट्रोल पम्पों पर विषम समय में सशस्त्र गार्ड तैनात किए जाते हैं।

3. बाकी-टाकी सेंटों और वायरलैस युक्त मोटर-साइकिलों के साथ सशस्त्र गश्त समेत पैदल और चलती फिरती गहन गश्त। गश्ती दलों को अपने क्षेत्र के पेट्रोल पम्पों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश द्रिए गए हैं।

4. अपराध करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की अचानक जांच करना।

5. ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी करना।

कोबाल्ट का आयात

3779. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में घाटशिला कापर प्लांट द्वारा करोड़ों रुपए मूल्य का बहुमूल्य कोबाल्ट धातुमल के रूप में बेचा जा रहा है;

(ख) क्या भारत विदेशों से कोबाल्ट का आयात करता है और यदि हां, तो वर्ष 1979-80 और 1981 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का कोबाल्ट आयात किया गया;

(ग) क्या भुवनेश्वर स्थित रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी ने धातुमल से कोबाल्ट निकल और तांबा निकालने का प्रभावी तरीका निकाला है;

(घ) घाटशिला कापर प्लांट ने वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान कुल कितनी मात्रा में धातुमल बेचा था तथा किन पार्टियों को बेचा था; और

(ङ) उपरोक्त मामले में सरकार की भावी नीति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। 1978-79 से 1980-81 वर्षों (अक्तूबर, 1980 तक) के दौरान कोबाल्ट और इसकी मिश्रधातुओं के आयात का एक विवरण संलग्न है।

(ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर ने घटशिला तांबा परावर्ती स्लैग से

कोबाल्ट, निकिल व तांबा निकालने की विधि का विकास किया है। हिन्दुस्तान कापर लि० इस विधि की व्यावसायिक उपादेयता पर विचार कर रहा है।

(घ) घटशिला तांबा संयंत्र ने 1979-80 और 1981 में स्लैग नहीं बेचा गया।

(ङ) स्लैग के कोबाल्ट निकालने की समस्या अभी अपने प्रारम्भिक चरण में है। प्रमुख नीति निर्णय निश्चित परिणाम की प्राप्ति तथा निकासी विधि की वाणिज्यिक पैमाने पर पुष्टि के बाद ही लिया जा सकता है।

विवरण

कोबाल्ट और इसके एलाट आदि का आयात की मात्रा और मूल्य

मात्रा हजार कि० ग्रा० में
मूल्य लाख रुपयों में

क्र० सं०	मदें	भारतीय व्यापार वर्गीकरण कोड सं०	1978-79		1979-80		1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मुल्य	मात्रा	मूल्य
1.	कोबोल्ट और कोबाल्ट आधारित अलौए अपरिष्कृत	689.9911	130	223.03	125	520.61	68	288.73
2.	छीजन और कतरन तथा कोबाल्ट एलार, यू० ई० एस०	689.9912	1	3.01	7	42.00	3	8.40
3.	कोबोल्ट, परिष्कृत	699.9905	15	34.69	17	71.88	9	28.91

लिमका

3780. श्री के० लकप्पा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ट्रेड मार्क लिमका का उपयोग करने वाले "विसलेरी इटली का विशेष फार्मूला" कह कर गलत प्रचार कर रहे हैं या विदेशी फार्मूला होने के कारण उक्त उत्पाद के दावे को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या लिमका इटली कम्पनी का उत्पाद है; और

(ग) क्या उक्त फार्मूला या ट्रेड मार्क को प्रयोग करने के लिए उक्त कम्पनी, को अनुमति ली गई है और यदि नहीं, क्या सरकार व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) "लिमका" एक तरल पेय इटली के विसलेरी फार्मूला पर आधारित उत्पाद बताया गया है। लिमका की बोतलों पर "स्पेशल फार्मूला ऑफ बिसलेरी इटली" संकेत वाक्य लिखा होता है। लिमका का आरम्भ महाराष्ट्र सरकार के पास पंजीकृत एक लघु एकक मैसर्स विलसेरी (इंडिया) प्रा० लि० द्वारा किया गया था।

(ग) लिमका ट्रेड मार्क का पंजीयन मूल रूप से इसके पंजीकृत प्रोप्राइटर मैसर्स बिसलेरी (इंडिया) प्रा० लि० के नाम किया गया था। बाद में दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 के एक हस्तांतरण प्रलेख के आधार पर इसे पारले एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लि० को सौंप दिया गया था।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

3781. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जनवरी, 1980 से लेकर भर्ती राज्य-वार कितने व्यक्ति आज तक किये गये हैं; और

(ख) उनमें से कितने लोग राज्य-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भर्ती किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1 फ़रवरी 1980 से 28 फरवरी 1982 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे का विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	कालम (3) के आंकड़ों में से	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
			के व्यक्तियों की संख्या	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	243	62	18
2.	असम	55	5	9
3.	पश्चिमी बंगाल	330	69	15
4.	गुजरात	113	46	5
5.	केरल	67	5	—
6.	कर्नाटक	45	10	2
7.	महाराष्ट्र	278	50	5
8.	उड़ीसा	71	18	7
9.	तमिलनाडु	226	84	4
10.	बिहार	598	98	205
11.	दिल्ली	67	9	1
12.	हरियाणा	441	25	2
13.	हिमाचल प्रदेश	700	65	2
14.	जम्मू और कश्मीर	35	18	—
15.	मध्य प्रदेश	209	61	41
16.	पंजाब	148	38	3
17.	राजस्गान	182	56	19
18.	उत्तर प्रदेश	961	121	5

टिप्पणी :—उपर्युक्त आंकड़ों के अतिरिक्त 1-2-1980 से 28-2-1982 तक की अवधि के दौरान नेपाल के 7 व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। इनमें से कोई भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं था।

भारत में पुलिस द्वारा यंत्रणा देने का आरोप

3782. **श्री दौलतराम सिंह जी जदेजा :**

प्रो० मधु दंडवते :

श्री एन० ई० होरो :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरीकी प्रशासन के मानव अधिकार सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत में पुलिस द्वारा यंत्रणा दिये जाने का आरोप है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उत्तर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है और उसकी संवीक्षा की जा रही है।

केरल में वेल्लूर न्यूज प्रिंट फैक्टरी चालू करना

3783. **श्री वी. एस. विजयराघवन :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वेल्लूर न्यूज प्रिंट फैक्टरी को चालू करने में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त फैक्टरी के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) परियोजना चालू करने के मूल कार्यक्रम को देखते हुए केरल अखबारी कागज परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हो गया है।

(ख) विलम्ब के प्रमुख कारण थे :—

(1) विदेशी परामर्श सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत समय से नहीं हो सकी;

(2) परियोजना स्थान पर निर्माण कार्य स्थापना कार्य के ठेकेदारों के श्रमिकों द्वारा बार-बार हड़ताल और श्रमिक अशांति; तथा

(3) कुछ विक्रेताओं द्वारा ठेके के अनुरूप समय सूची के अनुसार माल का न दिया जाना।

(ग) मिल में परीक्षण उत्पादन चल रहा है और आशा है कि अप्रैल, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

भारतीय बायलर विनियम में संशोधन

3784. **श्री चतुर्भुज : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बायलर बोर्ड ने भारतीय बायलर विनियम के ड्राफ्ट रेगुलेशन सं० 7 और 391 द्वारा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) विनियमन की उपर्युक्त जांच और निर्णय का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) 29 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 1981 तक केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा आपत्तियों पर विचार किया गया था।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय बायलर बोर्ड ने भारतीय बायलर विनियमनों के विनियमन 7 और 391 में संशोधन करने का निर्णय लिया है तथा इस बारे में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

एल. पी जी. सिलिंडरों के लिये लाइसेंस

3785. **श्री सुन्दर सिंह : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल. पी. जी. सिलिन्डरों के निर्माण हेतु कितने लाइसेंस जारी किये गए हैं;

(ख) कौन सी फैक्टरियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तकनीकी विकास महा निदेशालय में पंजीकरण के लिये एल पी. जी. सिलिंडर गैर-अनुसूचित

वस्तु है। तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अब तक पंजीकृत एककों की कुल संख्या 106 है।

(ख) निम्नलिखित एककों ने उत्पादन शुरू कर दिया है :—

(1) मै. कोसन मेटल प्रोडक्ट्स लि., बम्बई

(2) मै. कोसन मेटल प्रोडक्ट्स लि., नागपुर

(3) मै. केनन डंकर्ले एण्ड कं. लि., बम्बई

(4) मै. हैदराबाद अलविन मेटल वर्क्स लि., हैदराबाद

(5) मै. इण्डियन गैस सिलिंडर, फरीदाबाद

(6) मै. अम्बिका सिलिंडर मैन्युफैक्चरिंग कं., अहमदाबाद

(7) मै. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, दिल्ली

(8) मै. ए. पी. जे. स्ट्रक्चरल्स लि., बर्दवान

(9) मै. यूनीवर्सल सिलिंडर लि., अलवर

(10) मै. स्टैंडर्ड सिलिंडर्स लि., गुड़गांव

(ग) शेष एकक कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

केन्द्रीभूत संयंत्रों की स्थापना

3786. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उन औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें भारत सरकार के नए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार केन्द्रीभूत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इन औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ये संयंत्र स्थापित करने के संबंध में एक कर्मी दल का गठन किया है;

(ग) क्या संबंधित कर्मी दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के सीधी तथा झाबुआ जिलों के लिए नियुक्त कर्मी दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सूचना विवरण में दी जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) पंजाब के गोइन्दवाल, उड़ीसा के चण्डक, आन्ध्र प्रदेश के मेडक, हिमाचल प्रदेश के कांगडा, सोलन और सिरमूर जिले, केरल के एलेप्पी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद रत्नागिरी और चन्द्रपुर जिले, राजस्थान के जोधपुर और बिहार के मधुबनी और पालामऊ जिलों के सम्बन्ध कृतिक बल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकित औद्योगिकीकरण का प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पता लगाए गए जिलों/क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य		सुझाये गये जिले/क्षेत्र	टिप्पणी
1		2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर ×× 2. मेडक ×× 3. श्री काकुलम	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित केवल मेडक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
2.	असम	4. गोलपारा × 5. कामरूप ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल दल स्थापित
3.	बिहार	6. मधुबनी × 7. पालामऊ ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
4.	गुजरात	8. कच्छ (क) 9. अमरेली (क) 10. साबर कंठा (क)	कृतिक दल स्थापित
5.	हरियाणा	11. महिन्दरगढ़ × 12. हिसार जिले के भाग × 13. जींद जिले के भाग ×	कृतिक दल स्थापित कर दिया गया
6.	हिमाचल प्रदेश	14. कांगड़ा × 15. सोलन × 16. सिरमूर×	तीनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित रिपोर्ट प्राप्त हो गई

1		2	3
7.	जम्मू और काश्मीर	17. बारामूला ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		18. ऊधमपुर (क)	
8.	कर्नाटक	19. तुमकुरक	सभी जिलों के लिए कृतिक दल की स्थापना की जा चुकी है।
		20. साउथ कनारा	
		21. गुलवर्ग	
		22. वेलगांव	
9.	केरल	23. एलेप्पी ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		24. मालापुरम ×	एल्लेपी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है
10.	मध्य प्रदेश	25. सीधी × ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		26. झबुआ × ×	
11.	महाराष्ट्र	27. औरंगाबाद ×	तीनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
		28. चन्द्रपुर ×	
		29. रत्नागिरी ×	
12.	मेघालय	30. पूर्वी गारोहिल्स ×	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		31. पूर्वी खासी हिल्स ×	
		32. जयन्तिया हिल्स ×	
13.	नागालैंड	33. मोन ×	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		34. त्वेनसांग ×	
14.	उड़ीसा	35. पुरी (चांडक क्षेत्र)	सभी जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित केवल चांडक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
		36. बोलनगीर ×	
		37. कालाहांडी ×	
		38. ढेंकानल ×	
		39. मयूरभंज ×	
15.	पंजाब	40. अमृतसर (गोविन्दवाल साहिब)	दोनों जिलों के लिए कृतिक दल स्थापित
		41. होशियारपुर	गोविन्दवाल साहिब के लिए कृतिक दल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

1		2	3
16.	राजस्थान	42. जोधपुर	सभी जिलों के लिए कृतिक
		43. चुरू ×	दल की स्थापना
		44. भीलवाड़ा ×	
		45. नागौर	
17.	सिक्किम	46. गंगटोक ×	कृतिक दल स्थापित
		47. मनगांव ×	
		48. ग्यालशिंग ×	
		49. नामची ×	
18.	तमिलनाडु	50. पुड्डुकोटइ जिले में पुड्डुकोटइ × ×	दोनों क्षेत्रों के लिए कृतिक दल स्थापित
		51. मदुराई में डिंडीगुल	
19.	त्रिपुरा	52. उत्तरी त्रिपुरा	कृतिक दल स्थापित
		53. दक्षिणी त्रिपुरा	
20.	उत्तर प्रदेश	54. बलिया ×	सभी जिलों के लिए कृतिक
		55. झांसी ×	दल स्थापित
		56. अल्मोड़ा ×	
		57. बस्ती ×	
		58. फैजाबाद ×	
		59. रायबरेली ×	
		60. ललितपुर ×	
21.	पश्चिम बंगाल	61. जलपाई गुडी	दोनों जिलों के लिए कृतिक
		62. बाकुंठा	दल स्थापित
22.	पांडिचेरी	63. पांडिचेरी ×	कृतिक दल स्थापित
23.	मिजोरम		

टिप्पणी :— × संपूर्ण जिला पूंजीगत निवेश राजसहायता का पात्र है।

× × जिले के अन्दर नामित क्षेत्र पूंजीगत निवेश राजसहायता के पात्र हैं।

(क) रियायती वित्त पाने के लिए अर्ह जिला।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

3787. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा गरीबी के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के शुरू में तथा अन्त में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य पिछले तीन वर्षों से नहीं किया गया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) अगला सर्वेक्षण कब किया जायेगा ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गरीबों का निर्धारण करने के लिए, "न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों से संबंधित एक कार्यकारी दल" बनाया था जिसने गरीबों की परिभाषा इस प्रकार के लोगों के रूप में की थी कि जिनका प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 की प्रति व्यक्ति दैनिक क्लोरी की प्राप्ति और शहरी क्षेत्रों में 2100 की प्रति व्यक्ति दैनिक केलोरी की प्राप्ति वाले मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के वर्ग के मध्य बिन्दु से नीचे था। क्लोरी प्राप्ति का अनुमान संगत वर्गों के भोजन की खपत के प्रकार और खाद्य वस्तुओं केलोरी की मात्रा से लगाया जाता है। तब इस प्रति व्यक्ति उपभोग या खपत व्यय को गरीबी के स्तर का नाम दिया जाता हैं। कुल जनसंख्या में आयु, पुरुष या स्त्री और व्यवसाय के अन्तरों को ध्यान में रखने के बाद ऊपर चुने गये केलोरी के मानको का अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 1973-74 के उपभोक्ता व्यय संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्रति व्यक्ति मासिक व्यय और भोजन की अनुमानित केलोरी मात्रा से यथा-अनुमानित इन केलोरी के मानकों के लिए गरीबी का स्तर वर्ष 1973-74 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 49.09 और 56 .64 प्रति व्यक्ति प्रति मास आता है। वर्ष 1979-80 की कीमतों पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में 76 रु० है और शहरी क्षेत्रों में 88 रु० है।

(ख) हरेक पंचवर्षीय योजना के शुरू में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में ये अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में 50.70 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 40.31 प्रतिशत और कुल मिलाकर (अर्थात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिलाकर) 48.44 प्रतिशत है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के संबंध में अन्तिम सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 में (जुलाई, 1977 से जून, 1978 तक की अवधि के लिये) किया था। यह सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार अगला सर्वेक्षण वर्ष 1983 में किया जाना है।

मध्य प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों के समेकित विकास की योजना

3788. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में हरिजनों और आदिवासियों के समेकित विकास हेतु 1982-83 के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में बन्द पड़े कपड़ा मिलों की संख्या

3789. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मजदूरों की हड़ताल से कितने कपड़ा मिल बन्द पड़े हैं;

(ख) हड़ताल का कपड़े के उत्पादन पर क्या असर पड़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई में मान्यता प्राप्त यूनियन आर० एम० एम० एस० द्वारा मजदूरों को काम पर बुलाए जाने के बावजूद मजदूरों ने हड़ताल जारी रखी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार को औद्योगिक संबंध अधिनियम में संशोधन करने के लिये निदेश देगी, ताकि गुप्त मतदान से यूनियन को मान्यता प्रदान की जा सके ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, जनवरी, 1982 के अन्त तक हड़तालों के कारण देश में 66 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थी।

(ख) कपड़े के उत्पादन पर हड़ताल के प्रभाव की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, बम्बई में 60 कपड़ा मिलों में, जिनमें हड़ताल चल रही थी, उत्पादन में अनुमानित हानि प्रतिदिन 4 करोड़ रुपये थी।

(ग) मान्यता-प्राप्त यूनियन और बम्बई मिल ओनर्स एसोसिएसन द्वारा किये गये आह्वान के फलस्वरूप, 15 मार्च, 1982 तक लगभग 28 कपड़ा मिलें पुनः खुल गई थी और मिल के श्रमिकों तथा कर्मचारियों ने काम पर आना शुरू कर दिया है।

(घ) महाराष्ट्र व्यवसाय संघ मान्यता तथा अनुचित श्रम पद्धति निवारण अधिनियम, 1971 में गुप्त मतदान के माध्यम से यूनियनों को मान्यता देने की व्यवस्था नहीं है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा गैर-सरकारी फर्म को कारोबार देना

3790. **श्री रूद्र प्रताप षांडगी : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अगस्त 1975 और मई 1976 के बीच मेसर्स इस्पात लोहा उद्योग नामक एक गैर-सरकारी फर्म, जिसकी वाणिज्यिक स्तर पर कोई प्रतिष्ठा नहीं है, को 38 लाख रुपये का कारोबार दिया था;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने फर्म को ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित 1976 में तीन वर्ष के काली सूची में डाल दिया था;

(ग) क्या यह सच है कि इस फर्म को काली सूची में डाले जाने के छः माह पश्चात ही इसने राउरकेला इस्पात संयंत्र के पास अपने को मान्यता प्राप्त इस्पात व्यापारी के रूप में पंजीकृत करा लिया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों में काम कर रहे भारतीयों का कल्याण

3791. **श्री राजेश पाइलट :**

श्री गुलाब मोहम्मद खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार ने विदेशों में काम कर रहे भारतीयों, जिनको प्राइवेट फर्मों और एजेंसियों ने भर्ती किया था, के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित संदर्भ में क्या कार्यवाही की है।

(एक) उनके काम करने की स्थितियों के अनुबन्ध;

(दो) पश्चिमी देशों में उनके रहने की स्थिति;

(तीन) अनुबन्ध की शर्तों को लागू करना विशेष तौर पर भारत को मंजूरी भेजना;

(चार) कर्मचारियों द्वारा उचित व्यवहार;

(पांच) इन बेसहारा मजदूरों और उनके सुस्थापित कर्मचारियों के बीच के विवाद को हल करने का प्रबन्ध ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उत्प्रवासी कर्मकारों की कार्य शर्तें निर्धारित करने वाले अनुबन्ध उत्प्रवासन की अनुमति जारी करने को पूर्व-शर्त के रूप में प्रोटेक्टर आफ ऐमीग्रेन्ट्स के पास दायर किए जाते हैं। अनुबन्ध का कोई उल्लंघन जब सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तब दोषी पार्टियों अर्थात भर्ती एजेन्ट और इसके विदेशी प्रिन्सिपल को आगे अनुमति देना बन्द कर दिया जाता है और हमारे विदेशी मिशनों के माध्यम से विदेशी सरकार के साथ मामला उठाया जाता है।

(दो) कर्मचारी और नियोजक के बीच हस्तांतरित ठेके की शर्त के रूप में कुछ मौलिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था को शामिल किया जाता है और इन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था न करना अनुबन्ध का उल्लंघन माना जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार वाले देश में व्याप्त रहन-सहन की दशाओं की प्रत्याशित उत्प्रवासियों को जानकारी देने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि आशा और वास्तविकता के बीच अन्तर को कम किया जा सके।

(तीन) जहां तक मजदूरी की राशि भारत भेजने का संबंध है, यह विषय रोजगार के देश के स्थानीय कानून द्वारा शासित होता है और इसे भी अनुबन्ध की शर्त के रूप में शामिल किया जाता है।

(चार) अनुबन्ध की किसी ऐसी शर्त को, जो कर्मचारियों के न्यायोचित तथा उपयुक्त बर्ताव के अनुरूप नहीं होतीं, प्रोटेक्टर आफ ऐमिग्रेन्टस के पास दायर करते समय स्वीकार नहीं किया जाता और सुस्थापित अनुबन्ध से हटकर कर्मचारियों के साथ अनुचित तथा अनुपयुक्त बर्ताव करने का मामला विदेशी मिशनों द्वारा नोट किया जाता है, ताकि न्यायोचित तथा उपयुक्त बर्ताव सुनिश्चित किया जा सके।

(पांच) कर्मकारों तथा उनके नियोजकों के बीच विवादों को जब कभी सूचना दी जाती है, तब उन्हें हमारे विदेशी मिशनों की मध्यस्थता से निपटाया जाता है।

उत्प्रवासी कर्मकारों के हितों का संरक्षण करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की दृष्टि से, विशेष रूप में ऐसे देशों में जहां बड़ी संख्या में भारतीय कर्मकार काम करते हैं, ऐसे देशों में भारतीय मिशनों के विशेष अधिकारियों जो इन मामलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाहक अधिकारी मनोनीत किया गया है।

ई० एस० आई० चिकित्सा सुविधाएं

3792. **श्री ए० के० बालन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कर्मचारियों को ई० एस० आई० सुविधाओं का लाभ मिल रहा है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी पंजीकृत हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन 63, 78, 550 कर्मचारी पंजीकृत हैं और सभी कर्मचारी पूर्ण चिकित्सा सुविधा अर्थात अस्पताल में भर्ती सहित सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं पर पुनः विचार किया जाना

3793. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने 5.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के कुल लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जिन प्रस्तावों पर विचार किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और उनके संबंध में क्या निर्णय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्तक्षेत्रीय प्राथमिकताओं और धनराशि के नियतन में अपेक्षित परिवर्तनों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ छठी योजना के पहले दो वर्षों में छठी योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और समग्र कार्य-निष्पादन पर संतोष प्रकट किया।

(ग) और (घ) वर्ष 1982-83 में योजना की मध्यावधि समीक्षा करने का प्रस्ताव है। इस अभ्यास के भाग के रूप में अन्तर-क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं और धनराशि के आवंटन के बारे में भी समीक्षा की जाएगी।

ए. आई. टी. यू. सी. और सी. आई. टी. यू. सी. द्वारा सदस्यता रिकार्ड प्रस्तुत करना

3794. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या ए. आई. टी. यू. सी. और सी आई. टी. यू. सी. ने सरकार को जांच के लिए सदस्यता रिकार्ड देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यूनियनों के प्रतिनिधित्व के स्वरूप का निर्णय किस प्रकार किया गया है या करने का विचार है; और

(ग) सदस्यता रिकार्ड न प्रस्तुत करने के क्या विशिष्ट कारण बताये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी, हां। ए आई. टी. यू. सी. और सी. आई. टी. यू. दोनों 31-12-80 की स्थिति के अनुसार अपने सदस्यता दावे सरकार के पास प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। ऐसे केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्य संख्या जो अपनी सदस्यता के दावे नियत तारीख तक सरकार के पास प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं उनसे सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अधीन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रारों को भेजी गई वार्षिक विवरणियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी और उस सदस्यता का यह निर्धारण विहित जांच के बाद किया जाएगा।

(ग) कोई विशेष कारण नहीं बताए गए।

पहियों तथा एक्सलों का निर्माण

3795. **श्री नीरेन घोष :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहियों और एक्सल सेटों के निर्माण की सुविधा दुर्गापुर में भी उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) क्या इन उत्पादों के निर्माण की नई सुविधाये राउरकेला में भी उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पहियों तथा एक्सल सेटों के निर्माण हेतु एक नया संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रेलवे द्वारा पहिए और धुरे बनाने वाला एक कारखाना कर्नाटक में लगाया जा रहा हैं।

सरकारी क्षेत्र मे मिनी टेलीविजन सेटों का निर्माण

3796 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में कम कीमत वाले छोटे टेलीविजन सेटों का निर्माण करने का है ताकि आम आदमी इसे खरीद सके; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एस० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ऐसे किसी कार्यक्रम को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं महसूस करती।

डाकुओं को समाप्त करने के आदेश

3797. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकुओं को समाप्त करने सम्बन्धी अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है और ये आदेश कब जारी किए गए;

(ख) बिना लाइसेंस के हथियार बरामद करने के सम्बन्ध में क्या आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं;

(ग) कितने अवैध हथियार बरामद किए हैं तथा उन सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं। जिनकी सुरक्षा में इन हथियारों को इस समय रखा हुआ है; और

(घ) अवैध हथियार रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इसे अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट आदेश देने की जरूरत नहीं है क्योंकि विधि व व्यवस्था बनाये रखना और अपराधों की रोकथाम करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(ख) जून, 1980 में राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया था कि वे गैर-कानूनी हथियारों/गोलाबारूद का पता लगाने और यह जांच करने के लिए अभियान शुरू करें कि कारबाइन तथा अर्ध स्वचलित हथियार के लाइसेंस जारी करने की पद्धति किस प्रकार नियमित की जा सकती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया था कि अर्ध स्वचालित अगनेय-अस्त्र और गोला-बारूद के लाइसेंस रखने की अनुमति केवल ऐसे व्यक्तियों को दी जाए जो वास्तविक जरूरत की परिस्थितियां बना सकें और जिनके मामले में पुलिस कोई सुरक्षा आपत्ति न करे।

इन आदेशों के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते।

(ग) तथा (घ) अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते। शस्त्र अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित कानून लागू करने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की शर्तें

3798. **श्री अजय विश्वास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण संबंधी सरकार की वर्तमान नीतियां अपर्याप्त हैं और वित्तीय संस्थानों और बैंकों से रियायती दरों तथा आसान शर्तों पर ऋण देने तथा उत्पादन शुल्क और अन्य शुल्क हटाने की आवश्यकता है ताकि पिछड़े क्षेत्र, देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का मुकाबला कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों के लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों से आसान शर्तों तथा कम ब्याज पर ऋण देने और उन क्षेत्रों से उत्पादन शुल्क हटाने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) सरकार का मत है कि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण के संवर्धन के लिये वित्तीय रियायतों और प्रोत्साहनों सहित बहुत से अभ्युपायों की आवश्यकता है। इस प्रकार वर्तमान इकट्ठी सुविधाओं में रियायती वित्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राज-सहायता, करों में छूट कच्चे माल के आयात के लिये विशेष सुविधाएं आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा, मशीनों की किराया खरीद के लिये सहायता, तकनीकी परामर्श और जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विस्तार सहायता हेतु केन्द्रीय कार्यक्रम हैं। रियायती वित्त के संबंध में नीचे दी गई तालिका आई० डी० बी० आई० द्वारा दिये गये प्रोत्साहन को दर्शाती है उदाहरणार्थ पिछड़े क्षेत्रों को :—

वर्ष	पिछड़े क्षेत्रों को दी गई सहायता (करोड़ रु० में)	दी गई कुल सहायता की अपेक्षा कालम 2 का प्रतिशत
1	2	3
1978-79	361.4	39.4
1979-80	577.3	47.9
1980-81	744.8	47.1

आधुनिकीकरण/पुनर्नवीकरण के लिये वित्तीय संस्थानों द्वारा चुने हुए पांच उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण दिये जाते हैं। वित्तीय संस्थानों द्वारा चलाई जा रही आसान शर्तों पर ऋण योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में स्थित एककों और अन्यों में कोई अन्तर नहीं है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की 20/9/1969 की बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को उत्पादन शुल्क में किसी छूट की अनुमति नहीं है चूंकि इसके स्थान पर अन्य आर्थिक राहतें जैसे कि राजसहायता और प्रत्यक्ष करों में छूट तथा करावकाश आदि ली जा चुकी हैं।

गुजरात में रुग्ण एकक

3799. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने औद्योगिक एककों ने 1978 से 1981 तक की अवधि के दौरान अपने आप को रुग्ण घोषित करने की मांग की है और उनके क्या नाम हैं;

(ख) इस तरह की मांग करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से कितने औद्योगिक एककों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है और औद्योगिक एककों को रुग्ण एकक घोषित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत औद्योगिक एककों को केन्द्र सरकार द्वारा रुग्ण घोषित किया जाए। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार बैंकों द्वारा पता लगाए गए रुग्ण एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक एकत्र करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 1980 के अन्त में गुजरात में स्थित 39 बड़े औद्योगिक एकक रुग्ण (प्रत्येक की ऋण सीमा करोड़ रुपये या अधिक) थे और दिसम्बर 1979 के अन्त में 856 लघु एकक रुग्ण थे।

ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने का मानदड

3800. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेड यूनियों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर ट्रेड यूनियनों की मांग है कि ट्रेड यूनियनों को गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिये ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यूनियनों को मान्यता देने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड तथा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि स्वरूप का पता लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न श्रमिक संगठनों के विचारों में मतैक्य नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास

3801. **श्री चिगवांग कोनयक :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में, किसी परियोजना का पता लगाया गया है और उसे वित्तीय सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्यम संबंधी विकास के संवर्धन और प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों पर आधारित प्राथमिकता वाले किन उद्योगों का चयन किया गया है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के स्थापित किए जाने वाले स्थान के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्तरपूर्वी औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लि० (एन० ई० आई० टी० सी० ओ०), आई० सी० आई० सी० आई० जिसके संस्थापकों में से एक है, के सहयोग से परियोजनाओं को चुनने में सहायता देने के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश ने हाल ही में उत्तर पूर्वी अंचल के लिये गोहाटी में अपना विकास कार्यालय खोला है। यह विकास कार्यालय प्रशिक्षण की आवश्यकताओं और इस क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों के निदान की देखरेख करेगा।

(ख) आई० सी० आई० सी० आई ने असम और मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर के लिये औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसने अभी तक उत्तरपूर्वी अंचल की 15 परियोजनाओं के लिये कुल 8.38 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।

(ग) एन. ई आई. टी. सी. ओ. जिसकी संस्थापना अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर आई. सी. आई. सी. आई. ने की है, उद्यमिता विकास और संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चला रहा है। आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों में संगत सहयोग देने का प्रस्ताव है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित क्षमता सर्वेक्षणों में इस अंचल की विभिन्न परियोजना संभाव्यताओं का बहुत विवेचन किया गया है।

1981 में इस्पात का उत्पादन

3802. **श्री तारिक अनवर क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि हमारे देश में 1981 में कच्चे इस्पात का अनुमानित उत्पादन 10.5 मिलियन टन हुआ है जो कि एक वर्ष का आज तक का सबसे अधिक उत्पादन है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : वर्ष 1981 में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 107.6 लाख टन हुआ था। यह उत्पादन अब तक के किसी एक वर्ष में हुए उत्पादन से सबसे अधिक था।

ट्रक तथा स्कूटर बनाने वाले कारखाने

3803. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने ट्रक तथा स्कूटर बनाने हैं और इनमें से कितने कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तथा उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को राज्यवार संख्या क्या है जिन्हें इन कारखानों ने ऐजेंसियां दी हैं और इसके लिए इन्होंने क्या मानदण्ड अपनाया है;

(ग) क्या ट्रकों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश किसी फर्म के विरुद्ध अनियमिततायें करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) चैसिस माडल के अनुरक्षण के बारे में क्या नीति निर्धारित की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन के लिए 8 एककों को लाइसेंस दिया गया है और वे उत्पादन कर रहे हैं। स्कूटरों के उत्पादन के लिए 16 एककों को लाइसेंस दिया गया है जिनमें से 7 एककों ने 1980-81 में कुल 2,26,132 नग उत्पादन होने की सूचना दी है। इनमें से एक-एक, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में है जिसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता प्रतिवर्ष 1,00,000 स्कूटरों और 30,000 तिपहियों के निर्माण की है। अन्य एकक गैर-सरकारी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में हैं।

(ख) एजेन्टों की नियुक्ति का मापदण्ड और नियुक्त किए गए एजेंटों की संख्या का निर्धारण संबंधित कम्पनियों द्वारा अपनी वाणिज्यिक नीतियों के अनुसार किया जाता है। इस मामले में सरकार जानकारी नहीं रखती है।

(ग) डीलर और निर्माण करने वाली कम्पनी के नाम के बारे में जानकारी के अभाव में प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

(घ) यह निर्णय लेना निर्माताओं का काम है कि उन्होंने किन माडओं का निर्माण करना है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी कापर काम्पलैक्स में पूंजी निवेश

38 4. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी कापर काम्लैक्स में अभी तक कितनी पूजी निवेश

किया गया है और क्या यह सच है कि इस काम्लैक्स में 1972-73 से 1978-80 के बीच 71.80 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, इतना अधिक घाटा होने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) खेतड़ी ताम्बा परियोजना में अब तक कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है तथा 1981 में कितना किया गया है तथा 1981 में कितना लाभ हुआ है अथवा घाटा हुआ है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) खेतड़ी कापर कम्पलैक्स में 31-3-1981 तक कुल पूंजी निवेश 136.42 करोड़ रुपए है। यह सही है कि कम्लैक्स को 1972-73 से 1979-80 की अवधि में 71.86 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) प्रद्रावक में स्थापना के समय से प्रौद्योगिकी की कठिनाइयां।
(2) 1978 में मध्य में विस्फोटकों की कमी।
(3) 1979-80 से बिजली की अत्यधिक कमी।
(4) औद्योगिक संबंध की समस्याएं।
(5) खानों में प्रोसेस संयंत्रों की क्षमताओं में असंतुलन।
(6) आदान सामग्री की लागतों में वृद्धि होना लेकिन उसके अनुरूप तांबे के मूल्य में वृद्धि नहीं होना।

चूंकि यह भूमिगत धातु खनन की सरकारी क्षेत्र में पहली बड़ी परियोजना थी अतः प्रारंभ में व्यावहारिक अनुभव के अभाव की भूमिका रही। प्रद्रावक को भी प्रौद्योगिकी संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार कम्पनी को जो घाटा हुआ वह अनिवार्यतः और पूरी तरह सामान्य कार्यकलापों के दौरान हुआ और उसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) खेतड़ी कापर कम्पलैक्स में 1975-76 से 1980-81 के दौरान ब्लिस्टर तांबे के उत्पादन में क्षमता उपयोग इस प्रकार रहा :—

यूनिट टन

वर्ष	प्रतिशत क्षमता उपयोग
1975-76	30
1976-77	25
1977-78	22
1978-79	34
1979-80	38
1980-81	46

खेतड़ी कापर कम्पलैक्स को 1980-81 में 7.71 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

3805. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री राम विलास पासवान :

श्री चित्त महाटा : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में मुक्त किये गये 13000 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित अनुदान सहायता की कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) उनके पुनर्वास पर राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1981-82 के दौरान 15.3.82 तक 18,620 बंधुआ मजदूरों के लिए 2,31,36, 125 रुपये की बराबर-बराबर की अनुदान सहायता राशि राज्य सरकारों को रिलीज की गई ।

(ख) 13.3.81 तक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

बन्धुआ मजदूरों को फिर से बसाने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना 15.3.82 तक राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता संबंधी स्थिति

राज्य	केन्द्रीय वित्तीय सहायता	
	फिर से बसाए जाने वाले बंधुआ मजदूरों की संख्या	राज्य सरकारों को दी गई राशि (रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	1724	24,14,175
2. बिहार	361	5,41,500
3. कर्नाटक	6418	69,34,950
4 केरल	152	1,52,000
5. मध्य प्रदेश	120	1,71,000
6. उड़ीसा	6045	90,62,500
7. राजस्थान	35	36,000
8. तमिलनाडु	—	—
9. उत्तर प्रदेश	3764	38,24,000
जोड़	18,620	2,31,36,125

सैन्ट्रल फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो का कलकत्ता से दिल्ली अन्तरण

3807. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेन्ट्रल फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो को कलकत्ता से दिल्ली अन्तरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यालय के कर्मचारियों ने इसके दिल्ली स्थानान्तरण पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय के अन्तरण पर पुनर्विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को ऐसे प्रस्ताव पर अभी विचार करना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि नवम्बर 1981 में हुई कर्मचारी परिषद की बैठक में केन्द्रीय अंगुली-छांप ब्यूरो के प्रतिनिधियों ने ऐसे स्थानान्तरण का अनुरोध किया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों और ड्राइवरों के लिए टेरीकाट की वर्दियां

3808. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, ड्राइवरों आदि को, जो ऐसी वर्दी पाने के हकदार हैं, टेरीकाट की वर्दियां देने का है; और

(ख) यदि हां तो ऐसी वर्दी कब तक दी जायेगी और कितनी अन्तरावधि के बाद ऐसी वर्दी दी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) : समूह ग के पात्र कर्मचारियों और समूह घ के कतिपय वर्गों के कर्मचारियों को टेरीकाट की वर्दियां दिए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

जाली यूनिट

3809. **श्री के० टी० कोसलराम :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० आई० सी० सी० आई० के आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि रंग-सामग्री, "सियेटिंग रेजिन" हैंडलूम, चीनी मिट्टी के बर्तन, रबड़ और उसके उत्पादों और पोर्सिलेन के जाली कारखाने चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के महासंघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) ने एक ऐसा प्रकाशन जारी किया है जो एक गैर सरकारी दस्तावेज है।

(ख) पंजीकृत प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न सरकारी अभिकरणों में पजीकृत लघु औद्योगिक एककों के कार्य निष्पादन की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है ताकि ऐसे एककों का नाम सूची में से निकाल दिया जाए जिन्होंने कार्य करना बन्द कर दिया है।

ओखला चरण-2, नई दिल्ली में शेडों का आवंटन

3810. **श्री आर० वाई० वोरपडे :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला चरण-2, नई दिल्ली में उद्यमियों को शेड किस वर्ष में आवंटित किये गये थे;

(ख) इन शेडों को किन शर्तों पर आवंटित किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा शेडों को किराया खरीद के आधार पर बेचने तथा शेडों के मूल्य उद्यमियों द्वारा सरल किश्तों पर भुगतान करने के बारे में कोई आश्वासन दिया गया था;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन शेडों का मूल्य अब तक निर्धारित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भूतपूर्व सरकार द्वारा चलाये गये मामलों के अभी तक न्यायालयों में विचाराधीन पड़े रहने के क्या कारण हैं जिनके कारण उद्यमियों को परेशानी हो रही है;

उद्योग तथा इपात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 1974-75

(ख) मासिक किराया आधार पर।

(ग) जी नहीं फिर भी, 8-3-1977 को यह घोषित किया गया था कि ये शेड किराया खरीद आधार पर उद्यमियों को दिये जायेंगे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) लोक परिसर। (अनधिकृत कब्जे को बेदखल करना) अधिनियम, 1971 के अधीन दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास नियमों द्वारा उन उद्यमियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है जो किराया/किराया खरीद की किश्तें नहीं दे रहे हैं।

संघ शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा

3811. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री राम सिंह यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ शासित क्षेत्रों में अर्थात् पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, गोआ और मिजोरम में किसी को राज्य का दर्जा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। इन पर सम्पूर्ण परिस्थितियों और अन्य सम्बन्धित तत्वों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर योजना प्राथमिकताओं का पुनरीक्षण

3812: **श्री जयनारायण रौत :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के आधार पर योजना प्राथकिकताओं की पुनरीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) नए 20-सूत्री में छठी पंच-वर्षीय योजना में शामिल अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित दिया गया है और इसलिए इसमें योजना की मूल प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा नहीं की गई है। तथापि वर्ष 1982-83 में योजना की मध्यावधि समीक्षा करने का प्रस्ताव है और इस अभ्यास के भाग के रूप में प्राथमिकताओं की भी समीक्षा की जाएगी।

छेदा नगर और चेम्बूर, बम्बई में नमक विभाग की भूमि पर मैर सरकारी आवासीय समितियों के मकान

3813. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक बड़ी आवासीय कालोनी है, अर्थात चैम्बूर बम्बई में छेदा नगर, जिनमें बहुत सी गैर सरकारी आवासीय समितियां मौजूद है;

(ख) क्या यह सच है कि यह भूमि नमक विभाग की हैं;

(ग) यदि हां, तो इस भूमि पर कितनें गैर सरकारी आवासीय मकान बने हुए हैं;

(घ) क्या यह सच है मि जब गेर सरकारी आवासीय समितियों ने यह भूमि छेदा लोगों से खरीदी थी तो उन्हें कानून के अन्तर्गत पब्लिक नोटिस दिये गये थे और केन्द्रीय सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की थी;

(ङ) क्या यह सच है कि अब केन्द्रीय सरकार ने आपत्ति उठाई है जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य ठप्प हो गया है और वहां नागरिक सुविधायें बन्द कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कदम उठाने का है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) चैम्बूर, बम्बई की भूमि पर काफी बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं।

(घ) जी नहीं। भारत सरकार ने आपत्ति उठाई थी।

(ङ) और (च) भूमि के स्वामित्व का प्रश्न वर्तमान में बम्बई हाईकोर्ट में अनिर्णित पड़ा हुआ है और मामला न्यायाधीन है।

हिन्दुस्तान कापर के अधिकारी जो जाम्बिया गए

3814. **श्री दिगविजय सिंह** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर में काम करने वाले 75 अधिकारी गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा हिंदुस्तान कापर को पुनर्जीवित करने तथा इसे एक लाभप्रद संयंत्र बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1979-80 में 99 कार्मिक हिन्दुस्तान कापर लि० छोड़कर चले गए। इनमें से 56 व्यक्ति विदेश चले गए हैं तथा इनमें से अधिकांश मुख्यत: जाम्बिया गए हैं। कुछ विषयों में प्रवीण कार्मिकों की विश्वव्यापी कमी है इसलिए कुछ कार्मिकों का देश-विदेश आना-जाना अप-

रिहार्य है । इस मामले पर जाम्बिया के अधिकारियों से लिखा-पढ़ी की गई तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि भविष्य में जाम्बिया की तांबा खनन कंपनियां भारत से कर्मचारियों की सीधी भर्ती न करके अपनी जरुरत भारत को सूचित करेगी ताकि भारत सरकार उपक्रमों के परामर्श से यह निर्णय कर सके कि कितने व्यक्तियों को विदेश जाने के लिए छोड़ा जा सकता है । हिन्दुस्तान कापर लि० से कार्मिकों के बाहर जाने की समस्या को काफी सीमित कर दिया गया है। हिन्दुस्तान कापर लि० की मुख्य समस्या अपर्याप्त बिजली की है, जिसके फल-स्वरूप खान विकास पर विपरीत असर पड़ा है और तांबा सान्द्रों का आयात आवश्यक हो गया है । 1982 में एक नई यानी यालंजखंड ताम्र परियोजना के चालू होने से देशी सान्द्रों की उप-लब्धि बढ़ जाएगी जिससे प्रदावक को, यदि बिजली की पूर्ति सुनिश्चित रही तो देशी सान्द्र उत्पादन प्रद्रावक की क्षमता के बराबर हो जाएगा ।

कोटा की परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता

3815. **श्री रामसिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रावत भाटा (कोटा) परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट सं० 1 और 2 प्रत्येक की विद्युत उत्पादन जधिकतम क्षमता 200 मे० वा० है;

(ख) इन यूनिटों की जनवरी, 1982 से जनवरी, 1982 तक की अलग-अलग, माहवार, विद्युत उत्पादन के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन यूनिटों के कार्यकरण के दोषों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों में से प्रत्येक की अनुमत क्षमता 220 मेगावाट (सकल) है ।

(ख)

महीना	सकल उत्पादन	
	पहला यूनिट	दूसरा यूनिट*
जनवरी, 1981	4.256	54.180
फरवरी, 1981	101.694	25 165
मार्च, 1981	66 135	77.651
अप्रैल, 1981	82.171	58.551
मई, 1981	90-283	69 951
जून, 1981	35.298	43.708
जुलाई, 1981	48.321	63.841
अगस्त, 1981	26.992	94.534
सितम्बर, 1981	48.981	76.421
अक्तूबर, 1981	कुछ नहीं	79.597
नवम्बर, 1981	कुछ नहीं	61.461
दिसम्बर, 1981	कुछ नहीं	86.822
जनवरी, 1982	3.204	41.823

*दूसरे यूनिट ने व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1-4-1981 से शुरू किया था ।

(ग) बिजलीघर के प्रचालन से संबंधित कठिनाइयों की पुनरीक्षा लगातार की जाती रहती है तथा सिस्टमों/उपस्करों में आवश्यक सुधार किए जाते हैं ।

संविधान के हिन्दी संस्करण की प्रामाणिकता

3816. **श्री कमलनाथ : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय संविधान के मूल हिन्दी संस्करण, जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, को प्रमाणित मानने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे संविधान के हिन्दी संस्करण को प्रमाणिकता के बारे में विवाद दूर हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस विषय पर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से विचार-विमर्श चल रहा है। उनकी मंत्रणा प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाही की जाएगी ।

देश में कागज की मांग

3817. **श्री सज्जन कुमार : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज के कारखाने देश में कागज की माँग को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कागज की अनुमानित मांग क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बढ़ती कागज की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 की कागज और कागज गत्ते की देशी मांग का अनुमान लगभग 12.60 लाख मी० टन लगाया गया है। यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो मांग पूरी करने के लिए देश में होने वाला उत्पादन काफी था तथा केवल थोड़ी सी मात्रा का ही आयात किया गया था।

(ग) सरकारी क्षेत्र में कागज परियोजनाएं चलाने के अलावा सरकार ने कागज के उत्पादन के लिए क्षमता की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) द्वितीयक कच्चे माल पर आधारित ऐसी कागज की मिलों की स्थापना को बढ़ावा देना, जिनमें विदेशी मुद्रा व्यय निहित नहीं है उनको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(2) 30 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्रों के आयात की सुविधा 31/3/81 तक दी गई थी तथा इसके परिणामस्वरूप काफी अतिरिक्त क्षमता स्थापित हो गई। चूंकि पर्याप्त क्षमता स्थापित हो गई थी तथा देशी क्षमता का विकास करने की दृष्टि से यह योजना 31/3/1981 के पश्चात वापिस ले ली गई थी।

(3) लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है।

(4) कागज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रद्दी पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है।

(5) गैर परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने वाली छोटी कागज मिलों को उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है।

(6) कागज बनाने के लिए खोई के उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं।

इन कदमों के परिणामस्वरूप वर्ष 1984-85 तक अधिष्ठापित क्षमता के लगभग 35 लाख मी० टन के स्तर तक बढ़ जाने की आशा है जबकि छठी योजना में 20.5 लाख मी० टन का लक्ष्य रखा गया है।

इस्पात उद्योग में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की सम्भावना

3818. **श्री रेणुपद दास** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, अमरीका और यूरोप के कुछ विकसित देशों में स्टील उद्योग में न्यूक्लियर ऊर्जा के उपयोग की निकट सम्भावना को ध्यान में रखते हुये स्टील उद्योग में न्यूक्लियर ऊर्जा के उपयोग के बारे में अब तक कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या दुर्गापुर में न्यूक्लियर ऊर्जा के विकास का प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

भूमिहीन व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

3819. **श्री राम लाल राही** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन परिवारों के सदस्यों के लिये जिनके पास एक "बीघा" भूमि भी नहीं है और जो भूमिहीन व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं और शिक्षित हैं परन्तु बेरोजगार हैं, सरकारी सेवाओं में नौकरियों के आरक्षण के लिये कोई कानून बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूप रेखा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ई० एस० आई० और ई० पी० एफ० लाभ

3820. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** :

श्री आर पी. यादव : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लाभ एक जैसे हैं;

(ख) यदि हां, तो भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के बोनस मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय क्यों नहीं लिया गया है जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के बोनस मामले पर निर्णय लिया जा चुका है; और

(ग) भविष्य निधि कर्मचारियों को ई. एस. आई. सी. कर्मचारियों की तरह बोनस पर फैसला करने में सरकार का कितना समय लगेगा ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दोनों संगठनों के कर्मचारियों की उत्पादकता सम्बद्ध बोनस का भुगतान करने का फैसला पहले ही हो चुका है और इस उद्देश्य के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें कहा गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मामले में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद से योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था और कुछ संशोधनों के साथ इस योजना का अब अनुमोदन कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक योजना तैयार की थी। तथापि, सरकार ने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा योजना की जांच करना या इसे नये सिरे से तैयार करना वांछनीय होगा। इस परिषद ने यह कार्य शुरू कर दिया है और इस कार्य के शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है।

परमाणु ऊर्जा की क्षमता

3821. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक परमाणु ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या सरकार किसी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) इस समय परमाणु बिजलीघरों की कुल स्थापित क्षमता 880 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, तीन परमाणु बिजलीघरों का निर्माण-कार्य विभिन्न प्रावस्थाओं में चल रहा है। इनमें से प्रत्येक बिजली घर में दो यूनिट होंगे तथा प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी।

(ख) छठी योजनावधि के दो नए बिजलीघरों का निर्माण हाथ में लेने का प्रस्ताव है। सरकार ने इन्हें लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों के बारे में सिफारिश देने के वास्ते एक स्थल-चयन समिति बनाई है।

प्योर ड्रिंक्स कम्पनी द्वारा वलसाड, गुजरात के निकट एक संयंत्र की स्थापना

3822. **श्री मंगल राम प्रेमी :**

श्री आर० एम० राकेश :

श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्योर ड्रिंक्स कम्पनी गुजरात में गलसाड के निकट एक संयंत्र की स्थापना कर रहा है जैसा कि 30 दिसम्बर, 1981 को गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में निर्मित चमड़े के निर्माण हेतु लाइसेंस

3824. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से पश्चिमी बंगाल लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा स्थापित तंग्रा के कांमन फेसेलिटी सेन्टर में निर्मित चमड़े की वस्तुएं तैयार करने के लिए लाइसेंस हेतु कहा है;

(ख) यदि हां तो केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया और निर्णय क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को लाइसेंस कब तक जारी किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क)

पश्चिम बंगाल राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम ने उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अधीन 6 पगलाडांगा रोड, कलकत्ता में स्थित सामान्य सुविधा केन्द्र में चमड़ा तैयार करने के लिए लाइसेंस हेतु एक आवेदन दिया था।

(ख) सरकार आवेदन के पक्ष में विचार करने की स्थिति में नहीं है और आवेदक को प्रथम दृष्टया अस्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में औद्योगिक क्षमता के लिए कार्यदल

3825. श्री **ओस्कर फर्नांडीस : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के पिछड़े तालुकों में औद्योगिक सम्भावनाओं के अध्ययन के लिए कार्यदल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में नाभिकीय संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बेलगाम, तुमकुर, दक्षिण कनारा और गुलबर्गा जिलों का राज्य सरकार के अनुरोध पर गहन औद्योगिकीकरण करने के लिए पता लगाया है। केन्द्रीय सरकार ने परियोजना की सम्भावनाओं से संबंधित रिपोर्ट के वास्ते जो कि इन जिलों में आरम्भ की जा सकती है, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को मिलाकर एक कृतिक बल का गठन किया है। कृतिक बल इस समय कार्य कर रहा है।

कोल माइन्स रेस्क्यू कमेटी, धनबाद के चेयरमैन द्वारा नियमों का उल्लंघन

3826. **श्री डी० पी० यादव : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कमेटी, धनबाद के भूतपूर्व चेयरमैन (वर्तमान निदेशक माइन्स सेफ्टी धनबाद) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्तियों के दुरुपयोग, सरकारी नियमो के उल्लंघन, सरकारी रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ आदि के स्पष्टतः 52 मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध अभिकथित भ्रष्टाचार/अधिकारों के दुरुपयोग, सरकारी

नियमों के उल्लंघन आदि के बारे में 52 आरोपों की एक सूची माइन्स रेस्क्यू स्टेशन्स कर्मचारी संघ से प्राप्त हुई है। खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद से इन आरोपों की प्रारम्भिक जांच करने के लिए कहा गया है। आपेक्षित जांच पूरी हो जाने पर सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी, की जायेगी।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट

3827. **प्रो० सत्यदेव सिंह :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की शेष रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों तथा उन पर लिये गये निर्णय को सभा पटल पर अब तक न रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन सिफारिशो को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की शेष 7 रिपोर्टों में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। सरकार शेष 7 रिपोर्टों को लोकसभा के पटल पर रखने के सम्बन्ध में निर्णय उनकी जांच पूरी हो जाने के बाद लिया जा सकेगा।

मजदूरों को उपदान

3828. **ईरा मोहन :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजदूरों को उपदान की पात्रता का निर्धारण वर्ष में 240 दिनों की अनिवार्य उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 50 साप्ताहिक छुट्टियां, 12 दिन की राष्ट्रीय छुट्टियां, 14 दिनों की अर्जित छुट्टियां तथा 90 दिन की कर्मचारी राज्य बीमा छुट्टी (कुल 168 दिन) पाने वाला मजदूर उपदान के लिए हकदार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ये छुट्टियां पाने वाले मजदूरों को उपदान से वंचित रखा जाता हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) उपदान संदाय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) और (2) इस प्रकार हैं—

4. (1) कम-से-कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसको—

(क) असकी अधिवर्षिता पर; अथवा

(ख) उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर, अथवा

(ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निःशक्तता पर, उपदान संदेय होगा :

परन्तु पांच वर्ष की निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होगा जहां किसी कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या निःशक्तता है :

परन्तु यह और कि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसे सदेय उपदान उसके नामनिर्देशिती को अथवा, यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो, उसके वारिसों को दिया जाएगा ।

सपष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए निःशक्तता से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए असमर्थ बना देती है जिसे वह उस दुर्घटना या रोग के पूर्व, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई है, करने के लिए समर्थ था ।

4. (2) नियोजन कर्मचारी को, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अथवा छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा सबसे अन्त में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित पन्द्रह दिनों की मजदूरी की दर से उपदान देगा :

परन्तु मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यावसान के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की कालावधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जायेगी और योजना के लिए, किसी अतिकालिक कार्य के लिए संदत्त गणना में नहीं ली जाएगी :

परन्तु यह और कि मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी की दशा में, नियोजक प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन की मजदूरी की दर से उपदान का संदाय करेगा ।

"सेवा का सम्पूरित वर्ष" और "निरन्तर सेवा" शब्दावलियों की अधिनियम में इस प्रकार परिभाषा की गई है -

"धारा 2 (ख)" सेवा का सम्पूरित वर्ष" से एक वर्ष की निरन्तर सेवा अभिप्रेत है;

धार 2 (ग) "निरन्तर सेवा" से अभिप्रेत है अविच्छिन्न सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, कामबन्दी, हड़ताल अथवा तालाबन्दी अथवा कार्यावरोध जो सम्बन्धित कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या पश्चात् ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो एक वर्ष से अविच्छिन्न सेवा में नहीं है, तब यह समझा जायेगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब वह उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी नियोजक द्वारा --

1. यदि किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित हो तो कम-से-कम 190 दिनों के लिए, अथवा

2. किसी अन्य दशा में, तब के सिवाय जब कि वह किसी मौसमी स्थापन में नियोजित हो, कम-से-कम 240 दिन के लिए,

वास्तव में नियोजित किया गया हो।

स्पष्टीकर 2—किसी मौसमी स्थापन के कर्मचारी के बारे में तब यह समझा जायेगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब उसने उन बदनों के, जिनमें वह स्थापन उस वर्ष के दौरान चालू रहा, कम-से-कम पचहत्तर प्रतिशत दिन वास्तव में काम किया है :

हाल ही में "लालप्पा लिंगप्पा तथा अन्य और लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल मिल्स" के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि—

> "स्थायी कर्मचारी अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उन वर्षों के लिए उपदान का भुगतान पाने के हकदार नहीं हैं, जिनके दौरान वे बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहे और उन्होंने वास्तव में एक वर्ष में 240 दिनों से कम कार्य किया था।"

मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप

3829. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **गृह मन्त्री** मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र के बारे में 9 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन में लगाये आरोपों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और जांच के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की टिप्पणियों की जांच करने के बाद मामले को समाप्त मान लिया है। इस सम्बन्ध में विवरण बताना लोकहित में नहीं होगा।

राजस्थान में खनिजों पर आधारित उद्योगोंकी स्थापना

3830. **श्री बिखा राम फुलवारिया :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैलोर और सिरोही जिलों में अनेक खनिजों जैसे टंगस्टन, ग्रेनाइट, लैंड सीमेंट पत्थर, चूना पत्थर आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का वहां इन खनिजों पर आधारित बड़े उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और प्रस्तावित उद्योगों पर भी अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) क्या यह सच है कि प्राइवेट फर्मों का इन खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो वे फर्म कौन हैं जिन्होंने उनके लिए पंजीकरण किया हुआ है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार के अनुसार सिरोही जिले में टंगस्टन निक्षेपों की खोज, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अभी भी की जा रही है। इसलिए इस खनिज पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने का अभी कोई विचार नहीं है। जालौर जिले में ग्रेनाइट भंडार हैं, जहां पर मै० राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के अधीन ग्रेनाइट पालिश कारखाना पहले से है। इन ग्रेनाइट भंडारों पर आधारित ग्रेनाइट चिराई और ग्रेनाइट पालिश के दो संयंत्र हेतु जोधपुर में पहले से हैं, एक गैर-सरकारी क्षेत्र और दूसरा सरकारी क्षेत्र में है। सीमेंट का चूना पत्थर सिरोही जिले में मिलता है जहां 5 लाख टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट कारखाना बनाया जा रहा है। सिरोही जिले में निकट भविष्य में दो और सीमेंट कारखाने किवरली और और कुणाल क्षेत्र में लगाए जाएगे तथा सफेद सीमेंट के भी दो कारखाने खोले जाने की आशा है। इनकी साध्यता रिपोर्ट बन रही है। साध्यता की पुष्टि के बाद ही समय और लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। उपर्युक्त सभी सीमेंट कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे। रजिस्टर्ड फर्मों की संख्या का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

बान्द्रा और अंधेरी बम्बई के बीच रेलवे की अतिरिक्त लाइनें

3831. **श्री वी० एन० गाडगिल : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई में बान्द्रा और अंधेरी के बीच रेल की अतिरिक्त लाइनें बिछाने (पेयर आफ लाइन्स) की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। छठी योजना में इस स्कीम के लिए धनराशि आवंटित करना अब तक संभव नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश में स्पंज लोहा इस्पात काम्पलेक्स

3832 **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार और प्राइवेट पार्टी के संयुक्त उद्यम द्वारा छिंडवारा, मध्य प्रदेश में खोले जाने वाले स्पंज आयरन-स्टील काम्पलेक्स की क्या स्थिति है;

(ख) इसमें कौनसा प्रोसेज प्रयोग में लाया जाएगा और कितना उत्पादन होगा; और

(ग) क्या यह मैकनिकों की भांति डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस का प्रयोग करेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय वर्ष 1978 में मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 1,20,000 टन स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लि० द्वारा किये गये आवेदन से है। चूंकि निगम ने स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया और विदेशी सहयोग के बारे में आवश्यक सूचना नहीं दी थी, अतः सरकार ने उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार कर दिया था।

पादार खान में चोरी

3833. **श्री रशीद मसूद : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पादार खानों से उत्तम किस्म के नीलम की चोरी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और नीलम की चोरी के कारण वार्षिक क्षति का ब्यौरा निर्धारण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :

(क) जम्मू और कश्मीर सरकार ने बताया है कि उन्हें किसी चोरी की जानकारी नहीं है तथा राज्य पुलिस खान स्थलों की सुरक्षा के लिए तैनात है।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आसाम छात्र नेताओं की गिरफ्तारी

3834. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्री हरीश रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 दिसम्बर, 1981 को प्रधान मंत्री की विपक्षी नेताओं के साथ हुई बैठक में सरकार ने आसाम में 'विदेशियों के मामले' पर एक त्रिपक्षी बैठक बुलाने की

घोषणा करने के बाद आसाम के छात्र नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गिरफ्तारियों ने विपक्षी बैठक का उद्देश्य निरर्थक कर दिया है; और

(ग) आसाम में स्थिति को सामान्य करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) असम सरकार द्वारा भेजी गई सूंचना के अनुसार राज्य को सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति तथा सेवाएं बनाये रखने के किसी प्रतिकूल ढंग से कार्य करने के कारण 10.12.81 से 7.1.82 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के परन्तुकों के अधीन 12 छात्रों को नजरबंद किया गया था। इन सभी को रिहा किया जा चुका है।

(ख) जी नहीं श्रीमान। जनवरी और फरवरी, 1982 में संयुक्त बैठक के दो दौर हुए।

असम में विदेशी राष्ट्रिकों का कोई संतोषजनक हल ढूंढ़ने के प्रयास जारी हैं। संयुक्त बैठक का दूसरा दौर शीघ्र किये जाने का विचार है। इसके अतिरिक्त असम सरकार ने राज्य में विधि व व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये हैं।

लघु उद्योगों संबंधी स्थाई समिति

3835. **श्री अजित बाग क्या : उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड से हाल में एक प्रवर समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) लघु उद्योगों को कच्चे माल के आवंटन के बारे में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

1. लघु क्षेत्र के आधार और सीमा से हुंई वृद्धि को देखते हुए वर्ष 1972 में सरकार को प्रस्तुत की गई लघु क्षेत्र से संबंधित कानून बनाने वाली समिति की रिपोर्ट ने समाविष्ट जानकारी तथा आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया जाए।

2. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु एककों के समान शर्तों पर ही राज्य लघु उद्योग निगमों को निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

3. विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वारा लघु एककों को कच्चे माल के वितरण की मानीटरिंग करने के लिए राज्य लघु उद्योग निगमों की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाएं ।

4. कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाया जाना चाहिए ताकि यथा संभव विभिन्न प्रकार के एककों पर लगे औपचारिक प्रतिबंध में छूट देने पर विचार किया जा सके ।

(ग) राज्य सरकारों/राज्य के लघु उद्योग नियमों को महत्वपूर्ण कच्चा माल विभिन्न एककों से उनकी पिछली खरीद तथा प्रत्येक को उपलब्ध कराई गई इन कच्चे माल की मात्रा को देखते हुए उनसे प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है ।

औद्योगिक संबंध विधेयक

3836, **श्री बासुदेब आचार्य** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद के बजट सत्र में एक विस्तृत औद्योगिक जंबंधी विधेयक लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आटोमोबाइल उद्योगों की स्थिति और कीमतों में वृद्धि

3837. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आटोमोबाइल उद्योग की कारों के निर्माण के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कीमतों में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खनन मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारत में निर्मितकारों के वर्तमान माडल विकसित देशों में कारों के माडलों के समकालीन नहीं हैं ।

(ख) 1-1-81 तथा 1-1-82 को दिल्ली में अम्बेसडर और प्रीमियर कारों के खुदरा मूल्य इस प्रकार हैं :—

	1-1-81 को मूल्य	1-1-82 को मूल्य
अम्बेसडर	57,864	73,525
प्रीमियर पद्मिनी	63,492	69,427

(ग) सरकार ने मारुति उद्योग लि० की स्थापना नवीनतम प्रौद्योगिकी से कम मूल्य की ईंधन दमता वाली यात्री कारों का निर्माण करने के उद्देश्य से की है। इस परियोजना से भारतीय मोटर उद्योग के उन्नयन में सहायता मिलेगी। सरकार ने वर्तमान निर्माताओं को बढ़ते मूल्यों पर अंकुश लगाने की जरूरत पर भी बल दिया है और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से इस मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

पुलिस फोर्स में असंतोष

3838. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में पुलिस फोर्स में मौजूद असंतोष और कई राज्यों में पुलिस कर्मियों द्वारा शुरू किये गये आंदोलनों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस कर्मियों द्वारा उठाये गये मामले क्या हैं;

(ग) क्या सरकार पुलिस कर्मियों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई सुधार लाने का विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश के पुलिस बलों में कोई असंतोष व्याप्त नहीं है। फिर भी, कुछ राज्यों में कभी-कभी असंतोष और आंदोलनों के मामले देखने में आये हैं।

(ख) पुलिस कर्मियों द्वारा उठाए गए मामले मुख्य रूप से उनकी एसोसिएशनों को मान्यता देना, रहन-सहन को बहतर दिशाएं वेतन आयोग की रिपोर्टों को अनियमिताओं को दूर करना और बेहतर वेतन और भत्ते हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से अपने पुलिस कर्मियों की शिकायतों की जांच करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उपर्युक्त उपचारों उपाय करने तथा सम्पूर्ण रूप से अपने साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने की आशा की जाती है।

जिला सलेम, तमिलनाडु में स्टेनलेस स्टील पर रोक

3839. **श्री के० अर्जुनन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सलेम जिला में स्टेनलेस स्टील का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों पर रोक लगा दी गई है, जहां सलेम स्टील प्लान्ट स्थित है और स्टेनलेस स्टील का उत्पादन कर रहा है; और

(ख) क्या सरकार कम से कम सलेम जिले के मेटुर तालूक में स्टेनलेस स्टील संबंधित लघु और मध्यम पैमानों के उद्योगों को शुरू करने हेतु इस रोक को हटाने पर विचार करेगी क्योंकि मेटुर तालुक में मेचेरी खौर कोलापुर पिरकाज सभी दृष्टियों से अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) स्टेनलेस स्टील उपयोग करके कुछ और वस्तुएं बनाने के लिए अतिरिक्त नई क्षमता स्थापित करने को निरुत्साहित किया गया है क्योंकि देश में स्टेनलेस स्टील की पूर्ति पर्याप्त नहीं है। ऐसे प्रतिबंधों से संबंधित नीति देश की समग्र मांग और पूर्ति पर आधारित है और केवल इस आधार पर कि कच्चे माल का उत्पादन किसी क्षेत्र के नजदीक किया जाता है कोई छूट देना सम्भव नहीं है किंतु चूंकि अब देश में स्टेनलेस स्टील के उत्पादन और उसकी उपलब्धता स्थिति में सुधार हुआ है अतः सम्बन्धित प्राधिकरणों के परामर्श से प्रतिबंध लगाये रखने सम्बन्धी स्थिति की संवीक्षा की जा रही है।

तिहाड़ जेल, दिल्ली के लिये जैल मैनुअल का पुनरीक्षण

3840. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल, दिल्ली के लिये जेल मैनुअल का पुनरीक्षण किया गया, उसे अद्यतन बनाया गया है, और उसे प्रकाशित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) तिहाड जेल के लिए इस समय पंजाब जेल मेनुअल में निहित उपलब्ध लागू हैं। दिल्ली प्रशासन ने जेल को विद्यमान प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण करने और उसके कार्यकरण में सुधार के तरीके सुझाने के प्रयोजन के लिए अक्तूबर 1981 में गठित एक समिति को जेल मैनुअल में संशोधन का कार्य सौंपा है।

डी० आई० सीज के अन्तर्गत जिलों में चुने गये उद्योग

3841. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डी० आई० सीज के अन्तर्गत कितने जिलों में ब्लाक अधिकारियों ने उद्योग को चुना है, जो कि ब्लाक से सम्बद्ध हैं और जिनके बारे में केंद्र को सूचित किया है; और

(ख) क्या वह यह भी बतायेंगे कि जिन क्षेत्रों में डी० आई० सीज नहीं बनाये गये वहां ग्रामीण उद्योग स्थापित करने में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम के संयोजन (कोआर्डीनेटर) के रूप में विकास आयुक्त, लघु उद्योग को अब तक 275 जिला उद्योग केंद्रों से कार्यवाही योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन कार्यवाही योजनाओं में जिले के स्त्रोतों तथा पता लगाये गये सम्भावित उद्योगों की रूप रेखा बनाई गई है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के पास अलग से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ब्रह्मपुत्र पर भोमोरगुड़ी में पुल

3842. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कपा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र पर भोमोरगुड़ी में पुल की लम्बाई और उसे पूरा करने की तारीख क्या है और इस पुल की लागत क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : सड़क-पुल की लम्बाई 3.5 किलो मीटर है जिसमें 28 × 120 मीटर के पाट और 67.5 मीटर के दो तट पाट हैं। सड़क-पुल के 1987 तक पूरा होने की सम्भावना है। इस पुल की नवीनतम अनुमानित लागत 67.04 करोड़ रुपये है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, दिल्ली के नर्सिस होस्टल में चोरी

3844. **श्री बिहार सिंह** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जनवरी 1982 को पश्चिम दिल्ली में बसई दारापुर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के नर्सिस होस्टल के कमरों में सेंध लगा कर चोर घुस गये थे और बहुमूल्य वस्तुओं को चुरा लिया था और बाद में एक डाक्टर को उसके घर में चोरी करते समय घायल कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के होस्टल में कितनी बार चोरी की गई और कितने मूल्य की वस्तुएं चुराई गयी और अब तक कितने चोरों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इस अस्पताल में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। चुराई गई सम्पत्ति को अस्पताल के परिसर में छोड़ दिया गया था और कोई नुकसान नहीं हुआ। एक चोर को दबोचते समय एक डाक्टर को मामूली चोटें आई।

(ख) 23-1-1982 को हुई चोरी सहित दो चोरियां हुई। यह सूचित किया गया है कि 15/16-10-81 को हुई पहली चोरी में 5,000/- रुपये और अन्य कीमती वस्तुएं चुराई गई। तथापि, चोर को अभी तक पकड़ा नहीं गया है।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) मोती नगर पुलिस स्टेशन से पुलिस की गश्त नियमित रूप से कराने की व्यवस्था की गई है।

(2) कम्पस में एक पुलिस बीट बाक्स स्थापित किया जा रहा है।

(3) रात्रि के समय नर्सों/डाक्टरों के होस्टलों के पिछवाड़े निगरानी रखने के लिए एक और चौकीदार की नियुक्ति की गई है।

(4) कैम्पस के सभी चौकीदारों को टाच, सीटियां तथा लाठियां दी गई हैं।

(5) कैम्पस में समय-समय पर आकस्मिक जांच-पड़ताल की जाती है ताकि यह पता लग जाय कि चौकीदार ड्यूटी पर है अथवा नहीं।

(6) डाक्टरों के होस्टल के पिछले गेट को बन्द कर दिया गया है।

(7) फलड लाइटों की व्यवस्था की जा रही है।

सोना और हीरों की खानों का दोहन करने में घाना को सहायता

3845. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाना के अपने देश में सोना और हीरे की खानों का दोहन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में भारत की सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो भारत ने अब तक घाना को किस तरह की सहायता दी है;

(ग) क्या सरकार का विचार धाना को तकनीकी जानकारी देने और इन खानों का दोहन करने में सहायता देने का है;

(घ) यवि हां, तो क्या भारत द्वारा इस प्रयोजन के लिए घाना में कोई सहयोग आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) अक्तूबर, 1981 में घाना गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हुए

विचारविमर्श के फलस्वरूप एक भारतीय शिष्टमण्डल ने दिसम्बर, 1981 में घाना का दौरा किया था ताकि घाना और भारत के बीच खनन उद्योग में सहयोग के क्षेत्रों तथा निर्धारित खनिज अन्वेषण, स्वर्ण और हीरा गवेषण और विदोहन तथा दौनों देशों के बीच तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

यह सहमति हुई थी कि घाना के भू-वैज्ञानिकों और खनन विशेषज्ञों का एक दल आगामी विचार-विमर्श और भारत के खनन तथा खनिज उद्योग में अपनाई गई और उपलब्ध प्रौद्योगिकी से परिचित होने के लिये भारत आएगा। घाना के अधिकारी अपनी सुविधानुसार किसी उपयुक्त समय पर यह दौरा करेंगे

देश में सोने के लिए बड़े पैमाने पर खोज

3846. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सोने के निक्षेपों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर खोज की है;

(ख) उन संस्थानों तथा संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने छठी योजना अवधि में अब तक सर्वेक्षण आरम्भ किया था;

(ग) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने भी सोने के निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण किया था;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में सोने के जिन निक्षेपों का पता लगाया गया, उनके नाम क्या हैं;

(ङ) क्या उड़ीसा में सोने की ऐसी किसी खान का पता चला है; और

(च) उड़ीसा में तेलकोई तथा अन्य स्थानों पर सोने की खानों से सोना निकालने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार द्वारा बनाये गए पंचवर्षीय (1980-85) स्वर्ण खोज कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में सोने के लिये क्रमबद्ध खोज चल रही है।

(ख) यह खोज भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लि० भारत गोल्ड माइन्स लि०, हट्टी गोल्ड माइन्स लि० तथा विभिन्न राज्य सरकारों मुख्यत: उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खनन व भूतत्व निदेशालयों द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के खोजी दल कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश में कोलार गोल्ड फील्ड्स के दक्षिणी विस्तार कर्नाटक में रायचूर जिले की हट्टी-मस्की शिस्ट पट्टी

और गदाग स्वर्ण क्षेत्र, बिहार के सिंहभूम जिले तथा उड़ीसा के क्योंझर जिले में सोने लिए खोज में लगे है।

(ङ) और (च) उड़ीसा में 1981-82 में कोई नई स्वर्ण खान नहीं पाई गई है, लेकिन क्योंझर जिले के कुछ भागों में स्वर्ण होने के संकेत मिले हैं तलकोई क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1979-80 में खोज शुरू की थी तथा अब तक पिटिंग, सैम्पलिंग व ड्रिलिंग के अलावा 60 वर्ग कि. मी. में टोही सर्वे, 130 वर्ग कि. मी. में विस्तृत मानचित्रण तथा 2.80 वर्ग कि. मी. में प्लेन-टेबल मैपिंग की है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

3847. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कुछ अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत किन नए विभागों को लाने का विचार है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन उन क्षेत्रों विभागों को लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को आवश्यक मार्ग निर्देश भेजे गये हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना को क्रमिक ढंग से क्षेत्र-वार लागू किया जा रहा है लेकिन यह राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाओं को पूरा किए जाने पर निर्भर करता है। यह योजना प्रारम्भ में 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले ऐसे गैर-मौसमी कारखानों में लागू की गई थी जो पावर का उपयोग करते थे। अब इस योजना को धीरे-धीरे प्रतिष्ठानों के निम्नलिखित नये वर्गों में लागू किया जा रहा है :—

1. 10 या 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानें, जो पावर का उपयोग करते हैं और 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले खारखानें, जो पावर का उपयोग नहीं करते हैं।

2. दुकान, होटल, जलपान-गृह, सिनेमा तथा प्रिव्यू थियेटर, सड़क मोटर परिवहन तथा समाचार-पत्र प्रतिष्ठान, जिनमें 20 या 20 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है कि इस योजना को मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठानों के निम्नलिखित दो वर्गों में लागू किया जाए, बशर्ते कि

राज्य सरकार उपयुक्त प्रबन्ध करे, जिससे बीमा-शुदा व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के लिये पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके :

(क) स्लेट पैंसिल का विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठान, जिनमें एक या एक से अधिक व्यक्ति नियोजित हों और

(ख) बीड़ी विनिर्माण प्रतिष्ठान, जिनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों और ये प्रतिष्ठान उन क्षेत्रों में स्थित हों, जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहले ही लागू की गई हो।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने वर्ष 1982-83 के दौरान नए क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों के वर्गों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू/विस्तृत करने के लिए प्रायोगिक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया है और यह कार्यक्रम हाल ही में राज्य सरकारों को भेजा गया है। इस कार्यक्रम में इस योजना को नये क्षेत्रों में लागू करने तथा देश के विभिन्न केन्द्रों में प्रतिष्ठानों के नये वर्गों में योजना का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

उड़ीसा के समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाएं

3848. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा आदिवासी विकास एजेंसियों के अन्तर्गत क्रियान्वयन के अधीन सिंचाई परियोजनाओं के नाम तथा उनकी संख्या क्या है;

(ख) इन सिंचाई परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 के अन्त तक ऐसी कोई सिंचाई परियोजना पूरी हो जाएगी; और

(घ) उन परियोजनाओं के पूरा होने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विभिन्न समेकित जन-जाति विकास परियोजना क्षेत्रों में 69 लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कार्यान्वियन के अधीन कुछ महत्वपूर्ण लघु सिचाई परियोजनाएं संलग्न विवरण में दिखायी गयी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त परियोजनाओं में से, 31 परियोजनाओं के 1981-82 में और 25 के 1982-83 में पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) ये परियोजनाएं कार्यान्वियन के विभिन्न स्तरों में हैं और 1982-83 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता से शुरू की गयी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध

कराया जा रहा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 31 योजनाओं के चालू वर्ष में 25 परियोजनाओं के अगले वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है और अगले वर्ष के बाद आगे के लिए केवल 13 परियोजनाएं बाकी रह जायेंगी।

विवरण

लघु सिंचाई परियोजनाओं की सूची

1. फैनिया
2. पारावादी
3. चतनजोर
4. कुटुगांव
5. लक्ष्मीपुर
6. बेनबासा
7. प्रतापपुर
8. इच्चा
9. बंकसुल
10. धमन्दमर
11. खुबुदाजोर
12. तिकलोपारा
13. ननुमन्तिया
14. हतिनुन्दा

सीमेंट संयंत्रों का उत्पादन और उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग

3849. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** . क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट निर्माण के लिए संयंत्रों का वर्ष 1981 के दौरान उत्पादन क्या था और उनकी कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) किन एककों ने इस अवधि के दौरान 1980 के आंकड़ों की तुलना में उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि दर्शायी है;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों के उत्पादन की वृद्धि में आने वाली रुकावटों का विश्लेषण किया है और क्या सरकार का विचार उद्योग मन्त्रालय, रेलवे और बिजली मन्त्रालयों

का एक केन्द्रीय संगठन बनाने का है ताकि उनका सावधिक मूल्यांकन किया जा सके और कठिनाइयों की ओर उचित ध्यान दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह का संगठन कब स्थापित किया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 1981 के दौरान सीमेंट उद्योग में उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार रहा : -

उत्पादन (10 लाख मी० टनों में)	क्षमता उपयोग
28.87	71.4 प्रतिशत

(ख) उन सीमेंट फैक्ट्रियों के नामों का विवरण जिनके क्षमता उपयोग में और उत्पादन में 1980 की अपेक्षा 1981 में वृद्धि हुई है संलग्न है ।

(ग) और (घ) सीमेंट उत्पादन को प्रभावित करने वाली बाधाओं की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है और जब आवश्यक समझा जाता है सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है । सीमेंट उद्योग के लिए ऐसा कोई संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

1. ए. सी. सी. लि., भूपेन्द्र
2. सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., राजबन
3. बिरला सीमेंट वर्क्स, चित्तौरगढ़
4. ए. सी. सी. लि., लाखेरी
5. जे. के. सिंथेटिक्स, निम्बाहेड़ा
6. जयपुर उद्योग लि. सवाईमाधोपुर
7. यू. पी. स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन, चुर्क
8. सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., बोकाजन
9. रोहतास इंडस्ट्रिज लि., रोहतास
10. ए. सी. सी. लि., चैबासा
11. ए. सी सी. लि., सिन्धरी
12. ए. सी. सी. लि., सावालिया
13. हीरा सीमेंट वर्क्स, वारगढ़
14. उड़ीसा सीमेंट लि., राजगंगपुर
15. दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स दुर्गापुर

16. श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी, अहमदाबाद
17. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि., अकलतारा
18 ए सी. सी. लि., बनमोर
19. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., मेंढार
20. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., नीमच
21. मेहर सीमेंट लि., मेहर
22. ए. सी. सी. लि.- चांदा
23. ए. सी. सी. लि., किस्तना
24. के. सी. पी. लि., मचेरला
25. ए. सी. सी. लि. मनचेरियल
26. पण्यम सीमेंट लि., पण्यम
27. आन्ध्र सीमेंट लि., विजयवाड़ा
28. मैसूर सीमेंट लि. अम्मासांदरा
29. बागलकोट उद्योग लि., बागलकोट
30. ए. सी. सी. लि., शाहबाद
31. ए. सी. सी. लि. वाडी
32. तमिलनाडु सीमेंट लि., एरियालूर
33. डालमिया सीमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम
34. चेट्टीनाड सीमेंट कारपोरेशन, करूर
35. इंडिया सीमेंट लि., सांकरी दुर्ग
36. इंडिया सीमेंट लि., तालैयूत्थू
37. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., चरखी दादरी

की "इंडस्ट्रीज इन ग्रीप आफ रिसेशन" शीर्षक समाचार

3850. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1982 को फाइनेशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि यद्यपि राज्य में समग्र रूप से अर्थ व्यवस्था संतोषजनक प्रतीत होती है, तो भी कुछ उद्योग मंदी की ओर अग्रसर है;

(ख) यदि हां, तो कौन से उद्योग इस प्रकार की कठिनाई में हैं और राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद का क्या विचार है; और

(ग) उक्त विचार के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) एन. सी. ए. ई. आर. के अनुसार जो मूल रूप से उनकी समीक्षा में दिखाई पड़ती है वह औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त जानकारी है जो बहुत से उत्पादों की मांग के बारे में शंका व्यक्त करती है। एन. सी. ए. ई. आर. ने बताया है कि उनकी समीक्षा बाजार की कुछ प्रवृत्तियों का हवाला दिया गया है जिससे कुछ उद्योगों में मंदी की स्थिति का पता चल सकता है हालांकि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अर्थव्यवस्था की मंदी में परिणत हो जाएगी अथवा किसी भी रूप में अनिवार्य रूप से इसके उभरने की संभावना है । उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया भी है कि ये संकेत मुख्यत: वस्त्रोद्योग, इस्पात और कुछ कम महत्वपूर्ण उद्योगों में परिलक्षित हुए हैं यह तर्क दिया जा सकता है कि वस्त्रोद्योग की स्थिति निश्चित रूप से मंदी की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करती चूंकि काफी लम्बे समय से बहुत से कारणों से इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी प्रकार, उनका यह भी विचार है कि इस्पात उद्योग में मंदी की स्थिति का आभास संभवत: मांग के अधिक हो जाने के पूर्वानुमान के परिणामस्वरूप हो सकता है।

रुई की कीमतें स्थिर हो जाने से सूती वस्त्रोद्योग स्थिति से उबरने में सक्षम हो जाना चाहिए। पटसन उद्योग के बारे में सरकार द्वारा कुछ सुधारोपाय किये गए हैं। इस्पात की बहुत सी वस्तुओं के लिए वितरण प्रणाली में ढील दे दी गई है।

भारत में स्वीडन के उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा

3851. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल ने औद्योगिक सहयोग में शुद्धि करने के बारे में भारतीय उद्योगपतियों के साथ चर्चा करने के लिये इस वर्ष के फरवरी के दौरान भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। फरवरी, 1982 में स्वीडन के प्रधान मंत्री की भारत की यात्रा के समय श्री अर्नी वेस्टरबर्ग, चेयरमैन, जनरल एक्सपोर्ट एसोसिएशन और स्वीडन की व्यापार परिषद के

बोर्ड के सदस्य के नेतृतव में स्वीडन के एक औद्योगिक शिष्टमण्डल ने भी भारत की यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश के बारे में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के साथ विचार-विमर्श किया था।

(ख) विचार-विमर्श विशेष रूप से स्वीडन को भारतीय निर्यात के आधार विशेषतः निर्मित और मूल्य वर्दिधत परियोजनाओं में, का विस्तार करने की आवश्यकता से संबंधित था, भारत में स्वीडन द्वारा अधिक निवेश और तीसरे देशों में भारत-स्वीडन सहयोग की सम्भावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया था। जिन अन्य सम्भावनाओं का पता लगाया गया था वे उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में स्वीडन से प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण, संयुक्त अनुसंधान तथा विकास में सहयोग, संयुक्त विपणन, भारत तथा स्वीडन में छोटे और मझोले आकार के उद्यमों के बीच आपस में और अधिक कार्यवाही, स्वीडन और तीसरे देशों द्वारा अपेक्षित उत्पादों के निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता के उपयोग से सम्बन्धित थी।

(ग) सरकार समझती है कि उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बढ़े हुए भारत-स्वीडन सहयोग की सम्भावना है जिस पर दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण के विरुद्ध न्यायालय से लिया गया स्थगन आदेश

3852. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश लिए हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि स्थानान्तरण के विरुद्ध स्थगन आदेश से राष्ट्र को बहुत नुकसान होता है क्योंकि इससे कार्य की हानि होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक ऐसा कानून बनाकर सेवा शर्तों में संशोधन करने का है कि स्थगन आदेश केवल उसी दिशा में दिया जाएगा जब कर्मचारी स्थानान्तरण के बाद अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण कर लेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों/संगठन की शक्तियों के अन्तर्गत एक प्रशासनिक मामला है, अतः ऐसी सूचना केन्द्रीकृत आधार पर मानीटर नहीं की जाती है।

(ख) जब कोई स्थानान्तरण आदेश स्थगित किया जाता है तो कभी-कभी कुछ स्थानों पर अपेक्षित जन-शक्ति की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ सकता है।

(ग) सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सेवा-नियम न्यायालय की शक्तियों को अभिभूत नहीं कर सकते। इसलिए किसी ऐसे संशोधन पर विचार नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"न्यू पावर जनरेशन टेक्नौजी (बिजली उत्पादन की गई प्रौद्योगिकी)" शीर्षक समाचार

3853. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स' में "न्यू पावर जनरेशन टेक्नोलोजी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से लकड़ी पर आधारित यह बिजली की प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों, विशेषकर उन पर्वतीय क्षेत्रों जहां लकड़ी के जिप्स लकड़ी का बुरादा, लट्ठों का अवशिष्ट बुरादा आदि के लिये अपेक्षित कच्चा माल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, में, देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह बिजली की नवीनतम औद्योगिक हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय वन-क्षेत्रों में लागू की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने प्रौद्योगिकी विकास कार्य को हाथ में लिया है और इन प्रौद्योगिकियों पर आधारित कई प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है। इन परियोजनाओं के परिणामों के पश्चात् ही इन प्रौद्योगिकियों का आगे का विस्तार निर्भर होगा।

उत्पादन शुल्क संबंधी व्यय का समाप्त किया जाना

3854. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे उत्पादन शुल्क संबंधी व्यय को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समाप्त करें और यदि ऐसा नहीं किया गया तो शेष व्यय को 1982-83 की योजना में उनके अपने-अपने परिव्यय में सम्मिलित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि क्या वर्ष 1981-82 में अधिक योजनागत व्यय होने पर जिसके परिणाम स्वरूप चालू वर्ष के अंत में घाटे में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसे बढ़े हुए घाटों को अगले वर्ष की वार्षिक योजना के लिए समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे वर्ष को बिना किसी घाटे के समाप्त करें और कुछ राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे घाटे को सहमत धनराशि तक सीमित रखें।

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना

3855. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 के दौरान दिल्ली नगर निगम के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों पर सेवा से निकाल दिये गये थे और बहुत से अन्य अधिकारी मुअत्तिल किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा अन्य विवरण क्या है;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1980 तथा 1981 का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) जहां तक दिल्ली नगर निगम की सामान्य विंग का संबंध है अपेक्षित सूचना के दो विवरण लोकसभा के पटल पर रखे जाते हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल टी-3662/82]

भारत-बांगलादेश सीमा वार्ता

3856. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1982 में समाप्त हुई भारत-बांगलादेश सीमा वार्ता में दोनों देश तस्करी, घुसपैठ और अनधिकृत प्रदेश सहित सीमा में होने वाले अपराधों में सहयोग देने के लिये सहमत हुए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ग) उपरोक्त अपराधों को रोकने के लिये दोनों देशों की सरकारों द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे; और

(घ) दोनों देशों को सरकारों द्वारा यह समझौता कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) ढाका में फरवरी, 1982 में हुई भारत-बंगलादेश सीमा वार्ता सावधिक बैठकों का एक भाग है जो सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के अधिकारियों के बीच परस्पर मैतैक्य और तस्करी, घुसपैठ और अतिक्रमण जैसे सीमा अपराधों को कारगर रूप से रोकने के लिए गलतफहमी और विवाहों के क्षेत्रों को समाप्त करने के लिए की जाती है। दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने इन विषयों पर संबंधित सूचना का आदान प्रदान किया और सीमा अपराधों को रोकने के लिये विभिन्ग स्तरों पर सम्पर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये वार्तालाप अनौपचारिक वातावरण में होते हैं और किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं और न ही इसकी रूप रेखा तैयार की जाती है।

(ग) और (घ) दोनों पक्षों ने सीमा के अपनी ओर गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखने और जहां आवश्थक हो सीमा सतर्कता और गश्त बढ़ाने का निश्चय किया। इन उपायों का कार्यान्वियन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति में विलम्ब

3857 **श्री बी वी० देसाई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में औद्योगिक उपक्रमों को स्वीकृति देने में प्रक्रिया तथा नौकरशाही संबंधी विलम्ब में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के किस विभाग में उद्योग स्थापित करने के लिए दिये गये आवेदन पत्र पर अब 60 दिन में निर्णय हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किन प्रस्तावों से इस प्रकार के विलम्ब कम हुए हैं और सरकार के समक्ष अनिर्णीत पड़े कितने आवेदन पत्रों पर अभी तक स्वीकृति प्रदान की गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनिमन अधिनियम के अधीन आने वाले गृहों से प्राप्त होने वाले औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों को निपटाने संबंधी 150 दिनों की मिले जुले आवेदनों के लिए 120 दिनों की तथा अन्य आवेदनों के लिए 90 दिनों की पहली समय सीमा अक्तूबर, 1980 में घटाकर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनिमन अधिनियम के अधीन आने वाले गृहों से प्राप्त आवेदनों तथा मिले-जुले आवेदनों के लिए 90 दिन तथा अन्य आवेदनों के लिए 60 दिन कर दी गई है। औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनोंको निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाना सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है।

वर्ष 1981 के शुरू में निलम्बित पड़े 561 औद्योगिक लाइसेंस संबधी आवेदनों में से वर्ष के दौरान 446 आवेदन निपटा दिए गए थे। इसके अलावा वर्ष 1981 में प्राप्त तथा 31.12.1981

तक निपटान के लिए अनिर्णीत पड़े 1649 औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों में से, वर्ष के दौरान 1217 आवेदन निपटा दिए गए थे ।

पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने के समय बेरोजगार और निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

3858. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने के समय कितने व्यक्ति बेरोजगार थे तथा कितने निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे थे तथा छठी पंचवर्षीय योजना के समय उनकी संख्या क्या है; और

(ख) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में बेरोजगार व्यक्तियों और निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितना परिवर्तन आया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू में समग्र अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी का कोई अनुमान नहीं लगाया गया था । तथापि दूसरी और तीसरी योजना के शुरू में बेरोजगारी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए प्रयत्न किया गया था योजना आयोग द्वारा 1968 में स्थापित की गई विशेषज्ञों की एक समिति (दांतवाला समिति) ने इन अनुमानों की जांच की थी । इन अनुमानों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि योजना आयोग द्वारा अपनाई गई अनुमान लगाने की कार्यप्रणाली छोड़ दी जाए । संगत सूचना के अभाव में, चौथी और पांचवीं योजना में बेरोजगारी का कोई अनुमान नहीं लगाया गया । दांतवाला समिति की सिफारिश के अनुसरण में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने पांच वर्ष में एक बार रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में सर्वेक्षण किया था । वर्ष 1977-78 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अद्यतन परिणामों के आधार पर योजना आयोग ने मार्च, 1980 में 120.20 लाख (आयु वर्ग 5+) की दीर्घावधि बेरोजगारी के स्तर का अनुमान लगाया था ।

हरेक पंचवर्षीय योजना के शुरू में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । तथापि छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में यह अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में 50.70 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 40.31 प्रतिशत और कुल मिलाकर (अर्थात् ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर) 48.44 प्रतिशत है ।

(ख) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताए गए तथ्यों की दृष्टि से बेरोजगारी और गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के योजनावार तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

नए सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमति

3859. **श्री कुंभा राम आर्य** :

श्री रास बिहारी बहेरा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमेंट की कमी के कारण कई योजनागत कार्य पूरे नहीं किए जा रहे हैं सरकार का विचार और अधिक नए सीमेंट सयंत्रों की स्थापना की मंजूरी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब तक दी जाएगी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में सरकार उदार नीति अपना रही है तथा यह आशा की जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में सीमेंट की उपलब्धता सुधर जायेगी।

विभिन्न राज्यों में खानों के पट्टे

3860. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी कम्पनियों को कुल कितनी खानें पट्टे पर दी गई हैं;

(ख) किन गैर-सरकारी कंपनियों ने उन खानों को पट्टे पर लिया है; और

(ग) ये खानें विभिन्न राज्यों के किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारी उद्योगों का कार्य निष्पादन

3861. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन भारी उद्योगों ने वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान उत्पादन के मामले में बेहतर कार्य निष्पादन दिखाया है;

(ख) उनमें से कितने उद्योगों ने 31 दिसम्बर, 1981 को औद्योगिक उत्पादन में अपने लक्ष्यों को पार कर लिया है;

(ग) उपरोक्त वर्षों में उन भारी एककों में उत्पादन के लक्ष्य क्या थे; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन के मामले में उनकी उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) 1-भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1980-81

तथा 1981-82 (अवधि अप्रैल-दिसम्बर, 1981) में किए गए उत्पादन तथा विकास का एकक वार ब्यौरा देने वाला एक अनुबंध संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3663/82]

2-अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि में निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन किया है :—

(क) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्स लि०

(ख) बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०

(ग) एच० एम० टी० लि०

(घ) लगन जूट मशीनरी कं० लि०

दिल्ली में गिरफ्तारी से बचने वाले अपराधी

3862. **श्री हरिहर सोरन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पिछले वर्षों से बहुत से अपराधी गिरफ्तारी से बच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है और उनका पता किस वर्ष से नहीं लगाया गया है; और

(ग) उन्हें गिरफ्तार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) तथा (ख) आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

ऐसे अपराधियों की संख्या जो गिरफ्तारी से बच रहे हैं।	वह वर्ष जब से गिरफ्तारी से बचा जा रहा है।
1	2
1	1950
3	1954
3	1955
1	1956

1	2
1	1957
5	1959
4	1960
4	1961
5	1962
7	1963
8	1964
17	1965
13	1966
27	1967
33	1968
51	1969
101	1970
181	1971
254	1972
221	1973
244	1974
284	1975
425	1976
351	1977
407	1978
403	1969
329	1980
273	1981
28	1982
3684	

(ग) उनको पकड़ने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उनके ठिकानों का पता लगाने के लिये साधन नियुक्त किए जाते हैं और सूचना प्राप्त होने पर अचानक छापे मारे जाते हैं।

(2) पुलिस के मिडिया से प्रचार किया जाता है और संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये सावधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

(3) उन व्यक्तियों को अपराधियों को पेश करने और गिरफ्तार करने में सहायता करने के लिये कहा जाता है जिन्होंने अपराधियों की जमानत दी हुई है।

(4) अपराधियों को गिरफ्तार करवाने के लिये किसी सुराग की सूचना के लिये उपयुक्त इनामों की घोषणा की जाती है।

(5) अंगुली छाप ब्यूरों की सहायता ली जाती है।

इस्पात उद्योग का विकास

3863. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने 2000 ईस्वी तक इस्पात की मांग और इस्पात उद्योग के विकास कार्यक्रम की व्यापक दीर्घावधि रूपरेखा तैयार करने के लिये लोहे और इस्पात संबंधी एक कार्यकारी दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यकारी दल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) कार्यकारी दल के निर्देश पद क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यकारी दल के गठन और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गठन

1.	सचिव, इस्पात विभाग	अध्यक्ष
2.	भारी उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	औद्योगिक विकास विभग का एक प्रतिनिधि	सदस्य

4.	योजना आयोग, उद्योग और खनिज प्रभाग तथा भावी योजना प्रभाग, के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	रेल मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	विद्युत विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	कोयला विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8	भारत इस्पात प्राधिकरण लि० का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9.	तकनीकी विकास महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	बी. आई. सी. पी. का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11.	इस्पात विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य-सचिव

यह कार्यकारी दल आवश्यकतानुसार किसी अतिरिक्त सदस्य (सदस्यों) को सहयोजि कर सकेगा और किसी उप दल (उप दलों) की स्थापना कर सकेगा।

2. **विचारार्थ विषय**

1. अन्य उपादानों के साथ-साथ विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए शताब्दी के अन्त तक देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए भावी योजना तैयार करना : –

(1) सम्भावित मांग और उसका स्वरूप;

(2) अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों को आधार संरचनात्मक समर्थन देने की आवश्यकता;

(3) आवश्यक आधार संरचनात्मक समर्थन, जैसे कच्चा माल, विद्युत, परिवहन की सुविधाएं और विकास योजना के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन;

(4) उपलब्ध हो सकने वाले शिल्पवैज्ञानिक विकल्प और भारतीय दशाओं में सबसे अधिक उपयुक्त कार्यनीति।

2. विकास योजना के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक ऐसी विनिर्माणात्मक, शिल्पवैज्ञानिक और प्रबंधकीय कार्यक्षमताओं के विकास के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव देना।

उत्पादन क्षमताओं का पुर्नानिधारण

3864. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन क्षमता का पुर्ननिधारण करने के लिये, जो अधिक उत्पादन की गति देने और बनाने के लिये बनाई गई है, एक योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) और (ख) 1982 के उत्पादिता वर्ष घोषित किये जाने के अनुसरणों में कुछ प्रस्ताव औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं।

वातानुकूलन उद्योग में मन्दी

3865. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वातानुकूलन उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वातानुकूलन उद्योग में मन्दी के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय स्टोनोग्राफर सेवा के ग्रेड "डी" में भर्ती के लिए पास किया गया टैस्ट

3866. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मन्त्री केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड "डी" में भर्ती के लिये पास किये गये टैस्ट के बारे में 2 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 192 व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी वरिष्ठता खो दी है;

(ख) क्या उक्त बताये गये व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को, 619 व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति से पूर्व, लम्बी अवधि के आधार पर पदोन्नत किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड "डी" में पदोन्नति के जोन में स्थायी करने की तारीख क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 1-3-1971 तक भर्ती के लिए ली गई परीक्षाओं में 619 व्यक्तियों ने अवसरों की निर्धारित संख्या के भीतर परीक्षा पास कर ली थी और वे केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के

ग्रेड "घ" में उसी तारीख से स्थायी कर दिए गए थे। 192 व्यक्तियों ने बाद में परीक्षा पास की थी और उन्हें उनके परीक्षा पास करने की तारीख से स्थायी कर दिया गया था। चूंकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा विकेन्द्रीकृत सेवा है अत: व्यक्तिगत पदोन्नतियों आदि का ब्यौरा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

हन्ड्रेडस आफ बी० जे० पी० वर्कर्स कोर्ट अरेस्ट शीर्षक से समाचार

3867, **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "हन्ड्रेड्स आफ बी. जे. पी. वर्कर्स कोर्ट अरेस्ट" शीर्षक से समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इन लोगों ने अपने आपको गिरफ्तार करवाया;

(ग) अब तक गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में शीघ्र चुनाव करवाने और आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम को समाप्त करने की मांग की थी।

(ग) 1789 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 95, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन नजर बन्द/गिरफ्तार किया गया था।

(घ) तथा (ङ) गिरफ्तार, नजरबन्द किए गए व्यक्तियों को अब रिहा कर दिया गया है। जहां तक इन मांगों का सम्बन्ध है, सरकार कई बार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है।

इस्पात उद्योग को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाना

3868. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में श्रमिक संघों से शिकायतें मिली हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) . (क) तथा (ख) उत्पादन करने वाली किसी स्थापना अथवा उपक्रम में आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखना, इस्पात की पूर्ति अथवा बितरण को समुदाय के लिये आवश्यक समझा गया है और इसको अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के प्रयोजन के लिये अधिसूचित किया गया है ।

(ग) सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के प्रयोजन के लिये इस्पात उद्योग की अधिसूचना के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना करना

3869. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की गई है,

(ख) यदि हां वर्ष 1982-83 में इसके लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है, और

(ग) इस बोर्ड के कृत्य और उद्देश्य क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां । 18 जनवरी 1982 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की गई है ।

(ख) चालू पंच वर्षीय योजना की बाकी अवधि के लिए, निम्नलिखित भाग लेने वाले अभिकरणों ने जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड के निहित कार्यक्रमों के लिए 25 करोड़ रुपये को अलग से रखने के लिए स्वीकार कर लिया है :

सी० एस० आई० आर०	—	10 करोड़
आई० सी० ए० आर०	—	5 करोड़
आई० सी० एम० आर०	—	5 करोड़ और
डी० एस० टी०	—	5 करोड़

(ग) बोर्ड के कार्य और उद्देश्य भारत सरकार के 18 जनवरी, 1982 के संकल्प सं० एफ 200 19/2/82-प्रशा०-1 में दिये गये हैं जिसकी एक प्रति पहले ही 19-2-1982 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है ।

हड़ताल के कारण गिरफ्तार किये गये संसद सदस्य और विधायक

3870. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों संघों द्वारा हड़ताल किये जाने का आव्हान देने के सम्बन्ध में 19 जनवरी, 1982 को पूरे देश में विशेषकर बिहार में गिरफ्तार किये गये संसद सदस्यों और विधायकों की सूची क्या है।

(ख) इन्हें किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) उन्हें रिलीज करने की शर्तें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, सिक्किम सरकारों और सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि हड़ताल के सम्बन्ध में संसद अथवा राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य गिरफ्तार नहीं किया गया।

शेष राज्यो के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात संयंत्रों तथा खानों में अधिकारियों की संख्या

3871. **श्री निहाल सिंह** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन इस्पात संयंत्रों तथा खानों में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके वर्तमान वेतनों, ग्रेडों संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति के बाद इन संस्थाओं में पिछले तीन वर्षों में पुन: रोजगार दिया गया; और

(ग) मंत्रालय द्वारा अपने अधीन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों के बीच विसंगति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दूरदर्शन का निर्माण करने के लिए भारतीय इलैक्ट्रानिक निगम लिमिटेड द्वारा सहयोग लिया जाना

3872. **श्री के० ए० राजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी पार्टियों के साथ कितने तकनीकी और विपणन सहयोग किए हैं,

(ख) ऐसे सहयोग का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान कितना सामान खरीदा गया है और उन्हें दिए गए मूल्य क्या हैं,

(ग) टेलीविजन उद्योगों में छोटे ऋण एककों के साथ भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड द्वारा सहयोग न किए जाने के क्या कारण हैं,

(घ) यदि ऐसा किया गया है तो उनके सहयोग की शर्तें क्या हैं,

(ङ) क्या सरकार को पता है कि भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड टेलीविजन सेटों के लिए उपभोक्ताओं से अत्याधिक राशि लेकर भारी मुनाफा कमा रहा है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि० (ई० सी० आई० एल०) ने दूरदर्शन से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी जानकारी के अंतरण के लिए राज्य सरकारों की 7 कम्पनियों और लघु उद्योग क्षेत्र को 5 यूनिटों के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार को 7 कम्पनियों में से, 2 (अर्थात् केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम और राजस्थान औद्योगिक तथा पूंजी-निवेश निगम) ने समझौते की अवधि के बाद भी अपना कार्य जारी रखा है और इसलिए अब उनके साथ किया गया समझौता लागू नहीं है। सभी अभिकरणों के साथ एक ही जैसा समझौता किया गया है और इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लि० (ई० सी० आई० एल०) सम्बन्धित पार्टी की तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्धता करायेगा और भारतीय इलैक्ट्रोनिकी निगम लि० (ई० सी० आई एल०) अपने नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्शनसेटों का विपणन भी करेगा।

(ख) पिछले दो वर्षों में भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लि० (ई० सी० आई० एल०) ने सहयोगकर्त्ता कम्पनियों से जितनी मात्रा में सेट खरीदे हैं, उनका विवरण नीचे दिए अनुसार है—

क्रम सं०	नाम	सेटों की संख्या
सरकारी यूनिटें		
1.	उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिकी निगम (अपट्रान इण्डिया लि०), इलाहाबाद।	9,000
2.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि०, सोलन	5,100
3.	गोआ इलैक्ट्रानिक्स लि०, पणजी	7,000
4.	कश्मीर इलेक्ट्रानिक्स, श्रीनगर	1,300
*5.	केआनिक्स वीडियो सिस्टम्स, बंगलौर	1,600
लघु उद्योग क्षेत्र के निजी एकक		
6.	आचार्य, इलेक्ट्रानिकी लि०, नागपुर।	6,300
*7.	अनाडिगो इन्स्ट्रन्मेन्ट्स (प्रा०) लि०, हैदराबाद।	1,100
*8.	वी० वी० रामा राव एण्ड कं० हैदराबाद।	800
*9.	ड्यूक आर्निक्स, हैदराबाद।	600
*10.	ऐपट्रो इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, हैदराबार।	600

*इन फर्मों के साथ किए गए समझौते अप्रैल, 1981 से लागू होते हैं।

भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लि० (ई. सी. आई. एल.) द्वारा अप्सरा मौडल के लिए सहयोगकर्त्ता कम्पनियों को अदा की जाने वाली कारखानागत कीमत 2400 रुपए है तथा इस समय प्रचलित एन्कोर (जनता) माडल के लिए दी जाने वाली कीमत 1700 रुपए है।

(ग) भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लि० (ई. सी. आई. एल.) ने सम्बद्ध कम्पनियों/सहयोग कर्त्ता कम्पनियों की क्षमता तथा सामार्थ्य का वस्तुपरख दृष्टि से समीक्षा करने के पश्चात उन्हें चुना था। लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण दूरदर्शन यूनिटों की सम्बद्ध कम्पनियों/सहयोगकर्त्ता कंपनियों के रूप में चुने न जाने के बारे में भारतीय इलेक्टानिकी निगम लि. (ई. सी. आई. एल.) की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। वास्तव में नागपुर की मैसर्स आचार्य इलैक्ट्रानिक्स लि. को, जो भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि (ई. सी. आई. एल) की एक सम्बद्ध कम्पनी/सहयोगकर्त्ता कम्पनी है, पहले एक ऋण एकक के रूप में माना गया था।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सम्बद्ध कम्पनियों/सहयोगकर्त्ता कम्पनियों द्वारा विनिर्मित दूरदर्शन सेटों की बिक्री से भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि. (ई. सी. आई. एल.) को होने वाला लाभ 2% से लेकर 3/. के बीच है। ऐसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तु के लिए लाभ का यह स्तर बहुत ही कम समझा गया है। इस बात की ओर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि एक ओर तो कीमतें, बाजार/उत्पादन-शुल्क विषयक नियमों के आधार पर तय की जाती हैं तो दूसरी ओर उनमें लगने वाली सामग्रियां हो अन्ततः उनका मूल्य निश्चित करती हैं। इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म अन्तर है उसी के अन्तर्गत ही लगने वाले अतिरिक्त श्रम और लाभ, इन दोनों के लिए प्रावधान किया जाता है। अतः इस वस्तु पर भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि. (ई. सी. आई. एल.) द्वारा किसी प्रकार का ऊंचा लाभ अर्जित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

वास्तव में भारतीय इलैक्ट्रानिकी निगम लि. (ई. सी. आई. एल.) को, दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण की प्रक्रिया में सम्बद्ध कम्पनियों/सहयोगकर्त्ता कम्पनियों को इसलिए शामिल करना पड़ा क्योंकि एक ओर तो जिस उत्पादन-क्षमता के लिए भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि. (ई. सी. आई. एल.) को औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था, उसके लिए उसके कारखाने में क्षमता केवल सीमित मात्रा में ही मौजूद थी, और दूसरी ओर भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लि. (ई. सी. आई. एल.) द्वारा विनिर्मित दूरदर्शन सेटों की मांग बढ़ती ही जा रही थी।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उत्पादन

3873. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के विभिन्न राज्य में उत्पादन वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 1981 में बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1981 में रांची के हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में मशीनरी का कुल उत्पादन कितना हुआ है और कितने मूल्य के उपकरणों का निर्माण हुआ है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) क्लेन्डर वर्ष 1980 और 1981 में एक-क-वार कुल तैयार उत्पादन नीचे दिया जाता है—

(करोड़ रु० में)

	1980	1981
हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एच० एम० बी० पी०)	39.90	61.30
फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफ० एफ० पी०)	19.71	29.14
हैवी मशीन टूल प्लांट (एच० एम० टी० पी०)	8.71	16.11
	68.32	106.55

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों का विकास तेज करने हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धांत

3874. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विकास कार्य-क्रम को तेज करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शी निर्देश भेजें हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए कौन-कौन से कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन के अधीन; हैं;

(ग) क्या उन राज्यों में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का पता लगाने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) उनके मन्त्रालय को भेजे गये मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और जन जातीय उप

योजनाओं को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में विभिन्न अवसरों पर संबोधित किया गया है। छठी योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी कार्य दल के अभ्यावेदन भी राज्य सरकारों को मार्गदर्शी निदेशों के रूप में भेजें हैं। राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए विशेष कम्पोनेंट योजना और जन-जाति उप-योजना दस्तावेज में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरे दिये गए हैं।

(ग) तथा (घ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं तथा जन-जाति उप-योजनाओं की प्रगति का सावधिक पुनरीक्षणी योजना विचार विमर्श के समय किया जाता है। इसके साथ गृह मन्त्रालय सक्रिय रूप से सहबद्ध है। मन्त्रालयों द्वारा समय-समय पर अध्ययन भी आयोजित किये जाते हैं। विशेष कम्पनेंट योजना और जन-जाति उप-योजनाओं की नीति के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के विकास पर कुछ प्रभाव पड़ना आरम्भ हो गया है।

बोकारो प्रगतिशील फ्रन्ट द्वारा अभ्यावेदन

3876. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बोकारो इस्पात कारखाने की कैन्टीन मालिकों ने पिछले तीन महीनों में ऐसे दादा लोगों को रखा हुआ है जो कर्मचारियों से हाथापाई करते हैं और असुविधा-जनक अधिकारियों को परेशान करते हैं;

(ख) क्या बोकारो प्रगतिशील फ्रन्ट संघ ने कैन्टीन मालिकों द्वारा कारखाने में चलाई जा रही इस दादागिरी के विरुद्ध बोकारो इस्पात कारखाने के निदेशक को कई अभ्यावेदन दिये थे;

(ग) क्या कैन्टीन मालिकों तथा नेताओं से सम्बद्ध इन्हीं दादा लोगों ने जून 1981 में इस कारखाने के प्रबन्ध निदेशक पर बोकारो हवाई अड्डे पर हमला किया था; और

(घ) यदि हां, तो बोकारो इस्पात कारखाने के भीतर इन दादा लोगों का इस्तेमाल करने वाले कैन्टीन मालिकों के खिलाफ क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रखे दी जायेगी।

उड़ीसा के जटनी से निर्मित सीमेन्ट का जनता में वितरण

3877. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के जटनी में निर्मित फालतू सीमेंट जनता में वितरित किया गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गोदाम पकड़ा गया था;

(ग) इस घोटाले में जिन व्यक्तियों का हाथ था उनके नाम क्या हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राय मन्त्री श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सीमेंट की वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इकट्ठा आवंटन कर दिया जाता, जो सिंचाई और बिजली से भिन्न विभिन्न क्षेत्रों को अपनी इच्छानुसार सीमेंट का उप-आवंटन करती है। सीमेंट एक आवश्यक वस्तु है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों का यदि कोई उल्लंघन होता है तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने सम्बन्धी ब्यौरा, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा निधियों का दुरुपयोग

3878. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी 1982 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित इस समाचार कि और दिलाया गया है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन गरीबों के पुनर्निवास के लिए निश्चित निधियों का उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की प्रमाणिकता के बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और परिणाम क्या है, और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने यह समाचार देखा है। इस मामले को उड़ीसा की राज्य सरकार के साथ उठाया गया था जिन्होंने दुरुपयोग के आरोप से इन्कार किया है।

1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कुछ हिस्से में से पहली तथा दूसरी किस्त के रूप में 49.33 लाख रुपये की राशि 4938 बन्धुआ श्रमिकों (कटक में 4886 तथा पुरी में 52) के पुनर्वास के लिए रिलीज की गई थी। 24,69,000/-रुपये की तसरी किस्त भी रिलीज कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, पुरी, म्यूरभंज तथा फुलबानी जिलों के 1107 मुक्त किए गए बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त के रूप में 16,60,500/-रु० की राशि मंजूर की गई है।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1978-79 में आरम्भ की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही राज्य सरकार पुनर्वास सहायता का पूर्णतः उपयोग करने के लिए उपाय कर रही है। राज्य सरकार ने कलक्टरों को निर्देश जारी किये हैं कि वे केन्द्रीय सहायता के उपयोग के सम्बन्ध में लेख भेजे। चूंकि केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 50 : 50 के आधार पर निर्धारित की गई 4,000/-रु० की कुल राशि को अपर्याप्त समझा जाता है, इसलिए राज्य सरकार बाकी की अपेक्षित राशि प्रदान कर रही है ताकि ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुनर्वास के लिए बनाए गए उपांश कार्यक्रम में बंधुआ श्रमिकों का स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

पर्वतीय क्षेत्र में अलाभप्रद भूमि क्षेत्र

3879. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पर्वतीय प्रदेश में अलाभप्रद कृषि भूमि क्षेत्र है जहां खेती के केवल परम्परागत तरीके ही प्रयुक्त किये जाते है जिसके परिणामस्वरूप कृषक अपने श्रम के लिए उचित पारिश्रमक प्राप्त नहीं कर सकते है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समस्याओं को हल करने के लिए इस बारे में क्या प्रभावी योजनाएं बनाये जाने का विचार हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां। पहाड़ी क्षेत्रों में भू-भाग का प्रकार ही ऐसा होता है कि जोत आमतौर पर छोटी होती है और खेती की पद्धतियां परम्परागत होती हैं। तथापि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में किसानों को वार्षिक फसलों की जगह बारहमासी झाड़ियों और पेड़ों, बागवानी फसलों और अन्य अधिक मूल्य वाली परन्तु कम क्षेत्र घेरने वाली फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति के लिए आग्रह किया गया है। वन वितानों में उपयुक्त राईजोबियल खेती के साथ चारे और अनाज दोनों प्रयोजनों के लिए फलियों की खेती के लिए भी आग्रह किया गया है। किसानों को अनुपूरक आय कराने के लिए पशु पालन डेरी उद्योग, मधुमक्खी पालन और अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के लिए सीमेन्ट

3880. **श्री सत्यानारायण जटिया : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1981-82 में माह-बार कितना सीमेंट आवंटित किया और कितना सप्लाई किया; और

(ख) राज्य सरकार की मांग कितनी थी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राज्यों को सीमेंट का आवंटन तिमाही आधार पर किया जाता हैं। 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश को सीमेंट की मात्रा का आवंटन और प्रेषण निम्न तालिका में दिया गया है—

तिमाही	सीमेंट आवंटन की मात्रा	प्रेषित सीमेंट की मात्रा
तिमाही-2/81 (अप्रैल-जून, 1981)	2,55,500	2,11,473
तिमाही-3/81 (जुलाई-सितम्बर, 1981)	2,05,000	2,23,535
तिमाही-4/81 (अक्तूबर-दिसम्बर, 1981)	2,83,000	2,60,643
तिमाही-1/82	2,83,000	74,727 (15/2/82 तक)

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषित किया है कि उनकी सीमेंट की तिमाही आवश्यकता 4,50,000 मी० टन है।

मध्य प्रदेश को 1981-82 में सप्लाई किए गए इस्पात की मात्रा

3881. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश को 1981-82 में महीने-वार कितना इस्पात आवंटित किया और कितना सप्लाई किया; और

(ख) राज्य सरकार ने कितना इस्पात मांगा था ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात के वितरण की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्य-वार मांग पंजीकृत नहीं की जाती है। प्रतिरक्षा सिंचाई, लघु उद्योग निगमों, रेलवे आदि प्राथमिक क्षेत्रों को लोहे और इस्पात का आवंटन संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा सीधे किया जाता है। अन्य उपभोक्ता अपनी मांग मुख्य उत्पादकों के पास पजीकृत करवाते हैं। अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि में सेल के इस्पात कारखानों से मध्य प्रदेश के स्टाकयार्डों और उपभोक्ताओं को 1.57 लाख टन लोहा और इस्पात सप्लाई किया गया था।

प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए संगठन की स्थापना

3882. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई ऐसा संगठन स्थापित करने का है जो बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने का प्रशिक्षण देने के साथ देश के जिस भी भाग में आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही करने को तत्पर रहेगा;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक कार्य करने की स्थिति में आ सकेगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित विपत्ति के लिए तैयारी और प्रबन्ध से सम्बन्धित दल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विपत्ति प्रशिक्षण और प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सहित कुछ संगठनात्मक प्रबन्धों की सिफारिश की है। इस समूह की सिफारिशें अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) इस समय प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में विदेशी जाहज का ठहराया जाना

3883. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान कुछ विदेशी जहाजों ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में लंगर डाला था और विदेशी अपने परिवार सहित वहां तो दस महीने ठहरे थे;

(ख) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बहुत सारे और भी जहाज और बड़ी नावें वहां आई थी और 1981 के दौरान वहां ठहरे थे और आने वालों में से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सुरक्षा की दृष्टि से इन द्वीप समूहों में ऐसे विदेशियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये क्या विशेष प्रबन्ध किया गया है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) गत 2 वर्षों के दौरान जब विदेशी अपने परिवारों सहित 8-9 महीनों तक अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में ठहरे थे। इन द्वीपसमूहों में किसी विदेशी जहाज के लंगर डालने की सूचना नहीं मिली है। किन्तु, 1978 में एक ऐसी घटना की सूचना मिली थी। इस मामले में सभी

74 विदेशियों को 31 जनवरी, 1978 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया था। उनको 7 अगस्त, 1978 को वापस उनके देश को भेज दिया गया था।

2. 1981 के दौरान 121 विदेशियों के साथ 9 नावों और 2 डिंगियों को पकड़ा गया था जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्र में घुस आई थीं।

3. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन तथा रक्षा सेवाएं इन द्वीप समूहों में घुसने वाले विदेशी जहाजों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कड़ी सतर्कता बरत रहे हैं। इस संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न बाह्य द्वीप समूहों में स्थापित पुलिस की सतर्कता चौकियों द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर तथा आई० बी० एम० की पंचिंग के प्रशिक्षण की सुविधाएं

3884. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर तथा आई० बी० एम० की पंचिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की कोई सुविधा नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में जीविका का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को गैर सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए लगभग दो महीने मात्र के लिए शुल्क के रूप में हजारों रुपयों का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अगले वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) क्या कम्प्यूटर और आई० बी० एम० की पंचिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण और नियुक्ति संबंधी सूचना देने के लिए कोई सूचना ब्यूरो है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी हां। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर तथा आई० बी० एम० की पंचिंग में प्रशिक्षण के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथापि, इस प्रशिक्षण के लिए निजी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस की राशि मालूम नहीं है।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ग) आजीविका सूचना और आजीविका परामर्श सेवाओं की व्यवस्था रोजगार कार्यालयों और 71 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरों में कार्यरत 263 व्यावसायिक मार्गदर्शन एककों के माध्यम से की जाती है जिसमें प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और रोजगार अवसर के संबंध में सारी संगत सूचना दी जाती है।

(घ) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने "डाटा प्रौसैसिंग में आजीविका" (कम्प्यूटर व्यवसाय) सम्बन्धी एक पुस्तिका निकाली है। इस पुस्तिका में संस्थानों/संगठनों के बारे में सूचना उपलब्ध है जो कि कम्प्यूटर विज्ञान और कार्ड पंचिग में पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित करते हैं।

जलमग्न पत्तनों और जहाजों की खोज

3885. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**

श्री के० प्रधानी : : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन भारत का नौवहन इतिहास तैयार करने के लिए देश के तटों के साथ जलमग्न पत्तनों और जहाजों की खोज की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिए अभिलेखागार के रिकार्डों के सर्वेक्षण का परिणाम क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन सिंह) : (क) और (ख) इंडियन नेशनल साइंस अकादमी (आई० एन० एस० ए०) ने "मैरीन आर्कियालोजीकल स्टडीज इन इंडियन वाटर्स" (भारतीय समुद्रों में समुद्री पुरातत्व वैज्ञानिक अध्यन) शीर्षक से जुलाई, 1981 में एक अनुसंधान परियोजना का अनुमोदन किया है। इस परियोजना को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी (एन० आई० ओ०) गोवा में अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इस परियोजना में द्वारिका और कावेरी पत्तनम की निमज्जित बन्दरगाहों का अन्वेषण और खुदाई कार्य और भारतीय समुद्रों में नष्ट हुए जहाजों का पूर्वेक्षण, अभिनिर्धारण और बचाव कार्य शामिल होगा। अधिक विशिष्ट जानकारी एकत्रित करने के लिए साहित्यिक स्रोतों और पुरातत्व अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग, तमिलनाडु के सहयोग से एन० आई० ओ० गोवा ने भी कावेरीपत्तनम और ट्रांसक्यूबार को सर्वेक्षण के लिए लक्ष्य क्षेत्रों के रूप में तमिलनाडु तट से परे के समुद्र के पुरातत्व वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य को हाथ में लिया है।

(ग) सूचना और आंकड़ों सविस्तार विश्लेषण अभी चल रहा है।

(घ) इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा प्रायोजित यह परियोजना दो वर्ष तक चलेगी और इस पर 1,76,800 रुपये खर्च आएगा।

भारत में ईरानी छात्र

3886. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ईरानी छात्र देश में पढ़ रहे हैं;

(ख) भारत में उनके ठहरने की अवधि कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में ठहरने के लिये उनके बीसा का अभी तक नवीकरण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन राय्कर) : (क) से (घ) 31.12.1980 को भारत में ईरानी छात्रों की संख्या 6804 थी । 31.12.1981 को ईरानी छात्रों की संख्या के संबंध में आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं और संकलित किये जाने हैं । उनके ठहरने की अवधि उनके द्वारा अध्ययन किये किए जा रहे पाठ्क्रम पर निर्भर करती है । शैक्षित संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी वास्तविक छात्र को अपना अध्ययन पूरा करने के हेतु ठहरने के समय में वृद्धि करने से इनकार नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में ग्रामीण कर्मचारियों को संगठिय करने के लिए केन्द्र द्वारा आयोजित योजना

3887. **श्री अर्जुन सेठी :** क्याश्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों में ग्रामीण कर्मचारियों को संगठित करने के लिए कोई योजना आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा राज्य को इस योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के किन-किन जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह योजना बालासोर, बोलनगीर, कटक, धेनकनाल, गंजम, कालाहान्डी, कोरापुट, कियोझर, म्यूरभंज, फुलबानी, पुरी, सम्बलपुर तथा सुन्दरगढ़ के जिलों में प्रारम्भ की जा रही है ।

एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी का आयात किया जाना

3888. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड का हवाला न देते हुए प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए अनुमोदन देने हेतु तकनीकी विकास निधि के अंतर्गत ऊपरी सीमा है;

(ख) यदि हां, तो टी० डी० एफ० योजना के अन्तर्गत रायल्टी का आवर्ती भुगतान और भुगतान की भारी एकमुस्त धन राशि सम्बद्ध करते हुए कमर्शियल व्हीकल का निर्माण करने वाली विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की एक कम्पनी का अनुमोदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं जिनके अंतर्तत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की कम्पनियों के बारे में विदेशी सहयोग के लिए भुगतान की जांच करने हेतु स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन प्रौद्योगिकी की आयात की अनुमति दी जाती है जिससे विद्यमान औद्योगिक प्रतिष्ठान अपनी निर्माण और उत्पाद प्रौद्योगिकी को उन्नत बना सकें किस्म नियंत्रण प्राप्त कर सकें, उत्पादन लागत में बचत कर सकें और निर्यात क्षमता में वृद्धि कर सकें, जिसमें 250,000 अमरीकी डालर तक का वार्षिक भुगतान अन्तर्ग्रस्त है। मैसर्स अशोक लैलैंड, मद्रास को तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन एकमुश्त और रायल्टी भुगतान के आधार पर उनके द्वारा निर्मित वाणिज्यिक गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए सिन्क्रोमेश गियर बाक्सों के निर्माण हेतु ड्राइंगों और डिजाइनों के आयात की अनुमति दी गई गई थी।

प्रति व्यक्ति आय

3889. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री सूरज भान :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी थी जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) उक्त अवधियों में जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि को निकालने के बाद वास्तव में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(ग) यह वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय किस सीमा तक पूरी की जा रही है और किन-किन उपायों के द्वारा पूरी की जा रही है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) तथा (ख) प्रचलित भावों के आधार पर नवीनतम तीन वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय के अनुमान तथा वर्ष 1970-71 के भावों के आधार पर तदनुरूपी वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

प्रति व्यक्ति आय (रुपयो में)

वर्ष	प्रचलित भावों के आधार पर	स्थिर (1970-71) भावों के आधार पर
1978-79*	12,9.9	714.6
1979-80*	1316.0	661.0
1980-81@	1536.9	696.3

*अनंतिम अनुमग्न

@शीघ्र अनुमान

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का मुख्य कारण देश में अभूतपूर्व सूखा पड़ना था। वर्ष 1980-81 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वर्ष 1981-82 में और अधिक वृद्धि की संभावना है। वर्ष 1980 से 85 तक के छठी योजना के पांच वर्षों की अवधि में विकास कार्यक्रमों तथा समग्र राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि के लिए परिकल्पित उपायों के संकेत मिलते हैं। वार्षिक योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए कार्यक्रम तथा उपाय दिए गए हैं।

ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रत्योजित योजना

3890. **श्री अनन्त रामलू मल्लू** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए इस राज्य को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के उन जिलों का क्या नाम है, जिन्हें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में शामिल किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य आठ राज्यों में से एक राज्य है, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की योजना लागू की गई है।

(ख) इस योजना को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 40 ब्लाकों में, श्री काकुलम, विजयानगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुन्टूर, नेल्लौर, चित्तूर, कुड्डापाह अनन्तपुर, कुरनूल, महबबूनगर, रंगा रेड्डी, मेडक, निजामाबाद, अदिलाबाद करीमनगर, वारांगल, नलगोन्डा, खमाम तथा प्रकासम जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है।

वर्ष 1981-82 के दौरान गुजरात को आवंटित किया गया सीमेंट

3891. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिये राज्यों को आवंटित किये गये सीमेंट का कोटा क्या है;

(ख) सीमेंट कोटा आबंटित करने के लिये अपनाये गये मानदण्ड क्या हैं;

(ग) वर्ष 1981-82 के लिये गुजरात राज्य को जिलावार आवंटित किये गये सीमेंट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के कुछ कारखाने भुगतान के बाद भी कोटा रिलीज नहीं कर रहे हैं जिनके कारण गत तीन महीनों का कोटा व्ययगत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन जिलों को नुकसान हुआ है और इन कारखानों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 15.07 लाख मी० टन।

(ख) सीमेंट का आवंटन त्रैमासिक रूप से पिछली खपत और संबंधित तिमाही में सीमेंट की संभावित उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तिमाही 4/81 से सरकार ने सीमेंट के आवंटन के संबंध में जनसंख्या को महत्व देने तथा योजना कार्यक्रमों जैसे कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाएं तथा गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिये मकान निर्माण योजनाएं और हरिजनों, आदिवासियों तथा समाज के अन्य गरीब वर्गों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखने का निर्णय किया है।

सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण के साथ सरकार ने यह निश्चय किया है कि राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों को राज्य और केन्द्र सरकार के निगमों को बड़े, मंझोले और छोटे उद्योगों को कारखाने बनाने के लिए 80 वर्ग मीटर तक के प्लिन्थ एरिया में मकान बनाने के लिये छोटे उपभोक्ताओं को साथ ही मकानों की मरम्मत के लिये छोटी मात्राओं की आवश्यकता

वाले लोगों को लेवी सीमेंट दिया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार की नीति की जानकारी देने वाला सरकार द्वारा जारी किया गया एक प्रेस टिप्पण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3654/82]

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) तथा (ङ) सामान्यत। इस प्रकार को कोई शिकायत नहीं मिली है और यदि कोई विशिष्ट मामला जानकारी में लाया जाता है तो सरकार द्वारा उसकी जांच की जा सकती है।

ई० पी० आई० द्वारा कुवैत में आवासीय परियोजनाएं

3892. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० पी० आई० ने कुवैत में आवासीय परियोजना लगभग पूरी कर ली है;

(ख) क्या ई० पी० आई० ने किसी और ऐसे परियोजनाओं की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो कुवैत योजना के पूरे हो जाने बाद बेकार हो जाने वाले श्रमिकों का सरकार किस प्रकार उपयोग करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) जी, हां। कुवैत में ऐन बाघजी हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ई० पी० आई० ने भारत और विदेशों में अनेक निविदाएं प्रस्तुत की हैं और इसे कुछ और कार्यों के प्राप्त होने की आशा है।

प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3893. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री जय नारायण रौत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के द्रुत कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक पूर्ति विभागों को भी इन बैठकों में भाग लेने को कहा जाएगा; और

(ग) प्रस्तावित समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा और यह किस सीमा तक सरकार को यह सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि देश में वस्तुओं की पर्याप्त रूप से सप्लाई की जाए ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए योजना आयोग में एक एकक की स्थापना की जा रही है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति का प्रबोधन करने के लिए समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि नागरिक पूर्ति मन्त्रालय ने उस मंत्रालय से संबंधित विषयों के बारे में प्रगति की आवधिक समीक्षा करने, इस सम्बन्ध में और अधिक सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने और विषयों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की है। यह निर्णय किया गया है कि दो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक पूर्ति सचिवों/आयुक्तों को बारी-बारी से इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिए कर्नाटक में केन्द्र द्वारा आयोजित योजना

3894. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों में ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिये एक केन्द्रीय योजना आयोजित की है; और

(क) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा आयोजित इस योजना में कर्नाटक राज्य के कौन-कौन से जिलों को शामिल किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में, इस योजना को आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में लागू किया जा रहा है। इस योजना को अभी कर्नाटक राज्य में लागू नहीं किया गया है।

1981 के दौरान राजधानी में सीमेन्ट की कमी

3895. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री राम विलास पासवान : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 के दौरान राजधानी में सीमेंट की अत्यधिक कमी रही है और मरम्मत तथा छोटे कार्य के लिये भी उपभोक्ताओं को सीमेंट आसानी से नहीं मिलता था तथा उन्हें भारी कीमतें देनी पड़ी थीं;

(ख) यदि हां तो चालू वर्ष 1982 के दौरान राजधानी में सीमेंट की मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी में सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिये राजधानी का सीमेंट का कोटा बढ़ाने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1981 में, दिल्ली को आवंटनों के मुकाबले 96 प्रतिशत सीमेंट की पूर्ति की गई। वर्ष 1981 में सीमेंट एक पूर्णतया नियन्त्रित वस्तु थी तथा परमिट धारियों ने नियंत्रित मूल्य पर सीमेंट प्राप्त किया।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि दिल्ली में प्रति तिमाही 2.32 लाख मी० टन सीमेंट की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1982 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च 1982) में दिल्ली प्रशासन को 1,18,400 मी० टन सीमेंट का आवंटन किया गया था। 15-2-82 तक इस आवंटन में से 50,534 मी० टन सीमेंट की पूर्ति कर दी गई थी।

(ग) सीमेंट के वितरण और मूल्य पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने सम्बन्धी सरकार के हाल ही के निर्णय को देखते हुए, राज्यों और संघशासित प्रदेशों को अप्रैल, 1982 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए सीमेंट के किए जाने वाले आवंटनों का हिसाब लगाया जा रहा है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ना

3896. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान राजधानी में वायु प्रदूषण पर्याप्त बढ़ गया है;

(ख) क्या दिल्ली के कुछ संस्थानों ने राजधानी में प्रदूषण स्तरों का पता लगा लिया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। पर्यावरणीय विज्ञान स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली।

(ग) भारत सरकार ने वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया है।

दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या का अध्ययन करने और इसके निवारण तथा नियन्त्रण के लिये कार्य-योजना का सुझाव देने का कार्य पर्यावरणीय विज्ञान स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को सौंपा है।

सीमेन्ट के मामले में जमाखोरी और मुनाफाखोरी

3897. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान सीमेंट में जमाखोरी और मुनाफाखोरी के कितने मामले सरकार के नोटिस में लाये गये थे;

(ख) सीमेंट कितनी मात्रा में पकड़ा गया और इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये;

(ग) गिरफतार किये गये व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ऐसे मामलों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) सीमेंट वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को थोक आबंटन किया जाता है जो सिंचाई तथा बिजली को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में स्वविवेक से उसका उप आबंटन करती है। सीमेंट एक आवश्यक वस्तु होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आती है। यदि इसके प्रावधानों का कोई अतिक्रमण होता है तो राज्य सरकारें उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत उन पर कार्यवाही कर सकती है। अतएव यथा-वांछित ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

वोट क्लब में अनूसूचित जातियो की रेली

3898. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ (रजिस्टर्ड) अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली के तत्वावधान के अन्तर्गत 16 दिसम्बर, 1981 को वोट क्लब में हजारों लोगों द्वारा एक रेली की गई थी और उत्तर प्रदेश के मनीपुर जिले के देवली गांव में अनुसूचित जातियों, विशेषकर जाटवों, के सहारे के खिलाफ एक ज्ञापन दिया था जिसमें वहां की स्थिति के प्रति राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा उदासीन रुख अपनाने का आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ (रजि०) का दिनांक 16 दिसम्बर, 1981 का एक अभ्यावेदन जो राष्ट्रपति को सम्बोधित था, गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था और संघ को उत्तर भेज दिया गया था, । अभ्यावेदन मुख्यतः मैनपुरी जिले (उत्तर प्रदेश) के देवली गांव में हरिजनों की हत्या से संबंधित था ।

राज्य सरकार की सूचना के अनुसान देवली की घटना के मामले की अभी जांच की जा रही है । कुल 24 अभियुक्तों में से 18 अभियुक्त व्यक्तियों को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है । आत्मसमर्पण कर दिया है । मारे गए हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति परिवारों के लाभ के लिए योजनाएं आरम्भ की हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि सरकार का व्यवहार उदासीन है ।

"ससपेंडेड आई० ए० एस० मैन टू बी प्रोसिक्यूटेड" शीर्षक समाचार

3899. **श्री हरिनाथ मिश्र** :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1982 को इण्डियन एक्सप्रैस में "ससपेंडेड आई० ए० एस० मैन टू बी प्रोसिक्यूटेड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि "आचरण का उल्लंघन" करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निलम्बित किए गए आई० ए० एल० अधिकारी को मध्य प्रदेश की एक महिला संसद सदस्या का "शील भंग" करने का प्रयत्न करने के आरोप में धारा 354 भा० द० प्र० के अधीन गिरफ्तार किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय विधि मन्त्रालय की राय मांगी थी और क्या उसने आई० ए० एस० अधिकारी को गिरफ्तार करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर हां में है तो उक्त अधिकारी को निलम्बित करने तथा गिरफ्तार करने के प्रति सहमत होने के लिए इस मन्त्रालय के समक्ष क्या सामग्री प्रस्तुत की गई थी ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी, 1982 को केन्द्रीय सरकार को सूचित किया कि राज्य पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किए जाने के परिणाम स्वरूप उक्त

अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 और भारतीय रेल आधुनियम की धारा 120 के अधीन दो अपराध सिद्ध हो गए थे और भारत के महान्यायवादी की राय लेने के पश्चात् मामला प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार था।

(घ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू होने वाले संगठन नियमों के अधीन राज्य सरकारें राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य को निलम्बित करने में सक्षम हैं। उन अपराधों को छोड़कर, जिनके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 के अधीन अभियोजन अतेक्षित होता है, राज्य सरकारें अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य पर अभियोजन चलाने के लिए भी सक्षम हैं। इस प्रकार इस मामले में उक्त अधिकारी के निलंबन और अभियोजन से केन्द्रीय सरकार के सहमत होने का प्रश्न ही नहीं था।

हितवाद द्वारा पालेकर अवार्ड (पंचाट) लागू न किया जाना

3900. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच हैं कि हितवाद और ए० इ० पी० प्रैस, जहां हितवाद की छपाई होती है, के मालिकों ते पालेकर अवार्ड लागू नहीं किया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि हितवाद, नागपुर ने पालेकर अधिकरणों की शिफारिशों के संबंध में सरकारी आदेशों को लागू कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हितवाद, जबलपुर ने आदेशों को लागू कर दिया है, परन्तु भोपाल से प्रकाशित होने वाले हितवाद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है मैसर्स ए० ई० पी० प्रैस के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विदेशो में रह रहे भारतीयों को भारत में वापस आने का अवसर

3901. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** :

श्री के० मालन्ना :

श्री ए० एस० बी० सिदनाल :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री हरिनन्थ मिश्र : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में कार्य कर रहे अत्यधिक अर्हता प्राप्त भारतीय व्यक्ति अपने देश में वापस आना और यहां अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना चाहते हैं;

(ख) क्या विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीयों, जो अत्यंत मेधावी हैं और असाधारण रूप से प्रभावशाली हैं, को भारत में कार्य करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किये जा सके इस बारे में कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) क्या विदेशों में रह रहे ऐसे भारतीयों के साथ ऐसा कोई सम्पर्क बनाये रखने और उनकी विशेषज्ञ योग्यता के अनुरूप उनके लिए रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए देश में एक संगठन स्थापित करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री पी० एन० सिंह) : (क) विदेशों में बहुत बड़ी संख्या में उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद कार्य कर रहे हैं। उनमें से बहुतों ने संकेत किया है कि उन्हें भारत आने में खुशी होगी कि वे अपने ज्ञान को राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग कर सकें। इनमें से कुछ स्थायी रूप से लौटना चाहते हैं और अन्य थोड़े समय के लिए।

(ख) और (ग) सरकार प्राथमिकता के आधार पर विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदो की विशेष योग्यता को उपयोग में लाने के सारे प्रश्न पर विचार कर रही है। मंत्रीमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति ने इस विषय पर सविस्तार चर्चा की है और कार्यबल ने कुछ शिफारिशें पेश की हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इनके आधार पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है ताकि विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदो की वापसी से संबंधित सभी मुद्दो की निरन्तर आधार पर समीक्षा की जा सके और उन सभी के लिए केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य कर सके। यह समिति, विदेशों से थोड़े समय के लिये आने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों और जो दीर्घकालीन आधार पर भारत आना चाहते हैं, या यहां आकर औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, के मामले भी निपटायेगी। समिति इन समस्याओं का विश्लेषण करने और इनका समाधान करने और इन प्रयासों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के बारे में सहायता करेगी। प्रक्रियाओं को सरल करने और विदशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों को संगत सूचना प्राप्त करने के बारे में एक सम्पूर्ण "पैकेज कार्यक्रम" तैयार किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों और विषयों में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से संबंधित ब्यौरे सी० एस० आई० आर० द्वारा उनके "इंडियन्स एब्राड रजिस्टर" कार्यक्रम के अधीन और विभिन्न विभागों विशेष-कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की कई अन्य योजनाओं के अधीन एकत्रित किये गये हैं।

अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और विकास

3902. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन छिपे हुए विद्रही नेताओं द्वारा अमानवीय उत्पीड़न से भयभीत होने के पश्चात् उत्तरी वर्मा से जुड़े अरुणाचल प्रदेश के तीरप क्षेत्र के टंगसा, नोम्हे, बांचू आदि आदि-

वासियों, जिनका तीरप क्षेत्र के लोगों से खून का संबंध है, के तीरप क्षेत्र में आने से वहां अशांति का वातावरण छा गया है और इस क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी एजेंट, भूमिगत विद्रोही तथा ईसाई चर्च अथवा संगठन इस क्षेत्र में असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं और इस प्रकार भारत-विरोधी भावना को उत्तेजित कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए क्या विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नवम्बर, 1981 में 199 बर्मी राष्ट्रिक सीमा पार करके अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले में आए। उनके अनुसार उन्होंने निकटवर्ती बर्मी क्षेत्र में सक्रिय भूमिगत नागाओं की धमकियों से बचने के लिए भारत में शरण ली। 10 शरणार्थी वापस चले गये हैं।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

(ग) शेष शरणार्थियों की वापसी के प्रश्न के बारे में भारत सरकार द्वारा वर्मा सरकार के साथ बातचीत की गई है। आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए भी उपाय किए गए हैं।

तिहाड़ जेल दिल्ली के निकट नारी निकेतन से भागी महिलाएं

3903. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1 जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान तिहाड़ जेल, दिल्ली के निकट नारी निकेतन से कितनी महिलाएं भागी हैं;

(ख) उनमें से कितनी महिलाओं की खोज की जा चुकी है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कि ये महिलाएं नारी निकेतन से क्यों भागी; कोई जांच कराई है; और

(घ) क्या नारी निकेतन के, प्रबंधकर्ता और कर्मचारियों द्वारा की गई किसी अनियमितता का पता चला है और यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) और (ख) आंकड़े नीचे दिये गये हैं--

वर्ष	भागी हुई महिलाओं की संख्या	उनमें से जिन महिलाओं का पता लगाया गया उनकी संख्या
1980	2	शून्य
1981	22	9
1982 (31-1-82 तक)	शून्य	शून्य

(ग) और (घ) इन लड़कियों को या तो पुलिस अथवा न्यायिक अधिकारियों के कहने पर नारी निकेतन में रखा गया था क्योंकि यह खतरा था कि उनका शोषण किया जा सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ नारी निकेतन के कार्यकलाप में कुछ खामियों के विषय में दायर रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय ने एक जांच पैनल नियुक्त किया और पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए अंतिरिम निर्देशों का पालन किया गया है। विभिन्न अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और गैर सरकारी प्रतिष्ठित महिला सदस्यों सहित बोर्ड आफ विजिटर्स स्थापित किया गया है।

हरियाणा सरकार को सीमेन्ट की सप्लाई न किया जाना

3904. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार को सीमेंट के नवीनतम कोटे की सप्लाई नहीं की गई जिसके कारण विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण कार्य रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) हरियाणा राज्य में सीमेंट की इकट्ठी आपूर्ति हरियाणा में स्थिति सीमेंट कारखानों और राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के आस-पास के कारखाने से की जाती है। इन राज्यों में बिजली में कटौती कर देने के कारण उत्पादन में कमी आई है जिससे हरियाणा राज्य सहित इन कारखानों से सभी राज्यों को की जाने वाली आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अतः सम्भव है कि हरियाणा में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है संबंधित राज्य सरकारों से सीमेंट कारखानों का बिजली की कटौती से छूट देने का अनुरोध किया गया है।

टिस्को का कार्यकरण

3905. **श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि टिस्को के 46 प्रतिशत शेयर सरकार और उसके वित्तीय संगठनों के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय टिस्को बोर्ड में 17 कार्यरत निदेशकों में से केवल एक निदेशक सरकार द्वारा नामांकित है और वह भी पिछले दो वर्षों में हुई 19 बैठको में केवल 3 बैठकों में उपस्थित हुआ था;

(ग) क्या उद्योग के मामलों को नियमित रूप से बताने के लिए शेयर और निदेशकों की संख्या में कोई आपसी संबंध है; यदि हां, तो तथ्यों से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) टिस्को के मामले में प्रतिनिधित्व के इस सामान्य मानदण्ड को लागू रकरने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) टिस्को की कुल ईक्विटी पूंजी में 42.61 प्रतिशत तथा कुल अभिधान पूंजी में 35.12 प्रतिशत पूंजी सरकारी वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकार की लगी हुई है।

(ख) टिस्को के निदेशक-मण्डल में वित्तीय संस्थानों के दो निदेशकों के अलावा सरकार द्वारा नामित किया गया एक निदेशक है। गत दो वर्षों में (17 मार्च, 1980 से 16 मार्च, 1982 तक) टिस्को के निदेशक-मण्डल की 18 बैठकें हुई। इनमें से 4 बैठकों में सरकारी निदेशक तथा वित्तीय संस्थाओं के एक निदेशक ने भाग लिया और 11 बैठकों में अन्य निदेशकों ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) निदेशक-मण्डल में निदेशकों की संख्या कम्पनी की अंतर्नियमावली के अनुसार निश्चित की जाती है। टिस्को की अंतर्नियमावली में वित्तीय संस्थानों के दो निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा एक निदेशक मनोनीत करने की व्यवस्था है।

राज्यों द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना

3906. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के संबंध में राज्यों की क्या स्थिति है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए संसधान जुटाने के संबंध में प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी प्रगति की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) छठी योजना के पहले 2 वर्षों में 1980.81 और 1981-82 में किएगए उपायों से अनुमानित प्राप्ति राज्यवार **संलग्न दिवरण में** दी गई है। राज्य सरकारें वर्ष 1982-83 में और भी उपाय करने के लिए सहमत हुई हैं जिनसे होने वाली प्राप्ति वर्ष के अंत में मालूम होगी।

विवरण

वर्ष 1980-81 और 1981-82 में राज्यों द्वारा जुटाये गये/जुटाये जाने वाले अतिरिक्त संसाधन†

(करोड़ रु०)

राज्य	1980-81 (आरंभिक वास्तविक) वर्ष 1980-81 के उपायों से प्राप्ति	1988 1-82 (अद्यतन अनुमान) 1980-81 के उपायों से प्राप्ति	1981-82 के उपायों से प्राप्ति
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	32.84	71.87	40.32 अ
2. असम	2.59	15.84	9.05
3. बिहार	28.23	69.26	50.78
4. गुजरात	20.72	23.24	122.95
5. हरियाणा	12.01	33.09	18.53 अ
6. हिसाचल प्रदेश	2.50	3.14	4.67
7. जम्मू और कश्मीर	5.10	8.59	16.97
8. कर्नाटन	47.69	87.10	25.36
9. केरल	11.73	23.69	3.92
10. मध्य प्रदेश	34.25	73.16	53.43 अ
11. महाराष्ट्र	15.16	56.94	127.80
12. मणिपुर	—	0.98	0.50
13. मेघालय	0.38	1.83	0.46
14. नागालैंड	0.10	0.40	0.34
15. उड़ीसा	19.23	26.06	39.53
16. पंजाब	8.20	26.66	64.70
17. राजस्थान	12.69	16.68	54.73
18. सिक्किम	0.02	0.15	0.42
19. तमिलनाडू	8.32	39.57	126.71 अ
20. त्रिपुरा	0.07	0.47	0.14
21. उत्तर प्रदेश	52.88	82.70	57.26
22. पश्चिम बंगाल	35.05	50.71	24.29
जोड़ (राज्य) :	349.76	711.13	843.86

† 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों से संबंधित विचार-विमर्श में लगाए गए अनुमानों के आधार पर।

अ अनंतिम

वर्ष 1977 से 1982 के दौरान राज्यों और संघ क्षेत्रों को आवंटित सीमेन्ट और अनधिकृत व्यक्तियों को इसका वितरण

3907. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1979 से 1982 के दौरान, वर्ष वार आंकड़ों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितना सीमेंट आवंटित किया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य से सीमेंट उन लोगों संस्थानों अथवा संगठनों को, जिनके लिए सीमेंट नहीं किया गया था, वितरित करने के बारें में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसका राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) जैसा कि बताया जा चुका है सीमेंट की कमी की स्थिति में कदाचारों को नकारा नहीं जा सकता । किन्तु इस प्रकार की शिकायतों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते और इसलिये, इनका ब्यौरा देना कठिन है । केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्हें शक्तियां हस्तांतरित कर दी हैं ।

विवरण

वर्ष 1979 से 1981 और तिमाही 1/82 में राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सीमेंट का आबंटन दर्शाने वाला विवरण (तदर्थ आधार किये गये आबंटन सहित यदि कोई हो) ।

(आंकड़े "000 मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आबंटन			
		1979	1980	1981	तिमाही 1/82
1	2	3	4	5	6
1.	असम	253.5	219.0	227.8	71.2 × ×
2.	बिहार	1109.1	914.6	1031.8	232.7 × × ×
3.	उड़ीसा	394.1	431.9	408.4	108.9
4.	पश्चिम बंगाल	1419.6	1195.6	1313.5	357.3
5.	मणिपुर	43.0	46.5	70 0	15.0
6.	नागालैंड	43.0	46.5	53.0	15.0
7.	अरुणाचल प्रदेश	45.0	52.0	52.0	13.0
8.	त्रिपुरा	43.0	49.0	64.0	16.0

1	2	3	4	5	6
9.	मेघालय	64.5	66·0	73.0	20.0
10.	सिक्किम	43.0	44.6	56.3	15.0
11.	मिजोरम	25.8	26.4	26.4	6.0
12.	गुजरात	1692.5	1539.3	1531 0	379.5
13.	मध्य प्रदेश	784.1	746.1	990.0	200.0 × × × × ×
14.	महाराष्ट्र	2213.5	2103.5	2119.1	519.4
15.	गोवा, दमन व द्वीव	127.3	120 2	112.0	35.9 × × × ×
16.	दादरा नगर हवेली	10.9	11.6	12.0	3.0
17.	हरियाणा	689.5	619.5	674.3	141.4 ×
18·	राजस्थान	629.3	571.7	631.8	163.7
19.	उत्तर प्रदेश	2238.5	1952.3	2194.3	589.0
20.	हिमाचल प्रदेश	135.3	118.0	126.5	31.9
21.	जम्मू और कश्मीर	196.0	184.4	186.0	47.6
22.	पंजाब	985.1	911.9	917.0	224.5
23.	चंडीगढ़	84.9	83.6	100.0	25 6
24.	दिल्ली	536.5	527.2	474.1	118.4
25.	आंन्ध्र प्रदेश	1533.5	1551.5	1499.2	371.8
26.	तमिलनाडु	1523·8	1529.9	1497.1	389.4
27.	कर्नाटक	1232.1	1025.7	1050.5	208.0 × × × × × ×
28,	केरल	886.9	983.7	1045.2	195.2
29.	पांडिचेरी	43.0	45.0	48.0	12 0
30.	अण्डमान और निकोबार	12.9	18.3	20.0	5.0
31.	लक्षद्वीप	6.7	7.6	7.6	1.9

× हरियाणा राज्य सरकार द्वारा तिमाही 1/82 में की गई बिजली में कटौती के कारण तिमाही 4/81 में बढ़ाई गई 12700 मी० टन की मात्रा वापस ले ली गई है।

× × असम को तिमाही 1/82 में किया गया 5000 मी० टन का अग्रिम आवंटन तिमाही 2/82 में समायोजित कर दिया जाएगा।

× × × बिहार राज्य सरकार द्वारा तिमाही 1/82 में की गई बिजली कटौती के कारण तिमाही 4/81 में बढ़ाई गई 69,000 मीट० टन की मात्रा वापस ले ली गई है।

× × × × तिमाही 1/82 में गोआ को किया गया 7,000 मी० टन का अग्रिम आवंटन तिमाही 2/82 में समायोजित कर दिया जाएगा।

× × × × × मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सीमेंट कारखानों की बिजली में कटौती कर दी जाने के कारण 53,000 मी० टन की मात्रा वापस ले ली गई है।

× × × × × × कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा तिमाही के दौरान सीमेंट उद्योग की बिजली में की गई कटौती के कारण बढ़ाई गई 36,500 मी० टन की मात्रा वापस ले ली गई है।

दिल्ली में हरिजनों को सीमेंट का आबंटन

3908. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपने मकान बनाने और उनमें मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा हरिजनों को सीमेंट उपलब्ध कराई जा रही है; और प्रत्येक मामले में सीमेंट की मात्रा दर्शाते हुए यह बताया जाय कि राशन कार्ड के बिना और राशन कार्ड पर कितने हरिजनों को सीमेंट दिया गया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के हरिजनों और गरीब झुग्गी निवासियों को सीमेंट उपलब्ध कराने की भी कोई योजना है जो अपनी झुग्गियां बनाना चाहते हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजजी चानना) : (क) तथा (ख) सीमेंट के आंशिक विनिन्त्रण के फलस्वरूप, देहली प्रशासन सहित सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को इस प्रकार के निदेश दे दिये गये हैं कि समाज के कमजोर वर्गों सहित उन सभी लोगों को स्वीकृत नक्शों के अनुसार 80 वर्ग मीटर तक कुर्सी क्षेत्र (प्लिन्थ एरिया) वाली आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु लेवी सीमेंट दिया जाएगा । मांग की वास्तविकता की जांच करने के पश्चात आवासीय इकाइयों की मरम्मत के लिये भी परमिट पर अल्प मात्रा में सभी को सीमेंट दिया जाएगा जिसमें हरिजन भी शामिल हैं । चूंकि निर्धारित आवेदन फार्म में आवेदक के हरिजन होने या न होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है इसलिये यह हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि सीमेंट के आवंटन के लिये आवेदन देने वालों में कितने आवेदक हरिजन थे और उन्हें कितना सीमेंट जारी किया गया था ।

अतिरिक्त क्षमता का उपयोग

3909. **श्री एस० एस० कृष्ण :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक उपक्रम अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और वे कितना अधिक उत्पादन कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी कार्यवाही वर्ष 1982-83 में उत्पादन बढ़ाने की घोषित नीति के विरुद्ध होगी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :

(क) सरकार को यह पता है कि कुछ एकक अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं ।

(ख) अधिक उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नामों के बारे में उद्योग मंत्रालय में सविवरण आंकड़े केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि यह आवश्यक नहीं है कि अतिरिक्त उत्पादन अतिरिक्त क्षमता के परिणामस्वरूप ही हुआ हो तथा यह भी कि लाइसेंस प्राप्त क्षमता अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप न रही हो, सरकार ने निम्नलिखित अभ्युपाय किए हैं :—

(1) 34 चुने हुए उद्योगों के सम्बन्ध में अतिरिक्त क्षमता को नियमित करना ।

(2) उद्योग (विकास तमा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर उत्पादन क्षमता का पृष्ठांकन ।

(3) कार्य चालू रखने सम्बन्धी लाइसेंस पर उत्पादन क्षमता का पृष्ठांकन ।

वर्ष 1982-83 में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रकरण पर सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्रकरण के गुणावगुणों के आधार पर ही विचार किया जायेगा ।

ऊर्जा के वैकल्पिक साधन

3910. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों यथा सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा, के दोहन को बढ़ावा देने के विचार से केन्द्रीय सरकार ने इन ऊर्जा साधनों के दोहन के लिए प्रयुक्त उपकरणों पर से लाइसेंस छूट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकारी अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा रही है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल टी-3665/82]

तिस्वल्ला क्षेत्र, केरल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बाल्व डिवीजन की स्थापना

3911. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के प्रस्तावित वाल्व डिवीजन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने आलप्पी में तिस्वल्ला में वाल्वा डिवीजन की स्थापना के लिए अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बी. एच. ई. एल. अपने तिरुचि स्थित बायलर संयंत्र में वाल्वों का निर्माण करता है । कम्पनी ने 827 लाख रु. की अनुमानित लागत पर वाल्व उत्पादन की अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे अभी तक मंजूरी के लिए सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले में निर्णय लेते समय केरल सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जायेगा ।

सभी शिक्षित युवकों को रोजगार

912. **प्रो० पी० जे० कुरियन : श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में शिक्षित युवकों में निरन्तर बढ़ती बेरोजगारी का पता है; और

(ख) क्या एक निश्चित अवधि के भीतर सभी को रोजगार देने की कोई विशेष योजना विचाराधीन है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मबीर) : (क) और (ख) सरकार की शिक्षित युवकों में बेरोजगारी की जानकारी है । इस समस्या का हल करने के लिए की जा रही कार्रवाईयां विवरण में निर्दिष्ट की गई हैं ।

विवरण

बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रस्तावित कार्यवाईयां

छठी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी तथा गरीबी के प्रभाव क्षेत्र में उत्तरोत्तर कमी लाना है । छठी पंचवर्षीय योजना में अनेक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं जिनसे

शिक्षितों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, कृषि संबंधी प्रसार प्रणाली का विस्तार, कृषि अनुसंधान कार्यक्रम, कृषि जनगणना और फार्म मैनेजमेंट अध्ययन सम्बन्धी योजनाएं, आपरेशन फ्लड II परियोजना के तकनीकी तथा इन्फ्रास्ट्रक्चरल पहलू, इन्लैंड फिशरीज प्रोजेक्ट, ब्लाक स्तर आयोजना आदि में सर्वेक्षण, योजना, मानीटरिंग आदि कार्यकलाप।

2. छठी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के लिए विकेन्द्रित नीति अपनाने का प्रस्ताव है ताकि बेरोजगारी की समस्या के प्रति विकेन्द्रित रवैया सुविधा से अपनाया जा सके। जिला स्तर पर रोजगार आयोजना के लिए शीर्ष केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए सभी जिलों में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदें प्रत्येक जिले से सम्बद्ध रोजगार नीतियां तथा योजनाएं बनायेंगी तथा उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी। 10 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने; अपने जिलों में ऐसी परिषदें स्थापित की हैं।

3. छठी योजना में प्रस्तावित स्व-नियोजितों के सम्बन्ध में पुर्नव्यवस्था के एक भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्व-नियोजन को बढ़ावा देने के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर मार्ग दर्शन समिति गठित की गई है। एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी उद्यमकर्त्ता विकास बोर्ड का भी गठन किया गया है ताकि बेरोजगार वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को लाभप्रद स्व-नियोजन संबंधी आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

केरल में परमाणु विद्युत संयंत्र

3913. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने देश के पश्चिमी उत्तरी तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघर लगाने के लिये उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के वास्ते एक स्थल-चयन समिति नियुक्त की है। दक्षिणी क्षेत्र के बारे में, जिसमें केरल भी आता है, समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मिर्जापुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करना

3914. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी जिले अथवा खण्ड को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के मान-

दण्ड क्या हैं और उत्तर प्रदेश में कितने जिलों और खण्डों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी खण्ड अथवा जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए जो मानदण्ड स्वीकार किए गए हैं, वे मिर्जापुर जिले में पाये गये हैं लेकिन इस जिले को अब तब औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो मिर्जापुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने संबंधी प्रयोजनों के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित राज्य सरकारों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अपनाए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित है :—

1. प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यक फसल का उत्पादन जो क्या जिला प्रधानतः खाद्यान्नों/नकद फसलों का उत्पादक है।
2. जनसंख्या में खेतीहर मजदूरों का अनुपात।
3. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल)
4. प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या में कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा इसके विकल्प में प्रत्येक एक लाख जनसंख्या में से द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों की संख्या।
5. बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत।
6. जनसंख्या को देखते हुए समतल सड़कों की लम्बाई अथवा रेल लाइन की मीलों में लम्बाई।

यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि वित्तीय संस्थानों के उपयुक्त प्रोत्साहनों के लिए केवल वे जिले ही चुने जा सकते हैं जिनके सूचकांक राज्य के औसत से बहुत ही कम है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 38 जिलों का पता लगाया गया था। इन जिलों में से 6 जिलों को केन्द्रीय निवेश राज सहायता का भी पात्र माना गया है (ऐसे पिछड़े क्षेत्रों/जिलों की सूचियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं)।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले को सावधिक ऋणदायी संस्थानों की रियायती वित्त सुविधाओं की पात्रता के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला नहीं माना गया है।

"औद्योगिक छितराव" पर शिवारमण समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार करने के बाद ही इस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने का निर्णय लिया जायेगा।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण

3915. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के मुख्य कार्यालय को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित कारणों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पंजीकृत और मुख्य कार्यालयों को दिल्ली से बाहर रखना चाहती है :--

(1) राजधानी में भीड़-भाड़ कम करना; तथा

(2) उपक्रमों के कार्यालयों को उनके परियोजना स्थलों पर या उसके निकट स्थापित करके उपक्रमों के कार्यचालन पर निकट से निगरानी सुनिश्चित करना।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये निदेश

3916. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को 1982-83 में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किसी सीमा तक उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है;

(ग) क्या औद्योगिक इकाइयों को ये निदेश प्राप्त हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन इकाइयों ने उत्पादन बढ़ाने में होने वाली किसी कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा महसूस की गई कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) औद्योगिक विकास विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को वर्ष 1982-83 के दौरान अपने उत्पादन में कम-से-कम 15 प्रतिशत की वृद्धि करने की सलाह दी गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के एककों से क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और अड़चनों को यदि कोई हों, दूर करने के लिए कहा गया है । उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता हो तो उसके विषय में भी सूचित करने के लिए उनसे कहा गया है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण का ज्ञापन

3917. **श्री चित्त बसु :** क्या उद्योग इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'क्षेत्रीयकरण' के मामले के बारे में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण कर्मचारी संघ का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में वर्ग 'ग' और 'घ' काडर को युक्तिसंगत बनाने की स्कीम को जी० एस० आई० कर्मचारी एसोसिएशन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

राज्य श्रम संघ रजिस्ट्रारों का सम्मेलन

3918. **श्री चित्त बसु :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1926 के श्रम संघ अधिनियम को कार्यान्वित करने के मामले पर चर्चा करने के लिए हाल ही में राज्य श्रम संघ पत्रकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या परिणाम रहा ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रारों की एक बैठक श्रम सचिव की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1982 को हुई थी । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ट्रेड

यूनियन रजिस्ट्रारों द्वारा ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 को प्रशासित करने में अनुभव हुई समस्याओं का मूल्यांकन करना था।

(ख) सरकार ने ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रारों का एक कार्यकारी दल गठित किया है, जो इस बैठक में दिए गए विभिन्न सुझावों की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को 30 जून, 1982 तक प्रस्तुत करेगा।

बिहार की कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना

3919. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों की सूची में अपने को शामिल करने के लिए खटवे, टंटवे और तान्ती समुदायों के दावों के बारे में पता लगाने के लिए दरभंगा, मधुबनी के क्षेत्रों और अन्य स्थानों में त्वरित सर्वेक्षण करने का कार्य जनगणना कार्य के बाद आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्वरित सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक, जिन्हें इस मामले में पत्र लिखा गया था, ने सुझाव दिया है कि उनके संगठन के लिए अन्य सर्वेक्षण करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि वे इस मामले में पहले ही एक उद्देश्यपूर्ण सर्वेक्षण कर चुके हैं। भारत के महापंजीयक ने आगे कहा कि उनकी क्षेत्रीय जांच-पड़ताल से प्रकाशित साहित्य से उपलब्ध यह सूचना साबित हुई कि ये समुदाय अछूत नहीं है।

इस बीच, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर संबंधित राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। उनमें से कुछ के विचार अभी प्राप्त होने हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

डाकुओं के साथ मुठभेडों में मारे गए व्यक्ति

3920. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री मंगल राम प्रेमी :

डा० ए० यु० आजमी :

श्री जगपाल सिंह :

श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान पूरे देश में "डाकुओं के साथ मुठभेड़" शीर्ष के अन्तर्गत कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) क्या सरकार को अनेक ऐसी शिकायतें मिली हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में कथित "मुठभेड़" के अन्तर्गत निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं या जानबूझ कर लोगों की हत्याएं की गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने "मुठभेड़" शीर्ष के अन्तर्गत जो राज्य प्राधिकारियों को "मुठभेड़" में मारे गए व्यक्ति "शीर्ष के अन्तर्गत लोगों की हत्यायें करने की खुली छूट देता है, व्यक्तियों को मारने संबंधी मानकों और शर्तों में परिवर्तन करने का विचार किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन विधि व व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों की रोकथाम करने और अपराधों से संबंधित कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं । इसलिए "डाकुओं के साथ मुठभेड़" शीर्ष के अन्तर्गत मारे गए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किये जाते । पुलिस के विरुद्ध शिकायतें और अन्य सम्बद्ध आपराधिक मामले मूलतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं । इसलिए झूठी मुठभेड़ों में पुलिस द्वारा बेकसूर व्यक्तियों की कथित हत्या करने के बारे में सभी शिकायतों की जांच करना और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करना राज्य सरकारों का कार्य है । फिर भी राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे डाकुओं को पकड़ने या अन्यथा उनसे निपटने में उचित सावधानी और विवेक से काम लें ।

दिल्ली में अपराध

3921. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में, सितम्बर, 1981 में तथा जनवरी-फरवरी, 1982 में हत्या, लूट-पाट और डकैती की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) इनकी रोक-थाम के लिए उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	हत्या	लूटपाट	डकेती
सितम्बर, 81	15	14	2
जनवरी, 1982	24	15	1
फरवरी, 1982	15	17	1

(ख) दिल्ली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी उपायों के अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने अपराध रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

(1) पुलिस सतर्कता में वृद्धि ।

(2) वाकी-टाकी सेटों और वायरलेस युक्त मोटर साइकिलों के साथ पैदल और चलती-फिरती गहन गश्त ।

(3) बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अधीन कार्रवाई ।

(4) आसूचना में वृद्धि करके डाकुओं, लुटेरों और अन्य बदमाश व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना ।

(5) अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त वाहनों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच करना ।

(6) ज्ञात अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना ।

(7) पुलिस की गश्ती टुकड़ियों के समन्वय से स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा टिकरी पहरा और गश्त का आयोजन ।

(8) छोड़े गए अपराधियों पर विशेष निगरानी ।

(9) असुरक्षित स्थानों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करना ।

(10) चुनिन्दा और सामरिक महत्व के स्थानों पर अवरोध खड़े करना ।

(11) निष्कासन की कार्रवाई को रोकना ।

(12) अन्य पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर-जिला बैठकें करना ।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को सीमेन्ट का आवंटन

3922. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1980-81 तथा 1981-82 में कितना सीमेंट आवंटित किया गया था और 1982-83 के दौरान अनुमानतः कितना मीट्रिक टन सीमेंट आवंटित किए जाने की संभावना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अन्य राज्य को विशेषकर कितना सीमेंट आवंटित किया गया था और चालू वर्ष में कितना आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या राज्यों को सीमेंट का वंटवारा करते समय आबादी के मानदण्ड को ध्यान में रखा गया था और यदि नहीं तो, इस आवंटन में क्या-क्या मानदण्ड अपनाया गया था।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को किए गए सीमेंट के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1982-83 के दौरान सीमेंट का कितना आवंटन किया जायेगा इस समय यह सूचना देना समय पूर्व है।

(ग) जी, हां। 4/81 की तिमाही से सीमेंट के आवंटन के मामले में जनसंख्या को ध्यान में रखा जा रहा है।

विवरण

1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों को किये गये सीमेंट के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्रों के नाम	आंकड़े 1000 मी० टन में	
	1980-81	1981-82
1	2	3
चन्डीगढ़	83.5	103.6
दिल्ली	534.9	467.6
हरियाण	651.8	624.3
हिमाचल प्रदेश	124.0	125.7
जम्मू और कश्मीर	191.4	187.0
पंजाब	909.5	905.0
राजस्थान	586.1	627.8
उत्तर प्रदेश	209.1	2207.9
आसाम	222.2	241.8
अरुणाचल प्रदेश	52.0	52.0
बिहार	944.7	1011.8
मेघालय	66.0	76.5
मिजोरम	26.4	26.4

1	2	3
मणिपुर	50.5	70.0
नागालैंड	47.5	56.0
उड़ीसा	435.6	395.6
सिक्किम	44.9	60.0
त्रिपुरा	54.0	64.0
पश्चिम बंगाल	1225.2	1355.2
दादरा और नागर हवेली	11.8	12.0
गोवा दमन और द्विव	121.5	120.0
गुजरात	1579.8	1507.0
मध्य प्रदेश	824.2	943.5
महाराष्ट्र	2148.3	2093.1
आन्ध्र प्रदेश	1629.7	1455.2
अण्डमान और निकोबार	20.0	20.0
कर्नाटक	1016.5	1008.5
केरल	1125.9	897.2
लक्षद्वीप	7.6	7.6
पाण्डिचेरी	46.0	48.0
तमिलनाडु	15×6.3	1469.6

बैलाडिला और अयस्क परियोजना का जापानी कम्पनी के साथ करार

3923. **श्री भीखा भाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना किरनुडुल द्वारा एक दीर्घावधि करार के अन्तर्गत एक जापानी कम्पनी को लौह अयस्क बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दीर्घावधि करार की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी;

(ग) क्या करार सदा के लिये मान्य है;

(घ) यदि नहीं, तो उनका मंत्रालय कितनी अवधि तक कच्चे लौह अयस्क का निर्यात करता रहेगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में प्रद्रावण (स्मेल्टिंग) और लाभ के लिये छोटे संयंत्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ग) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० (एम० एम० टी० सी०) तथा जापान की स्टील मिलों (जे० एस० एम०) के बीच 3 अप्रैल, 1970 को 1 अप्रैल, 1971 से 30 अप्रैल 1980 तक बैलाडिला से 612.6 लाख लॉग टन शुष्क लौह-अयस्क की सप्लाई के लिए एक दीर्घावधि करार किया गया था। परस्पर सहमति से इस करार को 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुआ मान लिया गया था। करार की अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात 421.1 लाख मीटरी टन हुआ। 31 मार्च, 1980 को जिस शेष मात्रा की सुपुर्दगी नहीं हो सकी थी उसे दोनों पक्षों के किसी दायित्व के बिना समाप्त हुआ मान लिया गया था।

फरवरी, 1980 में एम० एम० टी० सी० द्वारा जे० एस० एम० के साथ एक और करार किया गया था जिसके अनुसार इस बात पर सहमति हो गई थी कि जापान की स्टील मिलों को बैलाडिला के लौह-अयस्क की सप्लाई 1 अप्रैल, 1980 से लेकर पांच वर्ष की अवधि तक जारी रहेगी। लौह-अयस्क की वास्तविक मात्रा तथा मूल्य का निर्णय प्रत्येक सुपुर्दगी वर्ष के आरम्भ में किया जाना था।

(ख) करार की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखना हमारे वाणिज्यिक हित में न होगा।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में योजना में यह परिकल्पना की गई है कि भारत से लौह-अयस्क का निर्यात वर्ष 1979-80 के लगभग 240 लाख टन के स्तर से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 300 लाख टन पहुंच जायेगा। इसके अलावा कुद्रेमुख परियोजना से भी लगभग 50 लाख टन लौह-अयस्क सांद्रण का निर्यात किये जाने की सम्भावना है। सरकार सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखकर लौह-अयस्क की निर्यात नीति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

(ङ) और (च) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का, जो बैलाडिला की खानों का संचालन करती है, लौह-अयस्क से 20 लाख टन क्षमता का पैलेट सयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। निगम पैलेटों की बिक्री के लिये बाजार ढूंढने के विचार से इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। बैलाडिला की खानें विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की लौह-अयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगी। सरकार के पास बैलाडिला में अयस्क परिष्करण अथवा प्रद्रावक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

समेकित जनजातीय बिकास परियोजनाओं को धन का आवंटन

3924. **श्री भीखा भाई : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1970 में कुछ क्षेत्रों के लिए समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं आवंटित की थीं यद्यपि उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था;

(ख) समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं को अनुसूचित क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटित करने की नीति का आधार क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों का पिछड़ापन विरासत में मिला है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के राज्यपालों के माध्यम से भारत के संविधान की अनुसूची पांच के अधीन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक महत्व न देनें के क्या कारण हैं;

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं श्रीमान। समेकित जनजातीय विकास के लिये जनजातीय उप-योजना नीति जिसके अधीन जनजातीय विकास परियोजनाएं तैयार की जाती हैं, को केवल 1974-75 में लागू किया गया था। समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सामान्यत: अधिकांश अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय उप-योजना क्षेत्र पिछड़े हुए हैं।

(घ) थोड़े से अपवादों के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

"बोगस फ्रीडम फाइटर्स मेजर पेंशन कलेमेंटस" शीर्षक समाचार

3925. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "बोगस, फ्रीडम फाइटर्स मेजर पेंशन कलेमेंट्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सरकार को इंडियन एक्सप्रेस में "बोगस फ्रीडम फाइटर मेजर पेंशन क्लेमेंटस" शीर्षक समाचार की जानकारी है। यह कहना सही नहीं है कि बड़ी संख्या में झूठे दावेदार, झूठे दस्तावेजों के आधार पर और राजनीति संरक्षण में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लाभ उठा रहे हैं, जबकि सैकड़ों असली स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की कड़ी समीक्षा करके यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती जाती है कि पेंशन केवल असली स्वतंत्रता सेनानियों को स्वीकृत की जाए जो स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना, जिसका नाम अब स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना कर दिया गया है, में निर्धारित मानदण्ड पूरा करते हैं। परन्तु कुछ मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने गलत और झूठी सूचना/सबूत प्रस्तुत करके पेंशन प्राप्त की हैं। ऐसी शिकायतों की तत्परता के साथ जांच की जाती है और संदिग्ध मामलों में पुनः सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकार को लिखा जाता है। ऐसे मामलों में जहां पक्का अनुमान होता है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का हकदार नहीं है। आगे जांच पड़ताल होने तक पेंशन स्थगित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है। जांच पूरी होने पर यदि पेंशन गलत तरीके से प्राप्त की हुई पायी जाती है तो उसे रद्द किया जाता है। जहां यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने पेंशन प्राप्त करने के लिए गलत तरीके अपनाए थे, राज्य सरकारों को संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की वांछनीयता पर विचार करने की सलाह दी जाती है। परन्तु झुठे पेंशन प्राप्त कर्त्ताओं का पता लगाने के लिए कोई सुस्पष्ट सरकारी तंत्र नहीं है और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने वाले कुछ गलत व्यक्तियों की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अब तक 650 मामलों में पेंशन रद्द करने की कार्रवाई की जा चुकी है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करना

3926. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अपनी इस योजना के अन्तर्गत देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को शामिल करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध इस समय कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सेवा और इलाज की सुविधाएं प्रायोगिक आधार

पर जुलाई, 1973 से आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत निगम के कर्मचारियों को दी गई थीं। ये 1.2.82 से उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को दी गई। निगम ने अब यह सिद्धान्त रूप में निर्णय किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सुविधाएं धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी निगम के कर्मचारियों को दी जांए।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करना

3927. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं; और

(ख) क्या सरकार बढ़ईगिरी, इलैक्ट्रानिक्स, रेडियो मरम्मत आदि जैसे विभिन्न धन्धों में प्रशिक्षण के लिए इन केन्द्रों को शुरू करने पर विचार करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में से गढ़वाल, चमौली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी के छः जिले रियायती वित्त योजना के अन्तर्गत आते हैं। अल्मोड़ा जिला केन्द्रीय निवेश राजसहायता का भी पात्र है।

(ख) नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चालू करना या विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय चालू करना सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों का कार्य है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पहले से ही 19 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनमें से हमीरपुर, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में स्थित 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बढ़ईगीरी व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार अल्मोड़ा, गढ़वाल, चमौली तथा नैनीताल जिलों में स्थित 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इलैक्ट्रानिकी व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्मोड़ा उत्तरकाशी, गढ़बाल, चमौली, पिथौरागढ़ जिलों में स्थित 7 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मैकेनिक (रेडियो और टेलीविजन) के व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बढ़ईगीरी, इलैक्ट्रानिकी तथा मैकेनिक (रेडियो और टेलीविजन) के व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नामों को दर्शाने वाली सची विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची जिनमें बढ़ईगीरी, इलैक्ट्रानिकी तथा मैकेनिक (रेडियो तथा टेलीविजन) के व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

क्र० सं०	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	व्यवसाय	स्वीकृत संख्या
1.	औ. प्र. सं., अल्मोड़ा	1. इलैक्ट्रानिक्स	16
		2. मैक. (रेडियो तथा टेलीविजन)	16
2.	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चरकरी अमीरपुर	1. गढ़ईगीरी	—
3.	औ. प्र. सं, बारकोट	1. मैके. (रेडियो तथा टेलीविजन)	16
4.	औ. प्र. सं पोखरा पौड़ी गढ़वाल	1. बढ़ईगीरी	16
5.	औ. प्र. सं. टिहरी गढ़वाल	1. इलेक्ट्रानिक्स	16
6	औ. प्र. सं. दुगड्डा, गढ़वाल	1. मैके. (रेडियो तथा टेलीविजन)	16
7.	औ. प्र. सं. कर्णप्रयाग, चमौली	1. मैके. (रेडियो, टेलीविजन)	16
		2. इलैक्ट्रानिक्स	16
8.	औ. प्र. सं. तनकपुर, नैनीताल	1. बढ़ईगीरी	16
		2. मैके. (रेडियो टेलीविजन)	32
		3. इलैक्ट्रानिक्स	32
9.	औ. प्र. सं, पिथौरागढ़	1. मैके. (रेडियो टेलीविजन)	32
10.	औ. प्र. सं., काशीपुर नैनीताल	1. इलैक्ट्रानिक्स	16
		2. मैके. (रेडियो टेलीविजन)	32
11.	सरकारी तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल	1. बढ़ईगीरी	16

उत्तर प्रदेश में स्वर्ण और अन्य खनिज

3928. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हाल में सोने जैसी कीमती धातु के होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का किन-किन क्षेत्रों में ऐसे खनिज होने का पता चला है और ऐसे खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके खनन की योजना तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीरामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रारंभिक रिकार्ड के आधार पर, उत्तर प्रदेश के खनन और भूतत्व निदेशालय ने पौढ़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार क्षेत्र में कोलूचूर के आस-पास और पौढ़ी-गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों में कालागढ़ व कालाढुंगी के बीच के क्षेत्रों की पिंडाश्य संरचनाओं में स्वर्ण होने की सूचना दी है । कोटद्वार संरचनाएं हरिद्वार तक फैली हैं । प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इनमें 0.4 ग्राम प्रति टन स्वर्ण है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य सरकार के मूल्यांकन कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करने में सहायता देने की योजना बना रहा है ।

(ग) और (घ) अभी खोज चल रही है इसलिए अभी खनन की योजना नहीं बनाई गई है ।

विदेशी कांच के लैंसों के स्थान पर प्लास्टिक लैंसों का प्रयोग

3929. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कांच के लैंसों के स्थान पर प्लास्टिक के लैंस प्रयोग में लाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस समय विशेष रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए कांच के लैंस बनाने का काम करने वाली फर्मों को आने वाले कुछ वर्षों में कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्माण एककों के साथ इस मामले पर बातचीत की है और कम से कम आंशिक रूप से प्लास्टिक लैंसों का निर्माण करने हेतु उपयुक्त तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देगी ताकि हम निर्यात बाजार से पूरी तरह बाहर न कर दिये जायें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यह बताया गया है कि अमरीका और यूरोप के कुछ अन्य देशों में चाक्षुष (आप्थाल्मिक) प्रयोजनों के लिए कांच के शीशों के स्थान पर आप्थाल्मिक किस्म के प्लास्टिक के शीशों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(ख) चूंकि आप्थाल्मिक शीशों का उत्पादन करने वाले एककों द्वारा मुख्यत: मध्यपूर्वी देशों को ही निर्यात किया जाता है। अत: निकट भविष्य में निर्यात करने में उनको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने के मानदंड

3930. **श्री दौलत राम सारण :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) संविधान के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजभाषा के अतिरिक्त ऐसी भाषाओं के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में राजभाषाएं घोषित करने की मांग हैं और ऐसे कौन से स्वीकृत मानदंड हैं जिन्हें ये भाषाएं पूरा नहीं करती;

(ग) क्या राजस्थानी भाषा संविधान के अन्तर्गत राजभाषा घोषित किये जाने के सभी अपेक्षित अर्हताओं, स्वीकृत मानदण्डों और शर्तों को पूरा करती है;

(घ) क्या देश अथवा बाहर के अनेक भाषाविज्ञानियों ने राजस्थानी को समृद्ध, सक्षम और महत्वपूर्ण भाषा स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो राजस्थानी को राजभाषा कब तक घोषित करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) संघ सरकार तथा राज्य सरकारों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 और 345 में दिये हुए हैं। अनुच्छेद 343 के अधीन देवनागरी लिपिक में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है। जहां तक राज्यों की राजभाषाओं का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन राज्यों के विधान मण्डलों को यह अधिकार है कि वे विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अनेक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की राजभाषा या भाषाओं के तौर पर अपना लें। राजभाषा घोषित किये जाने के लिए और कोई मानदण्ड नहीं है।

(ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई माँग विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) सामान्य तौर पर भाषाविदों का यह मत रहा है कि भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र की दृष्टि से राजस्थानी, जिसके कई उपरूप जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवीय इत्यादि हैं, स्वयं में एक अलग भाषा नहीं है, बल्कि यह आधुनिक हिंदी की स्रोत बोलियों में से एक है । इसलिए राजस्थान वासियों ने हिंदी को ही साहित्य तथा शिक्षा की भाषा माना है । इसी प्रकार राजस्थान विधान सभा ने हिंदी को राज्य की राजभाषा घोषित किया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1970 में शुरू की गई आदिवासी परियोजनायें

3931. **श्री भोखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में किन-किन जिलों और राज्यों में आदिवासी परियोजनायें शुरू की गई थी;

(ख) ये समेकित आदिवासी विकास परियोजनायें, जो पूरी तरह से पिछड़े अनुसूचित क्षेत्रों में थी किन कारणों से अन्य राज्यों में, आवंटित नहीं की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हैं लेकिन समेकित आदिवासी विकास परियोजनायें अब तक राजस्थान में शुरू नहीं की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जनजातीय विकास एजेंसियों [ज. वि. ए.] जो विभिन्न जिलों और राज्यों में प्रयोग के तौर पर स्थापित की गई थी, इस प्रकार है:—

ज. वि. ए. का नाम	जिला	राज्य का नाम	प्रारंभिक वर्ष
सिंह भूम	सिंह भूम	बिहार	1971-72
श्री काकूलम	श्री काकूलम	आंध्र प्रदेश	1971-72
दंतेवाड़ा	बस्तर	मध्य प्रदेश	1971-72
कोंटा	बस्तर	— वही—	1971-72
परलाखमेड़ी	गंजम	उड़ीसा	1971-72
कोरापूट	कोरापुट	उड़ीसा	1971-72
क्योंझर	क्योंझर	,,	1972-74
फूलबनी	फूलबनी	,,	1973-74

(ख) जनजातीय विकास एजेंसियां प्रायोगिक रूप से आंध्र प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश और उड़ीसा के चुने हुए जनजातीय और समीपस्थ क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये आरम्भ की गई थी। सभी 8 ज. वि. ए. परियोजनाओं को 31 मार्च, 1979 को समाप्त कर दिया गया था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 के दौरान 16 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं (स. ज. वि. पं) आरम्भ की गई थी और इनमें सघन जनजातीय जनसख्या वाले सभी क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जांच (स. ज. वि. प.) अर्थात् राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही पांचवीं पंचवर्षीय योजना मे कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमालय क्षेत्र में जल विज्ञान संबंधी संभावनाएं

3932. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में जल विज्ञान संबंधी संभावनाओं का पता लगाने के लिए हिम नदों (ग्लेशियर्स) की एक सूची तैयार की है;

(ख) क्या पिघले हुए जल की उपलब्धता और विद्युत उत्पादन हेतु इसके उपयोग के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हिमालय क्षेत्र में हिमनदों के अध्ययन तथा उनकी सूची तैयार कर रहा है।

(ख) और (ग) हिमनदों के पिघले हुए जल से विद्युत उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए कुछ हिमनदों का अध्ययन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के गारा हिमनद तथा सिक्किम के चांगमे खांयपू हिमनद का अध्ययन उत्साहजनक नहीं था क्योंकि इन हिमनदों में एक वर्ष के दौरान गिरने वाली बर्फ की मात्रा कुछ पिघलन क्षमता से कम पाई गई।

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर पेय जल कियोस्क स्थापित किया जाना

3933. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में पानी बेचने वालों ने प्रति ग्लास 10 पैसे वसूल करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुल्यों में इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास जनता की सुविधा के लिये सार्वजनिक स्थानों और बाजारों आदि में पेयजल कियोस्क स्थापित करने की कोई योजना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निगम क्षेत्र के पानी बेचने वालों द्वारा ठंडे पानी के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने के संबंध में उनकी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। लेकिन पानी बेचने वाले ठंडे पानी के विक्रय मूल्य के मामले में दिल्ली नगर निगम के नियंत्रण के अधीन नहीं हैं। नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की प्याऊ पहले ही लगाई हुई हैं। किन्तु दिल्ली नगर निगम के पास ऐसी योजना नहीं है।

इस्पात संयत्रों का उत्पादन और उनकी क्षमता

3935. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात का उत्पादन करने वाले संयंत्रों का उत्पादन वर्ष 1981 के दौरान कितना था तथा उनकी क्षमता का कितना उपयोग हुआ;

(ख) वर्ष 1980 के आंकड़ों की तुलना में इस अवधि के दौरान किन एककों के उत्पादन में वृद्धि हुई और उनकी कितनी क्षमता का उपयोग हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों के उत्पादन में वृद्धि करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों का विश्लेषण किया है और क्या सरकार का विचार एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करने का है जिससे आवधिक मूल्यांकन किया जा सके और कठिनाइयों की ओर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा संगठन कब स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बरजीत चानना) : (क) वर्ष 1981 में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का उत्पादन और इसी अवधि में उनकी क्षमता का उपयोग नीचे दिया गया है :—

कारखाना	वर्ष 1981 के दौरान वास्तविक उत्पादन	(हजार टन) क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)
भिलाई	1836	93.4
दुर्गापुर	780	62.9
राउरकेला	1108	90.4
बोकारो	1373	69.7
इस्को	512	64.0
टिस्को	1577	105.1

(ख) "इस्को" को छोड़कर सभी कारखानों के उत्पादन और क्षमता के उपयोग में वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 1981 में सुधार हुआ है। "इस्को" में क्षमता का उपयोग लगभग उतना ही हुआ है।

(ग) और (घ) क्षमता का उपयोग मुख्यतः अवस्थापना सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण हुआ है । अवस्थापना सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० तथा सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतत् विचार किया जाता है। इस्पात कारखानों की अवस्थापना सुविधाएं पूरी करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मन्त्रालयों में वरिष्ठ अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारियों के पदों पर तदर्थ नियुक्ति

3936. **श्री अनवर अहमद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारियों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के क्या नियम-विनियम हैं और क्या मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिये अन्य मंत्रालयों/विभागों से भी आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इस नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/मंत्रालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या संचार मंत्रालय में हिन्दी अधिकारियों के 31 पद खाली हैं और क्या इन पदों पर तदर्थ नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र अन्य मंत्रालयों से और संघ लोक सेवा आयोग से नहीं मंगवाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और विशेष रूप से मंत्रालयों में भविष्य में वरिष्ठ अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारियों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों में की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तदर्थ नियुक्तियां केवल तभी की जाती हैं जब पदों पर भर्ती के लिए कोई नियम/विनियम नहीं बनाए गए हैं अथवा सेवा की आवश्यकताओं के कारण ऐसी नियुक्तियां किया जाना आवश्यक हो क्योंकि भर्ती नियमों में निर्धारित क्रियाविधि का तुरन्त पालन नहीं किया जा सकता। तदर्थ नियुक्तियां, यथासम्भव, सम्बन्धित भर्ती निगमों में दिए गए मानदण्डों के अनुसार ही करनी होती हैं। अतः यह पदों के भरे जाने के लिए निर्धारित भर्ती पद्धति पर निर्भर करता है कि अन्य मंत्रालयों से भी आवेदन पत्र मांगे जाने हैं अथवा नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिकों के लिये कानून

3937. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों में तीव्र मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय कानून बनाने का प्रश्न काफी लम्बी अवधि से संघ सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता लगता है कि वे सभी केन्द्रीय कानून की उपयोगिता से सहमत नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके अस्वीकार किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं और क्या सरकार ने कोई केन्द्रीय कानून बनाने से पूर्व सम्पूर्ण मामले का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यदल द्वारा अपनी सिफारिशें सरकार को कब तक दिए जाने की संभावना है।

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, जुलाई, 1980 से जब से प्रस्ताव ग्रामीण असंगठित श्रमिक विषयक केन्द्रीय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ग) जी, हां :

(घ) भिन्न-भिन्न राज्यों तथा राज्यों के भीतर व्याप्त विभिन्न स्थितियों के कारण एक-समान कानून लागू करने में कठिनाइयां बताई गई हैं। श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन ने कार्यकारी दल द्वारा गहन अध्ययन करने की सिफारिश की।

(ङ) कार्यकारी दल पहले ही इस मामले पर विचार कर चुका है और सरकार द्वारा अभी अन्तिम दृष्टिकोण निर्धारित किया जाना है।

स्वीडन के शिष्टमण्डल का भारत का दौरा

3938. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन के शिष्टमंडल के भारत के दौरे के दौरान रेपसीड प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इन्डो-स्वीडिश (भारत-स्वीडन) उप आयोग के अन्तर्गत, दोनों देशों में विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा तोरिया और सरसों के संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजना पर पहले से ही कार्य चल रहा है। तोरिया और सरसों परियोजना के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए एक 3 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने के लिए, एक 9-सदस्यीय स्वीडिश शिष्टमण्डल भारत आया। जिन मुख्य मुद्दों पर बातचीत की गयी, उनमें तोरिया आहार के प्रजनन और कृषि तकनीकों, प्रक्रिया और उत्पादन विकास और पौष्टिक और विष वैज्ञानिक पहलू थे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के आपसी हितों के लिए वैज्ञानिकों का आपसी आदान-प्रदान, जीव द्रव और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

3939. **श्री राम अवध** :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर की कोयला खानों में पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनमें कुल कितने हताहत हुए;

(ख) सरकार ने इन दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या तथा मारे गए व्यक्तियों और गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या (*)
1979	148	184	2051	2122
1980*	141	160	1980	2060
1981*	164	183	1771	1852

*अनन्तिम और संशोधन के अध्यधीन ।

(*) घातक दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों सहित ।

(ख) खान सुरक्षा महा निदेशालय ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. असुरक्षित कार्य प्रणाणियों में सुधार करने तथा जिम्मेवार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए मामलों को प्रबन्धतंत्र के साथ उठाया जाता है ।

2. प्रबन्धतंत्र को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा समितियों में सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करें ।

3. समय-समय पर उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अनुदेश जारी किए जाते हैं; और

4. जहां कहीं अधिकारियों का दोष बहुत गम्भीर प्रकार का होता है या प्रबन्धतंत्र दुर्घटनाओं के लिए उन जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही नहीं करता जो दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार ठहराये जाते हैं, उन मामलों में न्यायालय में मामले दायर किये जाते है ।

(ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा कर्मचार प्रतिकार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मुआवजा दिया जाता है । इस कार्य से संबंधित प्रशासन राज्य के क्षेत्राधिकार में आता हैं ।

कुतुब दुर्घटना रिपोर्ट

3940. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली की कुतुब दुर्घटना सम्बन्धी जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और उसमें क्या सुझाव/सिफारिश की गई हैं; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वयन करने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) जांच आयोग दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। जांच आयोग अधिनियम की धारा 3(4) के परन्तुक के अनुसार आयोग की रिपोर्ट, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ सभा पटल पर रखी जायेगी।

बाघा सीमा, अमृतसर में रिट्रीट समारोह

3941. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत पाकिस्तान के जवानों द्वारा अमृतसर में बाघा सीमा में रिट्रीट समारोह की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सीमा के किन्हीं अन्य भागों में ऐसा समारोह अथवा इसी तरह का कोई समारोह मनाया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे समारोहों को लोक प्रिय बनाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) बाघा सीमा पर सुरक्षा बल और पाक रैंजर की सीमा चौकियां बहुत नजदीक एक दूसरे के आमने-सामने स्थित हैं। प्रत्येक दिन जब वापसी का संकेत बजाया जाता है तो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक भारतीय झंडे को झुका देते हैं। साथ ही साथ पाक रैंजर भी अपने क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्य करते हैं।

(ग) और (ग) हुसैनीवाला सीमा चौकी पर भी यह पद्धति अपनायी जाती है।

"अन अथराइज्ड सीमेंट बून इन दी कैपीटल शीर्षक समाचार

3942. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में

अनअथाराइज्ड सीमेंट बूथ इन दी कैपिटल" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिनमें इन बातों पर प्रकाश डाला गया है;

(एक) काला बाजार में कितना सीमेंट उपलब्ध है यह कहां-कहां से आता है तथा तत्संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं—क्या सीमेंट के बोरों को मिलावट करके बेचा जाता है अथवा कम सीमेंट के बोरे बेचे जाते हैं;

(दो) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के फील्ड कर्मचारियों की सांठगांठ से राजधानी में अभूतपूर्व अवैध निर्माण जोरों से चल रहा है;

(तीन) डी० डी० ए० सीमेंट से भरे उस ट्रक का ब्यौरा क्या है जिसमें सीमेंट को चोरी छिपे ले जाते सब्जीमंडी, अजमेरीगेट और चाणक्य पुरी पर पकड़ा गया था, जिसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चार कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सीमेंट के आवंटन में राजनीतिक दबाव न पड़े और मरम्मत आदि के लिये सीमेंट सर्किल राशनिंग कार्यालय द्वारा दिया जाये, क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) चोरी और कालाबाजारी को रोकने की दृष्टि से सरकारी गोदामों से सीमेंट लाने ले जाने पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। निर्माण कार्यों से संबंधित सभी सरकारी अभिकरणों/विभागों को सलाह दी गई है कि सीमेंट की चोरी और अनुचित निकासी रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

(ग) प्रति 100 वर्ग फुट के अन्तर्निहित क्षेत्र पर निर्माण कार्य के लिए निर्धारित पैमाने के अनुसार 40 बोरी सीमेंट का आवंटन किया जाता है सामान्य तौर से मरम्मत के लिए सीमेंट आवश्यकता की ठीक प्रकार से जांच कर लेने के पश्चात जारी किया जाता है। किन्तु सर्किल राशनिंग अधिकारी द्वारा मरम्मत के लिए पांच बोरी तक सीमेंट जांच किए बिना भी जारी की जाती हैं।

मणिपुर को योजना सहायता

3943. **श्री बाजू बन रियान** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने मणिपुर राज्य को शत प्रतिशत योजना सहायता देने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय किन बातों को ध्यान में रख कर लिया गया था;

(ग) क्या सरकार मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे अन्य राज्यों की भी इस प्रकार की सहायता देगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। मणिपुर की छठी योजना के लिए पूर्ण रूप से केन्द्रीय सहायता के जरिए वित्त-व्यवस्था करने का निर्णय मणिपुर राज्य से संबंधित ससाधनों की स्थिति के मूल्यांकन, विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और अन्य संगत उपादानों के आधार पर किया गया है।

(ग) से (ङ) किसी राज्य की पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के जरिए पूरी वित्त-व्यवस्था करने जैसा कोई नीति निर्णय नहीं हुआ है। मेघालय और त्रिपुरा समेत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हरेक राज्य की वार्षिक योजनाएं हरेक राज्य की संसाधनों की स्थिति, विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और अन्य संगत उपादानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। अरुणाचल प्रदेश एक संघ राज्य क्षेत्र है और इसकी पंचवर्षीय योजना के लिए वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सहायता और उक्त क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाकर की जाती है।

राज्यों द्वारा साधनों को जुटाना

3944. **श्री जय नारायण रोट** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकार को उन्हें अपने यहां से ही और अधिक साधनों को जुटाने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के पहले दो वर्षों में 1980-81 और 1981-82 में किए गए उपायों से अनुमानित प्राप्ति राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकारें वर्ष 1982-83 में और भी उपाय करने के लिए सहमत हुई हैं जिससे होने वाली प्राप्ति वर्ष के अन्त में मालूम होगी।

विवरण

वर्ष 1980-81 और 1981-82 में राज्यों द्वारा जुटाये गये/जुटाए जाने वाले अतिरिक्त साधन*

(करोड़ रु०)

राज्य	1980-81	1981-82 (अद्यतन अनुमान)	
	(आरंभिक वास्तविक) वर्ष 1980-81 के उपायों से प्राप्ति	1980-81 के उपायों से प्राप्ति	1981-82 के उपायों से प्राप्ति
1. आन्ध्र प्रदेश	32.84	71 87	40.32 अ
2. असम	2.59	15.84	9.05
3. बिहार	28.23	69.26	50.78
4 गुजरात	20.72	23.24	122.95
5. हरियाणा	12.01	33.09	18.53 अ
6. हिमाचल प्रदेश	2.50	3.14	4.67
7. जम्मू और कश्मीर	5.10	8.59	16.97
8. कर्नाटक	47.69	87.10	25.36
9. केरल	11·73	23.69	4.92
10. मध्य प्रदेश	34.25	73.16	53.43 अ
11. महाराष्ट्र	15.16	56.94	127.80
12. मणिपुर	—	0.98	0.50
13. मेघालय	0.38	0.83	0.46
14. नागालैंड	0.10	0.40	0.34
15. उड़ीसा	19.23	26.06	39.53
16. पंजाब	8.20	26.66	64.70
17. राजस्थान	12.69	16.68	54.73
18. सिक्किम	0.02	0.15	0.42
19. तमिलनाडु	8.32	39.57	126.71 ब
20. त्रिपुरा	0.07	0.47	0.14
21. उत्तर प्रदेश	52.88	82.70	57.26
22· पश्चिम बंगाल	35.05	50.71	24.29
जोड़ (राज्य) :	349.76	711.13	843.86

* 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए संशोधनों से संबंधित विचार-विमर्शों में लगाए गए अनुमानों के आधार पर।

अ अनंतिम

सरकार के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक

3945. **श्री सुबोध सेन :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक कब हुई थी; बैठक की तारीख समय और स्थान सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी कर्मचारियों की ओर से कौन-कौन उपस्थित थे, संगठन-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक के लिये कार्य-सूची की सूचना कब परिचालित की गई थी; और

(घ) उक्त बैठक की कार्य सूची की मदें क्या थीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) : संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4 नवम्बर, 1980 को प्रातः 11.00 बजे हुई थी।

(ख) इस बैठक में रक्षा, रेलवे, संचार, शिक्षा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यटन और नागर विमानन, वित्त, सिंचाई तथा ऊर्जा मंत्रालयों और सांख्यिकी तथा कार्मिक विभाग और लेखा परीक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों/फेडरेशनों के प्रतिनियिधों ने भाग लिया था।

(ग) उक्त बैठक का नोटिस पहले 1-10-1980 को परिचालित किया गया था परन्तु बैठक की वास्तविक तारीख आदि की सूचना 29-10-80 को दी गई थी।

(घ) यह एक विशेष बैठक थी जो समितियों को भेजे गए मुद्दों सहित यथासम्भव अधिक से अधिक लम्बित मुद्दों पर चर्चा करने तथा उन पर निर्णय लेने के लिए बुलाई गई थी।

महंगाई भत्ते को जमा रखने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधियों की प्रतिनिधित्व क्षमता

3946. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन नेताओं की प्रतिनिधित्व क्षमता को सुनिश्चित किया था जो मन्त्रिमण्डल सचिव के साथ महंगाई भत्ते को जमा रखने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करने आए थे;

(ख) क्या मन्त्रिमण्डल सचिव के साथ उपरोक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्होंने उस मामले पर अपने-अपने संगठनों पर विचार विमर्श किया था; और

(ग) प्रारम्भिक बातचीत तथा मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बीच समय का कितना अन्तर था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय परिषद् (जे० सी० एम०), जो कि संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन समझौता करने के लिए औपचारिक संस्था है और जिसका प्रतिनिधित्व स्वरूप है, की स्वायी समिति के कर्मचारी पक्ष के साथ मंहगाई भत्ते सहित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत करने के लिए 15.2.1982 को एक बैठक हुई थी ।

(ख) इस पहलू से सरकार का सम्बन्ध नहीं है । सरकार केवल परिषद के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के साथ ही बातचीत करती है ।

(ख) किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नही किए गए हैं । परन्तु 15.2.82 को हुई बातचीत का कार्यवृत्त 15.3.82 को जारी किया गया था ।

देय मंहगाई भत्ते के जमा रखने के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

3947. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन प्रतिनिधियों को, जिन्होंने मंहगाई भत्ते को जमा रखने के समझौते पर सरकार के साथ हस्ताक्षर किए थे, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार तथा उनका प्रतिनिधित्व स्वरूप ऐसा नहीं था तथा कर्मचारी उक्त समझौते को मानने को तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देय महंगाई भत्ते को जमा करने से पूर्व कर्मचारियों के वास्तविक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त चर्चा के लिए क्या समय तथा तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय परिषद् (जे० सी० एम०), जो कि संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन बात-चीत करने के लिए औपचारिक संस्था है और इसलिए जिसका स्वरूप प्रतिनिधिक है, की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों के साथ एक बैठक मंहगाई भत्ते के विलय सहित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए 15.2.1982 को हुई थी ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा गतिविधियों में विविधीकरण

3148. **एम० एम० लारेंस** :क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देने के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) वर्ष 1980-81 में कितनी कम्पनियों को किस किस उद्योग में अपनी गतिविधियों में विविधीकरण की अनुमति दी गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानन) : (क) सरकार की नीति के अनुसार उन विदेशी कंपनियों को कुछ मूलभूत तथा भारी निवेश वाले क्षेत्रों में विविधता लाने की अनुमति दी जाती है जिनकी सूची दिनांक 2 फरवरी, 1977 के प्रेस टिप्पण परिशिष्ट–1 में दी हुई है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि ये कंपनियां व्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं तथा विशेषता का उपयोग करने में समर्थ हो सके।

(ख) सभी आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

रथ समिति की सिफारिशें

3949. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक में संशोधन करने सम्बन्धी रथ समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और क्या उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है,

(ख) रथ समिति की इस सिफारिश को अब तक लागू न करने के क्या कारण हैं कि वर्ष 1981 को आधार मानकर बनाए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सात अंक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तैयार किया गया मूल्य सूचकांक कुछ गलत तथ्यों पर आधारित था ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) रथ समिति की रिपोर्ट की प्रतियां 31.8.78 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थीं। सरकार ने रथ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और 1980-81 को आधार मानकर सूचकांक की नयी सीरीज तैयार करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक नयी समिति (सील समिति) गठित की। सील समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में

उपलब्ध है । इस रिपोर्ट को केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य तरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है । अभी कुछ से टिप्पणियां प्राप्त होनी है ।

राज्यों को ओवर ड्राफ्ट बन्द करने के लिये प्रोत्साहन

3950. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा जैसे राज्यों को जिन्होंने ओवरड्राफ्टों पर रोक लगाने के लिए वित्तीय संयंत्र के काम किया है,योजना की अधिकतम राशि के अतिरिक्त, योजना सहायता के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार ऐसे राज्यों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाने का है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित वस्तुपरक फार्मुले के आधार पर आवंटित की जाती है ।

राज्य सरकारों द्वारा अन्तर्देशीय बाजार से ऋण लेना

3951. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा अन्तर्देशीय बाजार से लिए उधार ऋण लेने का अनुबन्ध 1981 के स्तर पर अथवा वित्तीय तौर पर 1982 में 780 करोड़ रुपये के स्तर पर रखने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पूर्व परम्परा यह थी कि राज्य सरकारों को अन्तर्देशीय बाजार से ऋण में प्रतिवर्ष 100 प्रतिशत वृद्धि के लिए अनुमति दी जाती थी;

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर हां में हो. तो क्या बचत व्यय अन्तराल में वृद्धि को देखते हुए इससे राज्यों पर बाजार में उपलब्ध प्राइवेट धनराशि को खपान पर प्रतिबन्ध लगेगा;

(घ) क्या ऐसी धनराशियां प्रायः झूटे वित्तीय सौदों का आधार बनती हैं और जिससे अन्तर्देशीय बाजार में काले धन का विकास होता है; और

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुबन्धों ने इस निर्णय में भूमिका अदा की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । वर्ष 1976-77 से सभी राज्यों को एक समान रूप में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दी गई है। छठी योजना में सभी राज्यों को हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि

के अलावा विशेष श्रेणी के राज्यों को और राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को छठी योजना के लिए 1000 करोड़ रु० के विमेष आवंटन में से अतिरिक्त बाजार ऋण दिये जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

चुराए गए पुरा-जीवावशेषों की बरामदगी

3952. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के माडला जिले के धुघवा गांव से चुराए गए 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवावशेषों से भरे हुए ट्रक की बरामदगी के बारे में समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और इस मामले की जांच को अपने हाथ में लेगी ताकि सरकार द्वारा सभी जीवावशेषों को कब्जे में लिया जा सके और इस मामले में उचित जांच भी की जा सके और जबलपुर मेडिकल के अभियुक्त डाक्टर को उसके इस ऐतिहासिक अपराध के लिए दंड दिया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

उद्योग तथा इपात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने संदेहास्पद अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है तथा जांच की कार्रवाई चल रही है। सभी बरामद जीवाश्यों को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है तथा उन्हें राज्य पुरातत्व संग्रहालय में रख दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके अनुमति दूंगा। पहले इनकी बात सुन लूं।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : श्रीमान्, मैंने 15-3-1982 को कन्या कुमारी जिले में अल्पसंख्यकों को तंग किये जाने के बारे में एक ध्यानाकर्ष प्रस्ताव की सूचना दी थी। पुलिस ने अल्पसंख्यकों को तंग किया है। वहां पर स्थिति अस्तव्यस्त है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्य मांगे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर-पूर्व) यह सही मामला है। उन्हें कहने की अनुमति दी जाये। कन्याकुमारी बहुत ही पवित्र स्थल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न उठाया है। मैं इसे देखूंगा और जानकारी प्राप्त करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसके बावजूद कि ऐसी घटना प्रतिदिन हो रही हैं...

श्री के० टी० कोसलराम : क्या मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़कर सुनाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप इसे नहीं पढ़ सकते। मैं इसे देखूंगा। आपने जो कहा है उसे देखेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह जो कम्युनल रायट्स हैं, यह केंद्र की जिम्मेदारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनका कालिंग अटेंशन रेजेक्ट नहीं किया है। मैंने फैक्ट्स मंगाए हैं।

श्री के० टी० कोसलराम : यह साम्प्रदायिक मामला है। इतने गांवों के पूर्णतः ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही तथ्य मांग लिये हैं। हम इस मामले को देख रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं फैक्ट्स कलेक्ट कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं तथ्य एकत्र कर रहा हूं। मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : तथ्य मिलने चाहिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम किसी न किसी रूप में इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : स्वास्थ्य मंत्री त्याग पत्र स्वीकार क्यों नहीं करते ? हजारों डाक्टर हैं। आप त्याग-पत्र स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ?

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : असम मेल में लूट हुई है, डकैती हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई मतलब की बात करने दीजिए।

———

ब्लिट्ज के मुख्य सम्पादक तथा दिल्ली रिकार्डर के सम्पादक के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है।

श्री सतीश अग्रवाल ने 9 दिसम्बर, 1982 को एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी जो बम्बई से प्रकाशित 'ब्लिट्ज' के मुख्य सम्पादक श्री आर० के० करंजिया और 'दिल्ली रिकार्डर' के सम्पादक श्री राजपाल सिंह चौधरी के द्वारा एक समाचार में और 'ब्लिट्ज' के 21 नवम्बर, 1981 के अंक में प्रकाशित एक लेख में इस सभा की कार्यवाही की कथित गलत बयानी किये जाने और श्री सतीश अग्रवाल पर आक्षेप लगाये जाने के कारण उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति के बारे में थी।

मैंनियम 222 के अधीन श्री सतीश अग्रवाल द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिए और उससे संगत एक संक्षिप्त बयान देने के लिए सजा की अनुमति लेने के लिए अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस सभा के माननीय सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के बारे में सतर्क हैं।

मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं—

"कि "ब्लिट्ज" के मुख्य सम्पादक श्री आर० के० करंजिया और 'दिल्ली रिकार्डर' के सम्पादक श्री राजपाल सिंह चौधरी के द्वारा एक समाचार में तथा 21 नवम्बर, 1981 के 'ब्लिट्स' में प्रकाशित एक लेख में इस सभा की कार्यवाही की कथित गलत बयानी किए जाने और इस सभा के सदस्य श्री सतीश अग्रवाल पर आक्षेप लगाये जाने के कारण उनके विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए सौंपा जाए।"

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री सतीश अग्रवाल को सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्यगण : हां।

अध्यक्ष महोदय : सभा ने अनुमति दे दी है और श्री सतीश अग्रवाल अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 'ब्लिट्ज' के मुख्य सम्पादक श्री आर० के० करंजिया और 'दिल्ली रिकार्डर' के सम्पादक श्री राजपाल सिंह चौधरी के द्वारा एक समाचार में तथा 21 नवम्बर, 1981

के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित एक लेख में इस सभा की कार्यवाही की कथित गलत बयानी किए जाने और इस सभा के सदस्य श्री सतीश अग्रवाल पर आक्षेप लगाए जाने के कारण उनके विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए सौंपा जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि "ब्लिट्ज" के मुख्य सम्पादक श्री आर० के० करंजिया और "दिल्ली रिकार्डर" के सम्पादक श्री राजपाल सिंह चौधरी के द्वारा एक समाचार में तथा 21 नवम्बर, 1981 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित एक लेख में इस सभा की कार्यवाही की कथित गलत बयानी किए जाने और इस सभा के सदस्य श्री सतीश अग्रवाल पर आक्षेप लगाए जाने के कारण उनके विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए सौंपा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवदे (राजापुर) : श्रीमान्, मैं विशेषाधिकारी की सूचनाओं तथा प्रस्तावों के बारे में आप से कुछ कहना चाहता हूं। प्राय बहुत से गम्भीर मामलों पर जब हम विशेषाधिकार की सूचनाएं देते हैं और जबकि संबद्ध मंत्री द्वारा उत्तर में 10 पृष्ठ लम्बा विवरण दे दिया जाता है, वे हमारे पास भेजे जाते हैं और सचिवालय के अधिकारियों द्वारा हमें केवल यह सूचना दी जाती है "आपका विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

हम चाहेंगे कि हमारे साथ थोड़ा और शिष्टाचार बरता जाए...

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी।

प्रो० मधु दण्डवते : कई बार, उदाहरणतः, संसद सदस्यों के पत्रों का सेंसर करने के बारे में ..

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री नारायण दत्त तिवारी।

प्रो० मधु दण्डवते : आप हमारे साथ इतनी बेरुखी क्यों दिखाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्वोदाहरणों के अनुसार चल रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको उदाहरण देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं न्याय करने का प्रयत्न कर रहा हूं ..

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान्, दिल्ली में राशन की दुकानों पर गेहूं का स्टाक नहीं है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैंने इसे अस्वीकृत नहीं किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मेरी बात सुनें। कुछ पत्रिकाओं ने संसद की इस प्रक्रिया पर पहले ही टिप्पणी की है। **दि टाइम्मस आफ इण्डिया** में इसके बारे में 'करेंट टापिक के अंतर्गत लिखा गया है....

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

प्रो० मधुदण्डवते : कृपया इस पर ध्यान दीजिए। हमारी इस आलोचना को यूं ही अनसुनी मत करिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। श्री नारायण दत्त तिवारी।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर (मध्य प्रदेश) का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा तथ विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर (मध्य प्रदेश) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर (मध्य प्रदेश) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये एल. टी. सं. 3540/82]

शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1982।

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं शिक्षुता अधिनियम, 1961

की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता (सशोधन) नियम, 1982 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 25 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 24 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. संख्या 3541/82]

भारतीय विज्ञान संवर्द्धन एसोसिएशन, जाधवपुर, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली का वर्ष 1980-8 . का प्रतिवेदन और श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्दम' केरल का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेद्रन तथा इनकी समीक्षाएं, आदि आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और पर्यावरण तथा समुद्र विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय विज्ञान संवर्धन एसोसिएशन जाधवपुर, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे।
(दो) (क) भारतीय विज्ञान संवर्धन एसोसिएशन जाधवपुर, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये एल. टी. संख्या 3542/82]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे।
(दो) (क) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल. टी. सं. 3543/82]

(3) (एक) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केरल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
(दो) (क) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केरल के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख)

प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल. टी. संख्या 3544/82]

(4) (एक) रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे ।

(दो) (क) रमण अनुसंधान, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल. टी. संख्या 3545/82]

(5) (एक) भारतीय विज्ञान. कांग्रेस ऐसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे ।

(दो) (क) भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल. टी. संख्या 3546/82]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1982 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1982 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 189 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये एल. टी. सं. 3547/82]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1982 जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 219 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1982, जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 220 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये एल. टी. सं. 3548/82]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1982 की अधिसूचना के अधिलंघन में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 244 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बेल्जियन, फ्रैंको और डैनिश क्रोनरों में बदलते सम्बन्धी पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये एल. टी. सं. 3549/82]

—

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन : श्रीमान्, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

—

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : दिल्ली में राशन की दुकानों पर गेहु की कमी के बारे में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ? आज ही राशन की दुकान से मुझे अपना गेहूं नहीं मिला ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकृत नहीं किया है।

मैं इस पर विचार कर रहा हूं ?

कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पशु महामारी निरोधक घटिया किस्म के वैक्सीन टीके लगाए जाने के कारण दुधारू पशुओं की मृत्यु होने का समाचार

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं कृषि मन्त्री का अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली द्वारा सप्लाई किये गये पशु महामारी निरोधक घटिया किस्म की वैक्सीन के टीके लगाये जाने के कारण लगभग 5,000 दुधारू पशुओं की कथित मृत्यु" ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : सितम्बर, 1981 के आखिर में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में रिन्डर पेस्ट बीमारी के फैलने की रिपोर्ट मिली थी । रोगग्रसित क्षेत्रों का दौरा कृषि मन्त्रालय के अधिकारियों ने किया, जिन्होंने दिल्ली प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों को सलाह दी थी । उपयुक्त पशु-स्वास्थ्य ने रोगग्रसित क्षेत्रों का दौरा दिल्ली प्रशासन के पशु पालन विभाग के उपनिदेशक के साथ 31 अक्तूबर, 1981 को किया था । उस स्थान पर जाकर हिदायतें दी गयीं और उसके बाद पशु पालन आयुक्त द्वारा एक अर्ध सरकारी पत्र 6 नवम्बर, 1981 को विकास आयुक्त दिल्ली को लिखा गया जिसमें महामारी को दूर करने के लिए की गयी कार्यवाई का विस्तृत विवरण दिया गया ।

कृषि मन्त्रालय के सहायक आयुक्त (रिंडर पेस्ट) ने 3 नवम्बर, 1981 को विकास आयुक्त दिल्ली प्रशासन के साथ एक बैठक की जिसमें आगे उठायेजाने वाले कदम के विषय में बातचीत हुई । पशु पालन आयुक्त ने भी 1 दिसम्बर, 1981 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उस स्थान विशेष पर हिदायतें दीं उसके बाद 2 दिसम्बर, 1981 को विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन को दौरा से संबंधित एक नोट भेजा गया जिसमें महामारी के नियंत्रण के लिए की गई सिफारिशों को तुरन्त अमल में लाया जाना था ।

एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें संयुक्त आयुक्त (पशु स्वास्थ्य), आई० वी० आर० आई० के वाइरोलोजी प्रभाग के अध्ययन और उप-निदेशक (पशु पालन), दिल्ली प्रशासन शामिल थे, इस टास्क फोर्स का काम बीमारी को फैलने से रोकने के लिये अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के उपाय बताना था । सचिव (कृषि और सहकारिता) द्वारा 11-12-1981 को एक अर्ध सरकारी पत्र दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव को लिखा गया जिसमें टास्क फोर्स की सिफारिशों का उल्लेख किया गया था । इस अर्ध सरकारी पत्र में इस बात का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया था कि पशु पालन आयुक्त द्वारा दिया गया परामर्श, जिसे दिल्ली प्रशासन को भेजा गया था, का पूर्ण रूप से कार्यान्वियन नहीं किया गया । अर्ध सरकारी पत्र में लाशों की सफाई से संबंधित सुझाव भी दिये गये थे ।

मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन ने 22 दिसम्बर, 1981 को अपने उत्तर में बहुमूल्य सलाह और पशु पालन आयुक्त द्वारा दिये गये सुझाव का उल्लेख किया और सूचित किया कि तब तक रिन्डरपेस्ट बीमारी को रोकने के लिये 60,000 टीके लगाये जा चुके थे।

मैं सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान देश का एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है, जो पशु स्वास्थ्य और उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है। आई० वी० आर० आई० का जैविक उत्पाद प्रभाग महत्वपूर्ण पशु बीमारियों के लिए अनेक प्रकार के टीके तैयार करता है उनमें से एक रिन्डर पेस्ट बीमारी का टीसू कल्चर वैक्सीन है। संस्थान ने दिल्ली प्रशासन को 22-10-81 और 1-3-82 के बीच रिन्डर पेस्ट के टीसू कल्चर की 1,40,250 मात्रायें प्रदान की। टीके की सप्लाई किये गये सभी बैच उपयोग की कारगर अवधि के अन्दर ठीक स्थिति में थे और जारी करने से पहले उनका सुरक्षा परीक्षण किया गया था। इसलिये यह कहना है कि आई० वी० आर० आई० द्वारा सप्लाई किये गये रिन्डर पेस्ट के टीके घटिया किस्म के थे, सही नहीं है।

ड्रग और कास्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत यह वांछनीय है कि शीशी टीके पर सामान्य मोनोग्राम का लेबल लगा होना चाहिए। एक लाट में प्रत्येक सम्पुटक या कम से कम 50 प्रतिशत सम्पुटक में, कम से कम निम्नलिखित निशान होने चाहिए :—

1. टी० सी० आर० पी० वैक्सीन
2. बैच संख्या और वर्ष
3. उपयोग के लिए सामान्य सूचना

यह सूचना शीशियों पर अंकित होनी चाहिए। दिल्ली प्रशासन को सप्लाई किये गये टीके के सभी मामलों में आई० वी० आर० आई० के द्वारा अधिनियम की इस आवश्यकता का पालन किया गया।

यह सुनिश्चित किया गया है कि रिन्डर पेस्ट के टीके जयपुर और लुधियाना स्थित राजस्थान और पंजाब के राज्य जैविक उत्पाद यूनिट से भी दिल्ली प्रशासन ने प्राप्त किए थे। आई० वी० आर० आई० के वायरोलोजी प्रभाग के अध्यक्ष ने रोग ग्रसित क्षेत्रों तथा राजस्थान और पंजाब के जैविक उत्पाद एकक्षों का दौरा किया था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इन सभी तीनों स्रोतों द्वारा दिल्ली प्रशासन को सप्लाई किया गया गोट टीसू वैक्सीन और टीसू कल्चर वैक्सीन दोनों निर्धारित मानदण्ड के थे। उन्होंने आगे पाया कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत घरोली डेरी कालोनी में फैले रिन्डर पेस्ट रोग के नियन्त्रण से आई० वी० आर० आई० के टीसू कल्चर वैक्सीन की क्षमता का सबूत मिलता है।

रिन्डर पैस्ट के कारण मरे पशुओं की सही संख्या के संबंध में दिल्ली प्रशासन से अंतिम रात्रि तक सही सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं था। अब मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि यह पता लगा है कि इन चार कालोनियों में रिन्डर पेस्ट के कारण 958 पशुओं की मृत्यु हुई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, यह उन मामलों में से एक है जिनसे इस सभा में कथनी और करनी के बीच भारी अंतर पर प्रकाश डाला गया है। इस सभा में हम सभी सदैव इस देश के गरीब किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति तथा उनकी दशा पर चिंता व्यक्त करते हैं। हम यह कहते हैं कि किसान हमारी अर्थ-व्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं तथा मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम इस संभा में जो कुछ कहते हैं वह ईमानदारी के साथ कहा जाता है और वह हमारी भावनाओं की वास्तविक अभिव्यक्ति है। लेकिन अयोग्य, अकुशल तथा लापरवाह प्रशासन इन भावनाओं को किस प्रकार नष्ट कर सकता है और उन्हें किस प्रकार बेकार कर देता है यह इस ध्यानाकर्षण में बताया गया है।

इस ध्यानाकर्षण में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि हमारे गरीब किसानों को किस प्रकार बेसहारा किया जा सकता है और देश के दिल दिल्ली में ही हमारी अर्थ-व्यवस्था को किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है। घटिया किस्म की बैक्सीन सप्लाई करने तथा दिल्ली प्रशासन के क्षेत्राधिकार में दिल्ली की विभिन्न डेरियों में इस रिंडर पेस्ट की महामारी की समस्या को जिस अकुशल तरीके से निपटाया गया है। इस संबंध में आरोप लगाये गये हैं। इस महामारी से 5,000 पशुओं की मृत्यु हुई है और यदि मंत्री महोदय द्वारा इन आरोपों का खण्डन नहीं किया जाता है तो. ..

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने इनका खण्डन किया है। 958 पशुओं की मृत्यु हुई है न कि 5,000 पशुओं की।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मूल उत्तर में यह कहा गया है कि मरे हुए पशुओं की सही संख्या प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने अभी इसका उल्लेख किया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं मानता हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वह इस बात का पता लगाएं क्योंकि मेरे पास केवल समाचार पत्रों की ही सूचना नहीं है, मुझे उन लोगों ने यह जानकारी दी है जो इन डेरियों में रहते हैं कि मरने वाले पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आगे यह भी बता सकता हूं कि मेरे बुद्धिमान तथा प्रतिष्ठित मित्र श्री हरि किशनलाल भगत जो दिल्ली के संसद सदस्य हैं, जो दिल्ली की जनता, दिल्ली के निर्धन वर्ग के प्रति अपनी गहनतम चिंता व्यक्त करते रहे हैं तथा वह इस मामले को भारत सरकार के मंत्रियों-वरिष्ठ मंत्रियों की जानकारी में पिछले दो महीने से लाते रहे हैं। और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? इसका परिणाम यह निकला है कि महामारी फैली हुई है। हमें इस बात पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

जो व्यक्ति मुशीबतों का सामना कर रहे हैं उनके कष्टों को ध्यान में रखकर हमें अपनी अंतर्आत्मा से पूछना चाहिए।

दिल्ली प्रशासन के गाजीपुर में यह महामारी सितम्बर के महीने में शुरू हुई थी। इस महामारी के शिकार कौन थे ? इस महामारी के शिकार निर्धनों में भी सबसे ज्यादा निर्धन व्यक्ति तथा उस क्षेत्र में 1975-76 में किसी समय बसाये गये किसान हुए थे। इन व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों के पास 10 पशुओं से ज्यादा अपने पशु नहीं हैं। जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है वह जानता है कि एक भैंस की कीमत 4,000 रुपये या इससे अधिक है तथा पशु ऋण लेकर खरीदे गये हैं। यदि एक परिवार के 10 पशु मर जायें तो एक परिवार दो या तीन पीढ़ियों में उस ऋण से छुटकारा पा सकेगा।

हमें यह देखना चाहिए कि इससे सम्पूर्ण समस्या का समाधान कैसे किया गया है ? माननीय मंत्री ने ठीक ही बताया है कि यह महामारी 1981 के सितम्बर के अन्त में शुरू हुई। सितम्बर, 1981 में पशुओं का मरना शुरू हो गया था। लेकिन दिल्ली प्रशासन के कहने पर पुलिस ने पशुओं का मरना शुरू होने से लगभग डेढ़ महीने पश्चात अनुदेश जारी किये। दिल्ली प्रशासन ने कार्यवाही की जिससे पुलिस ने गाजीपुर डेरी क्षेत्र को रिन्डर पेस्ट प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये गये जिससे इस क्षेत्र से पशु बाहर नहीं गये। जैसाकि मैंने कहा है लगभग डेढ़ महीने बाद पुलिस आयुक्त ने उस क्षेत्र में पशुओं के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किये। लेकिन उस क्षेत्र से अब भी पशु दिल्ली भर में जा रहे हैं क्योंकि समुचित उपाय नहीं किये गये हैं। सभी क्षेत्रों में पशुओं को बाहर भेजने पर कोई समुचित नियंत्रण नही हैं। पशु मर रहे हैं। अतः पशुओं के मर जाने के बाद यह देखने के लिए कि बीमारी नहीं फैल पाये कौन से पूर्वोपाय किये गये हैं ? जैसा कि आप यह जानते हैं कि रिन्डर पेस्ट पशुओं की एक छूत की बीमारी है। यह रोग एक महामारी के रूप में फैलता है और बहुत जल्दी फैलता है। क्या आप जानते हैं कि कौन से पूर्वोपाय किये जा रहे हैं ? मरे पशुओं के शव ठिकाने लगाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। जहां तक मैं जानता हूं दिल्ली में मरे हुए पशुओं के शवों के जलाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। शवों को गाड़ा नहीं जाता है। जो कुछ किया जा रहा है वह यह है कि निजी ठेकेदार मरे पशुओं के शवों को ले जाते हैं तथा वे उसकी खाल उतार लेते है तथा शवों को वहीं गिद्धों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। यह स्थिति और गाजीपुर, घरोली तथा मदनपुर खादर में सभी जगह मरे पशुओं के शवों को देखा जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों में उन्हें देखा जा सकता है, जहां उन्हें गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है और यह इस तरीके से फैल रहा है। खाल उतार ली जाती है तथा उसे चमड़े के रूप में उपयोग किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि खाल स्वयं भी महामारी फैलाती है। इस प्रकार यह महामारी पशुओं के शवों को निपटान के संबंध में उचित सावधानी बरतने की कमी के कारण हमारे भारत में फैलती जा रही है। इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा।

एक प्रश्न जो कुछ रोष के साथ उठाया गया है वह यह है कि जो गिद्ध यहां दिल्ली आते हैं वे विमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले मेरे विचार से दो महीने पहले आगरा में एक जेट विमान के इंजन में गिद्ध की पंख चले जाने से विमान को काफी नुकसान पहुंचा और विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया इस तरीके से यह हो रहा है। अब कौन सी घटना घटी है ?

दिल्ली प्रशासन ने इस समस्या को बहुत ही अयोग्य तरीके से निपटाया है। इन पशुओं को दूसरे क्षेत्र, जिसे घरोली कहते हैं, वहां भेजा गया। यह साबित हो गया है तथा इसे मान लिया गया है कि घरोली में यह महामारी पहले से ही फैली हुई है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर-कैम्प दिल्ली के विरोलॉजी प्रभाग के प्रधान श्री आर० पी० बंसल की दिनांक 26 फरवरी, 1982 को रिपोर्ट से अभी मैं यह बताऊंगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की अपेक्षा एक भी व्यक्ति यह नहीं कहता है कि दिल्ली की कालोनियों में रिन्डर पेस्ट के फैलने की आशंका के सम्बन्ध में रिपोर्ट दे रहा है (पैरा-1)।

"सर्व प्रथम 17 जनवरी 1981 को सहायक पशु चिकित्सक को शैड संख्या 71 में बीमारी का पता लगा जहां बीमार पशु घरोली डेरी परिसर से लाये गये थे।"

अतः बीमार पशु घरोली परिसर से लाये गये थे। अब तक बहुत से पशु मरे हैं और यह सिद्ध हो गया है कि यह महामारी घरोली में फैली हुई है और अभी तक घरोली को रिन्डर पेस्ट महामारी फैला हुआ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। आज तक इस बात की घोषणा नहीं की गयी है और पशुओं को बिना रोक-टोक लाया ले जाया जाता है तथा इनके लाने ले जाने पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा केवल घरोली में ही समस्या के समाधान के लिये व्ययस्था तंत्र को तेज नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में मदनपुर खादर की इस कालोनी में रिन्डर पेस्ट बीमारी के फैलने पर विचार किया गया है। यह रिपोर्ट प्रभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है इसमें दिल्ली प्रशासन के कार्य करने का तरीका दिखाया गया है। उसने बीमारी जांच अधिकारी से जो निवेदन किया था, उसे मैं इस पत्र से बताता हूं :—

"बीमारी के लक्षणों की पुष्टि करने के लिये बीमारी जांच अधिकारी से इस डेरी (मदनपुर खादर डेरी) से अपेक्षित सामग्री इकट्ठी करने का निवेदन किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार इकट्ठी की गयी सामग्री भेजी गई ··· ?

कल्पना करें कि यह सामग्री डाक द्वारा भेजी गयी थी और अन्त में यह मुक्तेश्वर नहीं पहुंची हालांकि इसको भेजे हुए बहुत दिन हो गये हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्या आप इसे निर्दयता, लापरवाही तथा एक व्यक्ति--पशु चिकित्सा अधिकारी जो मरे पशुओं के अगर डाक द्वारा भेजता है, की सूझ-बूझ की कमी कह सकते हैं? और वह सामग्री बिल्कुल नहीं पहुंची है। इस तरीके से वे कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। डाकघर इसे स्वीकार नहीं करेगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अच्छा, श्रीमन्, यह वैसा ही है जैसा कि श्री बंसल ने कहा था। वह विरोलॉजी प्रभाग के प्रभारी हैं। वह यह कह रहे हैं। मैं इसे फिर दोहरा रहा हूं :—

"लक्षणों की पुष्टि के लिये इस डेरी से अपेक्षित सामग्री इकट्ठा करने के लिये बीमारी-जांच अधिकारी से निवेदन किया गया है लेकिन दुर्भाग्यवश, एक बार इकट्ठी की गयी सामग्री को डाक द्वारा भेजा गया था।"

इस तरीके से इसे भेजा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश क्यों ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : केवल दुर्भाग्यवश ही नहीं। श्रीमन्, यह बहुत अनुचित है। मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं जिनमें इस कार्यवाही का वर्णन किया जा सके। इस तरीके से यह किया जाता रहा है। सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने निर्दयता से काम लिया है—मैं यह बात दोहराता हूं।

अब हम मुख्य प्रश्न पर आते हैं जो वैक्सीन के सम्बंध में है। माननीय मंत्री महोदय ने शायद इसका उल्लेख प्राप्त इस सूचना के आधार पर किया है कि औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सामग्री के सामान्य मोनोग्राम पर जिसमें वैक्सीन की किस्म, बैच नम्बर, वर्ष तथा उपयोग की सामान्य सूचना दी गयी हो, का एक लेबल लगा होना चाहिए।

यदि मंत्री महोदय अथवा सरकार वहां जायें और इस सामग्री को जप्त करें तो इसका पता चल जायेगा। मदनपुर खादर की इस विशेष कालोनी के पशु चिकित्सा अस्पताल में इस पद्धति को शुरू करने से मन्त्री महोदय को यह पता लगेगा कि बहुत सी शीशियों पर बिल्कुल ही लेबल नहीं लगे होते हैं। इस सम्बन्ध में मेरी सही जानकारी यह है कि इन एम्पूलों तथा शीशियों और सामग्रियों को बिना लेबल लगे ही प्राप्त किया गया था तथा उन पर उनके बनाये जाने के स्थान, स्रोत तथा उनकी वैधता की तिथि नहीं लिखी गयी थी। इन एम्पूलों में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया था। मेरी यह जानकारी है। आज भी नमूने वहां हैं। मैं सरकार से इसकी जांच कराने की प्रार्थना करता हूं। तथा सरकार से यह भी प्रार्थना करता हूं कि इन नमूनों को और जांच करने के लिये जप्त किया जाये। नमूनों से यह पता लगेगा कि सामग्री पूर्णरूप से घटिया किस्म की है। एम्पूलों का रंग हल्का गुलाबी होना चाहिए लेकिन बहुत से नमूनों का रंग लाल है। पशु चिकित्सकों की भारी भीड़ के सामने एक डाक्टर ने एक परीक्षण किया था। डाक्टर ने ऐसे एम्पूलों में जिनमें हवा प्रवेश नहीं होनी चाहिए, उनमें एक तार डाला। यह उस समय वहां उपस्थित डाक्टरों के सामने किया। इसके अतिरिक्त सरकार स्वयं यह मानती है कि ये वैक्सीन प्रभावी नहीं हैं। पशुओं को टीका लगाये गये और बहुत से डेरी फार्मों में पशुओं को निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में पांच बार टीके लगाये गये। कुछ स्थानों पर जहां बीमारी नहीं फैली है इस प्रकार टीके लगाये गये। जैसा कि सरकार, दिल्ली प्रशासन स्वयं इस बात को मानते हैं। इसका निष्कर्ष केवल यही संभव हो सकता है कि वैक्सीन प्रभावी नहीं है।

इसीलिए दवाई की निर्धारित खुराक से पांच गुनी से अनधिक दवाई देना जरूरी था, मैं इसका उदाहरण भी दे सकता हूं। कैटल डेरी फार्म, मदनपुर खादर की संकर नस्ल की गायों को नवम्बर, 1981 में एक सामान्य खुराक से असंक्राम्य बनाया गया था, उन्हें 23-2-82 को फिर से टी सी. वी. की सामान्य खुराक से पांच गुना दवाई का टीका लगाया गया था। एक डेरी फार्म में बैलों में यह रोग फैल जाने के कारण किया गया था। जिन असंक्रामित संकर नस्ल की गायों को 24-3-82 को सामान्य खुराक से पांच गुना खुराक का टीका लगाया गया था उनमें से दो गायें 4-3-1982 और 5-3-1982 को मर गयी थीं। शव-परीक्षा की गई थी, और उससे इसी बात की पुष्टि हुई थी कि उन्हें पशु प्लेग हो गया था। उसके बाद सतबाडी स्थित 'गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म' में गायों की जो होलेस्टीन फ्रीजन नस्ल तैयार की गयी थी, उन्हें पहले ही सामान्य खुराक दी जा चुकी थी उन्हें, सामान्य खुराक से 5 गुना अधिक खुराक का टीका लगाया गया था। अतः महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन एम्पूलों को जब्त करने के लिए आदेश जारी करेंगे और उस रजिस्टर को जब्त किया जाए जिसमें इन्हें जारी करने का ब्यौरा दर्ज है, और यह पता लगाएंगे कि उन्हें कब तैयार किया गया था और इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या यह वैधता समाप्त हो गयी थी और इसे प्राप्त करने के स्थान के अभिलेखों और रजिस्टरों को भी जब्त किया जाए, ताकि यह पता चल जाए कि क्या वे ही टीके इस्तेमाल किए गए थे या अन्य टीकों का इस्तेमाल हुआ था। क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि पांच गुनी खुराक क्यों जरूरी थी और ये उन फार्मों में क्यों दी गई थी, जहां कि महामारी नहीं थी ?

महोदय यह असमता दिल्ली प्रशासन में ऊपर से लेकर नीचे सहायक पशु-राज्य-चिकित्सक तक फैली हुई है। सहायक पशु शल्य-चिकित्सक बहुत अधिक निराश हो गये हैं। इस नौकरी में उनकी पदोन्नति की कोई सम्भावना ही नहीं है। 'सहायक पशु-शल्य-चिकित्सक के रूप में नियुक्त व्यक्ति सहायक पशु-शल्य चिकित्सक के रूप में सेवा-निवृत्त हो जाता है। उनका वेतनमान सबसे कम है। मुझे जरा ब्यौरा पेश करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यहां पर क्या सम्बन्ध है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वह यहां इसलिए संगत है क्योंकि उससे इस बात का पता लगेगा कि यदि प्रशासन और लोग जो कतिपय कानूनों को कार्य रूप देने के लिए जिम्मेदार हैं वे निराश हैं और यह महसूस करते हैं कि उनके प्रति अन्याय किया जा रहा है तो पूरी योजना ही समाप्त हो जाएगी और करोड़ों रुपए का नुकसान उठाने से बेहतर है कि उनको अधिक वेतन दिया जाए। हमें पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। महोदय, यदि एक बार विदेश में यह बात फैल जाए कि निर्यात किए जाने वाला चमड़ा रोगी पशुओं का है तो इससे हमारे चमड़ा उद्योग को बहुत नुसकान होगा।

महोदय वेतनमान इस प्रकार है :—

हरियाणा	850-1500 रु.
पंजाब	900-1700 रु.
उत्तर प्रदेश	725-1725 रु.
दिल्ली	550-900 रु.

दिल्ली में से सबसे कम वेतनमान है। इस स्थिति में सुधार लाया जाना आवश्यक है। कुंठा नहीं रहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या योग्यताएं भी समान हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : योग्यताएं और काम तो समान हैं, किंतु वेतनमान अलग है।

महोदय, बाहर से आने वाले मवेशियों की चौकियों पर जांच की जानी चाहिए, और उन्हें टीका लगाया जाना चाहिए किंतु मुझे पता है कि वहां कर्मचारी नहीं होते हैं और वहां अपेक्षित केबिन भी नहीं हैं। बदरपुर में केबिन या लकड़ी का खोखा था वह तीन साल पहले टूट गया, किंतु आज तक उसकी मरम्मत नहीं की गई है, हालांकि इसके लिए 55,000/- रुपए दिए जा चुके हैं और उसमें लागत भी 3,0 0 रु० से 4,000 रु० तक ही आएगी।

अतः महोदय, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीका घटिया न हो और मदनपुर खादर के एम्पूलों को जब्त कर लिया जाए। क्या सरकार इन एम्पूलों के जारी किए जाने वाले स्थान से अभिलेखों को जब्त करेगी और ताकि तह पता चल सके कि क्या वे ही टीके लगाए गए थे ? क्या सरकार सख्ती बरतेगी और इन पर नियंत्रण करेगी ताकि यह और आगे न फैल सके ? संक्षेप में क्या सरकार दिल्ली प्रशासन को तुरन्त ही कुछ करने के लिए सचेत करेगी; क्योंकि सिर्फ कोरी बातें बनाने से एक ठोस उदाहरण देना ही बेहतर है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : दिल्ली में इस महामारी का फैलना बड़े दुर्भाग्य की बात है।

हम यह सोच रहे थे कि काफी लम्बे अरसे से उत्तरी भारत इस रोग से मुक्त रहा है। किंतु मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि देश से पशु-प्लेग को लगभग समाप्त कर देने का भारत का दावा सही है। पांचवें दशक के मध्य में पशु-प्लेग के केवल भारत में प्रति वर्ष प्रति लाख में से 196 रोग ग्रस्त होते थे; जबकि अब ऐसा प्रतिवर्ष प्रतिलाख आबादी में 1 पशु के साथ ही होता है। किंतु अभी भी यह सही है कि दिल्ली में यह बीमारी फैल गयी थी, किंतु मैं माननीय सदस्य के उस आरोप का खंडन करता हूं जिसमें कि उन्होंने कहा था कि श्री एच० के० एल० भगत एक मन्त्री से मिले और बहुत से मन्त्रियों से मिले किंतु भारत सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। महोदय, तथ्य तो यह है कि ज्यों ही श्री भगत ने मुझे इसके बारे में सूचना दी थी त्यों ही मैंने उनकी उपस्थिति में ही तुरन्त मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को फोन किया था, और उन्हें इन शिविरों में जाने के लिए कहा था और उन्हें इज्जतनगर स्थित आई० वी० आर० आर्ड० से वैज्ञानिकों को भी बुलाने के लिए कहा था। उसके अगले दिन ही कार्यवाही की गयी थी, अगले दिन ही अधिकारियों के दलों ने शिविरों का दौरा किया था, दिल्ली प्रशासन ने भी तुरंत कार्यवाही की थी, इस बीमारी के फैलने की तुरन्त सूचना दी गई थी, उन्होंने 26 सितम्बर से ही टीका लगाना शुरू कर दिया था, मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें पहली बार 25 सितम्बर को सूचना मिली थी, उस पर उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की थी। दिल्ली की 10 कालोनियों में लगभग 2 लाख गाय-भैंसें आदि हैं। यह बीमारी 4 कालोनियों में ही फैली थी। अब इस समय स्थिति यह है कि इनमें से 3 कालोनियों गाजीपुर, घरोली और मसूदपुर में यह

रोग अब नहीं है; इस समय कोई भी पशु बीमार नहीं है केवल मदनपुर खादर कालोनी में 26 जानवर बीमार हैं। किंतु हम इस महामारी पर नियंत्रण करने में समर्थ हुए हैं। चूंकि सितम्बर में पहली बार सूचना मिली थी, इसीलिए 80,000 से भी अधिक मवेशियों को टीका लगाया जा चुका है गत वर्ष 1 अप्रैल से अब तक 61,86)00 पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। यह टीका उसी दौरान दिया गया था जबकि वह प्रभावकारी था जैसा कि आई० वी० आर० आई० और अन्य स्रोतों से पता चला है। निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद कोई भी दवा जारी नहीं की गई है। विनिर्माताओं ने इस बात का समुचित परीक्षण किया है कि किस अवधि के भीतर इसका उपयोग किया जाना था। यह सम्भव है कि अंतरण के दौरान ढुलाई के दौरान कुछ पर्चियां उतार ली गई हों। एम्पूलों में उपस्थित निर्यात की स्थिति समाप्त भी हो सकती है सम्भव है कुछ ऐसे एम्पूलों का पता चला हो, जो बदरंग हो गये हों जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। यदि एम्पूलों में निर्वात की स्थिति नहीं रहेगी, तो ऐसा ही होगा, किंतु ऐसी शीशियों का पशु-चिकित्सकों ने इस्तेमाल नहीं किया होगा। यह तो बड़ी सामान्य सी बात है, जिसके बारे में एक सामान्य आदमी भी जानता है कि यदि उस पर समुचित सील न लगी हो, तो उसका इस्तेमाल न किया जाए, ऐसी सभी दवाइयों को नामंजूर किया जाना है, और फेंका जाना है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि जितनी भी दवाइयों की सप्लाई की गई थी, वह सभी बदरंग ही होगीं। कुछ भी हो, एक बात तो निश्चित है कि यदि कोई विनिर्माता संस्थान टीका जारी करता है, तो उसके द्वारा प्रभावी रहने वाली अवधि के लिए-प्रमाणित किया जाता है। यह भी सही है कि कुछ मवेसीयों को सामान्य खुराक से पांच गुना दवाई दी गई थी, जब कोई महामारी फैलती है तो पशुओं में प्रतिरक्षा क्षमता और बढ़ाने के लिए कभी-कभी पशु-चिकित्सक अधिक बड़ी खुराक दे देते हैं। यह एक सामान्य प्रथा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सम्भव है कुछ पशुओं को दुबारा टीका लगाया गया हो। सम्भव है उन्हें सामान्य दौर में पहले भी टीका लगाया जा चुका हो। यह महामारी फैलने के बाद उन्हें फिर से टीका लगाया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था, क्योंकि किसी एक शिविर में यह पता लगाना मुश्किल है कि किन्हें पहले टीका लगाया जा चुका है या नहीं लगाया गया है। इसीलिए अधिक सुरक्षित तरीका यही है और दुबारा टीका लगाए जाने से कोई नुकसान नहीं होता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि इन बातों में उत्तेजित होने की क्या बात है, जिनके बारे में कि माननीय सदस्य ने बताया था।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : नियम-पुस्तक में यह बताया गया है कि पशुओं को पृथक किया जाए और अलग-अलग रखा जाए। उनका पता लगाया जाना चाहिए। जिन्हें टीका लगाया जाए उनको किसी निशान आदि से पहचाना जाना चाहिए।

राव वीरेन्द्र सिंह : मुझे आशा है कि आप वहां जाएंगे और इन कालोनियों का दौरा कर पाएंगे और खुद यह देख पाएंगे कि किस तरह से ये मवेशी इकट्ठे किये जाते हैं, और उनके मालिकों से पूछें कि क्या वे बता सकते हैं कि किस गाय या भैंस के टीका लगा है और किसको टीका नहीं लगा है। मालिक खुद ही नहीं जानते होंगे।

जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इन तीन स्थानों में टीके तैयार किए जाते हैं। पशु-चिकित्सा विज्ञान के लिए आई० वी० आर० आई० एक प्रमुख संस्थान है, जो दवाई भारत में

तैयार की जा रही है वह काफी उपयोगी और प्रभावकारी है, और इस प्रकार स्वदेश में ही तैयार टीके से ही हम पूरे देश में बीमारी पर नियंत्रण पाने में सफल हुए हैं। किंतु यदि अभी भी माननीय सदस्य को संदेह हो, तो सदस्यों ! मुझे अपने अधिकारियों को दुबारा भेजने और उनके द्वारा वहां जाकर दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्दय व्यवहार किए जाने की जांच करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और यदि हमें यह पता लगे कि उन्होंने धीमी गति से कार्यवाही की है, तो इस बात का जिक्र हम प्रशासन के उच्चाधिकारी अर्थात् उप-राज्यपाल से जरूर करेंगे और उनसे समुचित कार्यवाही करने के लिए कहेंगे।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकूर) : महोदय, शुरू में मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न पर हम माननीय मंत्री से किसी प्रकार विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम उन मूक जानवरों की बातें कर रहे हैं जिन पर लाखों किसानों का जीवन-यापन निर्भर है। माननीय मन्त्री को कम से कम जानवरों से सहानुभूति होनी ही चाहिए, इस विषय को केवल इसीलिए नहीं उठाया गया है कि इसके बारे में अखबारों में खबरें छपी थी। वस्तुतः प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने में माननीय मंत्री की मदद करना चाहते हैं। हम माननीय मंत्री को यह बताना चाहते हैं कि सरकारी अधिकारी और सरकारी तंत्र इन कार्यों का संचालन करता है। इस संसद को जो उच्चतम निकाय है, इस विषय पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। माननीय मन्त्री यह न सोचें कि हमारा उनके साथ कोई टकराव है। और वह इन आरोपों का खण्डन भी कर सकते हैं। समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि घटिया टीकों से 5,000 गायें मर गई। जो जानकारी हमने एकत्र की है यह समाचार उससे अलग है। मेरे मित्र श्री फैलीरो ने जो जानकारी दी है वह काफी विस्तृत है। यह जानकारी कल्पना पर आधारित नहीं है, वरन् स्थानीय लोगों जनता के प्रतिनिधियों और विभिन्न अन्य स्रोतों, तथा विशेषज्ञों की राय पर तथा 1977 से कार्यरत आई० वी० आर० आई० की रिपोर्टों से एकत्र की गई है। यह समाचार पत्रों की उन कतरनों पर आधारित है, जिन्हें मैंने पढ़कर सुनाया है, यह उन वैज्ञानिकों के कार्यकरण और मतभेदों पर आधारित है जो नई-नई खोज करते हैं, उन पर अनुसंधान करके निष्कर्ष निकालते हैं और उन पर संदेह करते हैं और आपस में उसके लिए संघर्ष करते हैं। यह देश का प्रमुख संस्थान है जहां बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अनुसंधान किया है। प्रश्न यह है कि सस्थान में जो टीका बनाया गया है क्या वह ठीक था, क्या उसका ठीक से विश्लेषण करके जांच की गई थी। क्या अनुसंधान की कार्यवाही ठीक से की गई थी, क्या उसे ठीक से पैक करके वितरित किया गया था; क्या एमज्यूल्स भी वितरित किए गए थे। इन प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए।

पशु-प्लेग एक बहुत खतरनाक रोग है। यह एक भयंकर जानलेवा बीमारी है। यह रोग बहुत जल्दी फैलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : दी गई सूचना के अनुसार यह संख्या ठीक नहीं है। आप अपने आंकड़े ठीक करें, 5,000 सही नहीं है।

श्री के० लकप्पा : माननीय मन्त्री द्वारा जो सूचना दी गई है वह उठाए गए विषय से सम्बद्ध नहीं है। यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या टीके से 5,000 गायें मरी हैं। बाद में उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। पहले उन्होंने यह सूचना हमें नहीं दी थी। अब उन्होंने यह बताया है कि वह अभी भी सूचना एकत्र कर रहे हैं। इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आधार पर वह सूचना एकत्र कर रहे हैं। अब उन्होंने आंशिक सूचना दी है क्योंकि प्रशासन अथवा अधिकारियों द्वारा सूचना दबा ली गई होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जानकारी में उन्हें कुछ समय लगा है।

श्री के० लकप्पा : महोदय, पशु प्लेग बहुत बुरी तरह फैला है यह एक सच्चाई है। प्रश्न यह है कि इस रोग का उपचार किस प्रकार किया गया ? दिल्ली प्रशासन, पशु विभाग के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक हाल ही में आई रिपोर्टों के निष्कर्ष मैं पढ़ना चाहूंगा। इसका एक बहुत लम्बा इतिहास है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसका उल्लेख करें। इसमें बहुत समय लगेगा।

श्री के० लकप्पा : क्यों नहीं महोदय मन्त्री महोदय को यदि स्थिति का पता चल जाए, तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आधे घंटे के भीतर पूरा होना चाहिए। आज ही नहीं रोज इसमें कम से कम दो घंटे लग जाते हैं।

श्री के० लकप्पा : यह कोई न टूटने वाला नियम तो नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नियम का उल्लेख करेंगे तो मुझे भी नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा।

श्री के० लकप्पा : महोदय, सांसद होने के नाते क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम प्रशासन को ठीक करें और सार्थक विचार विमर्श करके सही निष्कर्षों को निकालें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार ही चलानी होगी।

श्री के० लकप्पा : महोदय, मैं संसद के नियमों की ही परिधि में हूं। अपनी तथा अन्य सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे माननीय मंत्री कार्यवाही कर सकते हैं। इसलिए मैं यह बात उनके ध्यान में ला रहा हूं।

एक डा० जैल सिंह ने यह शिकायत की थी कि रेफ्रीजिरेटर, सीरिंज, सुइयां, एस्प्रीन, गम-बूट, स्टेरिलाइजर्स आदि नहीं मिल रहे हैं। तथा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों ने यह शिकायत की थी कि जानवरों के आपरेशन के समय अक्सर बिजली की सप्लाई बंद हो

जाती है । गरीब किसान इन्हीं भैंसों और गायों पर दूध के लिए निर्भर हैं । वह दूध बेच कर अपनी जीविका कमाते हैं । वह सभी किसान हैं । हमारा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम इन्हीं किसानों और उनके पशुओं की सहायता के लिए भी है । इन अधिकारियों की लापरवाही और ठीक से अपना फर्ज अदा न करने के कारण इन गरीब किसानों को अपने जानवरों से हाथ धोना पड़ा । क्या इन जानवरों का बीमा किया गया है अथवा नही ? हमें नहीं मालूम कि वहां क्या हुआ है ।

मंत्री महोदय ने पूरी सूचना इकट्ठी नहीं की है । उनकी सूचना रोग के बारे में पूछे गए प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । यह रोग पिछले एक वर्ष से फैल रहा है । यहां तक कि डा० धूप सिंह ने भी दिल्ली के कई भागों में औषधियों के उपलब्ध न होने के बारे में शिकायत की है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : क्या वह डाक्टर हैं ?

श्री के० लकप्पा : आजकल कई लोगों के पास डाक्टरेट की उपाधि है और वह अपना नाम शर्मा आदि रख लेते हैं ।

यह ठीक है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तरी भारत में उन्होंने पशु-प्लेग रोग पर नियंत्रण पा लिया है । दक्षिण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है । इसलिए मैं चुप रहा ।

पशुओं के लिए यह बहुत दुखद बात है, जिनकी भलाई के लिए हमें संसद में चर्चा करनी चाहिए । उनके लिए हमें सहानुभूति होनी चाहिए । हमारी अर्थव्यवस्था भैंसों व अन्य पशुओं पर निर्भर है । हम हरियाणा की भैंस और गायों पर निर्भर हैं । देश के अन्य भागों में भी भैंस हैं । हमें हरियाणा की भैंसों पर गर्व है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक संशोधन करना चाहूंगा, हम केवल हरियाणा की भैंसों पर ही नहीं वरन कृषि मंत्री पर भी निर्भर हैं जो हरियाणा के हैं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : वह हरियाणा के सांड़ों को भूल गए ।

श्री के० लकप्पा : देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के पशु हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना आवश्यक है ।

एक मामला तो ऐसा हुआ है जहां मृत पशुओं का ढांचा निकाल कर उसे गलत जगहों पर फेंक दिया गया । डाक्टरों को डर था कि यह तथ्य जनता को पता न लग जाए । इसलिए डाक्टरों ने लोगों के साथ सांठ-गांठ कर ली । यदि यह रोग अन्य पशुओं में भी फैल गया तो दूध नहीं बिकेगा । इसलिए उन्होंने आपस में सांठ गांठ कर ली और पशुओं को इस तरह वहीं डाल दिया । मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार मृत मवेशियों को बड़े अस्वास्थकर ढंग से चुपचाप जमीन में दबा दिया गया । वैसे तो उन्हें जला दिया जाना चाहिए था जिससे कि यह संक्रामक रोग और आगे न फैले ।

मेरे मित्र ने गिद्धों का भी जिक्र किया है । हमने दिल्ली में भी गिद्ध देखें हैं । गिद्ध में

दूर से ही सूंघ लेने की क्षमता होती है। कुछेक लोगों द्वारा अपने कर्तव्य की अवहेलना करने के कारण कुछ पशु मर गए हैं। इनका सही इलाज नहीं किया गया। उन्हें ऐसे दफनाया गया जिससे कि रोग के और बढ़ने का खतरा था तथा दिल्ली में गिद्धों की संख्या बढ़ गई जो कि यात्रा करने वाले लोगों के लिए समस्या पैदा करते हैं।

इसलिए हमें इन सब बातों पर भी विचार करना है। मंत्री महोदय से यह सूचना छुपाई गई। जिन अधिकारियों ने चाहे वह कोई भी हों, अपना फर्ज लापरवाही से अदा किया है उनके खिलाफ मंत्री महोदय को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें स्थिति का पूरा ब्यौरा हासिल करके स्थिति का जायजा लेना चाहिए। क्या मंत्री महोदय यह सब करेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या इन पशुओं का बीमा किया गया था या नहीं। अधिकारियों द्वारा सही समय परसही उपचार न करने के कारण जो पशु मर गए क्या उनका कोई गुआवजा अदा किया गया है। इतने प्रमुख संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए था। वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ गरीब किसानों तक भी पहुंचना चाहिए और सरकार को यह देखना चाहिए कि इस देश कापशुधन सुरक्षित रहे। सम्बद्ध विभाग और मत्रालय के कार्य-निष्हादन को देखते हुए इसका दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही दिखाई है क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्या वह यह निदेश भी जारी करेंगे कि किसानों को टीका सप्लाई किया जाए तथा यह पता लगाया जाए कि इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैं ? क्या वह इस मामले की और आगे खोजबीन करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार का रोग दिल्ली या देश के किसी भी भाग में न फैलने पाए। क्या वह यह भी देखेंगे कि विभाग के कर्मचारियों के वेतनमानों में जो असंगतियां हैं, उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों में असंतोष और भेद-भाव न रहे।

यदि आवश्यक हो तो हम संस्थान का दौरा करके यह देखने के लिए भी तैयार हैं क्या इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है तथा इसके प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मंत्री की सहायता के लिए भी हम तैयार हैं। इस संबंध में हम उनकी हरसंभव मदद करने को तैयार हैं। क्या मंत्री महोदय मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो भी सूचना मैं एकत्र कर सका था, वह मैं दे चुका हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे बहुत खेद है। हमें यह विश्वास था कि देश के इन भागों में से पशु-प्लेग रोग समाप्त कर दिया गया था, और मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिस रोग पर नियंत्रण किया जा चुका है तथा जिसका टीका उपलब्ध है और जनता को मालूम है कि इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है, उससे इतनी संख्या में पशु कैसे मर गए। इस क्षेत्र में दिल्ली प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस संबंध में हुई लापरवाही के खिलाफ मैं सिर्फ इतना

ही कर सकता हूं कि कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से कहूं कि वह माननीय सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों पर पुनः विचार करें और पूरा मामला दिल्ली प्रशासन या गृह मंत्रालय के समक्ष पेश करें। माननीय गृह मंत्री भी इस समय यहां उपस्थित हैं वह स्वयं इस मामले की तहकीकात कर सकते हैं। मैं वह भी देखूंगा कि मेरे रोग को नियंत्रित करने संबंधी दिए गए निदेशों के पश्चात मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने क्या किया अथवा मेरे मंत्रालय के पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई ढील दिखाई गई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मेरी जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मुआवजे के बारे में कुछ कहा था।

राव बीरेन्द्र सिंह : भारत सरकार की मुआवजे की तो कोई योजना नहीं है। दिल्ली प्रशासन और गृह मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह इस सुझाव पर विचार करें और सुझावों को नोट कर लिया गया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वित्तीय सहायता और ऋणों के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री के० लकप्पा : माननीय मंत्री को मुआवजे संबंधी सुझाव से पूरी सहानुभूति है परन्तु दिल्ली प्रशासन और उनके बीच इस संबंध में कुछ तालमेल होना चाहिए।

अतः, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने में केवल दो मिनट लगते हैं। गृह मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन और कृषि मन्त्रालय सभी इससे संबंधित हैं। इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी सभी बातें नोट कर ली हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मृतकों की संख्या के विषय में मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता। मुझे पर निर्भर रहना होता है (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : यह इसमें नहीं आता है क्योंकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। लेकिन तथ्य यह है कि उन्हें और अधिक वित्तीय सहायता या आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाना चाहिए। यह मामला मैंने वित्त मंत्री जी के साथ उठाया था और मुझे सलाह दी गई थी कि मैं कृषि मंत्रालय से संपर्क करूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि वे देखकर बताएं कि इस मामले में क्या हुआ है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे दिल्ली प्रशासन द्वारा मृतकों की संख्या के बारे में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भर रहना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाग्यवश, आप सभी सत्ताधारी दल के सदस्य हैं। अतः, आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : इस तरह नहीं। हम ऐसा भेदभाव नहीं चाहते।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री लकप्पा ने सिरिंज, निडल्स, गम-बूट जैसे उपकरणों और अन्य चीजों की कमी का जिक्र किया है, लेकिन दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि उपकरणों की कोई कमी नहीं है। फिर भी, जिस तरीके से माननीय सदस्य ने सदन में यह प्रश्न उठाया है, मुझे उससे खुशी है क्योंकि मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि इस देश में हमारे पशु-धन की सुरक्षा के लिये कुछ और अधिक किया जाना चाहिये। पशु चिकित्सालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हमारे पास दवाइयों की भी कमी है। मुझे आशा है कि राज्य पशु चिकित्सालयों की सख्या बढ़ायेंगे, और उनमें देखभाल के लिए उचित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की भर्ती करेंगे जिससे कि देश के पशुधन की देखभाल हो सके, क्योंकि इसमें न केवल किसान का कल्याण है वरन् संपूर्ण देश का और कृषि हमारे पशुधन पर निर्भर करती है तथा हमें अधिकाधिक भारवाही-पशुओं पर भी निर्भर रहना है क्योंकि डीजल की लागत में वृद्धि के कारण मशीनों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि यह प्रश्न ऐसे ही छोड़ देने लायक नहीं है। हम माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के सभी पहलुओं पर आगे ध्यान देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अधिक समय न लें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं कुछ नई बातें आपके सामने कहूंगा जो अभी तक कही नहीं गई हैं और जिनको मन्त्री महोदय से जानबूझकर छिपाया गया है। जो बातें रिकार्ड पर हैं, वही मैं आप की नालिज में लाऊंगा।

सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का इस ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये आभारी हूं, साथ ही इतनी गम्भीर घटना हिन्दुस्तान टाइम्ज के कारस्पोण्डेन्ट श्री अरुण कुमार हमारी नालिज में लाये हैं, जिसके आधार पर हम यहां बहस कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इसमें कई प्वाइन्ट्स हाइ-लाइट किये थे, जिनका आपने अपने स्टेटमैंट में जवाब दिया है। लेकिन, कृषि मन्त्री जी, मैं आप से यह कहूंगा कि जानबूझकर कई फैक्ट्स आपसे छिपाये गये हैं जो रिकार्ड पर हैं और किसी छोटे व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि आप ही की मिनिस्ट्री से एटेच्ड एनीमल हस्बैण्ड्री कमिश्नर के पास रिकार्ड पर हैं। उनके पास रिकार्ड में सब चीजें लाई गई हैं कि किस प्रकार से ये दवायें, वैक्सीन जो इस बीमारी के लिए काम में लाई जाती हैं, सब-स्टैण्डर्ड थीं, किस प्रकार वे एम्प्यूल खाली थे और उसके कारण जो प्रयोग किया गया वह असफल रहा।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं—क्या यह सही है कि 9 फरवरी, 1982 को डा० आर० पी० बंसल, आई० वी० आर० आई०, जो वायरोलाजिस्ट हैं और मुक्तेश्वर, यू० पी० के हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कान्फरेंस ओल्ड सैक्रेटेरियट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में हुई, जिसको डिप्टी डायरैक्टर, एनिमल हस्बैंड्री, दिल्ली ने भी एटेण्ड किया ? क्या यह सही है कि

उस मीटिंग की मिनिट्स लिखी गई, कुछ निर्णय लिए गए और वे मिनिट्स तथा निर्णय आपके एनीमल हस्बैंड्री कमिश्नर, गवर्नमेंट आफ इंडिया, कृषि मन्त्रालय, कृषि भवन, को भेजे गये ?

यह बहुत लम्बा-चौड़ा है, जिसको मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहूंगा लेकिन इसमें से कुछ कोट करना चाहूंगा । मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपको इसकी जानकारी है । मैं बताना चाहता हूं कि जो सूचना आपको दी गई है, वह गलत है और यह जानना चाहूंगा कि उच्च स्तर पर इस घटना के बारे में जो बात छिपाई गई, क्या आप उसकी जांच करवायेंगे ? क्या आप होम मिनिस्ट्री के माध्यम से यह भी जांच करवायेंगे कि इसमें जो लापरवाही हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेवार हैं और जहां से ये वैक्सीन सप्लाई की गई और जोकि सब-स्टैन्डर्ड थीं जैसा कि शिकायत आई है, उसके लिए जो लोग दोषी पाए जायेंगे उनको केवल नौकरी से ससपेंड करने या नौकरी से हटाने की ही बात नहीं होगी, बल्कि क्या आप उनको प्रोसीक्यूट भी कराएंगे सम्बन्धित कानून के अधीन ।

उपाध्यक्ष जी, जिसका मैं रेफ्रेंस दे रहा हूं, उसके पैरा 3 की तरफ मैं राव साहब का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा । उसमें यह दिया हुआ है : -

> "डा० वी० के० कश्यप ने आगे यह ध्यान दिलाया है कि आर० पी० वैक्सीन के एम्फ्यूल्स पर उत्पादन की तारीख, वैधता की तारीख, बैच संख्या, उत्पादक का नाम, वैक्सीन का नाम तथा प्रति एम्फ्यूल मात्रा के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती ।"

क्या इस घटना से यह साबित नहीं हो जाता कि जो तथ्य समाचार पत्रों के माध्यम से सामने लाये गये, वे सत्य हैं । क्या इससे यह साबित नहीं हो जाता कि जो वैक्सीन थी, वे सब-स्टैन्डर्ड थी ? क्या यह बात सत्य नहीं है । इसके बाद पैरा 4 में यह कहा गया है : —

> "डा० वी० के०.कश्यप ने आगे कहा है —कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए हस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली आर० पी० वैक्सीन के एमफ्यूल्स में दवा की वही मात्रा नहीं होती और कुछ एमफ्यूल्स दोषपूर्ण होते हैं, कुछ का रंग खराब होता है और कुछ की सील उचित रूप से नहीं लगाई जाती । वे इन एमफ्यूलों को सभापति की अनुमति से बैठक में प्रदर्शित करने के लिए अपने साथ लाए थे । डा० कश्यप ने जोर दिया कि यह अनेक कारणों में से एक है "

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे न पढ़ें । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

कृष्ण कुमार गोयल : मैं पढ़ नहीं रहा हूं । मैं उद्धरण दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कर सकते हैं । मैं इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा । यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । आप नियम जानते हैं; आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं; आप मन्त्री रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इतने क्रोधित क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्रोधित नहीं हूं । मैं हमेशा दयालु रहा हूं । लेकिन कृपया इसे मत पढ़िए । मैं आपको इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा । आप प्रश्न के रूप में भाषण नहीं दे सकते ।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए आवे घंटे का समय आवंटित किया गया है । लेकिन जब तक यह समाप्त होगा दो बज जाएंगे । अतः, आप प्रश्न कीजिए ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं अब तक इसे समाप्त कर चुका होता यदि आप बीच में न टोकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है । मैं आपको इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा । यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आपको एक प्रति अध्यक्ष महोदय को देनी चाहिए थी जो कि अध्यक्ष महोदय द्वारा मंजूर की जाती । तभी आप इसे पढ़ सकते थे । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप प्रश्न करिए ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस मिनट का मैंने अभी रेफ्रेंस दिया है, उसमें डा० कश्यप ने सब-स्टैन्डड होने के बारे में, एम्प्यूल खाली होने के बारे में, उनका रंग बदल जाने के बारे में शिकायत की थी ? क्या यह भी सही है कि डा० कन्हैयालाल ने उसी मीटिंग के अन्दर यह भी कहा था कि जी० टी० वी० और टी० सी० वी० का जो प्रयोग हो रहा है वह डिर्जीज को इरेडीकेट करने के लिए इफैक्टिव नहीं है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कौन है, कितना बड़ा साइंटिस्ट है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा । केवल मैं···

राव बीरेन्द्र सिंह : यह किसकी राय है । आप इसे कैसे उद्धृत कर सकते हैं ? यदि आप सरकार से सूचना चाहते हैं मैं आपको सारी सूचना दूंगा । आप ऐरी-गैरी बातें क्यों कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह मेरा उद्देश्य नहीं है । (व्यवधान) आप इसे अन्यथा न लें ।

मैं कह रहा हूं कि क्या यह रिपोर्ट जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दी गयी थी, कमिश्नर के द्वारा एग्जामिन की गई थी और की गई थी तो एग्जामिन करने के बाद उसने अपनी कोई रिपोर्ट दी है ?

उपाध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया है और आपकी इजाजत से इस रिपोर्ट को मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं । इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब उचित स्तर पर जांच कराएं और पता लगाएं कि तथ्य क्या हैं, कितने पशु मरे हैं ?

आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पहले जो प्रकाशनरी भेजर्स लिये गये थे, माल चेकिंग के, डाक्टर आदि के वे अब अबालिश कर दिये गये हैं। उसी का परिणाम यह है कि यह रूप धारण कर गया है और रिण्डर पेस्ट तक आ गई है। जो पशु मरे हैं उनके बारे में तथ्य यह हूं कि बड़े बीमती पशु जो हमने इम्पोर्ट किये थे वे पशु भी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं।

अन्त में मैं इस रिपोर्ट को सदन की टेबल पर रखता हुआ यह निवेदन करूंगा कि देश के हित में इसकी उचित स्तर पर जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : कृपया इसे सदन के सभा पटल पर रखें।

एक माननीय सदस्य : यह इसे कैसे रख सकते हैं ? यह इसे सभा पटल पर नहीं रख सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा, सभा पटल पर न रखिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर सर माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाए हैं उनका तफसील में मैं पहले जबाव दे चुका हूं। मैं मानता हूं कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहां कि ज्यादा पशु रखे जाते हैं, बीमारी का ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। वहां के लिए कायदे कानून भी अच्छे बनने चाहिएं और बने भी हुए हैं। उनको लागू भी अच्छी तरह से किया जाना चाहिए।

मैं नहीं समझता कि जिस तरह से दूध के पशुओं की कालोनियां बन रही हैं उनमें सफाई का खास इन्तजाम रखा जाता है। दिल्ली शहर से बाहर निकालने के लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने हुकुम दिया है लेकिन वहां भी सफाई का जो स्टेण्डर्ड अपनाया जाना चाहिए, वह अपनाया जाता है या नहीं, इसकी मैं देखभाल करूंगा।

कुछ इन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अफसर ने या किसी और ने वैक्सीन खराब और डिकलर्ड पाया। यह बात मैं पहले मान चुका हूं कि ट्रांसपोरटेशन के वक्त वैक्सीन खराब हो जाता है, डिकलर्ड हो जाता है या उस पर चिट अलग हो सकती है। कोई बैच ऐसा आ जाता है कि उस पर चिट नहीं होती। लेकिन जिस पर चिट नहीं होती उसके बारे में इस बात का सर्टिफिकेट होना चाहिये कि इस डिब्बे के अन्दर यह बैच है और उसकी एक्सपायरी डेट यह है। जहां तक आपका यह कहना है कि हमारे महकमे के नोटिस में पहले यह बात लाई गई थी तो उसकी मैं जरूर देखभाल करूंगा कि जहां-जहां वेक्सीन तैयार होती हैं, वहां खास तौर पर अपने अफसरों को भेजकर जांच कराऊंगा कि जब वे पैक करते हैं, या सील करते हैं तो उस वक्त पूरी एहतियात बरतते हैं या नहीं। इस मामले में सरपराइज्ड चैकिंग भी कराऊंगा। यह एक बहुत जरूरी चीज है। इसका स्टेण्डर्ड कायम रहना चाहिए। इसकी तरफ आपने तवोज्ह दिलायी है कि ये ठीक तरह से पैक कराए जाएं। यह ठीक है कि अगर ये बातें न हों तो यह बीमारी दूर नहीं कर सकते हैं और उन लोगों के खिलाफ यह धोखा होगा। अगर किसी इंस्टीच्यूट में यह पाया जाता है तो कायदे कानून के मुताबिक जो भी एक्शन लिया जा सकता है, वह जरूर लिया जाएगा। इसकी तसल्ली मैं आपको कराता हूं।

मिनट्स जो आपने बताये, वे मेरे नोटिस में नहीं हैं। क्या मिनिट्स थे, किसने दिये थे, मैं उनको जरूर देखूंगा और जरूर पड़ताल करूंगा। अगर किसी की तरफ से उसमें ढिलाई पायी गयी तो जरूर एक्शन लिया जाएगा।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं माननीय मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समस्या की गम्भीरता को समझा है हम सभी जानते हैं कि यह मामला पशुओं के जीवन और मरण से सम्बन्धित है जो कि इंसानों की तरह अपनी भावनाओं और कठिनाइयों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस सदन को आश्वस्त किया है कि वह इस मामले को व्यक्तिगत रूप में देखेंगे और यह भी देखेंगे कि यदि कर्मचारियों की ओर से कोई कमी या असावधानी हो तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि मृत जानवरों की संख्या 958 है। मैं इनसे सहमत नहीं हूं। मृत्यु की वास्तविक संख्या के बारे में वे एक उचित एजेंसी के माध्यम से जांच करवाएं। पशु-पालक भी पशु-प्लेग बीमारी से मरे पशुओं के कारणों को नहीं बताएंगे। उन्हें डर है कि कहीं उस क्षेत्र को पशु-प्लेग क्षेत्र घोषित न कर दिया जाये। पशु-पालक दूध बेचकर अपनी रोटी-रोजी कमाते हैं। यदि वे इस रोग को प्रकट करते हैं तो उनके दूध बेचने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उस डर से वे इस मामले को प्राधिकारियों को नहीं बता रहे। मेरी जानकारी के अनुसार यह संख्या 5,000 से अधिक है। इसमें भैंसें, गाय और बछड़े शामिल हैं। कृपया इसकी जांच कराई जाए। माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहले यह बीमारी गाजीपुर, महरौली और मदनपुर तक ही सीमित थी जो कि शहरी क्षेत्र नहीं हैं। क्योंकि उचित कार्यवाही नहीं की गई, अतः बीमारी फैली और उसने शहरी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। अतः यह जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर ही उसकी जांच क्यों नहीं की गई।

अपने उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि पशु-पालन आयुक्त ने 1 दिसम्बर, 1981 को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और मौके पर अनुदेश जारी किये और विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन को दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 को भेजे गये एक नोट में महामारी की रोकथाम के लिए उपायों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सिफारिशें की गई थीं। मैं उन अनुदेशों के बारे में जानना चाहता हूं? क्या यह सच है कि उन अनुदेशों में से एक वैक्सीन की मात्रा पांच गुना बढ़ाने की थी। इन अनुदेशों के पश्चात 120 पशुओं को पुनः वैक्सीन लगाई गई। लेकिन इनमें से अधिकतर मर गए। मात्रा को पांच गुना बढ़ाए जाने की सलाह का क्या कारण था?

एक चीज मैं नहीं समझ पाया। कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा मुख्य सचिव, दिल्ली को अर्ध-सरकारी पत्र भेजे जाने के बावजूद भी पशु-प्लेग के कारण मरे जानवरों को खुली हवा और खुली जगह पर फेंक दिया गया। दूषण और पशु-प्लेग की इस बीमारी के फैलने का यह एक और कारण है। सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिल्ली प्रशासन को अर्ध-सरकारी पत्र भेजे जाने के बावजूद, दिल्ली प्रशासन ने इस पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि इस प्रकार की

महामारियों की जांच की जा सकती है और पशुओं के दयनीय जीवन को बचाया जा सकेगा ? मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले को सम्बद्ध मन्त्रालय के साथ उठाया जाए जिससे कि दिल्ली प्रशासन की ओर से किसी भी कमी और लापरवाही की उचित जांच की जा सके ।

अपने वक्तव्य में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दवा तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत वायरल वैक्सीन पर लेबल में सामान्य चिन्ह प्रदर्शित होना चाहिए । एक खेप में लगभग पचास प्रतिशत एमफ्यूलों पर कम-से-कम निम्नलिखित अंकित होना चाहिए—

(एक) टी० आर० सी० जी० वैक्सीन,

(द) बैच संख्या और वर्ष,

(तीन) प्रयोग के लिए सामान्य सूचनाएं ।

लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पाया कि उन वैक्सीनों पर वैधता तारीख क्यों नहीं दर्शाई गई थी ? माननीय मन्त्री जी कृपया इसे स्पष्ट करें । मन्त्री जी ने, अपने वक्तव्य में, कहा है कि आई० वी० आर० आई० के वाइरोलौजी प्रभाग के प्रमुख ने उस स्थान तथा राजस्थान और पंजाब के बायोलोजिकल यूनिट्स का दौरा किया । उसकी रिपोर्ट के अनुसार, इनतीनों स्रोतों द्वारा दिल्ली प्रशासन को सप्लाई की गई 'गोट टिशू वैक्सीन' और 'टिशूकल्चर वैक्सीन' दोनों ही में निर्धारित स्तर की पुष्टि की गई थी । इस संबंध में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान पिछले तीन या चार वर्षों में आई० वी० आर० आई के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की ओर दिलाना चाहूंगा । क्या हमें आई० वी० आर० आई० की रिपोर्ट पर निर्भर रहना चाहिए ? मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वैक्सीन जिसे मुहरबंद कर दिया गया है उसकी जांच आई० वी० आर० आई के बजाय किसी अन्य विश्वसनीय एजेंसी से कराई जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ने उत्तर में पहले ही कह दिया है । आप उसी उत्तर से कई बातें दोहरा रहे हैं ।

श्री चिन्तामणि जेना : मेरा कहना यह है कि हमें आई० वी० आर० आई की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन वैक्सीनों की मौलिकता की जांच किसी अन्य विश्वसनीय एजेंसी से करायें ।

समाप्त करने से पहले मैं गरीब पशु-पालकों के पुनर्वास के विषय में जानना चाहता हूं जिन्हें जानवरों का नुकसान हुआ है जो कि कुछ हजार रुपयों का कर्ज लेकर खरीदे गये थे । मेरे माननीय मित्र श्री लकप्पा ने कर्जदार के पुनर्वास के विषय में पहले ही बता दिया है और इसेअत्यंत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए ।

मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस मामले को दिल्ली प्रशासन और वित्त मन्त्रालय सहित संबद्ध मन्त्रालयों के साथ उठाएं जिसके बारे में मेरे मित्र श्री भगत पहले

ही बात कर चुके हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मामले पर गौर करें और इस ओर ध्यान दें कि गरीब पशु-पालकों को पुनर्वास प्रदान किया जाए।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सभी सुझावों को नोट कर लिया है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह एक छूत की बीमारी है। हम इन पशु कालोनियों में सफाई संबंधी नियम लागू करने की आवश्यकता की ओर दिल्ली प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आवश्यक है कि बीमार पशुओं को अलग रखा जाए, स्वस्थ पशुओं के लिए साफ पानी उपलब्ध कराया जाय तथा किसी विशेष इलाके में पशुओं की आबादी बहुत अधिक न बढ़ने दी जाए। हम दिल्ली प्रशासन के माध्यम से इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इस संबंध में अनुदेश दें कि एम्प्यूलों पर चिह्न किस प्रकार से मुद्रित किए जाएं। उन्हें प्रत्येक पैकेज के साथ एक पर्ची भी उपलब्ध करानी होती है जिसमें निर्माण की तारीख, वैधता की तारीख तथा टीके की किस्म आदि के संबंध में जानकारी दी गई होती है। यदि किसी भी संस्थान में इस संबंध में लापरवाही बरती गई है तो हम पुन: तत्संबंधी अनुदेश जारी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका पालन किया जाए।

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास न जमीन है, न उद्योग है, मुलाजमत है और न जायदाद है जिससे अपनी नुजर बसर कर सकें। उनमें से बहुत से मजदूरी करते हैं जानतरों की सवारी खींचते हैं और दूध बेच कर अपनी रोजी कमाते हैं और लोगों की जरूरत पूरी करते हैं। ऐसी सूरत में सरकार ने क्या कोई ऐलान किया है कि हम इनकी मदद करेंगे और हिफाजत करेंगे ? वैक्सीन बनाने का सेंटर हरियाणा में भी है। देश के लोगों की जरूरत को यह ग्वाले लोग पूरा करते हैं, लेकिन अफसोस हैं कि सरकार के इतने इंतजाम के बावजूद भी प्रति आदमी दूध कंजम्पशन का रेट गिर रहा है। 1945 में जब हम आजाद नहीं थे तब एक आदमी को 150 ग्राम दूध मिलता था, 1951 में 130 ग्राम रह गया और अब कहा जाता है कि 110 ग्राम प्रति व्यक्ति है। लेकिन अगर प्रोडक्शन और आबादी के रेशियो को जोड़ा जाय तो प्रति व्यक्ति 100 ग्राम से भी कम पड़ता है। इतनी कैयरलैसनैस हो रही है जिसका नतीजा यह हुआ कि अच्छी ब्रीड के जानवरों का क्रोटेक्शन नहीं कर सके और लापरवाही की वजह से तकरीबन 5,000 जानवर मर गये। अखबार में निकला है कि बैज नहीं है, मैनुफैक्चरिंग और ऐक्सपायरी डैड नहीं है और वैक्सीन डिसकलर हो गई थी। इस सिलसिले में मंत्री जी ने इस बात को डिनाई किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई मैटर हम लोग रेज करते हैं तो वह नेशनल इंटरेस्ट में कहते हैं। लेकिन हमारा ट्रेंड है कि जब भी कोई बात कही जाती है तो पूरा डिपार्टमेंट इस बात की कोशिश करता है कि इसको डिनाई किया जाय। मैं आप से उम्मीद नहीं करता हूं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। बल्कि कोशिश करनी चाहिये कि जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाय, पूरा किया जाय।

अब देखिये हिन्दुस्तान में फसादात होते हैं, गोलियां चलती हैं, इन्सानी जानें जाती हैं, उसकी केयर तो गवर्नमेंट करती नहीं है, जानवरों की केयर क्या करेगी ? हमें तो उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई एक्शन लिया जायेगा, लेकिन हमारी अपोजिशन वालों की खास तौर से ड्यूटी यह है कि उन तक बात पहुंचा दें ।

मैं मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी डिपार्टमेंट पर न छोड़ी जाये, डिपार्टमेंट का हर आदमी मिस-गाइड करेगा । कल से जब से कालिंग अटैंशन नोटिस मंजूर हुआ है, तभी से दौड़धूप हो गयी होगी कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करें कि मंत्री जी को सही बात मालूम न हो और वह कोई ऐक्शन न ले सकें । मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि इसकी एक इन्क्वायरी कमेटी बैठानी चाहिये और अगर आप बिठायें तो एम० पीज० की एक कमेटी बनायें । उसके साथ-साथ यह भी अर्ज करूंगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट जब आये तो उसको भी ओनर करें ऐसा न हो कि जैसे लेट श्री ज्योतिर्मय बसु ने ब्लैक शीप पर अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें जिन लोगों को मुजरिम गर्दाना गया था, उनको बाद में प्रमोशन दे दी गई । ऐसा न हो कि मेम्बर पार्लियामेंट की इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट करे और डिपार्टमेंट के लोग मिस-गाइड करके आपको और कुछ बता दें और उन जिम्मेदार लोगों को ही प्रमोट करके किसी को अमरीका और किसी को जापान भेज दिया जाये ?

आई० वी० आर० आई० सन् 1981 में कायम की गई थी वैक्सीन तैयार करने के लिये, जो कि प्रिवेन्टिव मेजर में इस्तेमाल की जा सके और जानवरों की हिफाजत हो सके । उसका बजट करोड़ों का था, लेकिन अभी भी 5 करोड़ का है । उसका नतीजा यह है कि जो वैक्सीन तैयार करते हैं, जो वैक्सीनेशन किया जाता है, उससे 5 हजार जानवर मर गये और बीमारी देहातों से शहरों में फैल जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर संसदीय समिति की मांग करते हैं ? आपने अपने सभी प्रश्न रख दिए हैं । यह पर्याप्त है । अब आदरणीय मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

डा० ए० यू० आजमी : मैं केवल एक अन्तिम बात का उल्लेख करूंगा ।

राव वीरेन्द्र सिंह : बाकी बातें मुझे लिखकर भेज दीजिये ।

डा० ए० यू० आजमी : मिनिस्टर साहब को लिखकर दे देंगे, लेकिन जवानी भी कहकर देंगे । जो कुछ हो रहा है, दुनिया देख रही है ।

क्या इस हादसे में 5 हजार से ज्यादा बेजबान जानवर मौत की नींद नहीं सो गये ? इस बारे में जिन मेम्बरान ने कालिंग अटेंशन मोशन दिया था क्या उसके जवाब मे मंत्री जी कोई इन्क्वायरी कमेटी एम० पीज० की बिठायेंगे जो थोड़े दिनों में इस के बारे में अपनी रिपोर्ट दे ? क्या इस रिपोर्ट को पिछली रिपोर्टों की तरह रद्दी की टोकरी में न फेंक कर मंत्री महोदय मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ताकि आइन्दा कोई ऐसी सूरत न हो सके ?

राव वीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने बातें तो वही कही हैं जो पहले सारी आ चुकी हैं और मैं जवाब भी दे चुका हूं। अफसोस इस बात का है कि एक बार अखबार पढ़ने के बाद 5,000 की फिगर आनरेबल मेम्बर्स के दिमाग में ऐसी जम गई है कि वजीर के 6 बार कहने के बाद भी कि 5,000 नहीं, 958 मौतें हुई हैं, वह 958 की बात उनके दिमाग में घुस नहीं पाती और 5,000 की बात निकल नहीं पाती। अखबार पर उनको ज्यादा एतबार है, इसका मेरे पास इलाज नहीं है। यह तो मेरी मजबूरी है।

मवेशियों की मौत चाहे 1 हजार की हुई है, चाहे 5,000 की हुई हो, अगर कम से कम भी हुई है तो भी मुझे अफसोस उतना ही है। मैं कह चुका हूं कि मौत नहीं होनी चाहिये, यह वाका बुरा है और हमें इसका अफसोस है। बाकी जो कुछ किया जा सकता है—एनक्वायरी करके जिस किसी की कमी पाई जा सकती है, उसके मुताल्लिक हम कदम उठायेंगे। मेरी निगाह में इसमें मेम्बराने-पार्लियामेंट की कमेटी का सवाल पैदा नहीं होता। जिस श्री ज्योतिर्मय बसु की कमेटी का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वह मेम्बराने-पार्लियामेंट की कमेटी नहीं थी बल्कि वह कमेटी खुद आई० सी० ए० आर० ने बनाई थी, जिसके वह मेम्बर थे। हम दो साल तक उस रिपोर्ट की इन्तजार करते रहे। उनकी जिन्दगी में वह रिपोर्ट नहीं आई। श्री ज्योतिर्मय बसु की नागहानी वफात के बाद उनके साहबजादे ने वह रिपोर्ट मुझे पहुंचाई। (**व्यवधान**) पहले कुछ आई थी, लेकिन कम्पलीट रिपोर्ट उनकी जिन्दगी में नहीं आई। उसकी आखिरी किस्त बाद में पहुंची। मेम्बराने-पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार पूरा ध्यान देती है। यह नहीं होता कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह मामला ऐसा है कि इस बारे में महकमाना कार्रवाई ही काफी होगी। यह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। हम उसकी जितनी देख-भाल कर सकेंगे, करेंगे।

डा० ए० यू० आजमी : इसकी एनक्वायरी डिपार्टमेंट से न कराइए, बल्कि सी० बी० आई० से कराइए।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हाल ही में हुई ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश में खड़ी रबी की फसल को हुई हानि

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : इस वर्ष, अक्तूबर, नवम्बर, 1981 में हुई वर्षा से मध्य प्रदेश में रबी की फसल के आसार अच्छे हो गए हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार ओलावृष्टि से पूर्व औसत फसल के कुल मूल्य का 11834.83 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया था। दुर्भाग्य से, 10 जनवरी, 1982 को दस जिलों में एक साथ व्यापक ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि और भारी वर्षा 4 फरवरी तक जारी रही और कुल 45 जिलों में से 35 जिलों में इस दैवी विपदा

का प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक प्रभावित जिले जहां पर 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई वे हैं विदिशा, खरगांव, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, रायसेन, सागर, खांडवा, धार और इन्दौर। इस प्राकृतिक विपदा से लगभग 40 करोड़ रुपए के कुल नुकसान की आशंका है।

राज्य सरकार ने तुरन्त सभी सम्भव सहायवा उपाय किए और इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए इसने अपने नियमों और परिपत्रों में आवश्यक छूटें दीं। राज्य सरकार ने इसको आवंटित की गई 1.83 करोड़ रुपए की नाममात्र राशि पहले ही व्यय कर दी है और केन्द्र सरकार को सहायता देने के लिए ज्ञापन दिया है। उस पर केन्द्र सरकार ने ओलावृष्टि से हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए राज्य में एक सर्वेक्षण दल भेजने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा राहत के लिए दिए गए ज्ञापन में यह सुझाव दिए गए हैं :—

1. राज्य को भेजे जाने वाले सर्वेक्षण दल को अपना सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट और सुझाव देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम दिया जाए ताकि केन्द्र सरकार को दी जाने वाली सहायता की मात्रा का निर्णय बिना किसी विलम्ब के ले सकें। यह बेहतर होगा यदि सर्वेक्षण दल कम से कम सर्वाधिक प्रमाणित जिलों में हुई हानि का मौके पर जाकर तुरंत अनुमान लगाए। कुल हानि का पहला अनुमान 40 करोड़ की राशि का लगाया गया। केन्द्रीय सहायता इस रकम का तीन चौथाई अर्थात 30 करोड़ रुपए अवश्य होनी चाहिए।

2. केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह प्राकृतिक आपदाओं के लिए फसल बीमा योजना चालू करने के लिए वित्तीय सहायता दे क्योंकि इस प्रकार की किसी स्कीम को आरम्भ करना राज्य के अपने वित्तीय साधनों के बूते की बात नहीं है।

3. ओलावृष्टि से अप्रभावित फसल को कीड़ों से नुकसान होने का खतरा है। इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य में फसल पर हवाई जहाज से छिड़काव करवाए।

(दो) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को सीमेंट की सप्लाई

श्री रेणुपद दास (कृष्ण नगर) : भारत सरकार सीमेंट को अंशत नियंत्रण से मुक्त कर देने के पिछली 28 फरवरी से प्रभावी आदेश के कारण पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु पूर्ति निगम को, जो कि राज्य सरकार का उपक्रम है, भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु पूर्ति निगम अब तक, पश्चिम बंगाल में सीमेंट का एकमात्र वितरक रहा है। निगम ने इस वर्ष के आवंटन के आधार पर पश्चिम बंगाल के हजारों छोटे और बड़े उप-

भोक्ताओं से सीमेंट के मूल्य के रूप में धन जमा किया हुआ है। निगम को 2.58 लाख मीट्रिक टन के आबंटन की तुलना में केवल 1.65 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुआ और निगम बाकी के 0.93 लाख मीट्रिक टन के कोटे की प्रतीक्षा कर रहा था। किन्तु भारत सरकार के हाल ही के अनुदेशों के कारण निगम को मार्च के दौरान 0.255 लाख मीट्रिक टन से अधिक सीमेंट प्राप्त नहीं हो सका जो चालू तिमाही के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत है। इस प्रकार निगम चालू तिमाही में 0.67 लाख मीट्रिक टन की मांग को पूरा नहीं कर सकता। जमा कर्त्ताओं ने, जिनमें छोटे और बड़े उपभोक्ता शामिल हैं सीमेंट की तुरन्त पूर्ति के लिए, जिसके लिए निगम ने पहले से ही धन जमा कर रखा है, आंदोलन करना आरम्भ कर दिया है। इसलिए निगम ने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि वह मार्च के दौरान बकाया 0.67 लाख मीट्रिक टन भेजे और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए पश्चिम बंगाल को तदर्थ आधार पर विशेष आबंटन किया जाए। यह सब कठिनाईयां केन्द्र सरकार द्वारा सीमेंट सम्बन्धी नीति में अचानक परिवर्तन करने के कारण उठ खड़ी हुई है।

इसलिए मैं संबद्ध मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे निगम की इस गम्भीर समस्या की जांच करें तथा एक विशेष मामले के रूप में इसी महीने पश्चिम बंगाल को 0.67 लाख मीट्रिक टन सीमेंट भेजने के आदेश दें क्योंकि यह निगम, राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

मैं यह भी मांग करता हूं कि संबंधित मन्त्री, सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

(तीन) नदियों के जल के बेहतर उपयोग के लिए नदियों को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति घोषित करना

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : जल हमारे देश का सर्वाधिक अमूल्य संसाधन है, यद्यपि हमारी नदियों में एक वर्ष में 1441 एम० ए० एल० जल बहता है किन्तु मुश्किल से 200 एम. ए. एफ. का ही प्रयोग हो पाता है और बाकी जल बेकार समुद्र में जा गिरता है। परिणाम स्वरूप देश बाढ़ों-सूखों से पीड़ित है और राहत कार्यों से देश की अर्थ व्यवस्था पर स्थायी रूप से भारी दवाव पड़ता है। छठी योजना में 137 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। 1980-81 में 22·8 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा हुआ और 1981-82 के लिए 24.5 लाख हेक्टेयर का अनुमान लगाया गया है। बाकी के तीन वर्षों में, यदि, समुद्र में बेकार जाने वाले जल का उपयोग न किया गया तो 137 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण करना सम्भव नहीं हो पायेगा। इस समय उपलब्ध जल के केवल 14 प्रतिशत का ही सिंचाई प्रयोजनों के लिए प्रयोग हो पा रहा है। बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत उपायों पर लगभग 1000 करोड़ रुपए वार्षिक की आवर्ती हानि होती है जो मानव और पशुओं की जानों तथा अन्य चल सम्पत्ति की हानि के साथ-साथ देश भर में फसलों तथा भूमि की उर्वरकता के रूप में होने वाले नुकसान के कारण होती है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में पास हुआ और आज तक किसी भी बोर्ड का गठन नहीं हुआ है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारें इसके गठन से सहमत नहीं हैं। 1956 का अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम बहुत से जल विवादों का समाधान नहीं ढूंढ

पाया है जिसके कारण बहुत सी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं। नदी बेसिन आयोगों का गठन भी नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में मैं यह मांग करता हूं कि नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाए ताकि भारत सरकार, इस समय समुद्र में बेकार जाने वाले जल के उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से कार्रवाई कर सके।

(चार) मद्रास के निकट अवाड़ी में स्थित आयुध वस्त्र कारखाने की क्षमता का उपयोग

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : 1961 में, मद्रास के निकट, आवदी में आयुध कपड़ा निर्माणी की स्थापना मुख्यतः पैराशूटों के उत्पादन के लिए की गई थी। बाद में यह निर्माणी केवल कुछ एक ब्रेक पैराशूटों के अलावा अन्य वस्त्रों का उत्पादन कर रही है।

रक्षा सेवाओं के प्रयोग के लिए ऊनी जुरावों की भारी मात्रा अब भी खुले बाजार से खरीदी जाती है। यद्यपि कानपुर और शाहजहानपुर की आयुध निर्माणियों में इन मदों का उत्पादन किया जाता है, आवदी में भी इसका उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है, जिससे खुले बाजार में खरीद समाप्त हो जाएगी।

इस समय निजी व्यापारियों से खरीदी जाने वाली तमाम सूती बनियानों का निर्माण भी आवदी में आयुध निर्माणी में किया जा सकता है, जहां पर तकनीकी जानकारी तथा प्रशिक्षित कर्मी काफी संख्या में उपलब्ध हैं।

सूती बनियानों आदि के उत्पादन की नई प्रणाली स्थापित करने से निश्चित रूप से कम लागत पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

माननीय रक्षा मन्त्री रक्षा विभाग के अन्य प्रभागों की तरह आयुध वस्त्र कारखानों पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं, कामगारों को दी जा रही अमानती दरें, औजारों की सप्लाई, पदोन्नति, अपर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था, निरीक्षकों के कार्य का मूल्यांकन न होना, अपर्याप्त लिपिकीय-वर्ग तथा कामगारों के लिए कर्मचारी क्वार्टरों की कमी आदि के सम्बन्ध में बहुत सी कमियां हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि वे आयुध वस्त्र कारखानों के कार्यकरण, विशेष रूप से आवदी कारखाने, जहाँ क्षमता का कम उपयोग हो रहा है, की जांच करें और आवदी के आयुध कारखाने को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र उपयुक्त कार्यवाही करें।

धन्यवाद !

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा-बलरशा रेल लाइन के विद्युतीकरण में विलम्ब

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति (विजयवाड़ा) : विजयवाड़ा-बल्लारशा की 454 रेलवे कि०

मी० की रेलवे लाइन उन लाइनों में से है जो सरकार द्वारा 18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विद्युतीकरण के लिए पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। पिछले वर्ष नवम्बर में, परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी गई और निर्माण-कार्य के लिए निविदायें आमन्त्रित की गईं, तथा परियोजना के सिविल निर्माण कार्य में 5 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई। अनन्तिम कार्यक्रम के अनुसार ओ० एच० ई० ठेका इस वर्ष मार्च-अप्रैल में दिया जाना है।

वर्तमान रिपोर्टों के अनुसार अब विजयवाड़ा-बल्लारशा विद्युतीकरण परियोजना को कम प्राथमिकता वाली परियोजना में बदल दिया गया है और इसकी निर्माण कार्य गति धीमी कर दी गई है। विजयवाड़ा-बल्लारशा लाइन दक्षिण-मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण अंग है और इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वियन की अत्यधिक जरूरत है।

बल्लारशा, कोयला पट्टी और वन क्षेत्र के निकट बसा हुआ है और कोयला व सागौन और लकड़ी की अन्य किस्मों को ले जाने का मार्गस्थ स्थल है, इससे भी बड़ी बात यह है कि यह इसे विजयवाड़ा से जोड़ता है जो आंध्र प्रदेश के मध्य में वाणिज्य के केन्द्र होने के साथ-साथ देश का अत्यन्त महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। विजयवाड़ा में थर्मल स्टेशन, वैगम वर्कशाप, भारी इंजीनियरी और ऑटोमोबाइल वर्क्स, औद्योगिक स्थल, कपड़े का थोक बाजार और सीमेंट कारखाने हैं। विजयवाड़ा मद्रास रेलवे लाइन का पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है।

विजयवाड़ा-बल्लारशा विद्युतीकरण परियोजना शीघ्र पूरी की जानी चाहिए क्योंकि यह इस क्षेत्र के लोगों की चिरप्रतीक्षित जरूरत को पूरा करती है।

(छः) राष्ट्रीय औषधि नीति एवं उत्पादन लक्ष्यों तथा देश में औषधियों के अभाव को दूर करने के लिए कदम उठाने के बारे में एक श्वेत-पत्र की आवश्यकता

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर यह कहना चाहता हूं, औषधि उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्तियां ठीक नहीं हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण मौजूद है कि सरकार की औषधि नीति दोषपूर्ण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई औषधियों की खपत और ग्रामीण क्षेत्र तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को देखते हुये उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्तियां गम्भीर चिन्ता का विषय है।

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय के जोर-शोर से किए गये इन दावों के बावजूद भी कि औषधि उत्पादन बढ़ रहा है वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। अधिक खपत वाली और जीवन दायिनी औषधियों के उत्पादन में प्रति माह गिरावट आ रही है। उत्पादन निगरानी सैल इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह अवगत है। एंटीबायोटिक्स, सल्फा, विटामिन, एनाल्जिसिक्स, टी० बी० प्रतिरोधक

मलेरिया-प्रतिरोधक, कार्डियोवेस्कुलर-प्रतिरोधक, एंटेम्थेटिक्स-प्रतिरोधक, फिलेरिया-प्रतिरोधक, अस्थमा-प्रतिरोधक और अन्य प्रकार की सभी मुख्य औषधियों के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उदाहरणार्थ, 1981-82 के पहले 9 महीनों के दौरान उक्त आवश्यक और जीवन-दायिनी श्रेणियों का पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन आंकड़े इस प्रकार हैं; पेंसिलिन का उत्पादन 340 एम० एम० यू० से 250 एम० एम० यू० रह गया, सल्फाडिमांडिन का पिछले वर्ष के 445 टन उत्पादन के मुकाबले 240 टन विटामिन बी-12 का 190 कि०, ग्रा० के स्थान पर 115 कि० ग्रा० था, एस्पिरिन 890 टन के मुकाबले 640 टन रह गया, परिवार नियोजन के लिए अनिवार्य स्टीराइडों में प्रेनिसोलोन-उत्पादन पिछले 1425 कि० ग्रा० के मुकाबले 940 कि० ग्रा० रह गया, मुख्य टी०बी० प्रतिरोधक पी० ए०एस० और लवण पिछले 405 टन के स्थान पर 180 टन रह गया; आवश्यक कार्डियो वेस्कुलर ड्रग डाइगोक्सिन 7.35 कि० ग्रा० के स्थान पर 2.10 कि० ग्रा० ही रह गया। यह स्थिति चौंका देने वाली है। इससे अत्यधिक मूल्य-वृद्धि, जमाखोरी, चोरबाजारी पनपेगी भारी आयात करना पड़ेगा और उत्पादन यूनिटों को नुकसान होगा। मूल्य निर्धारण, अपरिष्कृत व मूल बल्क औषधियों की सप्लाई, उत्पादन-संबंधी अड़चनें, अन्त में औषधियों के मूल्य निर्धारण में विलम्ब और शीघ्र, सक्षम व शीघ्र निरीक्षण करने वाली एजेंसियों का न होना, उत्पादन में हुई चिंताजनक गिरावट के कुछ कारण हैं। अगर इन आवश्यक औषधों का उत्पादन मानसून मौसम से पहले न बढ़ाया गया तो इस वर्ष के मध्य तक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मैं चाहता हूं कि सरकार राष्ट्रीय औषधि नीति उत्पादन लक्ष्यों और देश में औषधियों के अकाल से बचने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सदन के समक्ष श्वेत पत्र लेकर उपस्थित हो। इस विभाग को उसकी लालफीताशाही और अधिक समय बरबाद करने वाली प्रशासन प्रवृत्तियों से उबारने के लिए एक निर्भीक, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी निर्णय लेने की आवश्यकता है।

(सात) किसानों को गन्ने के लाभप्रद मूल्य दिलाने तथा उनको उचित मूल्यों पर चीनी की सप्लाई करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता

श्री रामलाल राही (मिसरित) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत का किसान जो देश की रीढ़ कहा जाता है, निरन्तर शोषण, अन्याय व अत्याचारों का शिकार रहा है। 34 वर्षों की आजादी के बाद आज भी उसके उत्पादन का न्यायोचित मूल्य दिलवाने में सरकार असमर्थ रही है। यही नहीं, उसके द्वारा उत्पादित कच्चा माल जब उद्योगों द्वारा पक्का होता है अथवा उसका उत्पादित माल जब उद्योगपतियों और सरकार के गोदामों में पहुंच जाता है, तो अपनी जरूरत पर किसान अथवा उपभोक्ता को उसकी जरूरत पूरी करने के लिये आश्चर्यजनक महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। अभाव की स्थिति भी उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण आम जनता को चोरबाजारी का शिकार होना पड़ता है।

देश के विभिन्न अंचलों में इस समय फसल पर गन्ना और आलू मिट्टी से भी सस्ता-बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय गन्ना किसान को मजबूर होकर सल्फर, खांडसारी एवं गुड़ यूनिटों को पांच रुपये से दस रुपये क्विंटल तक गन्ना बेचना पड़ रहा है। उसकी लागत मसक्कत तो दूर रही, बीज का दाम भी वापिस नहीं मिल रहा है। किसानों की इस बेबसी पर सरकार को दया नहीं और वह न्याय देने से कतरा रही है। दूसरी तरफ चीनी व्यवसाय में लगे मालिकानों को किसानों की लूट के लिये सरकार पूरी छूट दिये है। अधिकारी किसान को उचित मूल्य दिलाने में इसलिये विवश हैं क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक ऐसा समर्थ कानून और व्यवस्था ही नहीं बनाई गई।

एक तरफ तो गन्ना मिट्टी के मोल बिक रहा है, दूसरी तरफ गन्ना किसान के घर जब कोई खुशी के दिन आते हैं, मेहमानों को एक गिलास शर्बत या चाय के लिये चीनी बिना दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अपने बाल-बच्चों की शादी ब्याह के अवसर पर अतिथियों का मुंह मीठा कराने को भी तरस जाते हैं। किलो-किलो शक्कर के लिए लालफीताशाही के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह किसानों को उसके उत्पादन के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी कानून बनावे जिससे किसान उबर सके। जो गन्ना किसान, चीनी मिलों, सल्फर या खांडसारी यूनिटों की चीनी बनाने के लिए गन्ना सप्लाई करते हैं उन किसानों प्रति क्विंटल गन्ना पर कम से कम एक किलो चीनी, सल्फर या खांडसारी उनके पारिवारिक उपयोग के लिये, गन्ना की खरीद मूल्य के आधार पर लागत दर लगा कर उपलब्ध कराई जावे। यह सरकार का गन्ना किसानों के लिये एक कल्याणकारी एवं सार्थक कदम होगा। इससे दाने-दाने चीनी के लिये किसानों को ठोकरें खाने से मुक्ति मिलेगी।

— —

रेल अभिसमय समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

अनुदानों की मांगें (रेल), 1982-83

तथा

अनुदानों की पूरक मांगें (रेल), 1981-82

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब 1981-82 के बजट (रेलवे) की अनुदान मांगों और 1981-82 के बजट (रेलवे) की अनुपूरक अनुदान मांगों पर आगे बहस और मतदान करेगा। श्री आर० एल० पी० वर्मा पहले ही दस मिनट खर्च कर चुके हैं। वह अपना वक्तव्य और दो या तीन मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि रेलों में जो परिचालन और प्रबन्ध की व्यवस्था है वह दुरुस्त नहीं है। देश भर में 61 हजार किलोमीटर रेलवे के लिए केवल 9 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। इतनी बड़ी रेलवे के लिए दो-तीन मुख्यालय और बढ़ा देने से इसकी प्रबन्ध व्यवस्था में और परिचालन व्यवस्था में सुधार हो सकता है।

इस समय कलकत्ता में पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय हैं, पूर्व रेलवे के अन्तर्गत 4,200 किलो मीटर रेलवे लाइन है और दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत 7,039 किलो मीटर रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइनें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इससे वहां की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। यदि आप मेरी सम्मति से अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे तो मैं आपको अगली बार और समय दूंगा। कृपया अपनी बात खत्म करें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इनमें से एक और मुख्यालय बना दिया जाए तो उनकी प्रबन्ध व्यवस्था ठीक हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूर्वी रेलवे का एक मुख्यालय गया या पटना में बनना चाहिए।

इसी तरह से बम्बई में उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के मुख्यालय हैं। इन मुख्यालयों में से एक नया मुख्यालय भोपाल में बनाया जाए और उसे दक्षिण मध्य रेलवे का नाम दिया जाए। इस तरह से रेलों के प्रबन्ध और परिचालन में बहुत सुधार हो सकता है।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मेट्रो रेलवे के निर्माण से देश की अर्थ व्यवस्था जर्जर बनने वाली है। कलकत्ता में बन रही मेट्रो रेलवे 1971 के अनुमानों के आधार पर 140 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गयी थी जो किवाद में 250 करोड़ रुपये पर लायी गयी। यह रेलवे 1987 तक खत्म होने वाली थी। 1981 के मूल्यों के अनुसार इस पर अब 13-14 सौ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इस देश में व्यापक गरीबी है और अगर इस तरह से देश के बड़े-बड़े शहरों में मेट्रो रेलवे का निर्माण होता रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश की राजधानी या किसी बड़े शहर में मेट्रो रेलवे के निर्माण की जरूरत नहीं है। इसके निर्माण से कलकत्ता में बिल्डिंगें क्रेक हो रही हैं और उससे कई हजार करोड़ रुपये की क्षति होने की संभावना है। इसलिए इन रेलवे का निर्माण कार्य न किया जाए। हां आप एक लाइन कलकत्ते में दमदम से टालीगंज को जोड़ने के लिए बनाने की व्यवस्था करें। यह केवल 16.43 किलो मीटर लम्बी लाइन होगी।

बोकारो स्टील सिटी तुमकाडीह से तालधरिया तक के लिए 30 मिलो मीटर रेल लाइन बननी थी जिसमें से अभी तक दो किलो मीटर निर्माण करना बाकी है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और रानीपोखट गांव की जमीन शीघ्र अर्जित कर 2 किलो मीटर शेष निर्माणाधीन रेल पथ पूरा करना चाहिए।

गया और धनबाद के बीच 24 घंटे में केवल एक ट्रेन चलती है। उसमें भी पांच-छः बोगियां लगती हैं। लोग छत पर चढ़ कर गिरते-मरते हुए जाते हैं। उस लाइन पर एक और ट्रेन चलायी जाए और ज्यादा बोगियां लगायी जाएं।

दिल्ली से धनबाद के लिए एक खनिज एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जानी चाहिए जिससे कि औद्योगिक शहर का दिल्ली से सम्पर्क सीधा स्थापित हो सके तथा धनबाद से गया तक के सभी स्टेशनों पर से यात्रियों को नई दिल्ली जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण हमारे पास 3 घंटे 44 मिनट हैं और मंत्री महोदय 5 बजे उत्तर देंगे। समस्त सत्ताधारी दल व विपक्ष के माननीय सदस्य समय सीमा का ध्यान रखें। उन्हें समय सीमा को ध्यान में रखना चाहिए, तभी प्रत्येक को कहने का मौका मिल सकेगा। अब सत्ताधारी दल के सदस्य 7 से 10 मिनट तक से अधिक समय न लें और विपक्ष के सदस्यों को जितना समय दिया जाय उतना ही समय लें। कृपया सहयोग दें। माननीय मंत्री आज 5 बजे ही उत्तर देंगे। मैं अब प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत को आमंत्रित करता हूं अगर आप अधिक समय लेंगीं तो यह समय आपके ही सहयोगियों को दिये जाने वाले समय का हिस्सा होगा जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करती हूं।

देश में रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उपक्रम है। रेलों का विकास तीन उद्देश्यों से किया जाता है—आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा सम्बन्धी। ब्रिटिश काल में—अंग्रेजों ने सुरक्षा की दृष्टि से रेल सेवाएं आरम्भ की थीं। परन्तु आज हमारा देश लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये आर्थिक विकास। रेलों के द्वारा देश का आर्थिक विकास हो सके, इसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा पंद्रह हजार करोड़ रुपये की मांग योजना आयोग से की गई थी। लेकिन दुख की बात है कि उसको केवल 5100 करोड़ रुपये दिया गया है। मैं नहीं समझती हूं कि इतनी कम राशि से रेलों का नवीनीकरण, रेलों का रख रखाव आसानी से किया जा सकता है। हमारे देश की रेल व्यवस्था 130 वर्ष पुरानी हो गई है। इसके परिणामस्वरूप रेलों के डिब्बे, पटरियां और यहां तक कि सिगनल भी पुराने हो गए हैं। इसी के परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। एक वर्ष में इतनी अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं यह आप सबको मालूम है और उसका विवरण देने की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूं। इन दुर्घटनाओं से जन धन की हानि तो होती ही है साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारी रेलों की जो प्रतिष्ठा है उसको भी ठेस पहुंचती है। आज पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों से हमें तकनीकी सलाह और निर्माण के ठेके मिल रहे हैं। इस प्रकार से यदि रेलों में दुर्घटनाएं होती रहीं तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारी रेलों की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक ठेस पहुंचेगी। मेरा निवेदन है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण करना बहुत ही आवश्यक है।

दुनियां के कई राष्ट्र जैसे जापान और फ्रांस आदि जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे हैं उनमें काफी अधिक रेलों में प्रगति हुई है। कम्प्यूटराइजेशन भी वहां आरम्भ किया गया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि रेलों में कम्प्यूटराइजेशन हमारे देश में भी लागू किया जाना चाहिये।

हमारे इंजनों की गति बहुत धीमी है। ये बहुत पुराने पड़ गये हैं। हमारा इंजन केवल पांच या छः या आठ हजार किलोमीटर चल पाता है जबकि अन्य पश्चिमी देशों में, फ्रांस में यदि हम तुलना करें तो 25000 किलोमीटर एक इंजन चल पाता है। ऐसी स्थिति में यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से या विश्व बैंक से हमें ऋण की व्यवस्था करनी पड़े तो इसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए।

रेल यात्राओं में महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं रहता है। महिलाओं की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उनकी सैकिंड क्लास में किसी प्रकार की सिक्योरिटी ही प्रदान की जाती है। यही हालत फर्स्ट क्लास की है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है महिला एम० पी० श्रीमती क्षीरसागर के साथ हुआ दुर्व्यवहार। आपने इसको अखबारों में पढ़ा ही होगा। मेरा निवेदन है कि महिलाओं के लिए रेलों में सुरक्षा की व्यवस्था खास तौर से की जानी चाहिए। महिलाओं के डिब्बे रेलों में देखने को नहीं मिलते हैं और यदि होते भी हैं तो उनमें दूसरे लोग घुस जाते हैं और महिलाओं को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि एक एटेंडेंट महिलाओं के डिब्बे के साथ भी होना चाहिये।

श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए

रेलों का विकास बड़ा असंतुलित हुआ है। खास तौर से राजस्थान की बहुत अधिक उपेक्षा हुई है। दक्षिण राजस्थान के कई स्थानों के लोगों ने अभी तक रेल नहीं देखी है। वहां बहुत से स्थान है जहां रेलों का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि दक्षिण राजस्थान में बांसवाडा और उसके साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, प्रतापगढ़ में, छोटी सादड़ी में जो बड़े-बड़े कस्बे है और जहां पर रेल व्यवस्था अभी तक नहीं पहुंची है वहां इस साल नहीं तो अगले साल आप सर्वेक्षण का काम अवश्य प्रारम्भ करें और इसके लिए अवश्य कुछ प्रावधान करें। यह आदिवासी इलाका है। उनको इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी। लाइम स्टोन वहां पग-पग पर भरा हुआ है। अोक सीमेंट फैक्ट्रियां वहां इससे डाली जा सकेगीं। हमारी आर्थिक प्रगति भी इससे सम्भव होगी जो रेलों का मुख्य उद्देश्य है, लोग और आगे बढ़ सकेंगे।

इसके अलावा मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को अभी तक ब्रौडगेज से नहीं जोड़ा गया है, मैंने कई बार कहा है, थोड़ी-सी कोशिश की आवश्यकता है जोड़ने के लिए। इसी प्रकार सवाईमाधोपुर तक ब्रोडगेज आती है, जयपुर और सवाईमाधोपुर के बीच में कम दूरी है जिसको आसानी से जोड़ा जा सकता है ब्रौडगेज के माध्यम से। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद और दिल्ली का रूट अगर ब्रोडगेज होता है तो जयपुर और अजमेर को जोड़ा

जा सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ने वाली इकलौती 'चेतक एक्सप्रैस' है, जो वास्तव में यथा नाम तथा गुण वाली गाड़ी नहीं है। मैंने कई बार पहले भी कहा कि इस ट्रेन की गति धीमी है और काफी भीड़ इसमें होती है, लोगों को छत पर चलना पड़ता है। अगर इसमें डीजल इंजन लगा दिया जाए तो रफ्तार भी बढ़ जाएगी और अतिरिक्त सवारी डिब्बे भी बढ़ाए जा सकते हैं। इस बारे में मैंने कई बार लिखा है लेकिन सदा नकारात्मक जवाब मिला कि डीजल इंजन नहीं लगाया जा सकता है। आखिर इसका क्या कारण है? यह ट्रेन कई पर्यटक स्थलों को जोड़ती है जहां पर काफी अधिक पर्यटक आते हैं, इसलिए इसको डीजलाइज किया जाना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से आपने 'पेलेस आन व्हील' नामक गाड़ी राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई है, परन्तु इसका परीक्षण असफल रहा है। कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां यह गाड़ी नहीं पहुंच पाई है। मैं कहना चाहती हूं कि गुलाबी नगरी जयपुर, गरीब नवाज नगरी अजमेर, शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ तथा झीलों की नगरी उदयपुर तक निश्चित यह गाड़ी पहुंचनी चाहिए तभी पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण काम हो सकता है। अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि सारा का सारा प्रयास व्यावहारिक बन कर रह जाये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो भाग कोटा और चित्तौड़गढ़—को जोड़ने के लिए ब्रौडगेज लाइन की मंजूरी दी गई है, परन्तु यह ट्रेन जहां से निकलेगी वहां पर लाइम स्टोन काफी है और कई फैक्ट्रीज डाली जा सकती हैं। कई महत्वपूर्ण स्थान इस लाइन से छूटने वाले हैं जैसे बेगू जो एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर है। इसलिए सर्वेक्षण में यदि कोई कमी रह गई है तो पुनः विचार करना चाहिए और बेगू, भीचोर, पारसोली तथा बस्ती कस्बों को, जो कि काफी बड़े कस्बे हैं, ब्रौडगेज से जोड़ा जाए।

मीटरगेज पर सेकेंड क्लास ए० सी० स्लीपर नहीं लगाया जाता है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। रेलों में केटरिंग व्यवस्था भी बहुत खराब है। ठेकेदारों द्वारा बहुत ही खराब किस्म का भोजन दिया जाता है जबकि पैसे अधिक चार्ज करते हैं। पहले जो पैक्ड भोजन के पैकट मिलते थे वह अब देखो को नहीं मिलते हैं।

इसलिए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि रेल विभाग में ठेकेदार प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए और एक खान-पान निगम बनाया जाना चाहिए, जिससे सामान्य व्यक्ति को राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : सभापति महोदय, रेलवे के अनुदानों की मांगों की ताईद करते हुए मैं एक बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान खींचना चाहता हूं। रेलों में जो एक्सिडेंट होते हैं, उनका जिक्र तो काफी होता है। इसमें उसकी इनएफिशेंसी है, उसका भी काफी जिक्र होता है। और मैं मानता हूं कि उसका जिक्र होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे पहलू हैं, जिनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना आवश्यक है। खासकर विकास-

शील राष्ट्रों में भारत ने रेलों के क्षेत्र में जो एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज-कल खासकर विकासशील राष्ट्र हमारी रेलों की तरफ बड़ी उपेक्षा से देख रहे हैं। मुझे रेलवे मंत्रालय का अभिनन्दन करना चाहिए कि जहां जहां से भी इस बारे में मांगें आई हैं, रेलवे मंत्रालय ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है। इस कर्तव्य-पूर्ति के लिए उसे पूरा श्रेय मिलना चाहिए।

रेल बजट पर विवाद में इस बात पर ध्यान खींचा गया कि रेलवे को और ज्यादा धन-राशि का एलोकेशन होना चाहिए। मैं थोड़ा और आगे जाकर कहना चाहता हूं कि जब प्लानिंग कमीशन और रेलवे विभाग के बीच में चर्चा होती है, तब इस बात की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि रेलवे सिर्फ आवागमन का ही साधन नहीं है, बल्कि वह एक एम्पलायमेंट-ओरियेंटिड इंडस्ट्री भी है। हजारों और लाखों लोगों को नई रेलवे लाइनें बिछाने के काम में लगाया जा सकता है। ऐसी एम्पलायमेंट-ओरियेंटिड इंडस्ट्री में ज्यादा-से-ज्यादा पैसा लगाने में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को आना-कानी नहीं करनी चाहिए।

रेलों द्वारा दो-तीन काम हो सकते हैं। समाज की सेवा हो सकती है, समाज को सुविधाएं दी जा सकती हैं, एम्पलायमेंट दिया जा सकता है और साथ-साथ हमारे देश के आर्थिक निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग भी प्रदान किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि रेलों के बारे में यह दृष्टिकोण अपनाया जाये कि यह लोगों को रोजगार दिलाने वाला ऐसा उद्योग है, जिसको योजना आयोग द्वारा प्रायर्टी सैक्टर में गिनने और उसको ज्यादा-से-ज्यादा आर्थिक मदद देने की कोशिश की जानी चाहिए।

अब मैं कुछ मामलों की तरफ रेल विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जिस मतदान क्षेत्र से आता हूं, जहां तक मेरा ख्याल है वहां पर एक कोच-बिल्डिंग फैक्टरी बनाने का प्रस्ताव था। उस पर काफी विचार भी हुआ था। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अकोला एक ऐसा स्थान है, जो बम्बई से कलकत्ता जाने वाली ब्राडगेज लाइन पर, और दिल्ली से मद्रास जाने वाली मीटरगेज लाइन पर, उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है। वह नैशनल हाईवे पर है, वहां एयरपोर्ट है, पानी की और पावर की सुविधा है। इसी की वजह से शायद एक रेलवे कोच फैक्टरी वहां पर बनाने के लिए पिछली योजना में काफी विचार हुआ था। इस संबंध में रेल मंत्रालय को हमने उचित आवेदन दिये हैं जिसका उत्तर भी हमें मिला है कि पूरे गुण-दोषों के आधार पर ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जायेगा। पिछली योजना में जो इस संबंध में विचार था वह न्यायोचित था और अगली योजना में इसको रखने की पूरी कोशिश रेल मंत्रालय की ओर से की जायेगी—ऐसा मैं मानता हूं। मैं अपने मतदाताओं की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस फैक्टरी के निर्माण के लिए ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान दिया जाए।

जहां तक रेल कोचेज के प्रयोग का संबंध है, पिछले दो सालों में, एम० पी० बनने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि शायद रेल मंत्रालय ने ऐतिहासिक महत्व के जितने भी डिब्बे रह गए हैं उनको

सेंट्रल रेलवे को देने का फैसला कर लिया है। शायद इसीलिए पुराने ढंग के जितने डिब्बे हैं वह बम्बई और कलकत्ता के बीच में चलते हैं तथा जो नये डिब्बे हैं वह देहली-बम्बई या अन्य रूट्स पर चलते हैं। अगर इस आधुनिक युग का थोड़ा-सा लाभ सेंट्रल रेलवे को भी हो जाए तो हम आपके बड़े आभारी होंगे।

बम्बई-कलकत्ता लाइन पर खामगांव एक स्टेशन है, इसको जालना से मीटर गेज लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाये ताकि महाराष्ट्र का हिस्सा मराठवाड़ा के हिस्से से और दक्षिण के हिस्से से जुड़ जाये। इस पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा हमारे यहां एक मुतजापुर-यवतमाल रेलवे लाइन है जो कि दुर्भाग्य से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। मैं पिछले दो वर्षों से मांग कर रहा हूं और आज पुनः मांग करता हूं कि इस प्राइवेट लाइन को सरकार अपने हाथ में ले। क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास वहां से मांग आ रही है कि इसको सरकार अपने हाथ में ले क्योंकि वह अधिक सुविधाजनक होगा। अब रेलों पर भार भी अधिक बढ़ गया है इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी-से-जल्दी इस लाइन को अपने कब्जे में ले ताकि वहां की जनता को अधिक सुविधा मिल सके।

हमारे क्षेत्र में शेगांव एक तीर्थस्थान है जहां पर हर महीने लाखों तीर्थ यात्री जाते हैं। वहां पर सुविधा बढ़ाने के लिए पहले से ही बहुत से आवेदन दिये जा चुके हैं। मेरा निवेदन है कि उन आवेदनों पर रेल मन्त्रालय के विचार करने की जो गति है उसको बढ़ाया जाये।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अकोला पूर्व-पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच में बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां पर जो रिजर्वेशन का प्रबन्ध है वह बहुत कम पड़ता है। इसलिए मैं रेल मन्त्री जी से मांग करूंगा कि वहां पर अधिक-से-अधिक सीटें देने की व्यवस्था की जाये।

आखिर में मैं यह निवेदन करूंगा कि बाम्बे-दिल्ली, बाम्बे-कलकत्ता, बाम्बे-पटना, दिल्ली-पटना इन स्थानों के बीच चलने वाली गाड़ियों में हर रोज ए० सी० स्लीपर लगाये जाते हैं लेकिन जो लाइन देश के सबसे बड़े दो व्यापारिक शहरों बम्बई और कलकत्ता को जोड़ती है वहां पर आल्टनेंट डेज पर ए० सी० स्लीपर लगाया जाता है।

रोज ए० सी० सी० स्लीपर नहीं लगता है; इसका रोज उस गाड़ी में लगाया जाना आवश्यक है।

मैं एक कमी और महसूस करता हूं — दिल्ली से नागपुर होकर बम्बई जाने के लिए कोई सीधी गाड़ी का प्रावधान नहीं है। इस समय या तो भूसावल होकर बम्बई जाते हैं या बड़ौदा होकर बम्बई जाते हैं। इसलिए दिल्ली-नागपुर होकर बम्बई जाने वाली एक नई ट्रेन की आवश्यकता है। इसके बारे में भी आपका विभाग विचार करेगा, ऐसा मैं मानता हूं।

आपने मुझे जो थोड़ा अधिक समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, रेलवे की मांगों पर बोलते हुए सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे में सार्वजनिक उपयोग सेवा की धारणा को समाप्त करके वाणि-

ज्यिक उपक्रम की वित्तीय प्रणाली थोप दी गई। रेल-बजट जन-विरोधी है और विश्व बैंक के आदेशानुसार तैयार किया गया है। उस दिन इन मांगों पर बोलते हुए डा० सिंह ने बताया था कि किस तरह चीन रेलवे ने सफलता हासिल की। तीन दशकों से भी कम समय में चीन रेलवे ने अपनी परिवहन क्षमता दस गुनी कर ली है जबकि भारतीय रेलवे ने इसमें केवल 2.2 गुनी वृद्धि की है।

रेलवे बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री ने कहा है कि भाड़े और किराये में मात्र 900 करोड़ रु० तक की राजस्व प्राप्ति की वृद्धि की गई है परन्तु बात ऐसी नहीं है। 1980-81 में 204 करोड़ रु० की राशि की वृद्धि की गई। 1981-82 में 436 करोड़ रुपये की और 1982-83 में 581 करोड़ रु० की सीमा तक वृद्धि की गई, वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद की अवधि में कुल वृद्धि 221 करोड़ की राशि के भाड़े और किराए की वृद्धि की है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट करें।

इन मांगों में उनके वक्तव्य के मूल आशय का संकेत नहीं मिलता है। मन्त्री महोदय ने कहा कि 2250 कि० मी० से अधिक मुख्य ट्रंक रूट का विद्युतीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और उसके तीन या चार वर्ष में पूरा होने की आशा है तथा 1138 कि० मी० के और विद्युतीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि 550 लोको के इस वर्ष बेकार होने की सम्भावना है। इन सब के लिए अधिक डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिवों की आवश्यकता होगी।

लेकिन आश्चर्य है कि उन्होंने चित्तरंजन इंजन कारखाने द्वारा निर्मित डब्ल्यू० डी० एस० इंजनों का उत्पादन बंद कर दिया है। यह कारखाना प्रतिवर्ष 65 इंजनों का उत्पादन कर रहा था। इतना ही नहीं, विद्युत इंजनों का उत्पादन भी घटा दिया गया है और इस प्रकार चित्तरंजन इंजन कारखाने को कार्यहीन बना दिया गया है। परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कष्ट हो रहा है और रोजगार क्षमता घट गई है। पश्चिम बंगाल तथा बिहार के सहायक उद्योगों के उत्पादन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मन्त्री इस बात को स्पष्ट करें कि यह कदम 'उत्पादकता वर्ष' के नारे के कहां तक अनुरूप है। मेरी मांग है कि इंजनों के उत्पादन संबंधी अनुदान में वृद्धि की जाए।

मालूम होता है कि रेल मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना है और इसलिए उन्होंने दुर्घटना प्रतिपूर्ति संबंधी अनुदान की अधिक राशि—20 करोड़ रुपये की मांग की है। मैं इस वृद्धि का विरोध करता हूं क्योंकि नैतिक दृष्टि से हम इस बात के दोषी होंगे कि हमने रेलवे बोर्ड को सहमति दे दी है कि वह अपनी इस पागल नीति पर चलता रहे और अधिक दुर्घटनाएं करके अधिक-से-अधिक बेगुनाह लोगों को मारे जो रेल द्वारा यात्रा करते हैं।

मैं न्यायिक मामलों की अनावश्यक पैरवी करने के लिए प्रशासन को और अधिक अनुदान देने का भी विरोध करता हूं। ये मामले पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा रेल कर्मचारियों के पक्ष में निर्णित किये जा चुके हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड उनके निर्णयों को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। रेल प्राधिकारियों को चाहिए कि वे कर्मचारियों को कार्य पर आने दें और इस प्रकार राहत तथा न्यायालय खर्च के रूप में व्यय खर्च से बचें। इससे श्रम-संबंधों में भी सुधार होगा।

प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि पीछे 19 जनवरी को हुई हड़ताल में रेल कर्मचारियों ने भाग नहीं लिया है। लेकिन फिर भी उत्तर फ्रंटियर रेल में चार व्यक्तियों को नियम 14 (ii) के अधीन नौकरी से हटाया गया है। दक्षिण रेल में 500 से भी अधिक कर्मचारियों की सेवाएं 19 जनवरी को अनुपस्थित रहने के कारण समाप्त कर दी गई हैं। मुझे बताया गया है कि उनमें से एक व्यक्ति इस कारण कार्यालय नहीं आ सका क्योंकि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। क्या यह उचित है ? और टाटा नगर के 10 कर्मचारियों पर क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, चक्रधरपुर द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र के आधार पर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है। तीन कर्मचारियों को सेवा से निलम्बित कर दिया गया है। इस प्रकार की प्रतिशोध की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

कासगंज, उत्तर पूर्व रेल, के एक कर्मचारी को आरोप-पत्र देने का मामला भी इतना ही गम्भीर है। इस कर्मचारी से कहा गया है कि वह अपनी कतिपय मांगों की ओर ध्यान दिलाने के लिए 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में भाग लेने के कारण बताये। उसने छुट्टी ली हुई थी लेकिन फिर भी उसे दंडित किया जा रहा है। आपको इन सभी बातों की जांच करनी चाहिए। मुझे लोको कर्मचारियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हाल ही में, 8-2-82 को दक्षिण पूर्व रेल ने डिवीजनल अधिकारी (कार्मिक), पालघाट को एक परिपत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को यांत्रिकी विभाग में वैकल्पिक नौकरियां दी जाएं। उनको आश्वासन दिया गया है कि उन्हें रेलवे सुरक्षा बल में वैकल्पिक नौकरियां दी जायेगीं लेकिन शर्त यह है कि उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वे पहले ही 3-4 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, अतः आयु संबंधी इस शर्त के कारण वे वैकल्पिक नौकरियां पाने के इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके। परिणामस्वरूप, लगभग 500 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रथम सुझाव यह है कि बंकुरा-दामोदर छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदला जाये। दूसरा सुझाव, कलकत्ता में परिक्रमा रेल संबंधी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव के बारे में है।

1980 में एक कटौती प्रस्ताव के संबंध में मैंने एक प्रश्न नूतिन छोटी में एक रेलवे गेट कैबिन के बारे में उठाया था। इस कैबिन के कारण आगे की पटरी नजर नहीं आती और दुर्घटनाएं होती हैं। जब श्री कमलापति त्रिपाठी रेल मन्त्री थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस कैबिन को हटा दिया जायेगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है।

मेझिया में बड़ी मात्रा में कोयला पाया गया है। अतः इस कोयले की ढुलाई के लिए बंकुरा और मेझिया के बीच एक नई रेल लाईन बिछाने की तत्काल जरूरत है।

सियालदहा और लालगोला के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी के डिब्बों की संख्या घटा दी गई है। इस संख्या को फिर से पूरा किया जाना चाहिए।

हम पुरुलिया से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस गाड़ी की मांग करते आ रहे हैं। मेरे पास इस समय श्री पी० सी० सेठी का 16 फरवरी, 1982 का एक पत्र है, जो उन्होंने श्री ज्योति बसु, मुख्य मन्त्री को लिखा है और जिसमें उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। यद्यपि भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री केदार पांडे ने हमें आश्वासन दिया था कि वह पुरुलिया से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायेंगे। लेकिन आपने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को आश्वासन मेरी उपस्थिति में दिया गया था।

श्री अजीत कुमार साहा : खड़गपुर और आद्रा के बीच की लाईन का विद्युतीकरण करने का प्रावधान किया जाना चहिए। पुराने भाप इंजनों के इस्तेमाल के कारण अब यह लाईन वास्तव में बन्द है। यह दूरी मात्र 150 किलोमीटर की है। इसके लिए कुछ प्रावधान किया जना चाहिए ताकि यह कार्य एक चरणबद्ध ढंग से पूरा हो जाये।

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : चेअरमेन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। हमारे मन्त्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बड़ी तमन्ना थी कि हमारे इलाके में जल्दी से जल्दी ब्राडगेज होनी चाहिए। हिन्दुस्तान भर में सब से पिछड़ा जिला बस्ती है।

(व्यवधान)

सबसे पिछड़ा हुआ वह एरिया है। उसमें एक ब्राड गेज का प्लान बना था। बड़ी तमन्नाएं लगी थीं। इससे सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। जब से ब्राड गेज बना है तीन बार ही मैंने रेल से सफर किया होगा। ज्यादातर मैं कार से या बस से ही आता जाता हूं। गाड़ियां तीन-तीन और चार-चार घण्टे लेट चलती हैं। पौने दस बजे एक गाड़ी चलती है और बसती साढ़े तीन बजे पहुंचाती है। लेकिन वह कभी समय पर नहीं चलती। हमेशा लेट हो जाती है। यह कहा जाता है कि शायद पटरी खराब है और उसे ठीक किया जा रहा है। गोरखपुर से आगे देवरिया और देवरिया से आगे जो इलाके हैं उनको गोरखपुर से आगे जाने या आने में बड़ी दिक्कत होती है। गोरखपुर में मुसाफिरों को आकर उतरना पड़ता है और दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है। लेकिन वहां गाड़ियां पहुंचती हैं तो लेट हो जाती हैं और दूसरी गाड़ियां मुसाफिरों को पकड़नी पड़ती हैं और वहां रुकना पड़ता है। इसके बारे में कुछ प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरे दर्जे के डिब्बों की बात तो क्या फर्स्ट क्लास तक के डिब्बे बड़ी खस्ता हालत में हैं। बाथरूम में जाने को जी नहीं चाहता है। निहायत पुराने वे हो गए हैं। टूटे-फूटे हैं। थोड़

पैसा लगाकर उनकी मरम्मत की जा सकती है। लेकिन विभाग देखता नहीं है। बस्ती में कोई मन्त्री नहीं जाता है। पहले कोई नहीं गया, अब कोई नहीं जाता है। मल्लिकार्जुन साहब ही एक बार जाकर वहां सफर करके देख लें, देवरिया गोरखपुर तक जाकर देख लें और उनकी सही पोजिशन का पता चल जाएगा।

रिजर्वेशन की हालत हर जगह खराब है। मैं हज कमेटी का मैम्बर हूं। मैं बंबई जाता रहता हूं। वहां लोगों को जब पता चल जाता है कि एम० पी० साहब आए हैं तो वे पर्ची लिखाने के लिए लाइन लगा लेते हैं। बीस-बीस और पचास-पचास रुपया लिया जाता है और तब रिजर्वेशन मिलता है। लाखों आदमी उत्तर प्रदेश से बस्ती से जाकर बम्बई में रह रहे हैं। दिल्ली से और बम्बई से एक-एक बोगी लगती है जो गोरखपुर ले जाती है। हमारी डिमांड यह है कि एक ट्रेन चलाई जाए बम्बई से गोरखपुर के बीच ताकि बसती के लोगों को फायदा हो सके। वहां से लोगों को आना हो तो तीन दिन लग जाते हैं, दो दिन और एक रात लग जाती हैं। एक फास्ट ट्रेन इस तरह से दिल्ली से गोरखपुर और बंबई से गोरखपुर चला दी जाए और गोरखपुर को आगे देवरिया वगैरह को जोड़ दिया जाए तो गोरखपुर के बाद जो लोग हैं और जिनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है उनकी वह परेशानी कम हो सकती है। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

एक लाइन सहजनवी से महदावल, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला होते हुए बलरामपुर बनाने का सर्वे हुआ था। इसका प्लान तो दस साल पहले हमारे जमाने में बन गया था जब बसती के एक स्टेट मिनिस्टर जनता पार्टी के जमाने में थे और तब बहुत इसके बारे में ऊधम मचा था। लेकिन इसका सर्वे जनता पार्टी के जमाने में हुआ। फिर उसको बन्द कर दिया गया। इसके बारे में मार्च, 1980 में एक सवाल किया गया था जिसका जवाब यह मिला था आपकी तरफ से: –

> "सर्वेक्षण रिपोर्ट यह दर्शाती है कि यह परियोजना अलाभकारी होगी। तथापि, इस लाईन का निर्माण करने सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही किया जाना है। योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई इस समिति द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने सम्बन्धी भविष्य नीति की सिफारिश करनी होती है।"

इसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है। रिपोर्ट कब आएगी पता नहीं है। वह बहुत बैकवर्ड इलाका है। वहां एक छोटी लाइन का दस साल पहले प्लान बना था। जनता पार्टी ने उसका सर्वे कराया।

डिपार्टमेंट जो काम नहीं करना चाहता, वह हमेशा उसके लिए कोई न कोई रीजन निकाल लेता है—कहा जाता है कि फलां लाइन अनइकानोमिक है, अनरीम्युनरेटिव है। हकीकत यह है कि उससे फायदामंद में कोई लाइन नहीं होगी। उस एरिया में यातायात का और कोई साधन नहीं है। इसलिए वहां छोटी लाइन से बहुत फायदा होगा। हां, अगर धन नहीं है, तो

बात और है। लेकिन अगर धन मिले और गुंजाइश हो, तो यह ख्याल रखना चाहिए कि इम्पार्टेंट कोई लाइन नहीं है। वहां पर सिवाए बस के यातायात का कोई जरिया नहीं है।

लखनऊ में जो छोटी लाइन का स्टेशन पहले था, वह अभी तक छोटी लाइन रखी गई है। नतीजा यह होता है कि जो ट्रेनें बड़ी लाईन के स्टेशन पर गोरखपुर से आती हैं, वे सिग्नल पर एक घंटा चालीस मिनट तक खड़ी रहती हैं। जब कोई प्लेटफार्म खाली होता है, तब गाड़ी अन्दर जाती है। यह निहायत जरूरी है कि उस छोटी लाइन के स्टेशन का भी ब्राडगेज कर दिया जाए, ताकि गोरखपुर आने जाने वाली गाड़ियां वहीं से आया जाया करें।

बस्ती में फर्स्ट क्लास और सैकण्ड क्लास के रिजर्वेशन के लिए जो कोटा रखा गया है, वह बहुत कम है। इसके अतावा हर ट्रेन में कोटा भी नहीं है। वह बड़ा जिला है। हर ट्रेन में कोटा होना चाहिए और जो है, उसको बढ़ाना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने पांच साल के बच्चों के लिए कनसेशन को कामय रखा है, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। इसके बारे में लोगों को शिकायत थी। मुझे किराया बढ़ाने में कतई कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अगर रेलवे को पैसा नहीं मिलेगा, तो उसका काम नहीं चल सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि सैकंड क्लास में सफर करने वाली आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाएं।

जहां तक डकैतियों का ताल्लुक है, सब सदस्यों ने इस बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि उसकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान होगा, मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की घटनाओं को जल्द से जल्द रोका जा सकेगा।

दुनियां की पूजा करने के साथ अपनी पूरा भी करनी चाहिए। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह हम लोगों का भी ख्याल रखें। अभी मैं गुजरात गया था और मुझे अपनी बीबी का भी टिकट लेना पड़ा। हमारी हैसियत इतनी अच्छी नहीं है कि हम बीबी का टिकट खरीद सकें। मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान दें। मैम्बर के साथ उनकी बीबी का टिकट भी फ्री कर देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की मांगों की ताईद करता हूं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

वास्तव में रेल मन्त्री इस बात के लिए चिन्तित हैं कि रेलों में जो एक्सिडेंट होते हैं, उन पर किस तरह नियंत्रण किया जाए। इस सम्बन्ध में उन्होंने सबसे बड़ी बात यह व्यवहार में लाई है कि उन्होंने छोटे कर्मचारियों की बात सुनने की भी व्यवस्था की है। हमारे यहां छपरा से एक ए० एस० एम० यहां आया और उसने एक्सिडेंट्स को रोकने के बारे में अपने सुझाव दिए। दूसरे ही दिन रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारियों ने उसको बुला कर उन सुझावों पर विचार-विमर्श किया। यह पद्धति अपनाने से कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है कि अनुभव पर आधारित उनकी सलाह

को सुना जाता है। अगर उनके उपयोगी सुझावों को अमल में लाया जाए, तो एक्सिडेंट्स पर नियंत्रण किया जा सकता है।

अपने अपने क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्यों ने ठीक ही मांग रखी है। एक तरफ जहां माननीय सदस्य रेलों के विस्तार की चर्चा करते हैं और मांग करते हैं कि रेल लाइन बढ़ाई जाए वहां हमारे क्षेत्र में इसके ठीक विपरीत हो रहा है। वहां पर रेल लाइन हटाई जा रही है। लखनऊ से समस्तीपुर तक मीटरगेज को ब्राडगेज में चेंज किया गया लेकिन इसके साथ-साथ महाराजगंज जो मेरा हेडक्वार्टर है, पार्लमेन्टरी कांस्टीटुएंसी का, वहां पर केवल चार किलो मीटर की लाइन जो है दरौंदा से महाराजगंज, उसके संबंध में कहा गया था कि जब मुख्य लाइन का निर्माण हो जायेगा उसके बाद इस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। वह केवल चार किलोमीटर का ही टुकड़ा है लेकिन उस पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में पहले श्री कमलापति त्रिपाठी जी को भी पत्र लिखा गया था तो उन्होंने कहा था कि यह तो ओरीजनल प्लान में है, जैसे ही मुख्य लाइन का काम समाप्त हो जायेगा, इस कार्य को शुरू कर दिया जायेगा परन्तु आज तक वह नहीं हुआ है। इससे वहां की जनता में भारी असंतोष की भावना है। जब भी हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो हमें इसके लिए उलाहना सुनना पड़ता है। लोग कहते हैं कि और सुविधायें देने की बात तो दूर रही, उल्टे रेल लाइन उखाड़ने की बात हो रही है। मैं चाहूंगा कि रेल मन्त्री जी यहां पर आश्वासन दें कि इसको जल्द प्रारंभ कर दिया जायेगा। चूंकि वह मेरा मुख्यालय है इसलिए मुझे उसकी अधिक चिंता है और यह केवल चार किलोमीटर की ही बात है जिस पर कोई अधिक व्यय होने की सम्भावना नहीं है। दण्डवते जी ने भी इसके संबंध में आश्वासन दिया था कि इसका निर्माण होगा, लेकिन मुख्य लाइन बन जाने के बाद। अब मुख्य लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है इसलिए मेरा आग्रह है कि अब इस कार्य को किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि समस्तीपुर तक ब्राडगेज लाइन बना दी गई है लेकिन अभी तक कोई भी डाइरेक्ट ट्रेन यहां से वहां तक नहीं चलाई गई है। केवल एक कोच लखनऊ मेल में लगा दी जाती है। चूंकि पौने दस बजे यह गाड़ी खुलती है और दूसरे दिन पांच बजे वहां पहुंचने का मौका मिलता है इसलिए हम इस गाड़ी से सफर ही नहीं करते हैं। मैं सेठी जी से आग्रह करूंगा कि वे एक डायरेक्ट ट्रेन यहां से समस्तीपुर तक चला दें। पहले हमारे जिले से मजदूर टाइप के लोग हावड़ा, कलकत्ता और आसाम अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए जाया करते थे। सारन जिला एक बहुत घना जिला है जहां से दूसरे देशों में भी लोग जाया करते थे और रोजगार किया करते थे इसीलिए सबसे ज्यादा मनी-आर्डर हमारे जिले में ही आते हैं। लेकिन आजकल जो मजदूर टाइप के लोग हैं वे पंजाब और हरियाणा जाकर रोजी कमाते हैं। आजकल बहुत लोग सिवान, छपरा और गोरखपुर जाते हैं जिनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कई बार तो वे लूटे जाते हैं तथा मार भी खाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहां से एक डायरेक्ट ट्रेन समस्तीपुर तक के लिए चला दी जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंच सके।

एक बात मैंने पिछली बार भी कही थी और अब पुनः कहना चाहता हूं जिसके रेफ्रेन्स में मल्लिकार्जुन जी ने भी जवाब में कहा था कि छपरा में एक ओवर-ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है। वह बहुत घना जिला है और वहां इधर से उधर जाने में कई घंटे लग जाते हैं। पहले जो क्रासिंग था उसको अब बन्द कर दिया गया है। ब्राडगेज चेंज होने में प्लेटफार्म का विस्तार करना पड़ा इसलिए उसको बन्द कर दिया गया। मेरा आग्रह है कि वहां पर जो ओवर-ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है उस पर जल्द से जल्द कार्य आरम्भ कर दें।

इसी प्रकार से नार्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने के लिए गंगा पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव है। श्री केदार पांडे जी ने कहा था, कि इसको बनाने का प्रस्ताव था अभी जो रोड ब्रिज बना है उसके और पूरब साइड में, पर जब हम लोग और डैलीगेशन मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम फिर सर्वे करवा रहे हैं, दीघा पहलेजा में जहां जहाज चल रहा है आजकल, वहीं इस पुल का निर्माण होगा। मैं आग्रह करूंगा कि इसकी ओर पूरा ध्यान दिया जाए तथा सर्वे कराकर पुल का निर्माण किया जाए ताकि दक्षिण बिहार और नार्थ बिहार की जो दूरी है उसको घटाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : सभापति महोदय, भारतीय रेलवे बोर्ड के सामने न तो कोई रीति है, न कोई नीति है और न कोई दिशा है। यह मनमानी करता है और अनेक बार देखा गया है कि ये रेल मंत्री की बात को भी कभी-कभी उठा देते हैं, नहीं मानते हैं

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : कौन नहीं मानता है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : रेलवे बोर्ड नहीं मानता है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : हमारे एक माननीय साथी ने कहा कि ये लोग न्यायालय की बात को भी नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं। कई सरकारी पक्ष के सदस्यों ने अभी यहां बतलाया है कि जनता पार्टी की सरकार के समय से विरासत में मिली अर्थ-व्यवस्था से गम्भीर क्षति पहुंची है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्पष्ट है कि जनता पार्टी की सरकार के पहले जो रेल बजट आते थे वे घाटे के बजट थे और आज भी जो बजट आ रहे हैं वे भी घाटे के बजट हैं, जब कि जनता पार्टी के शासन काल के दो-तीन सालों में जो रेल बजट आये वे सब नफे के बजट थे। इसलिये स्पष्ट है कि जनता पार्टी की सरकार का बजट आपके बजट के मुकाबले ज्यादा अच्छा था।

रेलवे के पास इस समय 1 लाख वैगन्ज हैं, जिनमें से 40 हजार बेकार हैं, किसी काम के लायक नहीं हैं। इस कारण वैगन्ज की बहुत कमी है। इन 40 प्रतिशत रुग्ण वैगनों की तुरन्त मरम्मत कराना बहुत आवश्यक है, इनके अतिरिक्त युद्धस्तर पर अधिक से अधिक नये वैगन्ज बनाने की जरूरत है। इस समय मालगाड़ी के डिब्बों के निर्माण की उपेक्षा तो हो ही रही है साथ-साथ जो सवारी गाड़ियां हैं उनके निर्माण के लिये योजना आयोग ने कोई प्रस्ताव नहीं

दिया है । ऐसा लगता है जैसे रेलवे बोर्ड में या रेल मंत्रालय में कोई देखने-भालने वाला नहीं है । इस विभाग में जो चाहते हैं वही करते हैं, घूस का बाजार गर्म है । बड़े-बड़े व्यापारी क्या करते हैं ? इनके वैगन्ज को ले लेते हैं और उनका महीने-दो महीने तक गोडाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं । कोई कहने या सुनने वाला नहीं है ।

वर्तमान सरकार के जमाने में हर चीज की कमी है । मालूम हुआ है कि कोयले की कमी के कारण 600 गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं । इन्हें जो कोयला मिलता है वह भी घटिया किस्म का मिलता है, बढ़िया किस्म का कोयला नहीं मिल रहा है इसका कारण मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं । आपके इन्जिनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे खराब कोयले की जांच की जा सके । विदेशों में ऐसी व्यवस्था होती है लेकिन हमारे यहां नहीं है । परिणाम यह होता है कि इन्जिनों को जितनी शक्ति गाड़ी को खींचने के लिये चाहिये वह क्षमता नहीं मिलती है, जिसके कारण आप की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है । डीजल या विद्युत इन्जिन आसानी से 20-22 बोगियों को खींच सकता है । लेकिन देखा यह गया हैं कि अधिकांशतः क्षमता से आधी बोगी लगाई जाती हैं और इसका फल यह होता है कि रेलवे की आय घट रही है । विगत दो वर्षों के शासन में रेलवे को स्वच्छ प्रशासन देने के नाम पर तीन मंत्री बदले गये हैं । दो को तो हटा दिया गया है और तीसरे मंत्री की बारी अब है । हम लोग देखें कि क्या होता है । स्वच्छ प्रशासन क्या मिलेगा ? अभी तक तो मिल नहीं पाया है, आगे देखना है ।

भ्रष्टाचार, अनाचार और दुर्घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं । कोई स्व० लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण पेश नहीं कर रहा है । यदि पेश किया होता, तो देश के सामने उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती ही और साथ-साथ इस प्रजातंत्र की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है । यह दुख का विषय है । इसका कारण है, लोभ । लोभ से इतने ज्यादा प्रेरित हैं कि इस बात को सोच ही नहीं सकते ।

सभापति जी, आपको मालूम है कि श्री केदार पांडे के समय में 6 महीनों के अन्दर कोई 700 रेल दुर्घटनाएं हुई और अखबारों में उसके बारे में काफी आया । मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता । अप्रैल से अक्तूबर तक 700 दुर्घटनाएं हुई हैं ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : 1013 हुई हैं ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : मैं 6 महीनों की बता रहा हूं लेकिन इन्होंने इस्तीफा देने की बात नहीं सोची बल्कि गलत तर्क देते रहे हैं ।

सभापति महोदय : इस तरह इस्तीफा देने लगे तो साल में 100 मिनिस्टर हो जाएंगे ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए गलत तर्क ये देते रहे हैं । मैं आपको बताऊं कि सहरसा के पास बदलाघाट में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तर्क यह दिया कि हवा से वहां गाड़ी उड़ गई । क्या तर्क है, सुनकर आश्चर्य होता है और सारा शरीर कांपने लगता है जब वहां के दृश्य की याद आती है । यदि आप उस दृश्य को देखते, तो पता चलता कि

कितनी बड़ी वह दुर्घटना हुई थी। वहां जो बगल में मकान था या झोपड़ी थी, उनका एक बाल भी नहीं उड़ा और कहीं कोई पेड़ की डाली नहीं टूटी। तो यह आंधी कैसी थी और कहां वह चली गई। एक आदमी भी उसमें नहीं बचा और रेलवे बोर्ड इतना सक्षम नहीं हो सका कि इसकी जांच वह कर सके। उसने इस बात की जांच नहीं की कि कितने लोग मारे गये और आज तक उसकी रपट नहीं आई है। यह तो आपके रेलवे बोर्ड की हालत है।

भारतीय रेलें लगभग 130 वर्ष पुरानी हैं। उनके ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि उनका नवीकरण नहीं किया गया, तो मुझे डर है कि सारे का सारा ढांचा बिखर जाएगा।

रेल फाटकों की यह स्थिति है कि उनके पास ही बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अचरज है जैसा कि राज्य रेल मन्त्री जी ने बताया था, कि 22 हजार फाटक ऐसे हैं, जहां कोई रेलवे कर्मचारी नहीं रहता है, वहां उनको खोलने या बन्द करने वाला कोई नहीं होता है। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं।

1967 के बाद से लोको रनिंग स्टाफ अपने कार्य के घंटों में कमी की मांग करता आ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्तर्देशीय परिवहन समिति ने भी इनकी मांगों की पुष्टि की है। लोको वालों ने आन्दोलन किया, लड़ाई की। समझौता भी हुआ लेकिन कोई फल नहीं निकला। सब बेकार। आप 20-20, 22-22 घंटे तक काम लिए जा रहे हैं तो दुर्घटनाएं होंगी ही।

रेल मंत्रालय ने विगत वर्षों में 1,142 करोड़ की वृद्धि सिर्फ किराये और माल भाड़े में की है जो कि घृणास्पद बढ़ौतरी है। जन साधारण की सारी सुविधाएं समाप्त हो गयी हैं या हो रही हैं। स्वभावतः हर चीजों की कीमत बढ़ेगी। इसका असर सीधे मुद्रास्फीति पर पड़ेगा। कौन देखता है इन चीजों को। शासन करो, लूटो और मौज उड़ाओ। कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है।

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कम्प्यूटरों जेनरेटर विश्व बैंक के आग्रह पर लगाया जा रहा है। इसका असर क्या प्रति वर्ष रेलों में रोजगार पर नहीं पड़ेगा? अनुमान है कि 2.6 लाख रेल कर्मचारी बेकार हो जाएंगे। क्या आपने इनको काम देने के बारे में कुछ सोचा है? इन्हें रखना ही होगा।

खान-पान की योजना सारे रेलवे में असंतोषजनक है। इसमें सुधार के लिए कुछ उपाय शीघ्र करने चाहिएं।

स्पष्ट बात यह है कि ईमानदारी से आरक्षण इन दिनों नहीं हो रहा है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति जाकर के आरक्षण कराना चाहे तो भी नहीं होगा। द्वितीय श्रेणी के आरक्षण तक के लिए एक-एक आदमी को पचास-पचास रुपये देने पड़ते हैं। यहां से हम लोग जो आरक्षण करा कर देते हैं उनसे भी प्लेटफार्म पर पैसे लिये जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार रेलों में हो गया है

जिसको कि कोई देखने वाला नहीं है इससे अराजकता होती है और आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं। आज देश और देश की आम जनता आप से यही मांग रही है कि इसमें सुधार हो। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है और अब वह यह कहने लगी है कि इसमें सुधार होने वाला नहीं है। इसको दूर करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिएं।

श्री मोतीलाल सिंह (सीधी) : 1982-83 के बजट का मैं समर्थन करता हूं। मध्य प्रदेश आवागमन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां सब से ज्यादा प्राकृतिक रिसोर्सिस हैं। लेकिन उसकी हमेशा उपेक्षा की गई है खास तौर से आवागमन के मामले में। पंद्रह वर्षों से सर्वेक्षण चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ललितपुर से सिंगरौली लाइन को आज तक पूरा नहीं किया गया है, यह नहीं बन पाई है। कब तक सर्वेक्षण इसका पूरा होगा, कब इसको आप बजट में सम्मिलित करेंगे इसका कुछ पता नहीं है। सिंगरौली कोलफील्ड है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार वहीं है। उस कोयले को उपयोग में लाने के लिए आवागमन के साधन बहुत जरूरी हैं। चोपन से कटनी एक लाइन है। यह तीन सौ किलोमीटर का रास्ता है। इस रास्ते को तय करने में गाड़ी बारह घंटे लेती है। इसके बारे में मैंने मंत्री जी को लिखा था। उनका जवाब आया कि उसमें सुधार किया जा रहा है। लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। इस तरफ आप ध्यान दें।

बम्बई-हावड़ा मेल चलती है। यह अभी कटनी से मुगलसराय, इलाहाबाद होकर हावड़ा पहुंचती है। इसको अगर सिंगरौली होकर मुगलसराय और हावड़ा कर दिया जाए तो इससे आठ घंटे की बचत हो सकती है और कोलफील्ड्ज को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।

एक गाड़ी चोपन से कटनी आती हैं लेकिन वह समय पर नहीं पहुंचती है। वहां लोग दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं। समय पर न पहुंचने की वजह से उनको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसमें सुधार किया जाना चाहिये।

एक त्रिवेणी एक्सप्रेस लखनऊ से चोपन तक जाती है। अगर इसको चोपन से सिंगरौली तक बढ़ा दिया जाए तो अस्सी नव्वे किलोमीटर की दूरी और बढ़ जाएगी लेकिन लोगों को बहुत आराम हो जाएगा। सिंगरौली के मजदूरों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोयले का उत्पादन वहां सबसे ज्यादा होता है। अगले पंद्रह वर्ष 76 मिलियन टन प्रतिवर्ष के हिसाब से उत्पादन होगा। चार कोलियरीज तो वहां अभी चालू हैं और छः सात और शुरू होने वाली हैं। सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी वहां बन रहा है। इस समय वहां आने जाने के कोई साधन नहीं हैं, माल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं हैं। ट्रकों से ही सामान लाया और ले जाया जाता है। मंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उनको मालूम है कि रीवा और सीधी के बीच में पहाड़ी है जो बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी है। देखने में तो सीधी है लेकिन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। वहां रोज ट्रकों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब भी आप देखेंगे आपको किसी न किसी जगह ट्रक का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे जाएगा। इस वास्ते इस तरफ आप ध्यान दें।

ललितपुर से सिंगरौली की जो लाइन है इसको शीघ्र चालू किया जाए। इसका शीघ्र सर्वेक्षण किया जाए। इससे उस क्षेत्र का भला होगा।

गोंदिया से जबलपुर एक छोटी लाइन है। इसको बड़ी में बदला जाए। नैनपुर में उसका डिविजन था। उसको हटा दिया गया है। उसको फिर से चालू किया जाए। वह आदिवासी और हरिजन क्षेत्र है। उनका आप भला करना चाहते हैं तो वह कैसे हो सकेगा, जब तक आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां पर आवागमन के साधनों की व्यवस्था करना आवश्यक है। सिंगरौली से कोयला ले जाने के लिए ट्रक चलते हैं, जिससे एक्सिडेंट की बहुत सम्भावना रहती है। इसलिए ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन को शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाए।

सभापति महोदय : श्री चिन्तामणि जेना।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूं।

मैं अपनी मातृ भाषा उड़िया में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप अपने वक्तव्य को अपने क्षेत्र तथा अपनी मांगों तक ही सीमित रखें क्योंकि कांग्रेस दल की ओर से अभी 32 और सदस्य हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

***श्री चिन्तामणि जेना** : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं अपनी मातृ-भाषा में बोलना चाहता हूं। मैंने उड़िया में बोलने की सूचना दी है।

प्रथमतः, मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कार्य संभालने के बाद रेल परामर्श दात्री समिति को भंग करने के लिए कदम उठाए हैं। देश में रेलों के विकास के लिए यह एक अच्छा संकेत है। इन समितियों ने वर्ष में मुश्किल से दो अथवा तीन बैठकें की हैं और बैठक की अवधि मुश्किल से एक या दो घंटे की रही है। सदस्यों ने बैठकों में विभिन्न सुझाव दिए लेकिन उनके सुझावों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। मैं भी इसी तरह की एक समिति का सदस्य था। और यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। कुछेक ऐसे लोगों को उन समितियों में शामिल किया गया था जिन्हें रेलों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे विभिन्न रेल समितियों में विभिन्न जोनों के जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल करें। मेरा सुझाव है कि जोनल अथवा डिवीजनल स्तरों पर इन समितियों का पुनर्गठन करते समय लोक सभा के संबंधित सदस्यों को विश्वासभाजन बनाया जाए और उन क्षेत्रों में व्यक्तियों का नामांकन करने में उनसे परामर्श लिया जाए क्योंकि वे निर्वाचक-समूह के प्रति उत्तरदायी हैं। मेरा यह सुझाव है कि ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय विभिन्न रेल जोनों से परामर्श लिया जाना चाहिए। महोदय, रेल मंत्री ने बताया है कि रेल मन्त्रालय के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है और उन्होंने नई लाइनों का निर्माण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त

*उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

की है। लेकिन जहां तक लाइनें बदलने संबंधी कार्य का प्रश्न है, इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अपने राज्य की कतिपय लाइनों का नाम बताना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि उन्हें बदलने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उड़ीसा में तथा मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र में ऐसी एक लाइन रूपसा-बंगीरीपोसी है। लाइन 1920 में बनाई गई थी। तब से इस लाइन पर कोई आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। क्योंकि इस लाइन पर यातायात बहुत अधिक है अतः यह लाइन काफी लाभकारी होगी क्योंकि यह खनिज क्षेत्रों से गुजरती है। इसके अतिरिक्त, राज्य का उद्योगीकरण करने के राज्य सरकार के निष्ठावान प्रयत्नों के कारण ये खनिज क्षेत्र अब विकसित हो रहे हैं। इस लाइन की यातायात की क्षमता बढ़ जाएगी। इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने हेतु संकलित की जा रही है। यह मालूम हुआ है कि सर्वेक्षण दल द्वारा बगीरीपोसी से ढलभूमगढ़ तक की लाइन को बदलकर बड़ी लाइन का विस्तार करना व्यवहार्य पाया गया है। लाइन को बदलने की अनुमानित लागत 11.38 करोड़ रुपये होगी और इसका बंगीरीपोसी से ढलभूमगढ़ तक विस्तार करने की लागत 9.[illegible] करोड़ रुपये होगी। जैसा कि सर्वविदित है, यह रेल लाइन उड़ीसा के आदिवासी जिले, मयूरभंज से गुजरती है अधिकांश अब आदिवासियों का भाग्य निर्भर करता है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस लाइन को बदलने का कार्य अविलम्ब शुरू करें।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि नौपाड़ा-गुनपुर लाइन को बदलने का काम भी शुरू किया जाना चाहिए। नौपाड़-पारालखेमुंडी लाइन 1900 में बनाई गई थी और बाद में इसे 1931 में गुनपुर तक बढ़ा दिया गया था। तब से इस लाइन के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही इस लाइन को बदलने के लिये और उसके विकास के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दें।

उड़ीसा में कोरापुर-रामगढ़ लाइन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस रेल सम्पर्क को भारत सरकार द्वारा एक परियोजना मूलक लाइन के रूप में स्वीकृति दी गई है। यह उमनजोडी और तलचेर के लिये अल्यूमीनाएल/यूमीनियम काम्पलैक्स हेतु एक महत्वपूर्ण सम्पर्क है। साथ ही, मध्य प्रदेश की किरीडुल खानों से विशाखापत्तनम स्थित इस्पात संयंत्रों को कच्चा लोहा पहुंचाने का भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। दमनजोदी में अल्यूमीनियम काम्पलैक्स के लिये प्रथम चरण में 174 किलोमीटर की कुल लम्बाई में से केवल 23 किलोमीटर पर निर्माण कार्य हो रहा है। इस लाइन के दूसरे चरण के निर्माण कार्य के लिये भी निधियों की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसके लिए मैं रेल मन्त्री जी व विशेष रूप से माननीय प्रधान मन्त्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं लेकिन वहां निर्माण कार्य अभी भी शुरू नहीं किया गया है। मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे दूसरे चरण के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने के लिए अविलम्ब कदम उठाएं।

अब मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान प्रस्तावित तल्चर-सम्बलपुर लाइन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। रेलवे प्रशासन ने इस प्रस्तावित रेल लिंक की वित्तीय अर्थ क्षमता

तथा तकनीकी सम्भाव्यता का पता लगाने हेतु दो सर्वेक्षण किये हैं। रेलवे बोर्ड ने इस रेलवे लाइन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव की सिफारिश कर योजना आयोग को भेज दिया था और योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को ऊर्जा तथा कोयला मंत्रालय को भेजा था क्योंकि यह लाइन कोयला क्षेत्र (बैल्ट) होकर गुजरने वाली है। ऊर्जा मन्त्रालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि कोयला क्षेत्र में रेल की पटरी जहां तक हो नहीं बिछायी जानी चाहियें, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि प्रस्तावित मार्ग से कोयला खानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रेलवे लाइन के निर्माण से उत्तरी मध्य भारत तथा पूर्वी तट के बीच की दूरी में 470 किलो मीटर की दूरी कम हो जाएगी और परिवहन की लागत में पर्याप्त किफायत होगी। नए रेल मार्ग से परादीप बन्दरगाह के लिए सीधे तथा अधिक किफायती मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी।

नेशनल अल्यूमीनियम कम्पनी तल्चर में अपने अल्यूमीनियम स्मैल्टर की स्थापना कर रही है। कोरापुत जिले के दमनजोदी स्थित अल्यूमीना एकक से स्मैल्टर के लिए अल्यूमीना तल्चर ले जाना होगा। इस उद्देश्य के लिये कोरापुत-रायगड़ा रेल मार्ग के लिये स्वीकृति दी गई है और यह शीघ्र ही निर्मित किया जाएगा। यदि तल्चर-सम्बलपुर रेल मार्ग का निर्माण कार्य किया जाता है, तो अल्यूमीना संयंत्र तथा अल्यूमीनियम स्मैल्टर के बीच की दूरी 146 किलोमीटर कम हो जाएगी।

तल्चर-सम्बलपुर रेलवे लाइन से तटवर्ती उड़ीसा तथा पश्चिम उड़ीसा के बीच सीधा सम्पर्क हो जाएगा। इस समय सम्बलपुर पहुंचने के लिए पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्य के बीच से होकर यात्रा करनी पड़ती है। अतएव, प्रस्तावित रेल लाइन तटवर्ती उड़ीसा तथा पश्चिमी उड़ीसा के बीच भावनात्मक एकीकरण लाने में अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस रेल लाइन के निर्माण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

सभापति महोदय, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, लेकिन महोदय, मैं अपने कर्तव्य से भटक जाऊंगा यदि मैं सी० पी० सी० गैंगमैनों की दुर्दशा के बारे में नहीं बताता हूं। महोदय, जब खड़गपुर-खुरधा रोड लाइन को दोहरी करने का कार्य शुरू किया गया था, उस समय दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर डिवीजन में लगभग एक हजार गैंगमैनों को रोजगार दिया गया था। वर्ष 1977 में इन गैंगमैनों को दूरस्थ स्थानों, अपने जन्म स्थानों से 5 0 अथवा 600 मील दूर स्थानान्तरित कर दिया गया था। जहां वे इस समय कार्य कर रहे हैं वहां उपयुक्त आवास तथा पीने के पानी व उचित प्रबंध न होने के कारण वे बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कम मजदूरी पाने वाले ये गरीब कर्मचारी उस स्थान पर मिलने वाली मजदूरी से अपने रोजाना के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे उन गैंगमैनों को उनके जन्म स्थानों के गांवों तथा नगरों के आसपास के स्थानों में वापस बुला लें। विदेशी पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; विशेषरूप से पुरी और कोणार्क में, जो भगवान जगन्नाथ के सूर्य मन्दिर आदि जैसे स्मारकों के लिये विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन दक्षिण-पूर्व रेलवे में खुरदा रोड से पुरी रेलवे लाइन को अभी दोहरी लाइन में नहीं बदला गया

है, जिससे विदेशी पर्यटकों तथा इसका उपयोग करने वाले लाखों लोगों को काफी असुविधा और परेशानी हो रही है, अतएव मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस लाइन को दोहरी करने का काम शीघ्र शुरू करवाएं।

अन्त में मेरा सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी उड़ीसा में अलग से एक रेलवे डिवीजन बनाया जाए। दक्षिण-पूर्व रेलवे की कुल किलोमीटरी लम्बाई का एक तिहाई भाग उड़ीसा राज्य के अन्दर से होकर गुजरता है और कुछ प्रमुख रेल मार्ग राज्य के पश्चिमी जिले से होकर गुजरते हैं। लेकिन पश्चिमी उड़ीसा में एक अलग रेलवे डिवीजन न होने के कारण पश्चिमी उड़ीसा में रेल विकास की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। दक्षिण-पूर्व रेलवे के 7 में से केवल एक डिवीजन भुवनेश्वर के निकट खुरदा रोड पर स्थित है। यह आवश्यक है कि एक और रेलवे डिवीजन बनाया जाये और इसका मुख्यालय या तो राउरकेला अथवा झारसुगदा अथवा सम्बलपुर में स्थापित किया जाये। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय पश्चिमी उड़ीसा में एक अलग रेल डिवीजन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं रेल विभाग से संबंधित मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कारण यह है कि इस बजट के जरिए आम जनता के किराए में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ 34 चीजों की ढुलाई पर जो सब्सीडी दी जाती थी उसको भी इस बजट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मंत्री जी ने 109.7 करोड़ की बचत का बजट पेश किया है लेकिन उसके बावजूद जनता पर बोझ डाला है। ऐसी स्थिति में इस बजट के समर्थन का कोई औचित्य नहीं है। इन्दिरा जी या आप लोग जब से गद्दी पर आये हैं, उसके बाद यह चौथी बार किरायों में वृद्धि हुई है। हम लोगों को ऐसा अन्दाज है और अखबारों के जरिये ऐसी खबरें मिलती हैं कि विश्व बैंक से 600 करोड़ रुपये का कर्जा लेने की वजह से उनके दबाव में आकर आपने सवारी-किरायों और मालभाड़े में वृद्धि की है...

एक माननीय सदस्य : आप किस के दबाव में बोल रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने दबाव में बोल रहा हूं। यह स्थिति आपके बजट की है।

इस बजट में आपने विकास कार्यों की राशि में भी कमी है, साथ ही किराये-भाड़े व माल-भाड़े में वृद्धि की है। 1981-82 के बजट की तुलना में आपने विद्युतीकरण को छोड़कर, आपने जिसमें कटौती नहीं की है नई रेल लाइन बनाने में 8 करोड़ रुपये की कटौती की है, लाइनों के दोहरीकरण (डबलिंग) में 54 करोड़ की कमी की है, ट्रैक के री-मौडलिंग में 30 करोड़ की कमी की है और रेल ट्रैकों के नवीकरणमें 4 करोड़ रुपये की कमी की है। इस तरीके से आप पिछले साल की तुलना में नीचे चलेगये हैं।

इसके अतिरिक्त आप यह भी देखिये 34 वर्षों से यानी जब से आप राज्य कर रहे हैं—पब्लिक सेक्टर को जो पैसा एलाट किया जाता है उसकी परसेन्टेज के मुकाबले रेलवे को

कितना मिला है—जरा उसको भी बतला दीजिये ? मैं आपको बतलाता हूं—फर्स्ट प्लान में 1951-55 में रेलवे को 19.6 परसेन्ट मिला । सैकण्ड प्लान में 1956-61 में 20.9 परसेन्ट मिला । थर्ड प्लान में 1961-66 में 18.9 परसेन्ट मिला । इन्टर-प्लान में 1966-69 में 11.1 परसेन्ट मिला । फोर्थ प्लान 1969-74 में 8.8 परसेन्ट मिला । पांचवें प्लान में 1974-79 में 7.7 परसेन्ट मिला । छठे प्लान में 1980-85 के लिये 5 2 परसेन्ट रखा गया है । इससे अन्दाज लगा लीजिये आप देश में रेलों का विकास करने जा रहे हैं या रेलों का ह्रास होगा । आप लोगों के ऊपर चाहे कितना किराया बढ़ा दीजिये, हालांकि उसकी भी एक सीमा होती है, इस हिसाब से रेलों का विकास नहीं हो सकता ।

14 मार्च के "न्यू-एज" में :—

"भारतीय रेल में छठी योजना और उड़ीसा" शीर्षक से जो लेख प्रकाशित हुआ आप जरा उसको देखिये । उससे आपको बहुत सारी चीजें मालूम होंगी । इस समय मेरे पास समय नहीं है, इसलिये मैं उन तमाम चीजों को कोट नहीं कर सकता । लेकिन मैंने आपको अभी दो बातें बतलाई हैं कि किराया बढ़ाने से मुनाफे का बजट होने के बावजूद आप रेलवे का विकास न करके उसको ह्रासावस्था की ओर ले जा रहे हैं ?

आपने रेलवे की तरफ से जो आउट-ले रखा था वह 11 हजार करोड़ रुपये का था, लेकिन आपको मिला है—केवल 5100 करोड़ रुपया । जाहिर बात है इस देश में रेलवे पर जो संकट व्याप्त है वह हल नहीं हो सकता है ।

दुर्घटनाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है । रोज दुर्घटनायें हो रही हैं, पिछले महीने में हुई, आपके आने के बाद भी हुईं और पहले भी होती रही हैं—इनकी जानकारी आप को है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ये क्यों होती हैं ? आप कहते हैं कि रेल-कर्मी (मजदूर) अनुशासन नहीं मानते या लापरवाही से काम करते हैं । यह कह कर रेलवे बोर्ड अपनी जवाबदेही से बरी हो जाना चाहता है । बात यह नहीं है, हो सकता हैं रेल-मजदूरों से यदाकदा कोई गलती हो जाती हो, आखिर वे भी मनुष्य ही हैं, लेकिन मुख्य कारण यह नहीं । वास्तव में रेल-मार्गों का नवीकरण नहीं हुआ है, आज भी 6 हजार किलोमीटर से अधिक रेल लाइनों के नवीकरण की आवश्यकता है । न आप ऐसा कर रहे हैं और न कीजिएगा, तो एक्सीडेंट्स होंगे । फिर गैंगमैंनों की संख्या को देखिये । वे ट्रेक को ठीक करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उनकी तादाद बहुत कम है । उसमें वृद्धि करनी होगी । जितनी लम्बाई-चौड़ाई की उनकी देखरेख करने की जवाबदेही है, उसको देखते हुए उनकी संख्या को बढ़ाना होगा और इतनी संख्या उनकी करनी होगी कि वे उसको अच्छी तरह से देख सकें ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इंजनों की ब्रेक शक्ति की जांच पड़ताल ठीक से नहीं हो पाती । अगर कोई ड्राइवर आपके अधिकारी के पास जाता है कि इस स्थिति में हम इंजन नहीं ले जाएंगे, बिना जांच पड़ताल के हम इसको नहीं ले जाएंगे, तो उसको सजा दी जाती है, उसको चार्जशीट किया जाता है ।

इंजनों की जो हैडलाइट होती है, उसकी रोशनी 100 मीटर तक पहुंचती है। तेज गाड़ियों के लिए क्या यह मुनासिब है। क्या इसको आप पर्याप्त समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह अपर्याप्त है और इसके लिए आपको कोई व्यवस्था करनी होगी ताकि ज्यादा लाइट दूर तक जा सके।

फिर शेडों की स्थिति कैसी है ? आप जानते हैं कि शेडों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसमें भी सुधार लाना होगा।

स्पेयर पार्ट्स आप ठीक से नहीं देते हैं। लोको शेड में काम करने वालों को कहते हैं कि पुराने ही काम में लाओ और जल्दबाजी में काम करवाना चाहते हैं। डिपोओं की हालत भी बहुत खराब है। वैगनों का जल्दी जल्दी बदलाव होना चाहिए और इसके लिए जो 25 वर्ष की मियाद है, उसको कम करके 20 वर्ष किया जाना चाहिए लेकिन होता क्या है कि 25 वर्ष के बाद भी वे चलते रहते हैं। गाड़ी में आगे-पीछे सुरक्षा कोच नहीं लगाए जाते हैं। इन सब बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे और केवल यही कहेंगे कि मजदूर गड़बड़ कर रहे हैं, तो काम नहीं चलने वाला है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने पहले कई कमेटियां बनाई हैं जैसे कुंजरु कमेटी, वांचू कमेटी और सीकरी कमेटी और इन कमेटियों ने अपनी सिफारिशें भी दी हैं लेकिन उन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब फिर यह सवाल उठ रहा है और इंडियन रेलवे वर्कर्स फैडरेशन और आल इन्डिया लोको रनिंग स्टाफ एशोसिएशन फैडरेशन ने मांग की है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए और उसमें मजदूरों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। वे आपको बता सकेंगे कि एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। अगर आप ऐसा न करियेगा, तो एक्सीडेंट्स बढ़ते जाएंगे और आपके सामने दिक्कत बढ़ती जाएगी। हजारों लोग इसी तरह से मरते जाएंगे और बकरी की तरह रेलों में चलते रहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सीकरी कमेटी में ट्रेड यूनियन का रेजेन्टेटिव था।

श्री रामावतार शास्त्री : उसी तरह से इसमें रखना होगा। एक नई कमेटी बनानी चाहिए और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप मजदूरों के खिलाफ चाहे जो प्रचार रेडियो पर या अखबारों में करें, चाहे उनको आप फांसी दे दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है।

डकैतियों के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। रेलों में डकैतियां बहुत बढ़ गई हैं। अभी अखबार में आया है और हमारे माननीय सदस्य श्री कमला मिश्र मधुकर भी उसी आसाम मेल में यात्रा कर रहे थे, वहां पर कैसे यात्रियों को लूटा गया। वे तो बच गये और सेठी जी वह आपके दोस्त भी हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कम्युनिस्ट से क्या कोई पैसा लेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : उनके पास कुछ नहीं था, जो लेते। यह जो डकैतियों का सिलसिला चल रहा है, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने यह लैटेस्ट मिसाल दी है।

मजदूरों की स्थिति क्या है, वे सब बातें कही जा चुकी हैं। मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनकी तनख्वाह बहुत कम है। उनकी मांग है कि सरकारी कारखानों के कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी जाती है, वह उनको दी जाए। उनको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कम मिलते हैं। इतना फासला उनकी तनख्वाहों में है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी, तो कैसे होगा।

आपने दो रेलवे फैडरेशन्स को मान्यता दी है, इसकी हमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन मेरा कहना यह है कि केवल उन्हीं से आप बात मत कीजिए। और भी बहुत से संगठन हैं और उनके पीछे भी मजदूर हैं, उनसे भी आप बात कीजिए। रनिंग स्टाफ को आप बिल्कुल भूल गये हैं। 10 हजार रेलवे स्टाफ के सिर पर तलवार लटक रही है और रेलवे बोर्ड उनके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। वह एक सफेद हाथी की तरह बैठा है, उसकी क्या आवश्यकता है। आप इसको ज्यादा जानते हैं लेकिन मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। वे आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं और मंत्रियों को इन्फ्लूयेन्स करके अपना कैदी बना लेते हैं। तो रनिंग स्टाफ के सवालों को हल कीजिए, तमाम लोगों को आप लीजिए।

आप वाष्प इंजिनों को हटा रहे हैं। अभी केवल पांच परसेंट वाष्प इंजिन चलते हैं। इनको भी आप हटाते जा रहे हैं। आपके कोयला ढोने पर मजदूर लगे हैं और हजारों की संख्या में लगे हैं। आपके वाष्प इंजिन हटाने से आप उन मजदूरों को ठेकेदारों के हवाले कर देंगे। उनके बारे में आपको सोचना चाहिए ताकि उनकी रोजीरोटी बनी रहे और वे दर-दर के भिखारी न बन सकें।

मन्त्री जी से मैं रेलों में केटरिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि जो खाना हमें रेलों में मिलता है उसको खा करके कै हो जाती है। आप तमाम प्राइवेट केटरिंग को समाप्त कीजिए और डिपार्टमेंटेलाइज कीजिए। कम से कम गाड़ियों में तो आप इसे पहले कर सकते हैं। इसके बारे में श्री केदार पांडे जी ने एलान किया था और रेलवे बोर्ड ने भी एलान किया था कि हम डिपार्टमेंटेलाइज कर रहे हैं और गाड़ियों में कर रहे हैं। फिर यह मामला रफा-दफा हो गया। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

आपकी जो सोनभद्र एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली आती है उसमें कोई पेन्टरी कार नहीं होती। क्या जो लोग उस गाड़ी से चलते हैं उनको रास्ते में चाय पीने की जरूरत नहीं होती? क्या वे रास्ते में चाय के बिना हवा खा कर ही चलेंगे? मैंने इस बारे में आपकी सलाहकार समिति में भी कहा था कि आपकी जो गाड़ी ताज एक्सप्रेस आगरा जाती है जो कि तीन घण्टे में पहुंच जाती है, उसमें पेन्टरी कार होती है लेकिन इस सोनभद्र एक्सप्रेस में जो कि पटना से दिल्ली सोलह और साढ़े सोलह घण्टे में पहुंचती है उसमें कोई पेन्टरी कार नहीं होती है। आपके जो अधिकारी इस गाड़ी से चलते हैं वे तो पहले ही इन्तजाम करके चलते हैं और उन्हें स्टेशन से

सबसे बढ़िया खाना मिल जाता है। आप इस गाड़ी में कम से कम ऐसी व्यवस्था तो कर दीजिए जिससे कि लोगों को रास्ते में चाय तो पीने को मिल सके।

विद्युतीकरण के बारे में मैंने एक सवाल उठाया था। मैं चाहता हूं कि आसनसोल से मुगलसराय के बीच विद्युतीकरण छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि इसी साल की योजना में कीजिए। हम लोग जो उस लाइन पर चलने वाले हैं कम से कम उनका तो यह करके उद्धार कीजिए।

बिहार में बहुत कुछ करने के बारे में हमारे स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र बहुत कुछ आश्वासन दे गये थे। श्री केदार पांडे ने भी बहुत कुछ करने के आश्वासन दिये। मैं चाहूंगा कि वे आश्वासन पूरे कीजिए।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि श्री केदार पांडे जो मुफ्त पास दे गये वे आप मत दीजिए। उन्होंने बहुत से पास और चैक पास इशु कर दिये जिससे कि रेलवे को करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। आप कभी ऐसा मत कीजिए। कमेटी के मेम्बरों को भी आप आने-जाने का पास दीजिए। जब वे कमेटी की मीटिंग में आएं तभी के लिए पास दीजिए। उनका लगातार आने-जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप रेलवे बोर्ड के चक्कर में मत फंसिये और श्री केदार पांडे वाला रास्ता न अपनाइये।

सन् 1974 में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि पटना से पलेजाघाट का रेल पुल बनेगा। वह कब बनेगा? क्या जब हम लोग इस दुनियां से चले जायेंगे तब बनेगा? इसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पटना-गया लाइन को दोहरा किया जाना चाहिये। वहां ट्रांसपोर्ट वाटलनैक है। 56 किलोमीटर का यह रास्ता है। इसको तय करने में आठ घण्टे लग जाते हैं, छः घण्टे लग जाते हैं। यह लाइन दोहरी होनी बहुत जरूरी है।

अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि मत कीजिये। रिटायर्ड चैयरमैन को दो साल का एक्सटेंशन क्यों दिया गया है? क्या रेलवे में सक्षम लोग नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं?

कैज्युअल मजदूरों में से अभी तक आपने सोहल हजार को ही रेग्युलर किया है। उनकी तादाद ढाई लाख या इससे ज्यादा है। इनको नियमित किया जाए।

चालीस हजार सबस्टीट्यूट मजदूर हैं। उनको पक्का काम नहीं मिला है। दस पन्द्रह दिन के लिए काम मिलता है और फिर नहीं मिलता है। इस पर आप ध्यान दें।

गैंगमैन की तरफ ध्यान दें। वे सबसे ज्यादा शोषित हैं। इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। मैंने 225 कट मोशंज दिए हैं। उनको आप पढ़ लेंगे तो मेरे भाषण को ध्यान में रखने की जरूरत आपको नहीं होगी। सभी बातें उनमें हैं। उन पर आप ध्यान दें।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : हमारे देश में 61000 किलोमीटर लाइनों पर गाड़ियां चलती हैं। रोज एक करोड़ से ज्यादा लोग इन गाड़ियों में सफर करते हैं। रेल गाड़ियां लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। जिस तरह से इन्सान के लिए, जानवर के लिए ब्लड सर्क्युलेशन महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण ये रेलगाड़ियां लोगों के लिए हैं। जिस तरह से व्यक्ति के हृदय की धड़कन बन्द हो जाती है वह खत्म हो जाता है उसी तरह से रेलें अगर बन्द हो जाएं तो ऐसी ही हालत लोगों की हो जाएगी। रेलों के कामकाज के ऊपर आपको बड़ी निगरानी रखनी चाहिये। ये ठीक तरह से चलें, इसको आपको देखना चाहिये।

इस बजट में मन्त्री महोदय ने 261.45 करोड़ का अतिरिक्त भार लोगों पर डाला है। पहले पांडे जी ने सप्लीमेंटरी बजट में जो एग्जैक्टिव आर्डर की तरह का था अस्सी करोड़ का बोझा लाद दिया था। इसका मतलब यह है कि 341.45 करोड़ का बोझा आफिशली और अन-आफिशली लोगों पर इस साल डाला गया है।

सेठी जी अनुभवी मंत्री हैं। काम करने का ढंग उनको मालूम है। यह कहा जाता है कि ही मींज बिजिनैस। मैं आशा करती हूं कि रेलों की जो बिगड़ी हुई अवस्था है, उसको वह ठीक करने में कामयाब होंगे। यह उम्मीद हमारी पूरी होती है या नहीं, इसको हम एक ही साल में देख लेंगे।

अगर प्लानिंग कमिशन ने कम राशि दी है तो इसको बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूं कि कोशिश की जाए। छः हजार किलोमीटर रेलवे लाइन को आप अविलम्ब रिन्यू नहीं करते हैं तो रेलवे एक्सीडेंट्स को रोकने में आपको सफलता मिल सकेगी, इसमें सन्देह है। लगता है कि आने वाले साल में आप इस साल के रिकार्ड को भी एक्सीडेंट्स के मामले में तोड़ने वाले हैं क्योंकि कम्पेसेशन की राशि को आपने बढ़ाया है। लेकिन कम्पेसेशन का पैसा बढ़ाने के बजाए अगर रेलवे लाइनों और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार करने और आटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाने के लिए पैसा खर्च किया जाए, तो कम्पेसेशन के लिए रखी हुई ज्यादा राशि को काम में लाने की जरूरत नहीं होगी। शायद मन्त्री महोदय समझते हैं कि एक्सिडेंट्स और ज्यादा बढ़ेंगे, या शायद एक्सिडेंट्स में मरने वालों और घायल होने वालों को ज्यादा कम्पेसेशन देने का विचार उनके मन में होगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही यह व्यवस्था की है।

मन्त्री महोदय का कहना है कि छठी पंच-वर्षीय योजना तक 309 मिलियन टन का टारगेट है और इस साल 230 मिलियन टन ढोने की उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिस्कार्ड किए हुए वेगन्ज और कोचिज को रिप्लेस नहीं किया जाता, प्लानिंग कमीशन से पैसा नहीं मिलता और रेलवे ठीक तरह से काम नहीं करती, तो मन्त्री महोदय चाहे जो कुछ करें, देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक तरह से चलाने के लिए, विकास का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए और इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट के लिए रेलवे की व्यवस्था में जो सुधार होना चाहिए, वह असंभव होगा और जो टारगेट रखा गया है, वह पूरा नहीं होगा।

मैं बम्बई में आई हूं और इसलिए बम्बई के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मन्त्री महोदय ने सबर्बत रेलवें के पासिज के पैसे नहीं बढ़ाए हैं औ3 फेयर्ज भी नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जो कम से कम 70 पैसे का टिकट किया गया है, उसको कम करके 50 पैसे कर देना चाहिए। उन्होंने प्लेट फार्म टिकट के पैसे भी बढ़ा दिये हैं, 70 पैसे कर दिए हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं किया गया है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अगर नहीं किया है, तो ठीक है। लेकिन कम से कम टिकट 50 पैसे का होना चाहिए।

मन्त्री महोदय को बम्बई शहर के बारे में खास तौर पर सोचना चाहिए। आज हालत यह है कि गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग बम्बई शहर से बाहर रहते हैं और उनके लिए रेल से आना-जाना जरूरी है। बम्बई शहर की रचना ऐसी हो गई है कि अमीर लोग वहां पर रहते हैं। मूलभूत सिद्धांत यह है कि गरीब लोगों का कम से कम खर्चा आने-जाने में होना चाहिए। जिनके पास मोटर-गाड़ियां हैं, उन्हें तो दूर से आने में कोई कठिनाई नहीं है।

मंत्री महोदय ने पासिज के पैसे नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है मि वह कुछ दिनों बाद नहीं बढ़ाएंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वे नहीं बढ़ाए जाएंगे। मन्त्री महोदय कम से कम यह न करें कि दो तीन महीनों के बाद पार्लियामेंट के सामने चक सप्लीमेंटरी बजट पेश करें और जो कुछ नहीं बढ़ाया गया है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। बम्बई की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। सैंट्रल रेलवे के काम से लोग असंतुष्ट हैं। गाड़ियों के बन्द होने का कारण है कि एक-तिहाई रेक्स 1950 में इन्टर नेशनल मार्केट से खरीदे गए थे। वे जिस कम्पनी से लिए गए थे, उसने उन्हें बनाना बन्द कर दिया है, इसलिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, जिसके कारण रेक्स उपलब्ध नहीं हैं। रोजाना यह झंझट चलता है। बम्बई शहर के बारे में वैस्टर्न रेलवे और सैंट्रल रेलवे को आपस में कोआर्डिनेशन करना चाहिए और इसके लिए सैंट्रल रेलवे में ज्यादा से ज्यादा इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इससे वर्तमान परेशानी को कम करने में सफलता मिलेगी।

हमने जनरल मैनेजर से बात की है कि जब तक सारा परिवर्तन नहीं किया जाता है, इब तक सैंट्रल रेलवे और बी० ई० एस० टी० के बीच एक हाट लाइन होनी चाहिए। अगर रेडियो से एलान हो जाता है कि सैंट्रल रेलवे में ब्रेक-डाउन हो गया है और गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो लोग पत्थर मारने के लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं आयेंगे। आज स्थिति यह है कि जब गाड़ियां बन्द हो जाती हैं और इस बारे में ऐलान नहीं किया जाता है, तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। आज लोगों को बहुत परेशानी है। वे दूर-दूर रहते हैं, गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है। रोज आने वाले लोगों को तो बहुत शिकायत होती है। जब तक नए रेक्स नहीं लगाए जाते, तब तक कम से कम एक एफिशेंट इनफर्मेशन मशीनरी कायम की जाए और बी. ई. एस. टी. के साथ ठीक कोआर्डिनेशन किया जाए। इससे यह मुसीबत कम हो सकती है।

बम्बई शहर में मैंने खुद दो-तीन फुट-ओवर ब्रिजेज के बारे में कैम्पेन करके डिमाण्ड भेजी है। लोवर परेल स्टेशन और एलफिस्टन रोड स्टेशन के बीच में जो फुट-ओवर ब्रिज है वह एक्सटेन्ड करना चाहिए क्योंकि वह केवल 40 मीटर का ही है। यह आश्वासन भी दिया गया था कि 1982 तक इसको करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से दादर रेलवे स्टेशन पर जो लोग उतरते हैं, सेन्ट्रल रेलवे में जाने के लिए वे भी फिर नहीं उतरेंगे और उससे भीड़ भी कम होगी। दूसरा जो फ्लाई-ओवर बांदरा का है, उसका काम शुरू हो गया था लेकिन अब उसका काम बन्द है। (व्यवधान) मैं समझती हूं सेन्ट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के आपस के कोआर्डिनेशन से अच्छी व्यवस्था हो सकती है। मेरी रेल मन्त्री जी से प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीमेंट ठीक दाम पर देकर, जो काम करना है, उसको पूरा कराने की कोशिश करें।

मेरा यह भी निवेदन है कि बम्बई में बाहर के लोग भी बहुत आते हैं इसलिए बम्बई शहर की खास आवश्यकतायें हैं जिन पर विशेष रूप से विचार करने के लिए या तो आप कोई स्पेशल बोर्ड बनायें या फिर कोई अन्य व्यवस्था करें।

आखिर में मुझे कहना है कि महिलाओं के लिए खास डिब्बे जोड़े जाने चाहिए। मैं तो यह भी सोचती थी कि लेडीज के लिए कोई स्पेशल ट्रेन शुरू की जाए जिसको "मदर स्पेशल या लेडीज स्पेशल" का नाम दिया जाए और जिसको कि पीक आवर्स में चलाया जाए। यदि ऐसा होना सम्भव नहीं है तो कम से कम पीक आवर्स में लेडीज के लिए स्पेशल डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा साथ ही महिलाओं के डिब्बों के लिए महिला-पुलिस की व्यवस्था भी होनी चाहिए क्योंकि पुरुष-पुलिस के सम्बन्ध में शिकायतें हैं कि वे महिलाओं के साथ गलत प्रकार का व्यवहार करते हैं।

इसके अतिरिक्त आजकल रेलों में चोरी और डकैती बहुत हो रही हैं। इसके लिए रेलवे में इन्श्योरेंस स्कीम की शुरूआत की जानी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि एक्सीडेन्ट में घायल हो जाता है तो उसको आप कुछ रकम देते हैं लेकिन यदि किसी का माल रेल में चोरी-डकैती में चला जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए इंश्योरेंस स्कीम प्रारम्भ की जानी चाहिए ताकि यदि किसी का माल चोरी-डकैती में चला जाए तो उसकी क्षति-पूर्ति हो सके।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। समयाभाव के कारण शिष्टाचार के दो-चार शब्द कहना तो मुश्किल है ; समय बहुत कम है। मैंने विरोधी सदस्यों की बातें सुनी हैं अभी श्री रामावतार शास्त्री जी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से यह साबित करने की चेष्टा की कि रेलवे में केवल ह्रास ही हुआ हैं, कोई उन्नति नहीं हुई है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आंकड़े भी दिए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां उन्होंने यह आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किए हैं, उनके साथ-साथ वे यहां पर यह आंकड़े भी पेश करते कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस देश में कितनी ट्रेन्स चल रही थीं, कितने पसेंजर चलते थे, कितने माल की ढुलाई होती थी, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में

कितनी ट्रेन्स चलीं, कितने पसेंजर्स चले और कितनी ढुलाई की गई। इसी क्रम में पांचों पंच-वर्षीय योजनाओं के तत्सम्बन्धी आंकड़े वे यहां पर पेश करते तो उससे यह बात प्रमाणित हो जाती कि रेलों में कितना ह्रास हुआ है या कितनी उन्नति हुई है। लेकिन इस चीज को उन्होंने सदन के सामने नहीं रखा।

चूंकि आपका ऐसा आदेश है कि मैं अपने क्षेत्र से संबंधित बातें ही यहां पर कहूं इसलिए सिद्धांत की बातें छोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की समस्या बड़ी विकट है। हमारे बिहार से यहां पर दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। लखनऊ से लेकर पटना तक जितने भी एम० पीज हैं—पक्ष या विपक्ष के उनके दिल से अगर पूछ लिया जाए तो एक स्वर से वे यही कहेंगे कि पटना से दिल्ली आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सप्लीमेन्ट्री बजट पर बहस के समय जब यहां हमारे दूसरे मंत्री जी थे, हमने यह मांग पेश की तो उन्होंने आश्वासन दिया आप फाइल को निकाल कर देख सकते हैं—कि समस्तीपुर से एक ऐसी तेज ट्रेन चलायेंगे जो डायरैक्ट दिल्ली आयेगी।

मेरे पूर्व बस्ती के अब्बासी साहब बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिये केवल 4 बर्थें हम लोगों के लिये हैं, जिसके कारण कई बार हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो ट्रेन चलती है कभी 8 घंटे कभी 9 घंटे लेट हो जाती है। आप लखनऊ जाकर खड़े हो जाएं और देखें तो जो ट्रेन गोरखपुर आती है—सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा—ट्रेन की छत पर एक इंच जगह भी नहीं बचती है जहां पर लोग न बैठे हों। वहां पर ट्रेनों की संख्या इतनी कम है जिससे वहां के लोगों को अपार कष्ट है। पहले सोचा था कि वहां बड़ी रेल लाइन हो जायेगी तो उससे काफी सुख-सुविधा होगी, लेकिन अब यह कह दिया गया है कि अभी लाइन सेट नहीं हुई है। कब तक सेट होगी, हम नहीं जानते। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आप जरा अपने विभाग से जांच करा लें। कम से कम पहले जितनी सहूलियत मिलती थी, उतनी भी सहूलियत मिल जाये तो बहुत कुछ राहत वहां के लोगों को मिल सकती है।

यह तो गोरखपुर की बात हुई, अब गोरखपुर से देवरिया जाने की बात सुनिये। हालत यह है कि जो ट्रेन कानपुर, लखनऊ होते हुए गोरखपुर जाती है वह गोरखपुर में ही रुक जाती जाती है, देवरिया नहीं जाती है। देवरिया जाने वाली सवारियों को टैक्सियों और बसों से जाना पड़ता है और उनकी जो हालत होती है, बसों की छतों पर भी जगह नहीं मिलती है, उसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध हैं कि जो ट्रेन कानपुर, लखनऊ से गोरख-पुर जाती है उसको देवरिया तक ले जाइये

प्रो० सत्यदेव सिंह : उसको छपरा तक ले जाइये।

श्री राम नगीना मिश्र : उसको छपरा तक ले जाइये।

बनारस से जो ट्रेन चलती है वह केवल भटनी तक आती है और भटनी से देवरिया, गोरखपुर और लखनऊ आना मुश्किल होता है, ट्रेन का कोई मेल नहीं है जो छपरा से आये

और बनारस ले जाय तथा मेल लेकर गोरखपुर तक पैसेन्जर्स को पहुंचा सके। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं—वहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए बनारस से भटनी तक ऐसी ट्रेन चलायें जो छपरा से भटनी की ट्रेन के साथ मेल लेकर गोरखपुर जा सके।

इसके पहले के बजट में बनारस से भटनी तक के लिये बड़ी लाइन की स्वीकृति हो चुकी थी और उसमें धनराशि का भी समावेश किया गया था। संयोग की बात है कि बनारस से भटनी का काम शुरू नहीं हुआ तथा वह अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। इस समय हमारे जो रेल मंत्री जी हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इस बार उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें पुनः बनारस से भटनी तक बड़ी लाइन बनाने का समावेश किया है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा—पिछले बजटों में इस लाइन के लिए समावेश होता रहा है, लेकिन वह कागज पर ही रह गया। मैं चाहता हूं कि इस बार कागज पर ही न रहे, बल्कि यह काम चरितार्थ रूप में परिणित हो तो इससे वहां की जनता को बहुत राहत मिल सकती है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

श्रीमन्, छितौनी का नाम हमारे सारे सदस्यों ने सुना होगा। 7-8 वर्ष हुए हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने छितौनी जाकर बूढ़ी गण्डक पर पुल बनाने का शिलान्यास किया था। आये-दिन प्रचार भी करते हैं, अखबारों में भी निकलता है कि छितौनी का पुल बनेगा। जितने रेल बजट आये उनमें समावेश भी हुआ, लेकिन आज तक वह काम नहीं हुआ। करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो चुका है लेकिन अब वहां के लोगों का विश्वास हट चुका है। मैं प्रार्थना करूंगा जिस प्रधान मंत्री के दर्शन के लिए लाखों लोग उस मौके पर वहां इकट्ठे हुए थे, उस पुण्यात्मा के हाथ से, उस महान-शक्ति के हाथ से जिस पुल का शिलान्यास हुआ था, वह काम आपके नेतृत्व में अवश्य पूरा हो जाना चाहिये

(व्यवधान)

असल में शास्त्री जी को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि शास्त्री जी या उनके दल के जितने लीडर्स हैं हजारों डुग्गी पीटने पर भी लोग उनको देखने नहीं आते। हमारी नेता जब जाती हैं और केवल अखबारों में यह बात निकल जाती है, तो लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ आती है उनके दर्शनों के लिए और शास्त्री जी इसके लिए परेशान हैं। उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है, जिसको देखने के लिए हजारों आदमी भी इकट्ठा हो सकें। यह तो ऐसी ही बात हुई कि भैंस के स्तन में हालांकि दूध मौजूद रहता है लेकिन जोंक जो होती है, वह उस दूध को नहीं पीती बल्कि उसके खून को चूसती है। इसी तरह से शास्त्री जी ने हमारे गुणों को नहीं देखा और उनको हमारे अवगुण ही दिखाई देते हैं।

तो मैं छितौनी के बारे में निवेदन कर रहा था कि अगर उस पर एक पुल बन जाए तो पटना से गोरखपुर का सीधा संबंध जुड़ जाता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी जब इस बहस का जवाब देंगे, तो वे इसके बारे में भी कुछ बतायेंगे।

हमारे जो भूतपूर्व मंत्रीगण रहे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया था और आपकी फाइल में वह मौजूद भी होगा कि बुद्ध भगवान का निर्वाण स्थान कुशीनगर है और वह भारत का एक प्रसिद्ध स्थान है और इसके पहले जो बजट पेश हुआ था, उसमें इसका समावेश था कि वहां एक रेलवे लाइन बने। उसका सर्वे हो चुका है और शासन की तरफ से यह आश्वासन था कि एक रेलवे लाइन वहां बनेगी लेकिन जब मैंने आंकड़ों को देखा, तो यह पाया कि देवरिया से कुशीनगर होते हुए पडरोना तक जो रेलवे लाइन बनने की बात थी, उसका समावेश इसमें नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पवित्र स्थान के लिए एक रेलवे लाइन बनाई जाए और अपने बजट में इसका समावेश वे करें।

वेलथरा रोड से बलिया जाने के लिए कोई साधन नहीं है। 65 किलोमीटट का वह इलाका है। बलिया जनपद का भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थान है। चीतू पांडे ने अंग्रेजी शासनकाल में अपने नेतृत्व में 1 दिन तक वहां शासन किया था। आज वह बलिया साधन विहीन है। इसलिए वेलथरा रोड से होते हुए बलिया तक एक रेलवे लाइन बनाई जाए। आपके नेतृत्व में अगर वह रेलवे लाइन बनेगी, तो आप का नाम अमर रहेगा, हमारी पार्टी का नाम अमर रहेगा और श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम तो अमर है ही लेकिन उसमें चार चांद लग जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय मंत्री जी पर हमारा पूर्ण विश्वास है और हमारे सेठी जी एक कुशल प्रशासक हैं और ऐसे कुशल प्रशासक के हाथ में आज रेलों की बागडोर है और जो शिकायतें अपोजीशन के लोगों की तरफ से भ्रष्टाचार और रिजर्वेशन के बारे में आई हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में वे समाप्त हो जाएंगीं। जो मांगें मन्त्री जी ने इस पूरक रेलवे बजट में पेश की हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, अभी जो रेलवे की पूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनका मैं समर्थन करती हूं।

मैंने नियम 377 के अन्तर्गत यह निवेदन किया था कि विजयवाड़ा-बलहारशाह का इलेक्ट्रिफिकेशन बंद हो गया है, ऐसा सुनने में आया है लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि उसका इलैक्ट्रिफिकेशन बन्द नहीं हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि विजयवाड़ा, कोतागुडम होती हुई कोंडापल्ली तक एक रेलवे लाइन का प्रोपोजल था। उसको जल्दी शुरू करने के लिए मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूं।

कुछ मैं सुविधाएं देने के बारे में भी कहना चाहती हूं। जो रेलवे पोर्टर्स होते हैं, वे लोग बहुत काम करते हैं लेकिन रेलवे की तरफ से उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। मैं

यह बताना चाहती हूं कि खाली पोर्टर के लिए कुछ मेडीकल सुविधाएं हैं लेकिन जो उसकी फैमीली के मेम्बर्स होते हैं, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उनको कोई इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। मैं मांग करती हूं कि उनको यह सुविधा दी जाए। उनके लिए कोई सोशल सेक्युरिटी नहीं है। इतना ज्यादा वे रेलों में काम करते हैं और इतने सालों तक काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सोशल सेक्यूरिटी नहीं हैं। ऐसे पोर्टरों को सुविधाएं देने के लिए मैं मिनिस्टर साहब से मांग करती हूं। आप उन पोर्टरों को क्वार्टर का भी फायदा पहुंचाएं और दूसरी सुविधाएं भी दें।

आपके जो अफसर और कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन और डी० ए० वगैरह बहुत देर से मिलता है। वह जल्दी रिलीज नहीं होता है। इसलिए मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि रिटायर्ड आफिसरों और स्टाफ को यह जल्दी से जल्दी रिलीज होना चाहिए जिससे कि वे जल्दी से जल्दी सेटिल हो सकें।

किसी स्टाफ के मेम्बर के मरने के बाद उनके परिवारों के लोगों को जाब जल्दी से जल्दी देनी चाहिए और अकीर्डिंग टू देअर क्वालिफिकेशन देनी चाहिए। इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं। जो आपके स्टाफ मेम्बर्स रिटायर होते हैं उनके रिटायर हो जाने के बाद उनके क्वार्टरों का कोई प्रोविजन आपने नहीं रखा है। ये लोग इतने साल गवर्नमेंट में काम करते हुए रिटायर होते हैं और बाद में उनके पास कोई घर नहीं होता है। रिटायर होने के बाद कोई न कोई घर देने की या क्वार्टर देने की व्यवस्था आप करें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जो केजुअल लेवर रेलवे इंडस्ट्री में काम करती है, उनकी जोब्स परमानेंट नहीं होती है। उस लेवर को परमानेंट करने का कोई तरीका निकालना होगा। इस केजुअल लेवर को परमानेंट करने और दूसरी सुविधाएं देने के लिए मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं।

आपके एम्पलाईज की जो विडोज होती हैं, उनको आपके रेगुलर एम्पलाईज के बराबर जाब सिक्योरिटी नहीं मिलती है। उनको भी रेगुलर एम्पलाईज की तरह सिक्योरिटी देने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।

ट्रेनों में वेल्फेअर एक्टीविटीज के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि ट्रेनों में लेडीज के लिए स्पेशल रिजर्वेशन की परमीशन है। उस पर अमल नहीं किया जाता है। इस पर भी आप ध्यान दें, यह मैं रिक्वेस्ट करती हूं।

हमारे आन्ध्र प्रदेश में विजयवाडा में केवल चार-पांच वर्ष्स का रिजर्वेशन का प्रोविजन है। इन वर्ष्स को और बढ़ाया जाए। अगर आपको इसके लिए और डिब्बे लगाने पड़ें तो भी लगाइये। इसके लिये हम आपका धन्यवाद करेंगे।

आपने बच्चों को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल तक फ्री जाने के लिये जो अनाउंस किया है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया है इसका मैं विरोध करता हूं । इसके बहुत से कारण हैं । उनमें मैं विस्तार से नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है । परन्तु मोटे तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल के अन्दर रेल मन्त्रालय जिन मन्त्रियों को सुपुर्द किया गया था निरन्तर उनका बदलाव हुआ है । पहले कमलापति जी त्रिपाठी आए । कितने दिन वह रहे इसको हमने देखा । वह फेल हो गए । उसके बाद पांडे जी को लाया गया । वह भी फेल हो गए । ईश्वर करे सेठी जी को सफलता मिले । रेल मन्त्री जो फेल हो जाता है और उसको हटा दिया जाता है तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है । मुझे इतना ही मालूम है कि एक्सीडेंट्स में कितनी ही कीमती जाने जाती हैं, समय पर गाड़ियां नहीं जाती हैं और लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं, हजारों की तादाद में हर साल होती हैं । जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती है । मन्त्री जी को इस सब में सफलता मिले यह मेरी कामना है ताकि रेल प्रशासन अच्छे ढंग से जनता की सेवा कर सके ।

कुछ खास मुद्दों पर भी मैं इस बजट का विरोध करना चाहता हूं । इसमें कुछ मांगें रेल लाइनों के परिवर्तन की और कुछ नई लाइनें बनाने की रखी गई हैं । कुछ को मीटर से ब्राड गेज करने का प्रस्ताव किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में न्यायसंगत और तर्कसंगत व्यवहार नहीं किया गया है । पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ इनकी निगाह नहीं गई है । पिछली बार इसी सदन में मैंने अपने भाषण में निवेदन किया था पांडे जी से कि हमारे पिछड़े क्षेत्र की ओर वह देखें । मेरा डिस्ट्रिक्ट तो सीतापुर ही है । सीतापुर जनपद छः जिलों से घिरा हुआ है । लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर, शाहजहांपुर और हरदोई । केवल तीन जिलों के मुख्यालय ऐसे हैं जो रेलवे लाइन से कनैक्टिड नहीं हैं, । बाकी तीन हैं । मैंने मांग की थी कि इन जिला मुख्यालयों को भी रेलवे लाइन से कनैक्ट किया जाए । विकास की दृष्टि से यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है । लिखापढ़ी भी मैंने की है । सीतापुर को बहराइच से जोड़ने की मांग भी मैंने की थी । मुझे जवाब मिला कि यह 130 किलोमीटर लम्बी लाइन है । इस पर 25 करोड़ व्यय होंगे । इसलिए ऐसा करना सम्भव नहीं है । अगर आप ऐसे क्षेत्रों में रेलवे लाइन नहीं बनाएंगे जहां के लोगों ने 35 वर्ष आजादी के बीत जाने के बाद भी रेल के दर्शन नहीं किए हैं तो किसके लिए बनाएंगे और किस को आप पिछड़ा हुआ मानेंगे । इतने बड़े रेल बजट में पच्चीस करोड़ तो कुछ भी नहीं हैं ।

मैंने निवेदन किया था कि नीमसार में एक ब्राड गेज ब्रांच लाइन दी जाए और इसको सीतापुर से मीटरगेज लाइन से खैराबाद रेलवे स्टेशन से जोड़कर और जो हरदोई मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट का है, उसको जोड़ देंगे तो यह एक बहुत अच्छा पर्यटक केन्द्र सिद्ध हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें । घंटी दी जा चुकी है । आपको अब रुक जाना चाहिए ।

श्री रामलाल राही : इससे लोगों को, पर्यटकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और जो

पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, सीतापुर है, बाराबंकी है, बहराइच आदि हैं वहां की जनता को विकास के अवसर मिलेंगे। लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ।

एक मीटरगेज ब्रांच लाईन सीतापुर से बुढ़वल तक है। मन्त्री महोदय जानते हैं कि गोरखपुर-लखनऊ मीटरगेज को ब्राडगेज में बदल दिया गया है। अभी श्री मिश्र कह रहे थे कि पटना से दिल्ली जाने के लिए कोई सीधी लाइन नहीं है। अगर बुढ़वल से सीतापुर तक मीटरगेज को ब्राडगेज में बदल दिया जाए, तो पटना, गोरखपुर और गोंडा से डायरेक्ट लाइन दिल्ली तक ही नहीं, इससे आगे के सारे क्षेत्र तक मिल जाएगी। इसका सरवे हो चुका है। मुझे बताया गया है कि निकट भविष्य में इस लाइन को परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन यह काम अभी तक नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस काम को इसी वर्ष के बजट में शामिल करके पूरा किया जाए।

कई सदस्यों ने कैजुअल लेबर के प्रश्न को उठाया है। लोग तीन साल तक नहीं, बारह-बारह साल तक काम कर चुके हैं, लेकिन ऐसे कैजुअल लेबर को रेगुलराइज नहीं किया गया है। मैं मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों को दो सौ दिन पूरे हो गए हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए और जिनके तीन साल पूरे हो गए हैं, उनको कनफर्म किया जाए।

इस बजट में कोच एटेंडेंट्स के लिए न उत्तर रेलवे में, न पूर्वोत्तर रेलवे में और न पश्चिमी रेलवे में विश्रामालय बनाने का प्रावधान किया गया है। वे लोग लम्बी दूरी की गाड़ियों में चलते हैं, प्लेटफार्म पर नहाते-धोते हैं और फिर गाड़ी से लौट जाते हैं। उन्हें रात भर जगना पड़ता है। वे छोटे सरकारी कर्मचारी हैं और इस सरकार का छोटे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसकी निगाह तो बड़े-बड़े लोगों की तरफ है, इस तरफ है कि टाटा, बिड़ला आदि का भला कैसे हो, फर्स्ट क्लास में चलने वाले पैसेंजरों को कैसे अधिक सुविधाएं दी जाएं। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय कोच एटेंडेंट्स की सुख-सुविधाओं की भी व्यवस्था करें।

श्री जे. सी. बरवे (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संतरे और केले के लिए राहत दी है, जो कि आम आदमी का खाना है। हमारे देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद रेलवे ने लोगों को लाने-लेजाने और माल को ढोने में, और जनता की सेवा करने में जो रोल अदा किया है, वह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी भलाई की बात है।

मैं इस सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र रामटेक की प्रावलम्ज पिछले चार सालों से कहता आ रहा हूं। वहां की एक मांग यह है कि अमरावती से नरखेड़ तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सरवे किया जाना चाहिए। मैंने लोक सभा में बार-बार इसकी मांग की है। परन्तु अभी तक उसकी ओर तवज्जुह नहीं दी गई है। नरखेड़ संतरे की बहुत बड़ी मार्केट है, जहां किसानों का

काफी माल आता है। वह संतरे का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नागपुर, नरखेड़ और मुल्तई से दिल्ली तक संतरे के सौ, सवा सौ वैगन रोजाना आते हैं। उस माल को क्लीअर करने के लिए अमरावती से वाया वरूड़ नरखेड़ तक रेलवे लाइन बनाना जरूरी है ताकि किसानों द्वारा उत्पादित संतरा मार्केट तक पहुंच सके और उसका मुनासिब रेट उनको मिल सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अमरावती वाया वरूड़ नरखेड़ तक जो लाइन है उसका जल्दी-से-जल्दी सर्वे कराया जाये ताकि जनता के कष्ट को दूर करने का काम प्रारम्भ हो सके।

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि जो गीतांजलि एक्सप्रेस बम्बई से हावड़ा के लिए चलती है वह सप्ताह में केवल तीन दिन चलती है। यदि उसको तीन दिन के बजाय पांच दिन या पूरे हफ्ते चलाया जाये तो अच्छा होगा। इससे महाराष्ट्र का जो ट्रेफिक है उसको क्लियर करने में बड़ी सुविधा मिल सकेगी। साथ ही रिजर्वेशन में जो कठिनाई आती है वह भी दूर हो जायेगी। इससे जनता को बड़ी राहत मिल सकेगी।

माननीय मन्त्री जी ने बनाना और संतरा के लिए जो राहत दी है वह 30 जून तक के लिए ही है। मैं माननीय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि इस कंसेशन को और आगे के लिए भी बढ़ायें। संतरा और बनाना पैरिशिबिल कमाडिटी है, इसलिए इनका कंसेशन फ्रेट-रेट में अगले साल भी दिया जाये ताकि किसानों को उनके माल का उचित मूल्य मिल सके।

हमारे यहां महाराष्ट्र में एक तहसील प्लेस है–कर्मेश्वर, जो कि एक बहुत बड़ी मण्डी है। वहां पर सदर्न-एक्सप्रेस का कोई स्टापेज नहीं है। वहां पर स्टापेज होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से वर्धा रोड पर "बूटीबोरी" में भी स्टोपेज बना दिया जाये तो जनता को बड़ी सहूलियत मिल सकेगी।

संतरों के संबंध में जो आपने राहत दी है वह एक बहुत सराहनीय काम किया है। उसी प्रकार से एक और पैरिशेबिल कमाडिटी है मछली। मछली के लिये भी अगर यही राहत दी जाये तो कामनमैन को बड़ा लाभ पहुंचेगा। मछली पार्सल करने के लिए पैकिंग बनाकर बर्फ डाली जाती है और तब उस पार्सल को भेजा जाता है। उस पार्सल में मछली एक-तिहाई भी नहीं होती है लेकिन उस पार्सल का पूरा भाढ़ा देना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने संतरा और बनाना के लिए कंसेशन दे कर अनुगृहीत किया है उसी प्रकार मछली के लिए भी कंसेशन दे दें तो बहुत अच्छा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से पुन: अपील करूंगा कि गीतांजलि एक्सप्रेस जो वाया नागपुर जाती है वहां पर एक भी रिजर्वेशन नहीं मिलती है, चाहे कोई एम० पी० हो या एम० एल० ए० हो। चाहे किसी को बम्बई जाना हो या कलकत्ता जाना हो वहां पर एक सीट भी नहीं मिलती है। जब इतनी बड़ी ट्रेन वहां से पास होती है और हमें जाना होता है तो रेलवे से हमें यही जवाब मिलता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री जी से अपील करूंगा कि कम-से-कम पांच रिजर्वेशन की व्यवस्था बम्बई तथा कलकत्ता जाने के लिए इस ट्रेन में अवश्य की जाय।

इन शब्दों के साथ मन्त्री जी ने जो डिमाण्डस पेश की है उनका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, इस वक्त जो रेलवे के मिनिस्टर हैं—सेठी साहब, उनके हाथ में रेलवे का महकमा आया है, इससे उम्मीद है कि अब सारा सिलसिला ठीक हो जायेगा । जो एक्सीडेंट्स होते हैं, चोरियां और डकैतियां होती हैं-बुरी हालत है, जो 9 ग्रह इकट्ठे हुए हैं उनकी वजह से है । लेकिन इन 9 ग्रहों से तो बच जायेंगे, ये जो चार दूसरे ग्रह इकट्ठे हुए हैं—वाजपेयी, चरणसिंह, वागड़ी, अगर ये ग्रह इकट्ठे हो गये तो दुनियां नहीं बचेगी । हरिजन तो समझो खत्म हुए ।

अब मैं सबसे पहले दूसरे साथियों के मसले आपके सामने रखूंगा—सम्बलपुर से तालचेर रेलवे लाइन जरूर बनाई जानी चाहिए ..(व्यवधान) मैं बहुत लालची नहीं हूं, पहले इन साथियों की बात कहूंगा । तो यह लाइन जरूर बनाई जानी चाहिए ।

बम्बई-वाराणसी एक्सप्रेस को बरहानपुर में रोका जाये ।

फगवाड़ा मेरा इलाका है । वहां से जो गाड़ी--एक्सप्रेस गुजरती है वह वहां नहीं रुकती है उस गाड़ी को वहां जरूर रुकना चाहिए ।

नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन जिसको इस बजट में इंक्लूड किया गया है, वह जरूर बनाई जानी चाहिए, इससे पंजाब और हिमाचल के लोगों को बहुत राहत मिलेगी ।

चण्डीगढ़ से लुधियाना का सर्वे हो चुका है, यह लाइन जरूर बनाई जानी चाहिए ।

नार्दर्न रेलवे का जो जोन है इसको दो जोन्ज में डिवाइट किया जाना चाहिए ताकि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के लोगों को फायदा पहुंचे ।

खलीलाबाद से बलरामपुर और इलाहाबाद से रीवा लाइन बनाई जानी चाहिए ।

हमारे यहां पहले जो रेल मन्त्री आयंगर साहब थे—उन्होंने जालन्धर से पठानकोट रेलवे लाइन बनाई थी । उनके बाद सरदार स्वर्ण सिंह आये, उन्होंने पठानकोट से जम्मू लाइन बनाई, लेकिन अब इसको ऊधमपुर तक नहीं बढ़ाया जा रहा है । आप जानते हैं ऊधमपुर डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आज हम 14 करोड़ रुपया रोज अपने डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं अगर वहां तक रेल बन जायेगी तो इससे खर्च बहुत कम हो जायेगा और साथ ही वहां तक सामान के लाने-लेजाने में जो पैट्रोल खर्च होता है उसकी भी बचत होगी ।

पठानकोट से कोई सीधी गाड़ी दिल्ली नहीं आती है-- या तो अमृतसर से आती है या जम्मू से आती है । मेरा गांव भी पास ही है, मुझे अगर जाना होता है तो पठानकोट जाऊं या अमृतसर जाऊं तब गाड़ी में बैठूं । पहले 6 बजे जो गाड़ी चलती थी, उसके लिए कहते हैं कि मुसाफिर कम होते हैं इस वजह से बन्द कर दी गई । मैं चाहता हूं कि 6 बजे वाली गाड़ी को फिर से चलाया जाना चाहिए ।

जो पुरानी लाइनें हैं उनकी पटरियां ठीक नहीं है उनको ठीक कराइये। पहले जमाने में लोग कम होते थे, गाड़ियां भी कम चलती थीं, लेकिन अब लोग ज्यादा हो गये हैं। इसलिए नई क्या बनानी हैं, पुरानी को ही ठीक कर दें।

सन् 1947 से हमारे इलाके में कोई नई रेलवे लाइन नहीं बनी है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां नई रेलवे लाइन बननी चाहिए और सेठी जी से मैं कहना चाहूंगा कि वे इस चीज को देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा किया। कृपया भाषण के शेष भाग को आप माननीय मन्त्री जी को सुपुर्द कर दें। आप इसे माननीय मन्त्री जी को दे सकते हैं। माननीय मन्त्री जी इसके बारे में जानने के लिए काफी इच्छुक हैं। अगले माननीय सदस्य श्री यादव को भी बोलना है। माननीय मन्त्री जी को उनका उत्तर देना है। समय हो गया है।

श्री सुन्दर सिंह : मेरी बात सुनिये। जो एक्सीडेंट होते हैं, उनकी वजह मैं आपको बताता हूं और वह यह है कि लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं देते हैं। एक्सीडेंट्स खाली रेलों के ही नहीं होते हैं बल्कि बसों के होते हैं और ट्रकों के होते हैं और इसकी वजह यह है कि ड्राइवर शराब पी कर उनको चलाते हैं।

कहा यह जाता है और यह सही भी है कि आबादी बहुत बढ़ गई है लेकिन हरिजनों की आबादी तो घट रही है। उनको मारा जा रहा है और उनके लिए फैमीली प्लानिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वे मारे जा रहे हैं। उनकी फैमीली प्लानिंग हो, यह ठीक नहीं होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, चाहे आप जितनी ही रेलें बढ़ा लें और चाहे रेलवे का जितना भी बजट हो जाये, चाहे जितनी बसें चलने लगें, उन से आप भीड़ पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। एक्सीडेंट्स की वजह यह है कि स्लेकनेस आफ ड्यूटी है, लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं देते हैं और कोई आदमी ठीक तरह से अपनी ड्यूटी अदा नहीं करता है।

कर्तव्य के पालन में किसी प्रकार की सुस्ती नहीं बरती जानी चाहिए। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य के प्रति भक्ति उतनी ही ऊंची है जितनी कि भगवान की पूजा करना। अपने कर्तव्य का पालन कर आप केवल भगवान की पूजा कर रहे हैं। आपको जो कर्तव्य सौंपा गया है आपको उस कर्तव्य का पालन करना है। अपने कर्तव्य का पालन करते-करते धीरे-धीरे भगवान को पा सकते हो। इसलिए मैं सेठी साहब से कहूंगा कि वे इस चीज को देखें कि लोग अपनी ड्यूटी ठीक से अदा करें और लोग यह समझें कि **ड्यूटी इज गोड**।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया हालांकि **लेट आवर्स** में टाइम दिया। मैं रेलवे की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, रेलों को देश की एकोनामी का जर्म माना गया है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय रेलें आज पटरी से उतर चुकी हैं।

आज रेलों के सामने दो मुख्य समस्याएं हैं। एक तो असुरक्षित यात्रा की और दूसरी गाड़ियों के समय से न पहुंचने की। रेल गाड़ियों में चोरी डकैतियां पड़ रही हैं, उनसे यात्रियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। और दूसरे एक्सीडेंट्स के चलते असुरक्षा हो गई है। मैं इन दोनों के बारे में बहुत थोड़े में निवेदन करना चाहूंगा। ट्रेनों में जो चारी, डाके पड़ रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न स्तरों पर यह बात उठाई गई है लेकिन मंत्री जी कहते हैं (सरकार कहती है) कि यह जो जी० आर० पी० है, यह स्टेट की पुलिस है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जी० आर० पी० भी इसी रेल प्रशासन का एक अंग है और यदि आप वास्तव में सुरक्षित रूप से भारतीय रेलों को चलाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि रेल यात्रियों के मन में सुरक्षा की भावना जागे चाहे आप जी० आर० पी० से या आर० पी० एफ० से या जो भी प्राटेक्शन फोर्स हो, उसके जरिये से यह भावना यात्रियों के मन में भरें कि वे एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचेंगे।

दूसरी बात एक्सीडेंट्स के बारे में है। हमारे जिले में बागमती में जो एक्सीडेंट हुआ था, दुनियां में इससे पहले ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि पूरी गाड़ी पुल से गिर कर नदी के अन्दर चली गई हो। वहां पर विभिन्न स्तर के लोग जांच के लिए गये लेकिन यह खेद की बात है कि आज तक सारे डिब्बे बाहर नहीं निकाले जा सके। एक डिब्बा बाहर लटका हुआ है और सारे के सारे डिब्बे, (8 डिब्बे) पानी के अन्दर फंसे हुए हैं और आज तक उनको निकाला नहीं जा सका है। सरकार ने कह दिया कि सारी लाशें निकाल ली गई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि दो विषयों पर मंत्रालय ज्यादा जोर दे ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सुरक्षा फील हो सके।

लेट रनिंग के बारे में फिगर्स दिये जाते हैं 85 से 87 परसेंट तक गाड़ियों को समय पर चलाने की बात कही जाती है। जब से सेठी जी आये हैं उन्होंने रेलवे बोर्ड पर थोड़ा सा दबाव डाला है जिससे कि बोर्ड 95 परसेंट से 85-87 परसेंट पंक्युअलिटी पर लाया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं देश के उस भू-भाग से आता हूं जहां पर एक या दो नहीं सारी की सारी गाड़ियां लेट चलती हैं। खास तौर पर हमारे समस्तीपुर डिवीजन में तो 10 से 12 घंटे तक गाड़ियां लेट चलती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, ये अनुदान की मांगें हैं। आप को इन मांगों पर बोलना चाहिए। हम रेलवे पर सामान्य चर्चा नहीं कर रहे हैं। विषय पर बोलिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मुझे पता है, मुझे क्या बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इन सभी बातों का जवाब देने नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उन्हें इन सब बातों का जवाब देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप असल विषय पर बोलिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा नाम सूची में है। कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपको प्रतिदिन रेलगाड़ियों के देर से पहुंचने का अनुभव होता होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सामान्य चर्चा में इन सब बातों के बारे में बोलना चाहिए था न कि अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा के समय।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि हमारे समस्तीपुर डिवीजन में 10 से 12 घंटे तक गाड़ियां लेट चलती हैं। हमारे यहां जो जानकी एक्सप्रेस गाड़ी चलती है जो कि कटिहार से जयनगर तक जाती है, उसके द्वारा यात्री नेपाल जाते हैं। जयनगर होकर नेपाल जाने वाले यात्री उससे यात्रा करते हैं। उसमें बजाय कोयले का इंजिन लगाने के डीजल इंजिन लगाया जाए। यह मेरी मांग रेल मन्त्री जी से है।

वास्तव में जनतंत्र में किसी भी मन्त्रालय का एक्जीक्युटिव हेड एक मन्त्री होता है, यह मैं मानता हूं। मैं अपने रेल मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक आप रेलवे बोर्ड को अबोलिश नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पायेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे सेठी जी एक सक्षम मन्त्री हैं और अनुभवी मन्त्री भी हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि किस तरह से मन्त्री के आदेश को भी रेलवे बोर्ड द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है।

मैं आल इंडिया गार्ड काउंसिल का हेड हूं और यह काउंसिल बहुत जवाबदेही के साथ काम करती है। आप जानते हैं कि 1981 में हमने दस हजार रुपये खर्च करके सेफ्टी पर एक सेमिनार कराया था और उसमें अच्छे-अच्छे सुझाव सामने आये थे। श्री गुजराल, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, एम० टी० टी० आई० लखनऊ को कुछ झंझट के चलते सस्पेंड करना चाहते थे तथा श्री उपाध्याय महामंत्री की गवाही चाहते थे पर जो यह करना चाहते हैं मैं श्री उपाध्याय उनका नाम नहीं बताना चाहते थे। अतः 14(11) में श्री उपाध्याय को निकाल दिया है। मैंने आपके सामने मामला पेश किया था और जो चिट्टी लिखी थी वह यह है—

> "मुझे श्री सी० एल० उपाध्याय, गार्ड पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ की सेवाएं समाप्त करने के बारे में दिनांक 9-12-1981 का आपका अ० शा० पत्र प्राप्त हुआ।"
>
> 'मैंने हाल ही में श्री सी० एल० उपाध्याय, गार्ड, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ की बहाली के आदेश जारी किए हैं।"

इस तरह से मन्त्री जी के आदेश को भी आपके डिवीजन और रेलवे बोर्ड के अधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यह लड़ाई वास्तव में यह है कि जनतंत्र में मिनिस्टर एक्जीक्युटिव हेड है या आपके रेलवे बोर्ड के चेअरमैन हेड हैं। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस मामले को देखें और जो आदेश दिये गये हैं उन पर अमल कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल ऐसे मामलों पर अवश्य बोलना चाहिए। मैं केवल आपकी मदद कर रहा था।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष जी, इस सदन में रीजनल इम्बेलेंस की चर्चा हुई और उसको दूर करने की भी बात बार-बार आयी। लेकिन मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें इसके बारे में कहीं भी एक वाक्य नहीं कहा कि बेकवर्ड एरिया के बारे में वे क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह से रिजर्वेशन के लिए एक थ्यौरी और फार्मूला है कि इतना परसेंट रिजर्व होगा उसी तरह से जब तक आप बेकवर्ड एरिया के बारे में यह नहीं कर पाते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। उसका डवलपमेंट कैसे होगा ? आज यह व्यवस्था है कि जब तक खास परसेंट तक रिटर्न नहीं आयेगी। तब तक लाइन नहीं बन सकती। इस तरह से किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है।

इसी संदर्भ में मैं अपने क्षेत्र की भी एक बात कहना चाहूंगा। सन् 1971 से मैं सदन में इस बात को उठाता आ रहा हूं और लोगों ने भी इस बात को माना भी है। दौरम मधेपुरा से सिंहेश्वर 9 किलो मीटर लम्बी लाइन है। सिंहेश्वर में इस देश का सबसे बड़ा एलीफेंट का मार्केट है। खासकर आसाम से वहां पर बहुत हाथी लाये जाते हैं। शिवरात्रि के समय वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। हर इतवार को भी वहां पर विभिन्न भागों से काफी लोग आते हैं। मैंने बार-बार इस बारे में कहा। मुझसे कहा गया कि प्लानिंग से क्लीयरेंस चाहिए। मैंने कहा मुझे बताइए मैं वह भी लाकर दूंगा, लेकिन आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अन्त में मैं शास्त्री जी की बात पर जोर देते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि पटना से दिल्ली सोनभद्रा एक ही प्रेस्टीजियस ट्रेन चलती है, हम लोग भी उसमें आते हैं। उसमें पैन्ट्री कार की कोई व्यवस्था नहीं है। आशा है मंत्री जी इस बारे में ध्यान देंगे और सभी सुझावों पर कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ईरा अनबारासु ··सत्ता रूढ़ दल के प्रत्येक सदस्य को केवल 5 मिनट लेनी चाहिए। 5 बजे मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 5.30 बजे।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप यहां आ जाइये। इस संबंध में नियम है इससे सदन को नियमों के अनुसार चला रहे हैं।

श्री ईरा अनबारासु।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टू) : यद्यपि मैं बजट के विभिन्न पहलुओं पर बोलना चाहूंगा, फिर भी, मैं अपने आपको अपने चुनाव-क्षेत्र तथा अपने चुनाव क्षेत्र की जनता तथा वहां की समस्या तक ही सीमित रखूंगा।

जब से मैं संसद का सदस्य बना हूं मैं तम्बारम से चिंगलपट्टू तक दोहरी लाइन के लिए आन्दोलन करता रहा हूं। यद्यपि मैंने इस सम्बन्ध में कई कदम उठाए हैं फिर भी अब तक उनका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। यहां तक कि जब मैंने भूतपूर्व रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी को लिखा था तो उन्होंने मुझे यह जवाब देने की कृपा की थी कि सर्वेक्षण का समस्त कार्य पूरा कर लिया गया है और समस्त कार्य पूरा हो गया है तथा इस प्रस्ताव को वर्ष 1981-82 में हाथ में लिया जाएगा। मेरा यह ख्याल था कि इस कार्य को पिछले वर्ष शुरू कर दिया गया होगा लेकिन इस कार्य को पिछले वर्ष शुरू नहीं किया गया था। और इस वर्ष मुझे यह देखकर आश्चर्य तथा दुख हुआ कि उस परियोजना को शामिल नहीं किया गया है। अतएव, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि यद्यपि माननीय रेल मंत्री महोदय ने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, फिर भी—तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और उन्होंने तमिलनाडु के लिए न तो पर्याप्त निधियों का आवटन किया है और न ही वहां की परियोजनाओं को बजट में शामिल किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका तात्पर्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से है।

श्री ईरा अनबारासु : और खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक अन्य उदाहरण है कारूर—डिन्डीगुल लाइन जिसे बिछाने की 65 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सिर्फ 70 लाख रुपये आवंटित किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कम से कम अगले वर्ष के बजट में इस ताम्बरम-चेंगलपट्टू लाइन को दोहरा करने का काम लिया जाय और उसे कार्यान्वित किया जाय।

मैं एक बात पर और जोर देना चाहूंगा। महाबलीपुरम मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, कालपक्कम में परमाणु विद्युत परियोजना है। मद्रास से लेकर सारा क्षेत्र ही

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री महोदय को महाबलीपुरम ले जाना चाहिए।

श्री ईरा अनबारासु : मैं जरूर ले जाऊंगा।

श्रीमन, सारा तटीय क्षेत्र नमक निर्माण एककों से भरा पड़ा है। इसलिए अगर दोहरी लाइन बिछा दी जाती है और ताम्बरम चेंगलपट्टू लाइन को अन्य जगहों, महाबलीपुरम, कालपक्कम और कोवलोंग से जोड़ दिया जाता है, तो इससे इन लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा।

इसके अलावा चेंगलपट्टू और ताम्बरम के बीच बहुत कम गाड़ियां चलती हैं और चेंगलपट्टू के यात्री आन्दोलन कर रहे हैं और कई दफा तो उन्हें मजबूर होकर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में भी चढ़ना पड़ता है और वह भी आरक्षित डिब्बों में। हाल ही में यात्रियों और रेलवे पुलिस के बीच झगड़ा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सही लोगों के विरुद्ध भी मामले दायर किये गये और अब उन पर मुकदमे चल रहे हैं। जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो वे पूछते हैं कि दोहरी लाइन का क्या हुआ? मैं कब तक उनको भरोसा देता रहूं? और

जब कभी मैं मामले को उठाता हूं तो रटारटाया जवाब मिलता है कि "हम मामले पर विचार कर रहे हैं।" मुझे नहीं मालूम वे कब तक इस पर विचार करते रहेंगे ? क्या वे अपना कार्य-काल समाप्त होने से पहले या जब तक जनता उन्हें सत्ता से न हटा दे यह विचार पूरा कर लेंगे ? श्रीमन, हाल ही में जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गया तो सभी लोग मेरे आस-पास इकट्ठे हो गये और मेरा घेराव कर लिया। इसलिए श्रीमन, अगर अगले वर्ष के बजट में इसे शामिल नहीं किया गया तो मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता कि मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों के साथ मिल कर इन (मंत्री) का उन्हीं के घर में घेराव करूं।

दूसरी समस्या बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के बारे में है। वे मद्रास-समुद्र तट से आरम्भ होती हैं और पिछली एक शताब्दी से मीटर गेज पर ही चल रही हैं। मुझे बताया गया है, कि सारे भारत में इस तरह की यह एक ही लाइन है। वह समुद्र तट से ताम्बरम तक के यात्रियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे वर्तमान गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगायें और अधिक गाड़ियां चलायें।

मुझे नहीं पता कि भूमिगत महानगरीय रेलवे के निर्माण का क्या हुआ, जिसका कि उद्घाटन हाल ही में माननीय रक्षा मन्त्री श्री आर. वेंकटरामन ने किया था और जिसमें रेल राज्य मन्त्री श्री शरीफ भी शामिल हुए थे। एक बार फिर मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना को शीघ्र आरम्भ करवायें।

मद्रास में गिन्डी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और वहां घुड़दौड़ प्रतियोगितायें होती हैं। वहां लोगों को पुल पार करने में कठिनाई होती है। प्लेटफार्म एक तरफ है। हम माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि वे दोहरा प्लेटफार्म बनवायें। एक अन्य महत्वपूर्ण मामला यह है कि चिंगलपुर जिले में अन्नानूर स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 300 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। जब भूमि का अर्जन किया गया था तो रेलवे प्राधिकारियों ने वादा किया था, वे उस स्टेशन का नाम अन्नानूर रेलवे स्टेशन रखेंगे। जब लोगों ने कहा कि इसका नाम अन्नानूर रेलवे स्टेशन रखो तो रेलवे अधिकारियों ने साफ मना कर दिया और कहा कि नामकरण करना राज्य सरकार का कार्य है।

जाहिर है राज्य सरकार मेरे दल के लोगों द्वारा प्रस्तुत कोई भी समस्या हल नहीं करेगी क्योंकि हम वहां विरोधी पक्ष में हैं। इसलिए मैं, रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसका नाम अन्नानूर रखें।

हाल ही में मैं अरकोणम गया था। वहां रेल लाइनों पर एक पुल है जोकि बहुत सकरा है। उस पर मुश्किल से एक बस आ-जा सकती है। इस पर भी वर्षा के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है और यात्रियों और बसों का पुल पर आना-जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस पुल को तोड़ कर एक नया चौड़ा पुल बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं और उनमें से हरेक पर बोलना चाहते हैं।

श्री ईरा अनबारासु : मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री प्रसिद्ध कवि सुब्रह्मण्यम भारती के बारे में जानते होंगे। दक्षिण के सभी संसद सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ग्रान्ड ट्रंक गाड़ी को भारती एक्सप्रैस के नाम से पुकारा जाय। यह रेल गाड़ी दिल्ली से मद्रास और मद्रास से दिल्ली के बीच चलती है, आखिरकार हम कवि भारती की शताब्दी मना रहे हैं। हम तमिल भाषी लोग आपको बधाई देते हैं और अपनी प्रिय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते हैं, कि उन्होंने श्री कमलापति त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि कवि भारती की रचनाओं का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेगी। यह बहुत उपयुक्त समय है जबकि माननीय मंत्री जी को ग्रान्ड ट्रंक एक्सप्रैस का नाम भारती एक्सप्रैस करने की अनुमति दे देनी चाहिए। आखिरकार इसमें कोई खर्चा करने की बात तो है नहीं।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं रेल मंत्री से दो स्पष्ट वायदे चाहता हूं एक तो ताम्बरम से चेन्गलपुर तक दोहरी लाइन बिछाने का और दूसरा ग्रान्ड ट्रंक एक्सप्रैस का नाम भारती एक्सप्रैस करने का। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कुछ जानकारी है। प्रधान मंत्री ने इसे भारती एक्सप्रैस कहना मान लिया था, पर रेल मंत्रालय इस बारे में आगे कार्यवाही नहीं कर रहा है।

अब श्री भूरिया की बारी है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रेलवे के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

रेल मंत्री, श्री सेठी, ने जो बजट रखा है, वह हमारे देश के विकास में सहायक होगा और रेलवे के काम में गति लाएगा। मैं इस बारे में अधिक न कहकर अपने प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश में बहुत से फारेस्ट, खनिज और उद्योग-धंधे हैं, मगर वह एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वह सबसे ज्यादा रेलवे के मामले में पिछड़ा हुआ है। यह जरूर है कि हमारे प्रदेश के माननीय श्री सेठी रेल मंत्री हैं, जो पहले हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। एक कहावत है कि जो कुम्हार हांडी बनाता है, वह खुद फूटी हांडी में ही खाना बना कर खाता है। यही हमारे प्रदेश, मध्य प्रदेश, की हालत है।

कई माननीय सदस्य आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में इन्दौर-दोहद रेलवे लाइन की मांग करते आ रहे हैं। इसकी दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। गुजरात में पंचमहल एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में झाबुआ और धार आदिवासी क्षेत्र हैं और इन्दौर श्री सेठी का निर्वाचन क्षेत्र है। यह रेलवे लाइन बनाने से इन्दौर, अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता

से जुड़ सकता है। मैं श्री सेठी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम इस रेलवे लाइन का सर्वे कराने की घोषणा करें।

इसके अलावा दिल्ली-राजहरा से बस्तर तक रेलवे लाइन बनानी चाहिए। उसकी दूरी 236 किलोमीटर है। वह पूरा आदिवासी क्षेत्र है। इस लाइन को भी लिया जाना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने आज तक रेल नहीं देखी है, उन्हें उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हो।

जबलपुर से गोंदिया तक नैरोगेज रेलवे लाइन है। मैं मांडला गया था उसकी पावर बीच में फैल हो गई। पहले लोग बस को धक्का देकर चलाते थे। हम लोगों ने जब रेलगाड़ी को धक्का दिया, तब वह चली। आजादी के 34 साल के बाद तो कम से कम इस नैरोगेज लाइन को खत्म कर दिया जाए और वहां पर ब्राडगेज लाइन बनाये के लिए प्लान और बजट में प्रावधान करना चाहिए।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, श्री सेठी ने रेलवे सेफ्टी के बारे में, दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में, कई उपाए किए हैं। आज अगर कोई एक्सिडेंट होता है, तो किसी छोटे कर्मचारी को, लाल हरी बत्ती दिखाने वाले को, समपेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऊंचे अधिकारियों, मैनेजर, जनरल मैनेजर और कंट्रोलर आदि को दोषी ठहराया जाए, तब एक्सिडेंट बन्द हो जाएंगे।

न केवल हमारे देश के लोगों, बल्कि दुनिया भर के लोगों ने इस बात की तारीफ की कि 1975 में इमर्जेंसी के दौरान हिन्दुस्तान की रेलें बहुत बढ़िया ढंग से चलीं। लेकिन आज इस देलवे को क्या हो गया है कि इतनी दुर्घनाएं हो रही हैं? मैं समझता हूं कि जनता रेजीम में जो गड़बड़ करने वाले कर्मचारी वापस रेलवे में ले लिए गए थे, उनके द्वारा सेबोटेज हो रहा है और वे दुर्घटनाएं करा रहे हैं। ऐसे आदमियों की लिस्ट बनानी चाहिए। जो कोई भी ऐसा देश-द्रोही हो, उसको न छोड़ा जाए, उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। जो लोग जान-बूझ कर रेलों की दुर्घटनाएं कराते हैं और लोगों के जान-माल को खतरे में डालते हैं, वे वास्तव में देश-द्रोही हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इस बारे में संसद में एक बिल लाया जाना चाहिए और उसे युनैनिमसली पास करना चाहिए।

हिन्दुस्तान के लिए रेलवे का बहुत महत्व है। जापान में बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति-घंटा की गति से चलती है, लेकिन हम अपनी गाड़ियों को 120 किलोमीटर प्रति-घंटा भी नहीं चला पा रहे हैं। हमारे यहां काफी टैकनिकल लोग और वैज्ञानिक हैं। हम इस क्षेत्र में क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

श्री केदार पांडे ने घोषणा की थी कि सांची एक्सप्रैस चलाई जाएगी, मगर वह ट्रेन अभी तक नहीं चली है। उस ट्रेन को चलाया जाना चाहिए। जो सर्वोदय ट्रेन चलती है, उसके लिए रतलाम से दिल्ली तक आने का रिजर्वेशन का क्वोटा है लेकिन जाने के लिए नहीं है। पता नहीं, रेलवे के अधिकारी किस तरह ऐसी व्यवस्था करते हैं। वह ऐसी जगह है, जहां आने और जाने दोनों के लिए रिजर्वेशन करना चाहिए। बांदा-ललितपुर रेलवे लाइन जिसके

सम्बन्ध में कई साथियों ने कहा तथा भूतपूर्व मंत्री श्री ललित नारायण जी ने भी कहा था उसको अवश्य बनाया जाना चाहिये ।

रेलवे में जो कबाड़ होता है वह बहुत सस्ते में नीलाम कर दिया जाता है । पुराने डिब्बे, इन्जिन और जो दूसरी तमाम चीजें होती हैं उनकी नीलामी से करोड़ों रुपयों का नुकसान रेलवे को होता है । मेरा निवेदन है कि इस कार्य के लिये कोई योजना बनानी चाहिये और नीलामी से रेलवे की आमदनी को बढ़ाया जाना चाहिये ।

दिल्ली से जो डीलक्स ट्रेन चलती है वह मेघनगर स्टेशन पर इधर से और वापसी में भी रोकी जानी चाहिये । मैं आप का बहुत आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया । मुझे उम्मीद है कि सेठी जी के नेतृत्व में तथा हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त है, उस से हमारी रेलवे तथा हमारा देश आगे बढ़ेगा । सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि यदि रेल की गति बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, रेल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि और विकास के लिए कम निवेश रखने के कारण, इस बजट का सारे देश में भौंडा स्वागत हुआ है । रेल बजट पर आम बहस के समय, सदस्यों ने कई मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किये । इस समय हम कुछ मांगें उठाना चाहते हैं और उन्हें सदन के सामने रखना चाहते हैं । इस संदर्भ में मैं आपको और योग्य रेल उप-मन्त्री को बताना चाहता हूं कि हमारे अधिकतर प्रश्नों के उत्तर में रेल मन्त्रालय द्वारा यही कहा जाता है कि नहीं श्रीमन्, यह नहीं हो सकता, आदि । व्यहवार में रेल मंत्री, सिर्फ 'नहीं श्रीमन्, यह नहीं हो सकता" ही कहने के मन्त्री रह गये हैं । श्रीमन्, हम कटौती-प्रस्ताव पेश करते हैं—सदन का समय काटने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने, कहने के लिए । मैं, पूरे सदन की ओर से केवल एक मांग पेश करना चाहता हूं । वह यह है—हमने रेल मांगों पर करीब 100 कटौती-प्रस्ताव पेश किये हैं । कम से कम प्रत्येक सदस्य की एक-एक मांग स्वीकार की जानी चाहिए और उस पर विचार होना चाहिए । यह आप चयन कर लें या खुद सदस्य पद छोड़ दें ।

एक माननीय सदस्य : जो मांग बहुत जरूरी हो कम से कम एक तो लेनी ही चाहिए । अन्यथा अभी क्या हो रहा है ? यह एक प्रकार से वार्षिक प्रक्रिया बन गई है । हम सैकड़ों कटौती प्रस्ताव रखते हैं उन पर वाद विवाद होता है; आखिर में हमें मन्त्री महोदय से इस आशय का पत्र मिल जाता कि, खेद है यह सम्भव नहीं है, इसलिए, श्रीमन्, इन सब बातों को दोहराने से फायदा क्या है ? अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि हम किस मांग पर बोलना चाहते हैं । हम अपनी पसंद बता सकते हैं । प्रत्येक सदस्य की अपनी अलग पसंद होगी । हम सैकड़ों कटौती-प्रस्ताव पेश करते हैं । उदाहरणार्थ मुझे याद है —शास्त्री जी ने कुल मिलाकर 235 कटौती-प्रस्ताव पेश किये, अगर मुझे ठीक से याद है तो । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के लिए सभी 235 कटौती-प्रस्तावों पर विचार करना सम्भव नहीं है । इसलिए, क्या करना

चाहिए ? कम से कम एक कटौती-प्रस्ताव पर तो विचार होना चाहिए। नहीं तो कटौती-प्रस्तावों का अर्थ ही क्या है, अगर आप कहें, नहीं श्रीमन, यह नहीं हो सकता आदि ही कहना है यह मेरा सुझाव है। मैंने भी कटौती-प्रस्ताव रखे हैं। मैं जानता हूं कि जो 1137 करोड़ रुपये आपको मिले हैं, उनसे 120 कटौती-प्रस्तावों को मानना असंभव है। मैं समझता हूं कि कुछ विषयों पर आप जरूर विचार कर सकते हैं। मैं सिन्दरी-धनबाद क्षेत्र से आया हूं। माननीय मंत्री पहले पेट्रोलियम और रसायन के मन्त्री थे, उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी है। रेल के अभाव में सिन्दरी उर्वरक संयंत्र और एफ० पी० डी० आई० एल० (भारत उर्वरक योजना और विकास लि०) एक सलाहकार; के रूप में इन सभी उर्वरक संयंत्रों के लिए वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के रूप में अपने कार्य का निष्पादन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हम कई दफा कह चुके हैं कि धनबाद और सिन्दरी को जोड़ने वाली रेल लाइनें माजूद हैं। आपको सिर्फ उन पर रेल चलानी है। 1955 में सिन्दरी उर्वरक संयंत्र की मूल योजना में वहां रेल चलाने की बात भी थी। इसीलिए रेल लाइनें बिछाई गईं। धनबाद जिले में हमें और ज्यादा रेल लाइनें नहीं चाहिए। आप चाहें तो उनमें से कुछ को उखाड़ सकते हैं, क्योंकि इससे गाड़ियों के आने-जाने में असुविधा होती है। हमें कुछ और गाड़ियां चाहिए। इस वर्ष को "उत्पादन वर्ष" घोषित किया गया है, आपको रेल लाइनों का पूरा व सही उपयोग करना चाहिए। धनबाद से पथडीह तक रेल लाइन है और पथरडीह से मोजडीह तक भी रेल लाइन है. भोजडीह अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र में है, जो कि धनबाद जिले के अन्दर ही है। यहां रेल, दूरसंचार न होने की वजह से, यहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पथरडोह से भोजडीह तक रेल बढ़ाने में परेशानी क्या है ? रेल लाइनें पहले ही वहां हैं। आप कुछ रेल गाड़ियां धनबाद से माराफारी बोकारो स्टील नगर तक पहले ही चला रहे हैं। बोकारो स्टील नगर से मद्रास तक भी रेल है। आप सिर्फ एक ही रेलगाड़ी चला रहे हैं, पर वहां दो रेलगाड़ियां चल सकती हैं। आप आसानी से रेल सुविधा को इन लोगों के लिए बढ़ा सकते हैं। हमारे सारे प्रश्नों, कटौती प्रस्तावों और अपीलों का कोई असर नही होता है। मामूली से निवेश से आप सारे धनबाद औद्योगिक क्षेत्र को रेल सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूं और मुझे उम्मीद है आप उससे संतुष्ट हो जायेंगे।

अंत में, मैं नैमित्तिक मजदूरों और गैंगमैनों के बारे में कहना चाहता हूं जो समाज के सबसे गरीब वर्ग में से हैं। मैं समझता हूं कि, कुछ गैंगमैनों ने कुछ गलत बातें की होंगी, मैं यह नहीं कहता कि वे गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन उस काले नियम, अर्थात् रेलवे सर्वेन्ट (डी० एण्ड ए०) नियम, 1968 के नियम 14 (2) या नियम 149, को गैंगमैनों के विरुद्ध इस्तेमाल करने का क्या आधार है, इसकी क्या आवश्यकता तथा बाध्यता है ? धनबाद डिवीजन में पी० डब्ल्यू० आई० पड़ाड़पुर के अधीन, गुरुचरण बंधु और ठाकुर गैंगमैन की सेवाएं नियम 149 के अधीन और श्री रूपलाल, मेट, की सेवाएं रेलवे सर्वेन्ट्स (डी० एण्ड ए०) नियम, 1968 के नियम 14 (2) के अधीन समाप्त कर दी गई हैं। इन गरीब लोगों की सेवाएं इस तरह के काल्पनिक आधारों पर समाप्त नहीं की जानी चाहिएं। उन्होंने कई अपीलें की हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं अपने लिए तथा मेरे जैसे कुछ और लोगों के लिए एक मांग करना चाहता हूं । संसद सदस्यों को पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो के लिए पास मिलते हैं । यह भेदभाव-पूर्ण है क्योंकि अविवाहित घाटे में रहते हैं । मेरी विनम्र अपील है कि क्षतिपूर्ति के रूप में अविवाहितों को अपनी मां को साथ ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए । इससे भेदभाव कम होगा, क्योंकि पति/पत्नी रहित व्यक्ति तो हो सकता है लेकिन बिना मां वाला नहीं होता ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि मां नहीं हो तो कृपया उन्हें पत्नी दिलवाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इससे पूर्व मैंने घोषणा की थी कि मंत्री महोदय शाम को 5 बजे उत्तर देंगे । इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है । मैंने मन्त्री महोदय से भी अनुरोध किया था और वह 5 बजे उत्तर देने को तैयार थे । कई माननीय सदस्यों ने, खास तौर से शासक दल के सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं । अतः मैंने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया है कि ये 5.30 बजे उत्तर दें । 30 मिनट मिल जाते हैं । मैं सभी सदस्यों को मौका दूंगा । यदि प्रत्येक सदस्य 2-3 मिनट में और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहें तो सभी को मौका मिल सकेगा । आप कृपया सुनें मैं हर सदस्य का नाम पुकारूंगा । प्रत्येक माननीय सदस्य जिसका नाम इस सूची में है दो या तीन मिनट लेगा । इस तरह पूरी सूची समाप्त हो सकती है । मैं आपका सहयोग चाहता हूं । ऐसा हुआ तो आपको भी संतोष होगा और मन्त्री महोदय भी सन्तुष्ट होंगे ।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : श्रीमान्, माननीय सदस्य को चाहिए कि वह राजधानी एक्सप्रैस की गति से बोलें ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान नार्थ-ईस्टर्न रेलवे की छपरा-वाराणसी रेल लाइन की तरफ दिलाना चाहता हूं । छपरा-वाराणसी रेल लाइन छोटी लाइन है, उसे बड़ी लाइन में कन्वर्ट किये जाने के लिये 1980-81 के बजट में सर्वे का प्रावधान रखा गया था । उस समय के रेल मंत्री आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी ने वहां की जन-सभाओं में, प्रेस कान्फरेंस के जरिये और चिट्ठियां लिखकर हम लोगों को आश्वासन दिया था कि इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा । पंडित कमलापति का आश्वासन कमलापति का आश्वासन नहीं था, बल्कि भारत के रेल मंत्री का आश्वासन था । पिछले साल के बजट पर बहस में उस समय के रेल मंत्री श्री केदार पांडे जी से आग्रह किया गया था कि पंडित जी के आश्वासन को, जो वहां की जनता को दिया गया था, अवश्य पूरा किया जाना चाहिये । उस पर उन्होंने सर्वे कराया और मुझे बाद में उनका पत्र मिला कि उसका सर्वे हो गया है, प्लानिंग कमीशन की अनुमति मिलने के बाद उस पर काम शुरू किया जायगा । मैं आशा करता था कि इस बार रेलवे बजट में उस लाइन को परिवर्तित करने की बात होगी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, उस लाइन के परिवर्तन का जिक्र इस रेल बजट में नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष जी, मैं मांग करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, कि इस लाइन को बदलने का काम तुरन्त किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री जी अपने जवाब में इसका अवश्य उल्लेख करेंगे। छपरा से वाराणसी रेलवे लाइन को यदि लाइन में नहीं बदला जायगा तो इस से बड़ी कठिनाइयां पैदा होंगी क्योंकि बड़ी पूर्वी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो चुकी है। कुछ लाइनें बड़ी लाइन में बदली जा रही हैं और यदि कुछ लाइनें नहीं बदली जायेंगी तो जनता को बहुत परेशानी होगी। भटनी से वाराणसी तक बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, अब छपरा से वाराणसी पहुंचने के लिये लोगों को एक छोटे से स्टेशन औड़िहार में गाड़ी को बदलना पड़ेगा, माल बदलना पड़ेगा, इसमें उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं पुनः आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने रेल मंत्री की हैसियत से जो आश्वासन दिया था, वह आश्वासन इसी साल पूरा करने की कार्यवाही करें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो डिमाण्डस रखी गई हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश की विशालता और पिछड़ेपन को देखते हुए इनका एलाटमेंट बहुत कम है, इस कमी को रेल मंत्री जी को जल्द दूर करनाचाहिये। विशेषकर उत्तर प्रदेश में कई ऐसी रेल योजनायें हैं जिन पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में बड़ी नाराजगी है।

देश का जो पर्वतीय आंचल है—अंग्रेजों ने अपने शासन काल में शिमला और दार्जिलिंग तक रेलों को पहुंचाया था, लेकिन आजादी के 35 बर्षों के बाद आप उन आंचलों में कहीं भी रेल लाइन नहीं पहुंचा सके हैं। आसाम में कुछ लाइनें आपने उत्तर-पूर्वी भाग में मन्जूर की है, लेकिन वहां भी आन्दोलन के परिणामस्वरूप की हैं, शेष जो पर्वतीय आंचल हैं उनके लिये कुछ नहीं किया है। एक के बाद एक रेल बजट प्रस्तुत किये जाते रहे, लेकिन उनके यहां की रेल लाइनों का सर्वे भी आपका मंत्रालय नहीं करा रहा है।

मैं इसके लिए निम्न तीन लाइनें प्रस्तुत करता हूं :—

(1) टनकपुर घाट—बागेश्वर—गरुड़।

(2) रामनगर—मोहान—मटचूला—मिकियासैन—क्वोखुटिया।

(3) ऋषिकेश—श्रीनगर।

दो लाइनों के कन्वर्जन की स्वीकृति 1976 में हुई थी लेकिन जनता राज्य में कुछ भी कार्य नहीं हुआ। अब फिर आपने ध्यान दिया है लेकिन उनकी प्रगति धीमी है। वे दो लाइनें हैं, मुरादाबाद—रामनगर और बरेली—काठगोदाम।

हमारी फुटहिल्स में एक रेल जाती है, लखनऊ—काठगोदाम। उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक तो उसकी वह शाखा है, जो टनकपुर तक जाती

है और दूसरी शाखा है, जो रामनगर को जाती है। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि पहले तो जो लखनऊ वाली ट्रेन है, उसके इंजन को आप बदलिये। उसका इंजन पुराना है और उसकी जगह पर एक नया इंजन लगाया जाए और दूसरे डीजल इंजन लगाया जाना चाहिए ताकि उसकी खींचने की क्षमता बढ़े। मैं लगातार इस मामले को प्रेस करता आ रहा हूं लेकिन जैसा राय साहब ने कहा और उनकी जो भावना है, उससे मैं सहमत हूं कि हर बार लिखकर आ जाता है कि हमारे ध्यान में यह है लेकिन कब तक वह ध्यान में रहेगी और कब वह वास्तविकता में बदलेगी, इसमें मुझे संदेह है। शायद मेरा टर्म भी बीत जाएगा और वह नहीं हो पाएगी। इस लाइन पर बहुत ज्यादा ट्रेफिक है और जो ट्रेन चलती है, उससे वह पूरा नहीं हो सकता।

एक ट्रेन जिम-कार्बेट चलती है, जिसको आप गर्मियों में चलाते हैं और आजकल के दिनों में उसको केवल मेलानी तक चलाते हैं। मेरा कहना यह है कि लखनऊ वाली ट्रेन को आप रेगूलरली टनकपुर तक चलाइए ताकि जो ट्रेफिक इस लाइन पर बहुत ज्यादा है, उसको डाइवर्ट किया जा सके और इस ट्रेन पर जो दवाब पड़ता है, उसको कम किया जा सके।

टनकपुर के लिए मैं पिछले दिनों से मांग करता आ रहा हूं कि 8 डाऊन काठगोदाम—लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन में 2 थ्री-टायर बोगी तथा चार वर्थ वाली एक प्रथम श्रेणी की बोगी लगनी चाहिए और वहां के लिए उनका आरक्षण होना चाहिए। जब आपसे इस बात को कहते हैं या आपके दूसरे साथियों से इस बात को कहते हैं, तो कह दिया जाता है कि इसको कर देंगे लेकिन जब हमारे पास उत्तर आता है, तो उसमें यह होता है कि इसको नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि इसको कर देंगे तो पत्र में भी यह लिखकर आना चाहिए कि इसको कर दिया जाएगा।

इसके अलावा पिथौड़ागढ़ में **रेल कम रोड** के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए मैं पहले से निवेदन करता आ रहा हूं। इसको जल्दी किया जाना चाहिए।

इसके अलावा पिथौड़ागढ़, बागेश्वर, गरमपानी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आऊट-एजेंसी खोलिये। काफी लम्बे समय से इसके बारे में कहा जा रहा है।

लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस में एक बोगी रामनगर की थ्री-टीयर की लगती है। मेरा निवेदन यह है कि यह काफी नहीं है। रामनगर के लिए काठगोदाम एक्सप्रेस में कम से कम दो बोगी लगनी चाहिए। तीन जिले इससे कनेक्टेड हैं, जहां से इसमें यात्री आते हैं। उनकी पूर्ति हो सके, इसलिए दो बोगी लगनी चाहिए।

काठगोदाम स्टेशन में स्टाफ की बहुत कमी है, इसको दूर कीजिए। देहली-कोठद्वार के लिए एक नई ट्रेन चलाइए।

ये कार्य हैं, जिनको किया जाना चाहिए और मेरा निवेदन है कि हमारी नौकरी बचाने के लिए ताकि हम अपनी कांस्टीटुयेन्सी में जा सकें, यह बहुत जरूरी है कि कम से कम तीन-चार

कार्य तो आप कर दीजिए चाहे छोटे कार्य ही कीजिए और एकाध रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करा दीजिए । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरी बातों की ओर ध्यान देंगे और उनको करवाएंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : श्रीमन, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं विस्तार में न जाकर केवल उत्तरी बंगाल के पिछड़े इलाकों में रेलों की आवश्यकता के बारे में कहना चाहता हूं ताकि मंत्री महोदय शेट कर लें तथा आवश्यक कार्रवाई करें ।

सर्वप्रथम, उत्तरी बंगाल से कलकत्ता आने वाली केवल एक गाड़ी है जिसमें हजारों व्यक्ति प्रतिदिन सफर करते हैं । उत्तरी बंगाल से, सिक्किम, भूटान तथा सभी अन्य स्थानों से लोग कलकत्ता आते हैं । क्योंकि यह राज्य की राजधानी है । लम्बे समय से लोगों की मांग रही है कि दार्जिलिंग मेल के अलावा एक और तेज गाड़ी चलाई जानी चाहिए । अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें तथा एक और तेज गाड़ी चालू करें ।

एक और बात यह है कि पर्यटन के मौसम में रेलवे 4 या 5 महीने तक कलकत्ता से न्यू जलपाई गुड़ी तक एक सामर एक्सप्रेस चलाते हैं । यदि इसे नियमित कर दिया जाए और दार्जिलिंग मेल के अलावा इसे दैनिक गाड़ी बना दिया जाए तो इससे वहां के लोगों को बहुत सहायता मिलेगी ।

एक और एक्सप्रेस है जो मलडालू से न्यू जलपाई गुड़ी तक चलाई गई है और अभी चालू है । मैं मांग करता हूं कि इसे बढ़ाकर सियालदाह तक कर दिया जाए । इससे वहां की समस्या हल हो जाएगी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर विचार करें ।

इस समय जो दार्जिलिंग मेल है, वही एक सीधी गाड़ी है, इसके डिब्बों की हालत बहुत खराब है । उसके डिब्बों में रोशनी नहीं होती और सीटें भी टूटी हुई हैं । डिब्बों की संडास बहुत गन्दी हैं । नतीजा यह है कि कोई भी उनमें नहीं जाना चाहता । मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसे भी देखा जाए ।

उत्तरी बंगाल, सिक्किम, भूटान आदि के लोगों के लिए दिल्ली के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है । इस मामले में उत्तरी बंगाल देश के बाकी भाग से कटा हुआ है । यदि किसी को उत्तरी बंगाल और सिक्किम तथा भूटान से नई दिल्ली आना हो तो कोई सीधी गाड़ी नहीं है । जो गाड़ी आसाम से आती है उसमें पर्याप्त स्थान नहीं होता । न्यू जलपाई गुड़ी से नई दिल्ली तक एक सीधी गाड़ी चालू की जानी चाहिए ।

जैसा कि आप जानते हैं दार्जिलिंग एक सुन्दर स्थान है और विश्व भर के लोग यहां आते हैं । एक छोटी सी गाड़ी है जिसे खिलौना गाड़ी कहते हैं । यह छोटी लाइन पर चलती है, यह न्यू जलपाई गुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है । अब रेलवे अधिकारी इस लाइन पर गाड़ियों की

संख्या धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। पहले न्यू जलपाई गुड़ी से दार्जिलिंग तक 4-5 विशेष गाड़ियां चलती थीं। इनके अलावा शटल गाड़ियां भी चलती थीं। इस समय केवल दो या तीन गाड़ियां चल रही हैं जिससे पर्यटकों को काफी समस्याएँ और असुविधाएं हो रही हैं। इस लिए मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे देखें कि सभी गाड़ियां बहाल की जाएं। फिर बहुत-सी मालगाड़ियां चल रही थीं जिनसे रेलवे को आय हो रही थी। ये सब मालगाड़ियां हटा दी गई हैं। मेरी मांग है कि यात्री गाड़ियां और माल गाड़ियां बहाल की जाएं। छोटी गाड़ियां ब्रिटिश इन्जीनियरों की देन हैं जो ब्रिटिश काल से चल रही हैं। अब इस गाड़ी के इन्जन तथा डिब्बे बेकार हो चुके हैं। यह 100 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही है। इस गाड़ी के लिए कोई नया इन्जन या नए डिब्बे नहीं बनाये जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गाड़ी के लिए इन्जन तथा डिब्बे बनाकर इसमें लगाए जाएँ।

सिलीगुड़ी में एक डीजल पी. ओ. एच. कार्यशाला है। हाल ही में रेल प्राधिकारियों ने इसे सिलीगुड़ी से हटाकर अजमेर में स्थापित करने का निर्णय किया है। इससे उस क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष पैदा हो गया है। यदि ऐसा होता है तो काफी संख्या में कर्मचारियों को अजमेर स्थानांतरित किया जाएगा और भविष्य में इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यशाला को सिलीगुड़ी में ही रखा जाए।

हाल ही में रेल प्राधिकारियों ने चार रेल कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख इस आधार पर अपनाया है कि उन्होंने कामगारों तथा कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल में भाग लिया था। दो कर्मचारी सिलीगुड़ी जंकशन के हैं और दो अलीपुर द्वार के हैं। वास्तव में कोई हड़ताल नहीं थी।

खानपान व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह दिन पर दिन खराब हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसे ठेकेदारों के हाथ में न छोड़ा जाए। विभागीय खान-पान सेवा शुरू की जानी चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर बंगाल में चाय उद्योग है और इस क्षेत्र के लिए यही एक आर्थिक साधन है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, कोयले की कमी के कारण इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि रेलवे कोयला ढोने के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन नहीं दे रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मन्त्री महोदय देखें कि वैगन उपलब्ध कराये जाते हैं।

यह अंतिम बात है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मंत्री जी के समक्ष इतनी अधिक मांगें रखेंगे, तो वह उन्हें देख भी नहीं पाएंगे।

श्री आनन्द पाठक : चाय उद्योग दार्जिलिंग और जलपाई गुड़ी जिलों के लिए मुख्य आर्थिक आधार है। लेकिन इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस उद्योग के लिए अपेक्षित मात्रा में कोयला ढोने के लिए रेल प्रशासन वैगन उपलब्ध नहीं कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं भी बोलना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलें । मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं हरेक को बोलने का अवसर दूंगा । मैं अपने मित्र श्री गिरधारी लाल व्यास सहित आप सभी को संतुष्ट करूंगा, हालांकि इस सम्बन्ध में उन्हें संतुष्ट करना बहुत कठिन है । हां, अब प्रो० अजित कुमार मेहता आप शुरू करिए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा । मैं मन्त्री महोदय के सामने केवल 3-4 बातें कहना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि समस्तीपुर से दरभंगा तक मीटरगेज लाइन के मान परिवर्तन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन योजना के कार्यान्वियन में विलम्ब हो रहा है । क्या मंत्री के साथ प्राथमिकता भी बदलती है ? जिस योजना का उद्घाटन हो चुका है, उस योजना को तो पूरा होना ही चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के लोगों की बहुत दिनों से मांग है कि उन्हें दक्षिण बिहार के प्रमुख शहर रांची से जोड़ा जाए । इसके लिए मैंने भी कई बार पत्र लिखे हैं और तत्कालीन रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैंने इसके लिए कई विकल्प भी दिये थे । पहला विकल्प था कि मौर्य एक्सप्रैस को धनबाद तक ले जाने के बजाए रांची तक ले जाया जाए । दूसरा विकल्प यह सुझाया था कि हटिया-आद्रा पैसिंजर ट्रेन को हावड़ा तक एक्सटेंड किया गया है । उसके चार डिब्बे आद्रा में काटकर मुजफ्फरपुरटाटा एक्सप्रैस से जोड़ दिए जाएं । इससे कम से कम तीन दिन तक तो रांची तक आवागमन की सुविधा हो जाएगी ।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि उत्तरी बिहार में, खासकर पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों की संख्या बहुत कम है । उसका नतीजा यह होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और डिब्बों की छतों और ज्वाईंट्स पर बैठकर लोग यात्रा करते हैं । इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि उत्तरी बिहार में कुछ गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए । आप कह सकते हैं कि हमारे पास इंजिन नहीं हैं । तो मैं यह सुझाव दूंगा कि आप कुछ डीजल इंजिनों की व्यवस्था कीजिए, जिससे गाड़ियां कुछ तेज चलें और इससे अधिक गाड़ियां चलाई जा सकें ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मीटर गेज पर बहुत से इंजिनों की यह हालत है कि एक स्टेशन से गाड़ी चलने के बाद दूसरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही इंजिन फेल हो जाता है । फिर से इन्जिन मंगवाना पड़ता है, तब गाड़ी आगे ले जाई जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इंजिनों का रख-रखाव ठीक से होना चाहिए ।

दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो यह कि समस्तीपुर-हावड़ा के लिए जो गाड़ी की व्यवस्था थी, उसको एक्सटेंड करके गोरखपुर तक कर दिया गया है। इससे भीड़ बहुत हो जाती है और काफी असुविधा होती है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हावड़ा तक के लिए एक गाड़ी की और व्यवस्था की जाए।

दूसरी बात यह है कि पिछले मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि बाराबंकी तक लाइन के मान परिवर्तन के बाद समस्तीपुर से दिल्ली तक सीधी गाड़ी की व्यवस्था की जा सकेगी। वह आज तक नहीं हो पाई है। उस पर आप ध्यान दें।

मैं एक घटना का जिक्र करके समाप्त कर देता हूं। पिछली सात तारीख को असम मेल जो दिल्ली से चली थी, उसमें एक घटना घटी थी। अब आप देखें कि यही एक गाड़ी है जो उत्तर बिहार तक जाती है। ऐसा हुआ कि उस दिन नाजायज पैसेंजर बहुत ज्यादा उसमें चढ़ गए। जिनका आरक्षण हो चुका था उनको भी उस गाड़ी में स्थान नहीं मिला। इसका कारण केवल इतना था कि उस गाड़ी में स्वीकृत डिब्बों की संख्या 17 होती है। पता नहीं क्यों उस दिन उस गाड़ी में कम डिब्बे और आम दिनों से भी कम जब 13-14 लगाए जाते हैं, लगाए गए। क्या पूरे डिब्बे नहीं लगाए जा सकते थे? इसका नतीजा यह हुआ कि गाड़ी में अत्यधिक भीड़ हो गई। वैसे हमेशा ही रहती है लेकिन उस दिन अत्यधिक हो गई। इस ओर भी आप ध्यान दें। इस भीड़-भाड़ को कम करने की कोशिश करें।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यह बहुत अच्छा हुआ कि पैलेस आन व्हील्ज जो चालू की गई थी उसको बन्द कर दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पन्द्रह साल से बराबर जो एक मांग की जाती रही है कि दिल्ली से अहमदाबाद के लिए ब्राड गेज होना चाहिये और आश्वासन भी मन्त्री महोदयों द्वारा दिए जाते रहे हैं, वह आज तक नहीं किया गया है। इन दोनों स्टेशनों के बीच में सिर्फ 201 अप और 202 डाउन है। इस कारण से क्या मुसीबत होती है, इसको मंत्री महोदय वहां जाकर देख सकते हैं। न राजस्थान कैनाल पूरी हुई है और न ही इस लाइन को ब्राड गेज किया गया है। राजस्थान की मद में कोई एडीशनल प्रावधान भी इसके लिए नहीं किया गया है। कई बार इसके बारे में वादा किया गया है लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस ओर आप अविलम्ब ध्यान दें।

बर से बिलारा तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सर्वे कराने की बात आपने कही थी। हमने इस पर मेजें थपथपाई थीं। लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला, सर्वे नहीं हो सका। बम्बई, मद्रास से आने वालों के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं है।

रेलवे कनवेशन कमेटी ने दो बार रेलवे की इनएफिशेंसी की ओर अपनी रिपोर्ट्स में ध्यान दिलाया है। उसने लिखा है :—

"हालांकि रेल मंत्रालय की उस समय योजना अवधि के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी थी, तथापि, छठी योजना के दौरान रेलवे की वित्तीय संभावनाओं के लिए

अस्थायी पूर्वानुमान तैयार करने में इन्हें लगभग 10 महीने लगे। समिति रेल मंत्रालय द्वारा किये गए इस विलम्ब पर अप्रसन्न है ....समिति याद दिलाती है कि पिछले वर्ष भी, अंतरिम ज्ञापन बहुत देर से मिला था और इसी प्रकार की स्थिति सामने आई थी। समिति रेल मंत्रालय की इस भूल पर खेद प्रकट करती है और आशा करती है कि ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी।"

उसने आगे चलकर इस एफिशेंसी के बारे में यहां तक लिख दिया है : —

"समिति के विचार में, इससे इस तथ्य का पता चला है कि रेलवे, 55.72 करोड़ रुपये की पूंजी, जैसा कि 31-3-78 को स्थिति थी, लगाने के बावजूद और 125 वर्ष से कार्य करने के बावजुद इस ढंग से संगठित नहीं है कि उसे एक ऐसा संपन्न सरकारी उद्यम कहा जा सके जो अर्थक्षम और स्वत: संसाधन जुटाने में सक्षम हो, जिससे इसकी प्रगति हो सके और हमारी विकासशील अर्थ व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।"

इन रिपोर्टों से रेलवे की एफिशेंसी का पता चलता है। श्री कमलापति त्रिपाठी ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि जो इण्डियन रेलवे एक्ट 1980 का बना हुआ है—आज सौ साल होने को आए हैं उसमें संशोधन किया जाएगा। यही बात श्री केदार पांडे ने कही और आज मंत्री महोदय भी कहेंगे। नता नहीं, क्या रेलवे एक्ट कब बनेगा। इनटेरिम रिपोर्ट आती हैं और हम लोग उन्हें पारित कर देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाही रहीं की जाती।

पन्द्रह बीस लाख लोगों द्वारा चुने हुए पार्लियामेंट के सदस्य यहां पर अपनी-अपनी बात कहते हैं, लेकिन भगवान जानता है कि उसका क्या असर होता है। यहां पर केवल आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन वादों और बातों से पेट नहीं भरता।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे लाइनों के बारे में राजस्थान का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, उस तरह से उसका विकास नहीं हुआ है। रेलवे के सम्बन्ध में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान में रेलवे का सब से कम माइलेज राजस्थान में है। हम बराबर मांग करते आ रहे हैं कि राजस्थान में रेलवे लाइनों का विस्तार हो। पिछले साल दो रेलवे लाइनों के सरवे का आदेश दिया गया था—कोटा से देवगढ़ तक और टोडा रायसिंह से नाथद्वारा तक। इन दोनों लाइनों के लिए पचास-पचास लाख रुपये मंजूर किए गए, लेकिन पिछले साल उनका सरवे नहीं हुआ। इस साल इन दोनों लाइनों के लिए पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रेलवे बोर्ड को आदेश दें कि यह सरवे तुरन्त किया जाना चाहिए और सरवे रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत की जाए।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान का एक अलग जोन बना दिया जाए, ताकि हमारे यह ज्यादा रेलवे लाइनें बन सकें और हमारे प्रदेश की तरक्की हो सके।

राजस्थान में जब से रेलवे लाइनें बनीं—स्टेट्स के टाइम से, तब से बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर में वर्कशाप थे । लेकिन इस सरकार के आने के बाद वे बिल्कुल ठप्प हो गए हैं । न तो वहां पर इंजिनों की मरम्मत होती है और न कोच बनाए जाते हैं । वहां पर वैगन फैक्टरी स्थापित की जाए, कोच फैक्टरी स्थापित की जाए और इन्जिन बनाने तथा उनकी मरम्मत का कारखाना स्थापित किया जाए ।

मीनाक्षी ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलती है अजमेर से कांचीगुड़ा । उसको हफ्ते में सातों दिन चलाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो । इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए ।

भीलवाड़ा में चेतक एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास की चार सीट्स का रिजर्वेशन का कोटा है और सैकंड क्लास टू-टायर की दस सीट्स का । इस कोटे को बढ़ाने की मांग रही है, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है । मेरा आप से निवेदन है कि आप इस कोटे को बढ़ाने की व्यवस्था तुरन्त करें ।

चेतक एक्सप्रेस का दिल्ली पहुंचने का जो ढ़ाई बजे का टाइम है, वह बड़ा "आड" है । यदि वह 10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाय तो राजस्थान के लोगों को बड़ी सहूलियत मिल सकेगी ।

अंत में मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा स्टेशन को गार्डनाइज करने के लिये निश्चित तौर पर कदम उठाये जाने चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत डिमांड्स का समथन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शासक दल सहित सभी दलों के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है । अतः मैं अब किसी भी सदस्य को एक मिनट के लिए भी नहीं बोलने दूंगा ।

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक है । कुछ नहीं किया जा सकता । अब मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे : सभी दलों के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है ।

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता । अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे । कृपया बैठ जाइये । प्रत्येक दल को दिया गया समय समाप्त हो चुका है ।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया ।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मौका नहीं दिया। इसलिए मैं सदन से बाहर जा रहा हूं।

(श्री चतुर्भुज सदन से उठकर बाहर चले गये)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यद्यपि यह वाद-विवाद रेल अभिसमय समिति के चौथे प्रतिवेदन पर था, फिर भी श्री मूलचन्द डागा की प्रासंगिक टिप्पणी को छोड़कर, अधिकांश सदस्य रेलवे की आम समस्याओं पर ही बोले। तथापि, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को नोट कर लिया है। मेरे लिये सभी सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर सभा में उत्तर देना कठिन होगा। अत: मैं उन सभी माननीय सदस्यों का नाम पढ़ देता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है ताकि वे आश्वस्त हों जो उन्होंने कहा है उसे मैंने नोट कर लिया है। ये सदस्य हैं: डा. बी. एन. सिंह, डा. ए. कलानिधि, श्री जी. एल. डोगरा, श्री आर. एल. पी. वर्मा, प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत, श्री मधुसूदन, श्री अजित कुमार साहा, श्री काजी जलील अब्बासी, श्री कृष्ण प्रताप सिंह, श्री चन्द्र देव प्रसाद, श्री मोती. लाल सिंह, श्री चिंतामणि जेना, श्री रामावतार शास्त्री, श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री राम नगीना मिश्र, श्रीमती विद्या चेन्नुपति, श्री रामलाल राही, श्री जे. सी. बरवे, श्री सुन्दर सिंह, श्री यादव, श्री ईरा अनावरासु, श्री दिलीप सिंह भूरिया, श्री ए. के. राय, श्री जैनुल बशर, श्री हरीश रावत, श्री आनन्द पाठक, प्रो. अजित कुमार मेहता, श्री मूलचन्द डागा और श्री गिरिधारी लाल व्यास।

सभा में बोलने वाले इन सदस्यों के अलावा कुछ अन्य माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में कुछ कागजात दिये हैं। इनमें एक हैं—श्री के० टी० कौशल राम और दूसरी हैं श्रीमती गीता मुखर्जी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों की ध्यानपूर्वक जांच करूंगा और अपनी सीमाओं के अन्दर, मैं उनके द्वारा सुझाये गये मामलों पर कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप कृपया बम्बई उपनगरीय रेलवे को न भूलियेगा।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : इसका उल्लेख श्रीमती दंडवते ने कर दिया है। अत: आप चिंता न करें। आपकी अनुपस्थिति नोट कर ली गई है।

श्री नारायण चौबे : पश्चिम बंगाल को भी मत भूलियेगा।

व्यवधान

श्री प्रकाश चन्द सेठी : यह सच है कि रेलवे के संसाधन सीमित हैं और दुर्भाग्यवश पिछले दो वर्षों में वर्तमान कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए प्रत्येक मन्त्री महोदय को इस सभा में किराये और भाड़ों में वृद्धि के लिए अनुरोध करना पड़ा है और मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा है और मुझे नये बजट में भाड़े और रेल यात्री किरायों के रूप में 261.45 करोड़ रुपये का भार डालना पड़ा है। महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि जहां कहीं

भी हम किफायत ला सकते हैं हम इसके लिए प्रयत्न करेंगें। हम केवल उन्हीं निर्माण कार्यों को हाथ में लेंगे जिन्हें पूरा किया जा सके ताकि राष्ट्र को उससे लाभ पहुंचे। हम अपने संसाधनों को इस प्रकार से नहीं फैलायेंगे कि वे इतने अधिक क्षेत्र में फैल जायें कि उनसे लाभ ही न हो। यही कारण है कि हम अत्यधिक धनराशियों की व्यवस्था नहीं कर सके हैं जैसा कि श्री कौशल राम एक ऐसी परियोजना के लिए चाहते थे जिसके लिए 1981-82 में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु 1982-83 में केवल 70 लाख रुपये की ही व्यवस्था की गई है और जिसके लिए वे नाराज भी हैं। किन्तु मैं आपको और अन्य माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि हम योजना आयोग के साथ जून और जुलाई में होने वाले मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी वार्तालाप के बारे में आशावान हैं। योजना आयोग का रवैया सहानुभूतिपूर्ण है। इसके अलावा प्रधान मन्त्री भी इस मामले में सहायता कर रही हैं क्योंकि सभी ने रेलवे को समुचित स्थान देने की आवश्यकता को महसूस किया है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि हमें मध्यवधि मूल्यांकन के समय उन लाइनों के बारे में जिन्हें हमने अधूरा छोड़ा हुआ है और जहां हम समुचित धन की व्यवस्था नहीं कर सकें हैं, और अधिक की धन व्यवस्था कर सकेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य पुनर्मूल्यांकन के बाद सही मायनों में आगे बढ़े।

इसके अलावा कुछ ऐसी लाइनें और परियोजनायें भी हैं जिनके लिए योजना आयोग से स्वीकृति नहीं मिली है। यह सच है कि उनके बारे में मन्त्री महोदयों ने सभा में या बाहर घोषणायें की हैं। हमने योजना आयोग के साथ यह मामले उठाये हुए हैं और जैसे ही योजना आयोग उनके बारे में स्वीकृति देगा हम उन परियोजनाओं और लाइनों के बारे में भी सोचेंगे।

जहां तक रेलवे की अन्य समस्याओं का संबंध है यह सच है कि रेलवे की अनेक समस्यायें हैं। मैं सबसे अधिक प्राथमिकता दुर्घटनाओं की समस्या को दे रहा हूं। कई बार रेलगाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। पहले चरण में, जब मैंने कार्यभार सम्भाला तो मैंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही देर से पहुंचें, गाड़ियां सही सलामत पहुँचें और इसलिए मैंने काफी समय तक गाड़ियों के विलम्ब से चलने का बुरा नहीं माना किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं गाड़ियों के विलम्ब से चलने की उपेक्षा कर रहा हूं। अतः मैं सारा ध्यान सुरक्षा की ओर दे रहा हूं और सुरक्षा के लिए काफी काम किया जाना है क्योंकि दुर्घटनाएं केवल आमने-सामने गाड़ियों की टक्कर से ही नहीं होती हैं, बल्कि पटरी से उतर जाने से भी होती हैं जिसमें सम्पत्ति की हानि होती हैं—हालांकि उसमें हो सकता है हानि न हो, फिर भी उससे पटरी की क्षति होती है, लाइनों पर यातायात रुक जाता है जिसके फलस्वरूप यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों को विलम्ब हो जाता है या उन्हें दूसरे मार्गों से ले जाना पड़ता है। अतः इनमें से कुछ दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों जो कि आमने सामने गाड़ियों की टक्कर के लिए बिल्कुल उत्तरदायी होती ही हैं, से होने के अलावा पटरी खराब हो जाने या समुचित रख-रखाव न होने के कारण भी होती हैं। अतः जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की ओर ध्यान नहीं देते जैसा कि शास्त्री जी ने बताया है, हम रेल कर्मचारियों

को उत्तरदायी ठहराते हुए उनसे कहते हैं कि रेल कर्मचारी ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं। मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों के सहयोग के प्रति हम आभारी हैं, वे हमारे साथ सहयोग करते रहे हैं। दोनों ही संघ हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि, जब तक हमारे वे मित्र जो कठिनाइयां पैदा करना चाहते हैं, दूर रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि रेल कर्मचारियों का सहयोग हमें और भी अधिक मिलेगा।

श्री नारायण चौधरी : वे लोग कौन हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वे भी हमारे मित्र हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौबे और श्री रामावतार शास्त्री जी को इसमें क्या रुचि है ? वे इसे समझ गये हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका मतलब है ये दोषी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कहता।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कुल मिलाकर हमें अधिकारियों और रेल कर्मचारियों से अच्छा सहयोग मिल रहा है। जब तक कोई उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है, मैं दुर्घटना होने पर रेल कर्मचारियों या अधिकारियों को सामान्य रूप से दोषी नहीं ठहराता हूं। यह भी सच है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए छोटे कर्मचारियों को दोषी ठहराने का प्रयत्न किया जाता है। हमें यह दृष्टिकोण अपनाना होगा कि जब कभी कोई दुर्घटना होती है या रेलगाड़ी पटरी से उतरती है तो हमें कुछ बड़े अधिकारियों को भी उसके लिए दोषी ठहराना होगा ताकि वे सावधान रहें। मैं बस यही कहना चाहता हूं। हम कर्मशालाओं की क्षमता में सुधार करने, समग्र स्थिति में सुधार लाने और पटरियों में सुधार करके जहां बहुत आवश्यक है, वहां पटरियों को बदल कर रेलवे के कार्यकरण को और बेहतर बनाने के लिए पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक समय की पाबन्दी का संबंध है, हमने रेलवे बोर्ड के कार्यालय में एक निगरानी कक्ष खोला है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर निगरानी रख रहा हूं और मेरे साथी राज्य मंत्री तथा उपमंत्री भी प्रतिदिन लगभग 108 गाड़ियों पर निगरानी रखते हैं। यह सच है कि गाड़ियां विलम्ब से आ रही हैं किन्तु उनमें से कुछ जंजीर खींचने के कारण विलम्ब से आ रही हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जंजीर खींचने की वारदातें बहुत हो रही हैं इसलिए मैंने मुख्यमन्त्री जी को पत्र लिखा है। वास्तव में मैंने सुरक्षा दल के महानिरीक्षक को इन राज्यों में समस्याओं पर चर्चा करने के लिए भेजा है। वे खतरे की जंजीर खींचे जाने वाले नाजुक क्षेत्र में छापा मारने तथा विशे जांच करने की योजना बना रहे हैं, ताकि जंजीर खींचने की घटनाओं को रोका जा सके

अथवा उन्हें एक सीमा तक कम किया जा सके । पटरी पर हुई दुर्घटना के कारण अथवा जंजीर खींचे जाने के कारण, गाड़ी लेट हो जाने के अतिरिक्त मुझे प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है, तथा कई बार माननीय सदस्यों ने भी इस ओर संकेत किया है, विशेषकर डा० मेहता ने अपने भाषण में कहा, कि कभी-कभी गाड़ी चलना शुरू होती है और बीच में आकर इंजन किसी स्टेशन पर रुक जाता है, इंजन में खराबी पैदा हो जाती है । जहां कहीं भी इंजन की खराबी के कारण अथवा माल या सवारी डिब्बे में खराबी के कारण गाड़ियां लेट होती हैं, तो यह एक गंभीर मामला माना जाता है तथा हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं ।

प्रतिशत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मेरे सामने यह कहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि गाड़ियों की समय पाबन्दी में पिछले डेढ़ महीने से 76% से 92% तक सुधार हुआ है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री पांडे इसे नोट करें ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : क्योंकि रेल कर्मचारी तथा अधिकारी .. . .

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) आप इस प्रतिशतके बारे में कैसे हिसाब लगाते हैं ? क्या इसका कोई पैमाना है ? मान लीजिए यदि राजधानी अथवा कोई यात्री गाड़ी दूर क्षेत्र से आती है—क्या इन गाड़ियों के लिए भी यही कसौटी मानी जाएगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब मैं प्रतिशत के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूं, जिनकी हम निगरानी कर रहे हैं हम करीब 108 गाड़ियों पर निगरानी रख रहे हैं । यदि उनमें से 87 गाड़ियां ठीक समय पर आ रही हैं तो इसका अर्थ है कि 13 प्रतिशत गाड़ियां लेट चल रही हैं । (व्यवधान) इतनी जल्दी जाल फैलाना संभव नहीं है । हमने परीक्षण के तौर पर राजधानी आने वाली अथवा मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई पहुचने वाली मुख्य गाड़ियां चलायी हैं । इस प्रयोग को सफल होने के बाद, हम अन्य रेल क्षेत्रों पर भी ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे । अतः हम मामले के इस पहलु पर भी ध्यान दे रहे हैं ।

जहां तक रेल पथ के नवीकरण करने का संबंध हैं, यह सच है कि पटरियों के नवीकरण, माल तथा सवारी डिब्बों के बदलने के लिए जितना धन आवंटित किया गया है, वह कम है तथा हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब हमें पटरियों के नवीकरण के लिए और अधिक राशि का आवंटन किया जायेगा । लेकिन हम इस ओर ध्यान देने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेकर केवल यही कहूंगा कि नई गाड़ियां चलाने की माननीय सदस्य की मांगों को पूरा करना मेरे लिए संभव नहीं होगा । क्योंकि तथ्य यह हैं कि बड़ी लाइन पर 1700 डिब्बों तथा छोटी लाइन पर 1100 डिब्बों की कमी है । जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, गाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ का उपचार नहीं किया जा सकता । कुछ क्षेत्रों में लाइन की क्षमता को भी पूरा करना है और यदि हम डिब्बों की संख्या बढ़ाये बिना ही

लाइन पर अधिक बोझ डाल देते हैं तो इसका अर्थ होगा पुरानी गाड़ियों की देख-भाल किये बिना नई गाड़ियां लेना।

जहां तक पश्चिमी रेलवे की बम्बई उपनगरीय गाड़ियों का संबंध है मध्य रेलवे के मुकाबले उनकी स्थिति अच्छी है। क्योंकि वहां समय-समय पर डिब्बों के बदलने का ध्यान रखा जाता है। लेकिन मध्य रेलवे में, स्थिति बहुत खराब है। मैं श्री स्वामी से सहमत हूं। जब उन्होंने यह प्रश्न उठाया है, तो मैं बम्बई में इस बारे में बात करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सुझाव का स्वागत करता हूं।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : उस सेक्सन में हमने 380 डिब्बों के निर्माण का आदेश दिया है और हमें आशा है हम कुछ डिब्बे अभी प्राप्त कर सकेंगे तथा कुछ थोड़े समय बाद। इस सबंध में निश्चय ही सुधार होगा। अन्य जिन समस्याओं की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया उस बारे में मुझे विश्वास है कि जब मैं बम्बई का दौरा करूंगा तो उन समस्याओं का भी समाधान हो जायेगा। इसी तरह मद्रास, कलकत्ता जैसे महानगरीय शहरों की समस्यायें भी काफी महत्वपूर्ण हैं और मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं इन समस्याओं पर विचार करूंगा, इन शहरों की यात्रा करूंगा, सदस्यों से मिलूंगा उन्हें विचार विमर्श करने के लिए बुलाऊंगा तथा यह देखने का प्रयत्न करूंगा कि इस विशेष मामले में क्या कुछ किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनके सहयोग तथा सम्भावनाओं से मैं दुर्घटनाओं तथा पटरियों के नवीकरण के संबंध में स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में संकल्प रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त संबंधी अन्य अनुषंगी मामलों की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति 1980 के चौथे प्रतिवेदन, जो 19 फरवरी, 1982 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 18 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : 1982-83 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांगों के कई कटौती प्रस्ताव सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए। क्या मैं सभा में मतदान के लिए सभी कटौती प्रस्तावों को रखूं अथवा क्या कोई माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव अलग से रखना चाहता है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1982-83 की रेल बजट संबंधी अनुदानों की मांगें मतदान के लिए सभा में रखता हू ।

प्रश्न है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में, इस रूप भेद के साथ कि मांग संख्या 15 के लिए केवल 479,33,20,000 रुपये दिये जायें 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।

मांग संख्या 1 से 16 ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों (रेलवे) 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत मांग की रकम
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	3,86,69,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	27,88,11,000
3.	सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	180,60,12,000
4.	रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	340,87,96,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	297,01,95,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	410,41,01,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	182,79,79,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	336,26,18,000
9.	परिचालन व्यय— यातायात	364,39,19-000
10.	परिचालन व्यय ईंधन	718,61,82,000

1	2	3
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	127,35,69,000
12.	विविध संचाल व्यय	175,60,57,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन निधि और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	151,87,31,000
14.	निधियों में विनियोग	706,93,76,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण का भुगतान तथा अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	479,33,20,000
16.	परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव राजस्व	10,99,50,600
	अन्य व्यय	2773,57,65,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1981-82 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।

मांग संख्या 1, 3 से 9 और 11 से 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा द्वारा स्वीकृति अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत मांग की रकम
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	24,05,000
3.	सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	5,63,74,000

1	2	3
4.	रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	7,99,00,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	7,72,21,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	12,38,30,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	7,69,04,000
8.	परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	11,02,32,000
9.	परिचालन व्यय यातायात	10,98,86,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	1,84,69,000
12.	विविध संचालन व्यय	4,69,63,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	23,99,29,000
14.	निधियों में विनियोग	8,31,32,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण का भुगतान तथा अतिपूंजीकरण का परिशोधन	16,24,99,000
16.	परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव अन्य व्यय	18,39,19,000

———

विनियोग (रेल) विधेयक

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : –

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमान, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार जिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-32 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर.स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं कि : –

श्री पी० ए० संगमा द्वारा 4 मार्च, 1982 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात् :—

'कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री शिव कुमार सिंह टाकुर।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में चार तरह का सिल्क होता है। मालबारी, टसर, मूंगा और इरी। मालबारी सिल्क में हमारे देश का विश्व में पांचवां स्थान है, टसर में दूसरा और मूंगा तथा इरी में हमारी मोनोपोली है। विश्व में सिल्क के ट्रेडीशनल लीडर्स जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया और सोवियत यूनियन जैसे देश हैं जो सिल्क का काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं।

अभी हमारे देश में मालमारी सिल्क का जो उत्पादन होता है, उसमें विश्व में हमारा पांचवां स्थान है और 4500 टन उत्पादन हमारे देश में होता है। जबकि चाइना में 20 हजार टन, जापान में 12 हजार टन उत्पादन होता है। इस प्रकार से विश्व में हमारा स्थान बहुत नीचे है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिल्क इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों ने इसमें इतनी रुचि दिखाई है कि जहां अंगूर और कपास की खेती होती थी, उसको सिल्क में रीप्लेस कर दिया है। आज हमारे देश में 27,41 गांवों में सिल्क का उत्पादन होता है और इससे 39 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। विशेषकर शेडयूल्सकास और शेड्यूल ट्राइब के लोग इसमें रोजगार पाते हैं।

अभी तक हम 661 लाख स्क्वायर मीटर कपड़ा जो 170 करोड़ रुपये का होता है, का उत्पादन प्रतिवर्ष करते हैं। 1975-76 में जहां हमने 61 66 लाख मीटर कपड़ा एक्सपोर्ट किया था वहीं 1980-81 में हमने 125.82 लाख मीटर सिल्क कपड़े का एक्सपोर्ट किया है। सौ प्रतिशत वृद्धि इसमें हुई है। इसी प्रकार सिल्क कपड़े का एक्सपोर्ट 1975-76 में 17.52 करोड़ का

था वह आज बढ़कर 53.12 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार 200 प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई है।

मालबारी सिल्क हमारे यहां कर्नाटक में 80 प्रतिशत, वैस्ट बंगाल में 15 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर में 5 प्रतिशत होता है। टसर सिल्क बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पैदा होता है। मूंगा और इरी में हमारे देश में आसाम की मोनोपली है।

सेंट्रल सिल्क बोर्ड का गठन सन् 1949 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि किस तरह से सिल्क उत्पादन बढ़ाया जाये और किस प्रकार इसका निर्यात बढ़ाकर देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की जाये। इसके लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने 4 रिसर्च इंस्टीट्यूस कायम किये हैं। तीन रीजनल रिसर्च स्टेशन, पांच सर्विस स्टेशन और 15 रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर कायम किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और राज्य सरकारें मिलकर प्रयत्न कर रही हैं कि हमारे देश में सिल्क का उत्पादन बढ़ाया जाये। इस बात के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

कर्नाटक सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 80 करोड़ रुपये की योजना कार्यान्वित की है, जिसमें स्टेट प्लेचर स्पन सिल्क मिल कायम की गई है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। एग्रीकल्चर सब ग्रुप ने प्लानिंग कमीशन को सुझाव दिया है कि इस इंडस्ट्री के लिए 260 करोड़ रुपया रखा जाये, जिसमें से 38 करोड़ रुपया रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के लिए, सिल्क वार्म सेक्टर में 12 करोड़ रुपया इंटेसिव/सेरीकल्चर के लिए और 210 करोड़ रुपया राज्यों के लिए सिल्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ईरान के कालीन उद्योग में गड़बड़ी होने के कारण हिन्दुस्तानी सिल्क कारपेट की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है। यदि सही तरीके से प्लानिंग करके उत्पादन बढ़ाया जाये तो 50 करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। एम. ए. ओ. के रीसेंट फोरकास्ट के अनुसार इस वर्ष के अंत तक दुनियां में सिल्क कंजम्शन बढ़कर 48,600 टन हो जायेगा। इसको देखते हुए भारत बहुत बड़ा निर्यातक देश बन सकता है।

मालबारी सिल्क का उत्पादन 1977-78 में 4801 टन था जो 1984-85 में 10,265 टन हो जायेगा और एक्सपोर्ट 48.83 करोड़ रुपये से बढ़कर 130 करोड़ रुपये का हो जायेगा। इसी प्रकार एम्पलायमेंट 38.06 लाख लोगों से बढ़कर 1984-85 में 41.52 लाख हो जायेगा। मालबारी सिल्क का जो एरिया था वह 19245 हैक्टर था जो कि 1984-85 में बढ़कर 1 लाख 9 हजार 559 हैक्टर हो जायेगा।

यह बिल जो लाया गया है उसमें आपको देखना होगा कि सिल्क उद्योग क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इसके न पनपने के चार मुख्य कारण हैं—एक तो यह है कि इसमें नये लोग नहीं आ पा रहे हैं। पुराने लोग जो लगे हुए हैं, वही काम करते चले जा रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप समाप्त कर रहे हैं ।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : मैं कल जारी रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । सभा कल ग्यारह बजे प्रातः तक के लिए स्थगित होती है ।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 18 मार्च, 1982/27 फाल्गुन, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।